बुधवार,
१७ दिसंबर, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

Preservation

बुधवार, १७ दिसम्बर १९५२

सदन की बैठक दस बजे समवेत हुई

(**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वियत-नाम का अभिस्वीकरण

*१२१९. **श्री पी० टी० चाको**: क्या **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने हिन्द चीन स्थित वियत-नाम, कम्बोडिया और लाओस राज्यों को अभिस्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ; और

(ग) किसी नई सरकार के अभिस्वीकरण के लिये भारत सरकार किन किन बातों को ध्यान में रखती है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). पूर्व इसके कि किसी सरकार को अभिस्वीकृति प्रदान की जाये उसके लिये कुछ एक ऐसी परीक्षाओं में, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत सुप्रसिद्ध हैं, पूरा उतरना आवश्यक है। जो कुछ सूचना भारत सरकार के पास मौजूद है उस से

उन्हें यह विश्वास नहीं हो सका है कि प्रश्न में उल्लिखित राज्य इन परीक्षाओं में पूरे उतरते हैं।

श्री पी० टी० चाको: अभी हाल में इन राज्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रविष्ट किये जाने का प्रश्न सुरक्षा परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत हुआ था। क्या मैं इस विषय में भारत सरकार का दृष्टिकोण जान सकता हूं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: क्या माननीय सदस्य बीती घटनाओं की बात कर रहे हैं अथवा भविष्य की ?

उपाध्यक्ष महोदय: बीती घटनाओं की ; उन्हों ने कहा है, अभी हाल में।

श्री पी० टी० चाको: मैं इन राज्यों के संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश करने के विषय में भारत सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहता हूं। यह विषय अभी हाल म ही उठाया गया था।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मुझे कोई विशेष घटना तो याद नहीं है। परन्तु यदि हम किसी राज्य को अभिस्वीकार नहीं करते हैं तो यह स्पष्ट ही है कि हम उसके संयुक्त राष्ट्र संघ में लिये जाने के पक्ष में मत नहीं दे सकते।

श्री पी० टी० चाको: मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार साम्यवादियों द्वारा प्रवर्तित वियत-मिन्ह के प्रतिद्वन्दी राज्य को अभिस्वीकार करती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: नहीं, श्रीमान्। हम वहां के किसी राज्य को अभिस्वीकार नहीं

करते हैं क्योंकि वहां गृह-युद्ध अथवा अव्यवस्था की स्थिति है।

श्री पी० टी० चाको : भाग (ग) के अनुपूरक के रूप में मैं जान सकता हुं कि क्या सरकार जापान के संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रविष्ट किये जाने के विषय में अभिरुचि दिखलायेगी : वैसी ही अभिरुचि जैसी कि चीन के विषय में दिखलाई गई थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न में से कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री पी० टी० चाको : प्रश्न के भाग (ग) का सम्बन्ध इस विषय से है कि भारत सरकार किसी नई सरकार को अभिस्वीकृति देने से पूर्व किन किन बातों पर विचार करती हैं। क्या जापान को अभिस्वीकृत . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत सामान्य भाषा है। हम वियत-नाम के विषय से जापान के विषय की ओर नहीं जा सकते।

डा० एस० पी० मुखर्जी : क्या **प्रधान मंत्री** ने उन क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों के दृष्टिकोणों पर और उनकी संवेदनाओं पर, जो उन्हें भारत द्वारा उन राज्यों की अभिस्वीकृति न होने के कारण होती हैं, विचार किया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य की यह धारणा किसी हद तक ठीक है कि इस से असुविधायें होती हैं। हम उनकी सहायता करने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु केवल इन्हीं असुविधाओं के कारण एक ऐसी नीति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो विभिन्न विचारों पर आधारित है।

श्री पी० टी० चाको : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने इन राज्यों के साथ कोई संधियां अथवा व्यापारिक समझौते किये हुए हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ऐसा नहीं समझता। जब हम एक राज्य को अभिस्वीकार ही नहीं करते तो हम उन के साथ संधियां अथवा व्यापारिक समझौते कैसे कर सकते हैं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : क्या **प्रधान मंत्री** को यह ज्ञात है कि इन में से अधिकांश क्षेत्रों में जनता इस बात के लिये बहुत इच्छुक है कि भारत उक्त राज्यों को अभिस्वीकार कर ले, क्योंकि इससे उन्हें वहां की सत्तारूढ़ शक्ति से अधिक अधिकार प्राप्ति में सहायता मिल सकती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हो सकता है कि ऐसा मत रखने वाले लोग हों। परन्तु माननीय सदस्य को अवश्य ही उक्त क्षेत्र की असामान्यतः कठिन तथा जटिल परिस्थिति का ज्ञान है, अतः इस विषय पर बड़े विशाल दृष्टिकोणों से विचार करना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : एक प्रश्न, श्रीमान्।

उपाध्यक्ष महोदय : इस का पर्याप्त उत्तर मिल चुका है। अगला प्रश्न।

कानपुर में श्रमिकों की गृह-व्यवस्था

*१२२१ **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कानपुर में श्रमिकों की गृह-व्यवस्था को सुधारने के विचार से कोई पर्यालोकन किया गया है;

(ख) यदि किया गया है तो कब और उसकी उपपत्तियां क्या हैं ;

(ग) कितने अहातों का पर्यालोकन किया गया और कितने श्रमिकों से पूछताछ की गई; तथा

(घ) कानपुर की श्रमिक संख्या ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) जी हां। अन्तिम

पर्यालोकन यू० पी० सरकार के नगर तथा ग्राम योजना विभाग द्वारा किया गया था।

(ख) यह पर्यालोकन १९५० के आरम्भ में किया गया था। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है जिस में पर्यालोकन के निष्कर्ष दिये गये हैं। [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५०।**]

(ग) नमूने के रूप में कुल ३१ अहातों का पर्यालोकन किया गया था और कुल १,१४५ श्रमिकों से बातचीत की गई थी।

(घ) १९५१ में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या ६८,५४० थी।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं प्रत्येक गृह का अनुमानित परिव्यय जान सकता हूं जिसकी सिफ़ारिश नगर तथा ग्राम योजना विभाग द्वारा की गई है ?

श्री बुरागोहिन : जैसा कि मैं ने बतलाया है यह विभाग यू० पी० सरकार से सम्बन्ध रखता है। मुझे विस्तार के सम्बन्ध में पूर्व सूचना चाहिये।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रारम्भिक पाठशालाओं, क्रय-विक्रय केन्द्रों तथा बच्चों के क्रीडा-स्थानों का भी उल्लेख किया गया है ?

श्री बुरागोहिन : मेरे पास इन विषयों पर विस्तृत सूचना नहीं है। मैं ने एक विवरण जिस में विभाग की सभी उपपत्तियां दी हुई हैं, सदन-पटल पर रख दिया है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या इन मकानों के बनाने के लिये ऐसे असरकारी अभिकरणां से भी काम लिया जायगा जिन पर सरकार को कोई आपत्ति न हो ?

श्री बुरागोहिन : जैसा कि माननीय सदस्य को निस्संदेह ज्ञात है कि असरकारी अभिकरणों से अभिप्राय है सेवायुक्तों की सहकारी समितियां, कुछ शर्तों के अधीन, और स्वयं सेवायोजक भी जो औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना से लाभ उठा सकते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : मेरा प्रश्न यह था कि क्या इन सेवायोजकों तथा सेवायुक्तों की संस्थाओं के अतिरिक्त किन्हीं रजिस्टर्ड असरकारी संस्थाओं को भी निर्माण-कार्य सौंपा जायगा ?

श्री बुरागोहिन : अभी तो सरकार केवल औद्योगिक गृह-व्यवस्था का प्रश्न ही ले रही है।

राजस्थान की मरुभूमि

*१२२२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सिंचाई तथा बिद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यूनेस्को से संलग्न नौ वैज्ञानिकों के मंत्रणा परिषद् द्वारा किया गया संसार के विभिन्न देशों में मरुक्षेत्रों के विस्तार को रोकने सम्बन्धी अनुसंधान कार्य राजस्थान के मरुक्षेत्रों के विस्तार की रोकथाम में कहां तक भारत के लिये सहायक सिद्ध हुआ है अथवा होने की आशा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : मंत्रणा समिति स्वयं कोई अनुसंधान कार्य हाथ में नहीं लेती है अपितु यूनेस्को के महा-निदेशक और अधिशासी बोर्ड को मरुक्षेत्रों सम्बन्धी परियोजनाओं की तैय्यारी तथा निष्पादन के सम्बन्ध में मंत्रणा देती है। उसे मरुक्षेत्र के विकास सम्बन्धी वैज्ञानिक तथा टेकनीकल प्रश्नों के सम्बन्ध में मंत्रणा देने का भी अधिकार है। उक्त मंत्रणा समिति को कोई प्रस्थापना इस आशय की नहीं दी गई है कि वह राजस्थान की मरुभमि के विस्तार को रोकने में सहायक हो। एक प्रार्थना इस आशय की अवश्य की गई है कि हमें एक भू-भौतिकीविद् की सेवायें प्राप्त करवाई जायें और राज्य के मरुक्षेत्रों में स्थलीय पानी का पता चलाने के लिये आवश्यक उपकरण खरीद

करवा दिये जायें। यह प्रार्थना यू० एन० के विचाराधीन है।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं उन नौ देशों के नाम जान सकता हूं जहां से यह वैज्ञानिक लिये गये हैं ?

श्री हाथी: कुछ दिन हुए मैं ने यह नाम बतलाये थे। वह हैं मिस्र, यू० एस० ए०, आस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, फ्रांस, इस्राइल, यू० के० तथा पीरू।

श्री एस० सी० सामन्त: गत कुछ वर्षों में कितना क्षेत्र राजस्थान मरुभूमि में प्रविष्ट हो चुका है ?

श्री हाथी: मेरे पास इस विषय में कोई सूचना नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने राजस्थान मरुभूमि के साथ साथ कोई हर्याला पार्श्व उगाने की व्यवस्था की है ?

श्री हाथी: जी हां। राजस्थान मरुभूमि में एक पांच मील चौड़े हर्याले पार्श्व के लगाये जाने के बारे में एक प्रस्ताव चल रहा है मैं योजना आयोग की रिपोर्ट के अध्याय २२ पैरा ७ की ओर भी निर्देश करना चाहता हूं, जिस में इस विषय पर प्रकाश डाला गया है।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में हमारी सरकार द्वारा किये गये अनुसंधान कार्य का क्या परिणाम रहा है ?

श्री हाथी: अभी तक जो अनुसंधान कार्य किया गया है वह केवल भूमि के नीचे वाले पानी के उपयोग और भूगर्भ सम्बन्धी भूमापन तक ही सीमित है। अभी तक कोई विशेष परिणाम नहीं निकला है।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे अनुसंधान उपविभाग को किसी ऐसी प्रकार के पौधों का पता चला है जो मरुभमि के विस्तार को रोक सकें ?

श्री हाथी: अभी नहीं।

श्री दाभी: क्या हमें इस विषय में कोई अनुमान बतलाया जा सकता है कि राजस्थान तथा अन्य संलग्न क्षेत्रों में मरुभूमि का विस्तार कहां तक हुआ है ?

उपाध्यक्ष महोदय: वह बतला चुके हुए हैं कि अभी उनके पास इस विषय में कोई सूचना नहीं है।

भारत स्थित पाकिस्तान के भूतपूर्व उच्चायुक्त

*१२२२-क. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्:** क्या **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस देश में स्थित पाकिस्तान के भूतपूर्व उच्चायुक्त, श्री मुहम्मद इसमाईल अपने पद से निवृत्त होने के पश्चात् भारत में ही आबाद हो गये हैं ;

(ख) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या उन्हों ने सरकार से इसके लिये अनुमति प्राप्त की है ;

(ग) यदि उक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या ऐसी अनुमति अनावश्यक थी (१) उनके प्रकरण में, तथा (२) किसी भूतपूर्व अन्ताराज्य नीतिज्ञ के लिये ;

(घ) यदि श्री मुहम्मद इसमाईल अब भी भारत के नागरिक हैं तो क्या तीन वर्ष से अधिक समय तक उनके पाकिस्तान सरकार के अधीन सेवायुक्त रहने से उक्त नागरिकता पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा; तथा

(ङ) क्या भूतपूर्व उच्चायुक्त की गोरखपुर के निकट स्थित भूसम्पत्ति निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित हो चुकी है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) श्री मुहम्मद इसमाईल अपने गोरखपुर (यू० पी०) में स्थित मकान में रहते बतलाये जाते हैं।

(ख) तथा (ग). किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी परन्तु उन्हों ने हमें अपने विचार से सूचित कर दिया था ।

(घ) तथा (ङ). वर्तमान विधि के अन्तर्गत, श्री मुहम्मद इसमाईल की भारतीय नागरिकता बनी रहती है, अतः उनकी सम्पत्ति को 'निष्क्रान्त सम्पत्ति' नहीं ठहराया गया है ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : क्या इस प्रकार के कोई और पाकिस्तानी भी हैं जिन्हें अभी तक भारतीय नागरिकता प्राप्त है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह पाकिस्तानी नहीं हैं । माननीय सदस्य पूर्वधारणा से काम ले रहे हैं ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यदि वह पाकिस्तानी नहीं हैं तो वह एक भारतीय नागरिक हैं । तथ्य तो यह है कि वह आज भी पाकिस्तानी नहीं हैं ।

श्री डी० डी० पन्त : क्या पाकिस्तान सरकार को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वह हमारे नागरिकों को अपने राजदूतों अथवा अन्य कर्मचारियों के रूप में नियुक्त कर सके ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : अवश्य है, परन्तु ऐसी नियुक्ति का अनुमोदन करना अथवा न करना हमारे वश में है ।

श्री डी० डी० पन्त : परन्तु क्या इस में कोई भय की बात नहीं है ....

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं बतला रहा हूं कि यह निश्चय करना हमारा काम है, पाकिस्तान सरकार का नहीं ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या वही सिद्धान्त जिसका अनुसरण श्री मुहम्मद इसमाईल के विषय में किया गया है उन भारतीय नागरिकों को भी लागू होगा जो पाकिस्तान सरकार के अधीन सेवायुक्त हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह कुछ ठीक स्पष्ट नहीं है । मैं यह जतलाना चाहता हूं कि श्री मुहम्मद इसमाईल का प्रकरण अति विशेष तथा असाधारण प्रकार का है । वह कभी भी भारत को छोड़ कर पाकिस्तान नहीं गये । वह सदैव यहीं रहे हैं । उनका परिवार यहां रहा है । वह ज़िला गोरखपुर के बहुत मान्य तथा पुराने नागरिक हैं । निस्संदेह भारत सरकार चाहे तो उनकी नागरिकता के प्रश्न का निर्वचन किसी भी रीति से कर सकती है । परन्तु यह एक अपवादात्मक प्रकरण है जिसे सामान्यतः उदाहरण के रूप में नहीं समझना चाहिये ।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का सम्बन्ध है मैं कोई बहुत ठीक अथवा यथार्थ उत्तर नहीं दे सकता हूं, क्योंकि यह एक विचाराधीन विषय है । सामान्यतः नियम यह होना चाहिये कि पाकिस्तान सरकार के अधीन, पश्चिमी पाकिस्तान अथवा पूर्वी बंगाल में सेवायुक्त कोई व्यक्ति साधारणतया पाकिस्तानी नागरिक समझा जाएगा । परन्तु मैं इस विषय में तुरन्त कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमारी तत्सम्बन्धी विधि में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या प्रत्येक प्रकरण में अनिवार्य रूप से ऐसा ही होना चाहिए ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : क्या प्रधान मन्त्री बतलायेंगे कि इस समय भारत में कितने ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो पाकिस्तान के अधीन सेवा युक्त हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरी कठिनाई यह है कि ऐसी कोई सूची प्राप्य नहीं है । हमारा नागरिकता सम्बन्धी विधान अभी निर्धारित नहीं हुआ है, हम इन विषयों में किसी भी प्रकार का निश्चय कर सकते हैं । पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में इस विषय में स्थिति कुछ अस्पष्ट सी रही है । यह प्रश्न उठा ही नहीं था । अब पासपोर्ट पद्धति के लागू होने से यह प्रश्न उठा है, अतः हम इस पर विचार कर रहे हैं । मैं यथार्थ विधि का निर्वचन तो नहीं कर रहा हूं क्योंकि वह तो विचाराधीन है, परन्तु हमारा सामान्य दृष्टिकोण

यह है कि साधारणतया हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने पाकिस्तान के लिये विकल्प किया था तथा जो पूर्वी बंगाल में अथवा अन्यथा पाकिस्तान के अधीन सेवायुक्त है, पाकिस्तानी नागरिक बनने दिया जाएगा। परन्तु यह एक सामान्य नियम है। सम्भव है कि कतिपय विधि सम्बन्धी अथवा अन्य तथ्यों द्वारा इसका खंडन हो सके।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मैं नागरिकता के सामान्य सिद्धान्त की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा विशेष प्रश्न यह है कि श्री मुहम्मद इसमाईल की प्रकार के और कितने भारतीय नागरिक भारत में मौजूद हैं जो पाकिस्तान सरकार के अधीन सेवायुक्त हैं, तथा क्या कोई ऐसी प्रक्रिया भी है जिसके अन्तर्गत इसके पूर्व कि किसी भारतीय नागरिक को पाकिस्तान सरकार द्वारा कोई पद दिया जाय और उसे भारत में काम करने को कहा जाय भारत सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक समझी जाए ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : स्पष्टतः माननीय सदस्य प्रमुख व्यक्तियों की ओर निर्देश कर रहे हैं, परन्तु मैं समझता हूं कि जो ऐसे व्यक्ति पाकिस्तान के अधीन सेवायुक्त हैं उनमें से अधिकांश क्लर्क, चपड़ासी इत्यादि हैं। जहां तक महत्वपूर्ण पदों का सम्बन्ध है मैं श्री मुहम्मद इसमाईल के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकरण से अवगत नहीं हूं।

डा० एन० बी० खरे : चूंकि श्री मुहम्मद इसमाईल उच्चायुक्त के रूप में पाकिस्तान की सेवा कर चुके हैं क्या इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उनकी सहानुभूति पाकिस्तान के साथ है भारत से नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस विषय में वाद विवाद नहीं कर सकते।

श्री टी० के० चौधरी : बहुत से मुस्लिम जो भारतीय नागरिक होने का दम भरते हैं पाकिस्तान के अधीन सेवायुक्त होने का विकल्प दे चुके हैं, परन्तु उनके परिवार यहीं हैं। उनकी यहां सम्पत्तियां हैं और उनके बच्चे हमारे पश्चिमी बंगाल के स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं जान सकता हूं क्या उनकी नागरिकता का निर्धारण करते समय इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री ने यह कह दिया है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने इसका उत्तर दे दिया हुआ है।

डा० एस० पी० मुखर्जी : जहां तक नागरिकता के सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है प्रधान मन्त्री ने कुछ दिन हुए मुझे बतलाया था कि संविधान में संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उन भारतीय नागरिकों को जो पाकिस्तान से भारत आ चुके हुए हैं नागरिकता के अधिकार दिये जा सकें।

श्री जवाहरलाल नेहरू : संविधान का संशोधन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमें आशा थी कि हम संसद् के वर्तमान सत्र में नागरिकता अथवा राष्ट्रीयता सम्बन्धी विधान के विषय में एक विधेयक प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके लिये समय नहीं मिल सका है। हमें अगले सत्र में उसको प्रस्तुत कर सकने की आशा है। अतः यह संविधान में संशोधन करने अथवा कोई विशेष विधि बनाने का प्रश्न नहीं है।

कृष्णा-पेन्नार परियोजना

*१२२३. **डा० रामा राव** : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कृष्णा-पेन्नार परियोजना का अनुमानित परिव्यय क्या है ?

(ख) इसकी पूर्ति में कितना समय लगेगा ?

(ग) इससे प्रत्येक ज़िले में कितनी भूमि सींची जा सकेगी, (१) पूर्णतया (गीली सिंचाई), (२) अंशतः (सूखी सिंचाई) ?

(घ) कितनी भूमि पानी के नीचे डूब जाएगी और किन किन ज़िलों में ?

(ङ) उक्त भूमि में से कितनी इस समय कृष्ट है और कितनी पर फलों के बाग हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) १३०.३० करोड़ रुपये ।

(ख) लगभग सात वर्ष पहले प्रक्रम के लिये और लगभग पन्द्रह वर्ष पहले और दूसरे दोनों प्रक्रमों के लिये ।

(ग) से (ङ). तीन विवरण जिन में अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५१ ।]**

डा० रामा राव : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि खोसला समिति ने स्पष्टतः कृष्णा-पेन्नार परियोजना की अपेक्षा किसी अन्य परियोजना अथवा परियोजनाओं की सिफारिश की है ?

श्री हाथी : खोसला समिति का प्रतिवेदन १२ दिसम्बर को सदन पटल पर रख दिया गया था और जो सूचना माननीय सदस्य मांगते हैं उक्त प्रतिवेदन से मिल सकेगी ?

डा० रामा राव : यह मेरे प्रश्न का कुछ उत्तर नहीं है । यह बात सरकार के नोटिस में आई है अथवा नहीं कि खोसला समिति ने स्पष्ट शब्दों में कृष्णा-पेन्नार परियोजना को छोड़ कर किसी अन्य परियोजना की सिफारिश की है ?

श्री हाथी : प्राप्य सूचना रिपोर्ट में मौजूद है, और समिति ने कुछ सिफारिशें तो की हैं परन्तु वह कुछ अग्रेतर अनुसंधान के अधीन हैं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या खोसला समिति को इस विषय पर पुनर्विचार करने के लिये कहा गया है ? यदि कहा गया है तो क्या उसे अग्रेतर अनुसंधान के हेतु कोई पृच्छा के विषय दिए गए हैं ?

श्री हाथी : रिपोर्ट के साथ ही, योजना आयोग द्वारा मद्रास और हैदराबाद सरकारों के साथ हुए सम्मेलन की कार्यवाही भी पटल पर रख दी गई थी और उस टिप्पण में यह उल्लिखित है कि क्या अग्रेतर अनुसंधान होना चाहिए और कितने समय के अन्दर ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या यह सत्य नहीं है कि खोसला समिति की नियुक्ति इस विषय पर रिपोर्ट करने के लिये हुई थी कि कृष्णा के पानी का अच्छे से अच्छा उपयोग किस प्रकार से हो सकता है ? क्या यह सत्य नहीं है कि उन्होंने इस विषय पर अपनी रिपोर्ट देदी हुई है, और यदि देदी है तो सरकार ने उन की सिफारिशों की अभिपूर्ति क्यों नहीं की ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही के लिये सुझाव है । प्रश्न कृष्णा-पेन्नार परियोजना के सम्बन्ध में सामान्य प्रकार का प्रश्न है । नई परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत तथ्य तथा खोसला समिति की रिपोर्ट सदन पटल पर रख दी गई हैं । फिर मन्त्री महोदय से इस प्रकार के प्रश्न पूछने का क्या अभिप्राय है ?

डा० गंगाधर शिव : क्या मन्त्री महोदय को ज्ञात है कि आंध्र क्षेत्र में, विशेष कर रायलसीमा में, इस कृष्णा-पेन्नार परियोजना के सम्बन्ध में तीव्र विरोध प्रकट किया जा रहा है ? और मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है ।

श्री हाथी : खोसला समिति को बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, तथा उन सिफा-

रिशों का संक्षिप्त विवरण भी रिपोर्ट में सम्मिलित है ।

डा० रामा राव : क्या सरकार को ज्ञात है.....

उपाध्यक्ष महोदय : रिपोर्ट सदन पटल पर रख दी गई है । अतिरिक्त सूचना सदन में दे दी गई है । इस प्रकार सरकार का प्रति परीक्षण सदस्यों के लिए अनुचित है । प्रश्न केवल स्पष्टीकरण के अभिप्राय से पूछे जाने चाहियें ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने खोसला समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन कर दिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सभी कुछ सदन पटल पर रख दिया गया है । क्या मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों को यह सुझाव दे सकता हूं कि वह प्रश्न पूछने से पूर्व उस रिपोर्ट तथा पत्रों का अध्ययन कर लें ?

डा० रामा राव : मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट का सावधानी के साथ अध्ययन किया है और इस बात पर ध्यान दिया है कि खोसला समिति ने यह जतलाया है कि यदि कृष्णा-पेन्नार परियोजना को कार्यान्वित किया गया तो चालीस लाख एकड़ भूमि जो सिंचाई के योग्य है और कृष्णा घाटी के समीपस्थ है, अर्थात् गन्टूर तथा नैल्लोर का शुष्क क्षेत्र, पानी से वंचित हो जाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह सब कुछ उसमें है तो सरकार से यह पूछने से क्या लाभ होगा कि उन्होंने इसे देखा है अथवा नहीं ? इस प्रकार के प्रश्न व्यर्थ हैं ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह विषय अभी योजना आयोग के विचाराधीन है । इसके पश्चात् यह सरकार के सम्मुख आयेगा ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : यह उत्तर कुछ पहिले दे दिया गया होता तो अच्छा रहता ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इस प्रकार के प्रश्न पूछने से क्या लाभ है कि क्या सरकार को ज्ञात है कि चालीस एकड़ को हानि होगी अथवा पचास को ।

कुछ माननीय सदस्य उठे--

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं इस विषय पर और प्रश्नों की अनुमति नहीं दे रहा हूं । माननीय सदस्यों को पहले रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिये और तब उस पर प्रश्न पूछने चाहियें ।

श्री शिवा राव द्वारा श्री हापकिन्सन की प्रशंसा

*१२२४. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : (क) **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान निम्न प्रेस सम्वाद की ओर आकर्षित किया गया है :

श्री बी० शिवाराव, संयुक्त राष्ट्र सत्र के भारतीय प्रतिनिधि, ने श्री हॉपकिन्सन, ब्रिटिश प्रतिनिधि की यह कहते हुए प्रशंसा की कि "ब्रिटिश सरकार के एक उत्तरदायी मन्त्री द्वारा ऐसा महत्वपूर्ण वक्तव्य सुन कर बड़ी प्रसन्नता होती है ।" उक्त वक्तव्य का आशय यह था कि 'हमारे राज्य क्षेत्रों का (जिन में रक्षित राज्य और उपनिवेश भी सम्मिलित हैं) स्वराज्य, की ओर पथप्रदर्शन करना केवल यू० के० का ही उत्तरदायित्व है' ।

(ख) क्या उक्त वक्तव्य से उपनिवेशों की स्वतन्त्रता के प्रश्न के विषय में भारत का दृष्टिकोण प्रदर्शित होता है ?

(ग) यदि उक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या सरकार इस आशय का सरकारी स्पष्टीकरण निकालने का विचार रखती है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). सरकार ने

वह प्रेस सम्वाद देखा है जिसकी ओर माननीय सदस्य ने निर्देश किया है। उद्धरित पंक्तियां दो काफी लम्बे भाषणों में से अपने संदर्भ में से उखाड़ कर ली गई हैं। भारतीय प्रतिनिधि की प्रशंसा का निर्देश श्री हापकिन्सन के उक्त कथन की ओर नहीं था अपितु उनके इस आश्वासन की ओर था कि ब्रिटिश सरकार की नीति उपनिवेशीय क्षेत्रों को उत्तरदायी स्वराज्य की ओर ले जाना है। इस कथन का विशेष संकेत पश्चिमी अफ्रीका में स्थित गोल्ड कोस्ट तथा नाइजेरिया की ओर था। उक्त विषय पर भारतीय प्रतिनिधि द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

डा० एन० बी० खरे: भाग (ख) के निर्देश से, क्या यह इसलिये है कि हम अभी तक राष्ट्र मंडल के सदस्य हैं अथवा इसलिये कि हमें साम्राज्यवादी शक्तियों से डर लगता है?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): इनमें से कोई सा भी कारण नहीं है, श्रीमान्।

मध्य प्रदेश की कपास

*१२२५. **श्री के० जी० देशमुख**: (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को ज्ञात है कि नवम्बर, १९५२ के प्रथम सप्ताह में मध्य प्रदेश में कपास के विभिन्न प्रकारों के मूल्य न्यूनतम दर के निकट चले गये थे?

(ख) यदि वह सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम दर से नीचे चले गए तो सरकार ने कपास को खरीदने के लिए क्या प्रबन्ध किया है?

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) नहीं, श्रीमान्। सरकार को जो सूचना प्राप्त है उसके अनुसार ऐसा नहीं हुआ।

(ख) सरकार किसी कपास को खरीदने के लिए वचनबद्ध नहीं है।

श्री के० जी० देशमुख: क्या मैं जान सकता हूं कि स्थानीय कपास बाज़ार के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखने के लिये सरकार के पास कौनसी एजेन्सी है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: टैक्सटाइल कमिश्नर हमें सभी घटनाओं से अवगत रखता है।

श्री के० जी० देशमुख: कपास की दरों में इतनी अधिक मन्दी को देखते हुए मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार वर्तमान लाइसेंस पद्धति को हटा लेने का है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: सरकार प्रथम उपकल्पना को स्वीकार करने के लिये तय्यार नहीं है।

श्री के० जी० देशमुख: क्या मैं पूछ सकता हूं कि उत्तम श्रेणी की कपास नं० एच० ४२२ तथा ओ० ३९४ के लिए न्यूनतम दर निश्चित क्यों नहीं की गई है, और मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या कपास के यह प्रकार कपास नियन्त्रण आदेश की सूची में उल्लिखित कपास से बहुत अधिक उत्तम हैं?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: अपना अपना मत है। सरकार के मन्त्रणाकार विशेषज्ञों की अब भी यही धारणा है कि कपास के विशेष प्रकार जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है जरिल्ला की प्रकार के ही हैं।

पूर्वीय पाकिस्तान में समावृत्त भारतीय क्षेत्र

*१२२६. **श्री बर्मन**: क्या **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि पूर्वीय पाकिस्तान में स्थित समावृत्त भारतीय क्षेत्रों तथा कूचबिहार में स्थित समावृत्त पाकिस्तानी क्षेत्रों के लिए पासपोर्ट पद्धति के लागू होने के पश्चात्

पासपोर्ट तथा वीज़ा पारपत्र की प्राप्ति तथा कृषि उत्पाद के विक्रय तथा आवश्यक उपभोग वस्तुओं के क्रय के हेतु क्या व्यवस्था की गई है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : पूर्वीय बंगाल में स्थित समावृत्त भारतीय क्षेत्रों के रहने वालों के लिए पासपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कूच-बिहार द्वारा जारी किये जाते हैं। यह पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा भी जारी किये जा सकते हैं। 'ए' श्रेणी के वीज़ा के आधार पर सीमा से दस मील के अन्दर रहने वाले लोग दूसरी ओर सीमा के दस मील के अन्दर तक के ग्रामों में आ जा सकते हैं। इन वीज़ाओं के आधार पर समावृत्त भारतीय क्षेत्रों के वासी आस पास के पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में आ जा सकते हैं। भारतीय राज्य क्षेत्र में आने के लिये प्रत्येक आने और जाने के सफर के हेतु भारत स्थित पाकिस्तानी दूतावासों से पारनमन अनुमति पत्र की आवश्यकता होती है। इस कष्ट के निवारण के लिए पाकिस्तान सरकार को इस बात पर सहमत होने के लिये कहा गया है कि 'ए' श्रेणी के वीज़ा को भी समावृत्त क्षेत्र तथा सम्बद्ध ज़िले के बीच चाहे जितनी यात्राओं के लिए मान्य ठहराया जाए, इस शर्त के अधीन कि उक्त वीज़ा रखने वाला एक विशिष्ट मार्ग पर ही यात्रा कर सकेगा।

श्री बर्मन : इस बात को देखते हुए कि इन समावृत्त क्षेत्रों में घिरे हुए इन लोगों के लिए यह वीज़ा कूच-बिहार के डिप्टी कमिश्नर द्वारा अथवा पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा ही जारी हो सकते हैं तथा उन्हें इन दोनों प्राधिकारियों में से किसी एक के पास जाना होता है क्या सरकार ने कभी इन लोगों की कठिनाई पर ध्यान दिया है जो उन्हें वीज़ा अथवा अनुमति पत्र की प्राप्ति में उठानी पड़ती है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हां, श्रीमान्। मैं समझता हूं कि यह उन विषयों में से एक विषय है जिस पर इस महीने के अन्त में होने वाले पासपोर्ट सम्मेलन में विचार किया जाएगा। मैं यह भी कह दूं कि इस पासपोर्ट प्रश्न के अतिरिक्त इन समावृत्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक है, चाहे वह क्षेत्र भारतीय हों अथवा पाकिस्तानी। और यह समावृत्त क्षेत्र बहुत छोटे छोटे हैं जिनमें थोड़े से ग्राम ही सम्मिलित होते हैं। निस्सन्देह उन्हें बहुत कुछ कठिनाई झेलनी पड़ती है। मेरे खयाल में कुछ समय हुआ, मैंने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उनकी संख्या, क्षेत्र, जनसंख्या इत्यादि के विषय में कुछ आंकड़े दिये थे। वह कुछ अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं, अतः स्पष्टतः यह समावृत्त क्षेत्र रहने नहीं चाहिएं अर्थात् उन्हें जहां कहीं भी हैं वहीं समाविष्ट हो जाना चाहिये। अन्यथा वहां के लोग सुख का सांस नहीं ले सकेंगे तथा उन्हें कठिनाइयों का सामना करना होगा।

श्री बर्मन : इस बात को देखते हुए कि इन समावृत्त क्षेत्रों में रहने वाले लोग सामान्यतः निर्धन कृषक हैं और उन्हें नित्य पाकिस्तान के राज्यक्षेत्र में से होकर जाना पड़ता है क्या सरकार उनके लिये ऐसी व्यवस्था करेगी जिस से वह पासपोर्ट अथवा वीज़ा की प्राप्ति बहुत थोड़े खर्चे से कर सकें, क्योंकि इनका वर्तमान खर्चा १५ अथवा १६ रुपये प्रति व्यक्ति तक जा पहुंचता है जो इन निर्धन लोगों की सामर्थ्य से बाहर है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हम इस पर विचार करेंगे यद्यपि माननीय सदस्य द्वारा दिया गया अंक ग़लत जान पड़ता है। उन्होंने बहुत बड़ी रकम बतलाई है। परन्तु हम अवश्य इस पर विचार करेंगे।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या इन समावृत्त क्षेत्रों के उन्हीं राज्य

क्षेत्रों में जहां वह स्थित हैं विलीनीकरण का प्रश्न पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : कई अवसरों पर इसकी ओर निर्देश किया जा चुका है। मैं नहीं कह सकता कि क्या इसे कभी औपचारिक रूप से भी उठाया गया है। परन्तु इस पर वार्त्तालाप हो चुका है।

हीराकुड परियोजना सम्बन्धी जांच की रिपोर्टें

* १२२७. **श्री सारंगधर दास** : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री १८ नवम्बर, १९५२, को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४०४ के प्रति दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करते हुए बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उसमें निर्दिष्ट जांचें पूर्ण हो चुकी हैं ?

(ख) यदि हो चुकी हैं तो समितियों द्वारा दी गई रिपोर्टों पर सरकार ने क्या निश्चय किए हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) इस मन्त्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा की गई जांच अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। हीराकुड बांध योजना सम्बन्धी विभागीय समिति ने अपना काम समाप्त कर लिया हुआ है परन्तु अन्तिम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि पाधी समिति की रचना कब की गई थी और उन्होंने कब अपनी जांच समाप्त की और अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी ?

श्री हाथी : इसकी रचना नवम्बर, १९५१ के लगभग हुई थी तथा अन्तरिम रिपोर्ट मार्च अथवा अप्रैल, १९५२ में प्रस्तुत हो गई थी।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, क्या मैं पूछ सकता हूं कि अन्तिम रिपोर्ट की प्रस्तुति में वर्ष प्रतिवर्ष विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री हाथी : हम उक्त समिति के सदस्यों को अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये आग्रह करते रहे हैं और अभी तक हम उसकी प्रतीक्षा में हैं।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या इस विलम्ब के कारण गणना तथा परिव्यय गणना इत्यादि के कार्य में विघ्न पड़ रहा है ?

श्री हाथी : श्रीमान् यह तो अपने अपने मत की बात है।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस अन्तरिम रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री हाथी : समिति की उपपत्तियां सर्वसम्मत नहीं हैं। उन्हों ने यह सुझाव तो अवश्य दिया है कि गणना के लिये वर्तमान प्रक्रिया के स्थान पर कोई अन्य प्रक्रिया होनी चाहिये परन्तु वह क्या होनी चाहिये यह बात वह यथासमय अपनी अन्तिम रिपोर्ट में बतलाएंगे।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इन परिस्थितियों में क्या एक अन्य समिति की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है जो यथाशीघ्र इस विषय में अपनी सिपारिश दे सके ?

उपाध्यक्ष महोदय : अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

ननकाना साहिब जाने के लिये अनुमति

*१२२८. **सरदार एस० ए० सहगल** : **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पाकिस्तान सरकार ने एक सिख जत्थे को

गुरु नानक का जन्म दिवस मनाने के हेतु ननकाना साहिब जाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि पहले भी कई एक अवसरों पर ऐसी अनुमति नहीं दी गई थी, तथा क्या कभी पहले यह अनुमति दी गई थी, और यदि दी गई थी तो कितने अवसरों पर ;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार के इस कृत्य अथवा सिखों को ननकाना साहिब जाने की अनुमति न देने पर कोई विरोध प्रगट किया है ; तथा

(घ) क्या सरकार का विचार इस विषय पर अग्रेतर कार्यवाही करने का है जिस से भविष्य में इस सरकार की अनुमति मिल जाया करे ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) यह यथार्थ नहीं है । पाकिस्तान सरकार ने २०० सिख यात्रियों के एक जत्थे को २९ अक्तूबर, १९५२ से २ नवम्बर, १९५२, तक गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के अवसर पर ननकाना साहिब जाने की अनुमति दी थी ।

(ख) यह अनुमति १९४८ से लेकर प्रत्येक वर्ष मांगी गई तथा दी गई ।

(ग) तथा (घ). उत्पन्न नहीं होते ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि जब वह अनुमति मिल चुकी थी तो फिर उस से लाभ क्यों नहीं उठाया जा सका ?

श्री अनिल के० चन्दा : श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने हमें यह सूचना दी की हमारे पासपोर्ट तैयार नहीं हैं, अतः हम इस असवर से लाभ नहीं उठा सकते ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के प्रति कोई अभ्यावेदन इस आशय का किया था कि चूंकि पासपोर्ट पद्धति नई चालू हुई है इस अवसर से लाभ नहीं उठाया जा सकता क्योंकि इन लोगों के लिये तो देश भर में बिखरे हुए हैं वीजा (प्रवेश पत्र) की प्राप्ति अति कठिन है

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर देना कुछ आसान नहीं है । वह समय ही कुछ भ्रम पूर्ण का था और इन काग़जों को देखते हुए मुझे मानना पड़ता है कि मेरे अपने मंत्रालय, अर्थात् वैदेशिक कार्य मंत्रालय में भी कुछ थोड़ा सा विलम्ब हुआ है । कुछ अधिक विलम्ब नहीं था, केवल कुछ ही दिनों का, जिस के कारण भी सम्भवतः कुछ अड़चन हुई । मैं तिथियां देता हूं । श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी का प्रार्थना पत्र पंजाब सरकार के पास २८ जुलाई को पहुंचा । वैदेशिक-कार्य मंत्रालय को वह पंजाब सरकार से वास्तव में ४ अगस्त को प्राप्त हुआ । इस पर वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने कराची स्थित हाई कमिश्नर को १४ अगस्त को पत्र लिखा । इस पर लग भग दस दिन लग गये, यद्यपि यह काम जल्दी हो सकता था । इन्हीं दिनों में पासपोर्ट पद्धति लागू कर दी गई और दुर्भाग्यवश समय निकलता गया जिस के कारण श्रोमणी कमेटी के लिये इस अनुमति से लाभ उठाना कठिन हो गया ।

सरदार हुक्म सिंह: श्रीमान्, क्या यह सत्य है कि उन अवसरों पर भी जब कि अनुमति दी गई थी और यात्री वहां चले गये थे उन्हें पुलिस के संरक्षण में रहना पड़ा था और उन्हें केवल गुरुद्वारे की चारदिवारी के अन्दर ही घूमने की अनुमति थी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हो सकता है । मैं इसका उत्तर तुरन्त नहीं दे सकता हूं । परन्तु सम्भव है कि उन्हें उन अवसरों

पर पुलिस के संरक्षण में रहना पड़ा हो। निसंदेह पाकिस्तान सरकार तो सम्भवतः यह कह देगी कि उनका संरक्षण केवल उनकी अपनी सुविधा तथा सुरक्षा के विचार से किया गया। मैं कुछ नहीं कह सकता कि वह क्या उत्तर दें।

सरदार हुक्म सिंह : क्या वहां उन्हें केवल गुरुद्वारे की चार दीवारी के अन्दर ही घूमने फिरने दिया गया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान्, मुझे यह ज्ञात नहीं है, मुझे पूछ ताछ करनी होगी।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या सरकार कृपया इस विषय में जांच करेगी कि क्यों पुलिस उन यात्रियों के साथ साथ रहती है और क्यों उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता?

श्री जवाहरलाल नेहरू : प्रश्न के पहले भाग के विषय में तो कोई संशय नहीं है। हमारे यहां भारत में भी विभिन्न स्थानों पर पाकिस्तान के यात्री आते हैं और हमारी पुलिस उन के साथ साथ रहती है, उन्हें तंग करने के लिये नहीं वरण उनकी सहायता करने के अभिप्राय से और इस बात का ध्यान रखने के लिये कि कहीं कोई अप्रिय घटना न घट जाए। परन्तु उनके बाहर जाने अथवा न जा सकने का प्रश्न भिन्न प्रकार का प्रश्न है, तथा हम उसकी जांच करेंगे।

सरदार हुक्म सिंह : क्या पाकिस्तान से भारत को अपने पुण्य स्थानों की यात्रा हेतु आने वालों पर आने जाने तथा मित्रों को मिलने इत्यादि के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध लगाया जाता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे किसी ऐसे प्रतिबन्ध का ज्ञान नहीं है। परन्तु कुछ एक स्थानों पर यात्रा की विशेष जगहों पर कुछ व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त तो मैं नहीं समझता कि कोई विशेष प्रतिबन्ध लगाये गये हों।

डा० एन० बी० खरे : क्या यह सत्य है कि भारत उदार है और पाकिस्तान ऐसा नहीं है ?

सरदार हुक्म सिंह : क्या विभाजन के पश्चात् किसी समय हमारे उच्चायुक्त ने पाकिस्तान सरकार से अनुमति मांगी है कि उन्हें इन पुराने स्थानों, समाधियों, मन्दिरों तथा गुरुद्वारों को देखने दिया जाय जिस से यह पता चल सके कि उन्हें अच्छी दशा में रखा जा रहा है अथवा नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दे सकता हूं। उच्चायुक्त साधारणतः कराची में रहते हैं। वह लाहौर तथा पंजाब के विभिन्न भागों में जाते हैं। मैं जानता हूं कि वह इन चीजों में बड़ी अभिरुचि लेते रहे हैं क्यों कि हमारा उन के साथ इन गुरुद्वारों के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार भी हुआ था। हम पाकिस्तान सरकार को लिखते रहे हैं और हमारे उच्चायुक्त ने भी ऐसा किया है। मैं यह तो ठीक नहीं बतला सकता कि गत एक दो वर्षों में उन्हों ने किन किन स्थानों का दौरा किया है।

सरदार हुक्म सिंह : पहले एक बार हमें बतलाया गया था कि पाकिस्तान सरकार से दोनों देशों में इस प्रकार के दौरों के सम्बन्ध में बातचीत की जाय परन्तु उसका कुछ उत्तर नहीं मिला था। मैं जान सकता हूं कि क्या उसके पश्चात् कोई उत्तर प्राप्त हुआ है जिस से यह ज्ञात हो सके कि पाकिस्तान सरकार कोई सम्मेलन बुलाना चाहती है अथवा इन विषयों पर चर्चा करना चाहती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि माननीय सदस्य इस प्रश्न के विषय में पूर्व सूचना दे सकें--मेरे पास यहां कागजात नहीं हैं--

तो हम तथ्यों का पता चला कर सदन के सम्मुख रख सकते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उच्चायुक्त अथवा लाहौर स्थित उप-उच्चायुक्त ने इस बात के महत्व को माना है कि पुण्य स्थानों का भ्रमण होना चाहिये तथा यह देखा जाना चाहिये कि क्या उन्हें ठीक दशा में रखा गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान् हम उन्हें सदेव यह निदेश देते रहते हैं और यदि माननीय सदस्य ऐसा चाहते हैं तो हम फिर ऐसा करने को उद्यत हैं । हम उच्चायुक्त को निरन्तर इस विषय पर लिखते रहे हैं तथा उन्हें इस में बहुत अभिरुचि है । अवश्य ही हम इस पर अग्रेतर कार्य-वाही करेंगे ।

आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर होने वाली घटनाओं की रोक-थाम

* १२२९. **श्रीमती खोंगमन : प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे की क्या सरकार का ध्यान ३० नवम्बर, १९५२ के "हिन्दुस्तान टाइम्स" तथा "हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" में प्रकाशित पी० टी० आई० के इस आशय के सम्वाद की ओर दिलवाया गया है कि खासी तथा जैंटिया पहाड़ियों के ज़िला अधिकारियों तथा सिलहट के ज़िला अधि-कारियों के बीच आसाम तथा पाकिस्तान की सीमा पर होने वाली घटनाओं की रोक-थाम सम्बन्धी चर्चा समाप्त हो गई और क्या उक्त संवाद यथार्थ है ?

(ख) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो आसाम तथा विशेषकर खासी तथा जैन्टिया पहाड़ियों के सीमावर्त्ती क्षेत्रों के भारतीय नागरिकों के जान और माल, और विशेषकर धान तथा सन्तरे की फ़सलों, को बचाने के लिये सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

(ग) खासी तथा जैन्टिया पहाड़ियों के ज़िले के कितने भारतीय नागरिक पकिस्तानी लुटेरों अथवा पाकिस्तान सरकार के अधिकार में हैं और उन बन्दियों को छुड़वाने के लिये सरकार क्या उपाय सोच रही है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख) बातचीत टूट जाने के बारे में जो संवाद प्रैस में छपा है वह ठीक नहीं है । खासी तथा जैन्टिया पहाड़ियों और सिलहट के डिप्टी कमिश्नरों के बीच एक अन्तरिम समझौता इस आशय का हुआ था कि धान के काटने में कोई भी पक्ष शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा तथा यह कि जब तक सरकारों द्वारा कोई निर्णय नहीं हो लेता दोनों में से किसी भी पक्ष के नागरिक विवादग्रस्त क्षेत्रों में नहीं जाएंगे । पाकिस्तानी पक्ष द्वारा कई बार समझौते का उल्लंघन किया गया है । आसाम सरकार ने भारतीय नागरिकों के जान और माल की रक्षा करने के लिये पूर्वविधान किये हैं, अर्थात विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त संख्या में सीमान्त पुलिस बिठा दी है ।

(ग) चालीस व्यक्ति, जिन में ३५ स्त्रियां हैं, जो प्राय: पासपोर्ट अथवा वीज़ा के बिना पाकिस्तान के राज्य-क्षेत्र में प्रवेश करने तथा चौर्यानयन के अभियोगों में पकड़े गये हैं पाकिस्तान के निरोध में हैं । तीन व्यक्ति भारतीय राज्य-क्षेत्र से भगा लिये गये बतलाये जाते हैं । आसाम सरकार ने पूर्वी बंगाल सरकार के साथ बन्दियों की रिहाई के लिये पत्र-व्यवहार आरम्भ कर दिया है ।

श्रीमती खोंगमन : श्रीमान्, मैं पूछ सकती हूं कि क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कितने ही सीधे साधे भोले भाले लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात की कुछ भी समझ

नहीं है कि पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व पासपोर्ट लेना आवश्यक होता है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह सर्वथा सत्य है । वहां कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें इन अन्तर्राष्ट्रीय प्रलेखों अथवा पासपोर्टों इत्यादि के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है । अनजाने में वह लोग किसी विशेष लाइन के पार चले जाते हैं और संकट में पड़ जाते हैं क्यों कि उन पर विदेशी राज्य में चौर्यानियन करने तथा अनधिकार प्रवेश करने का अभियोग लगाया जाता है । यह बहुत दुखद परिस्थिति है अतः हमें यथा-संभव उनकी सहायता करनी चाहिये ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : इन लोगों के पकड़ ले जाये जाने के पश्चात् उनके धान की फसल को काटने के लिये क्या व्यवस्था की गई ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसका निर्देश पाकिस्तान राज्य-क्षेत्र की ओर है । सम्भवतः वह पाकिस्तान के राज्य-क्षेत्र में चले गये थे तथा अनधिकार प्रवेश के अभियोग में पकड़ लिये गये । उन्हें मालूम नहीं था कि वहां कोई फसल वाली भूमि नहीं है । परन्तु माननीय सदस्य का 'उपायों' से क्या अभिप्राय है ?

श्री के० पी० त्रिपाठी : वास्तव में वहां गोली चल गई जिस के फलस्वरूप धान के खेतों को अनकटे ही रहने दिया गया । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सीमा के अन्दर इन फसलों की ठीक समय पर कटाई के सम्बन्ध में कोई उपाय किये गये हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं, परन्तु मुझे ठीक ज्ञात नहीं है ।

श्री बेली राम दास : क्या यह सत्य है कि गारो की पहाड़ियों में भी इसी प्रकार की घटनाय घटी हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न में से नहीं उठता ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : पाकिस्तान द्वारा पकड़ लिये गये हमारे नागरिकों को लौटवाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है, तथा उन में से कितने अभी तक उनके निरोध में हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उत्तर में जो अंक दिया गया है वह ४० है । पाकिस्तान सरकार के कथनानुसार यह लोग पासपोर्ट के बिना उन के राज्य-क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश कर रहे थे । यदि प्राविधिक रूप में यह अभि-योग ठीक भी हो तो यह स्पष्ट है कि इन लोगों का अभिप्राय किसी अपराध के करने का नहीं था । हो सकता है कि वह पार चले गये हों । यह एक साधारण सा प्रकरण है । आसाम सरकार पाकिस्तान सरकार के साथ बात चीत चला रही है, और हो सकता है कि दोनों निकट के अधिकारी मिलकर इस पर विचार करें ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : क्या हम ने उन थोड़े से व्यक्तियों को छोड़ दिया है जो हमारी सीमा के भीतर पकड़े गये थे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसी सम्बन्ध में अथवा किसी अन्य सम्बन्ध में ?

डा० एस० पी० मुखर्जी : इसी सम्बन्ध में । उपमंत्री ने पढ़ कर सुनाया था कि चार अथवा पांच पकड़े गये थे ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे कहना पड़ता है कि मैं इस से अवगत नहीं हूं । हम इस की जांच करवायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री एस० सी० देब : मैं जान सकता हूं कि क्या यह संवाद सत्य है कि इन लीगों को हमारी सीमा के भीतर पकड़ा गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं ।

कोयले का परिवहन

*१२३०. **श्री एम० इस्लमुद्दीन :** क्या **योजना** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोयले के परिवहन के सम्बन्ध में कोई सुविधाएं दिये जाने के बारे में किसी योजना की सिपारिश योजना आयोग के प्रति की गई है ; तथा

(ख) यदि की गई है तो वह योजना क्या है और उस पर कितना व्यय होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : क) हां श्रीमान् ।

(ख) इस स्कीम पर लगभग ७१० लाख रुपय खर्च आयेगा । उक्त स्कीम का ब्यौरा सदन-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५२**]

श्री एम० इस्लामुद्दीन : मैं जान सकता हूं कि क्या उक्त स्कीम के किसी भाग की क्रियान्विति की जा रही है ?

श्री हाथी : अभी नहीं ।

श्री एम० इस्लामुद्दीन : क्या यह पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या पंच वर्षीय योजना की प्रतियां सदस्यों में परिचालित नहीं की गई हैं ?

श्री हाथी : यह पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को, ज्ञात रहे कि उन्हें ऐसे विषयों पर प्रश्न नहीं पूछने चाहिएं जिन के संबंध में सभी सूचना परिचालित अथवा सदन पटल पर रखी गई पुस्तकों आदि में मिल सकती हो । अन्यथा सदन का समय व्यर्थ नष्ट होता है ।

श्री रघवय्या : मैं पूछ सकता हूं कि क्या डिब्बों के अभाव के कारण पर्याप्त मात्रा में कोयले के परिवहन में कठिनाई हो रही है ?

श्री हाथी : ऐसा ही है ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : मैं यह और कह दूं कि किसी हद तक ऐसा ही है ।

श्री रघवय्या : यदि उत्तर स्वीकारात्मक है तो मैं जान सकता हूं कि क्या योजना आयोग दूसरा दी गई स्कीम में कोयले के परिवहन के लिये आगामी वर्ष में अधिक संख्या में डिब्बों के बनाये जाने का उपबन्ध किया गया है ?

श्री हाथी : हमारे पास इस बारे में योजना है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : उठे--

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस स्कीम की कार्यान्विति कब हो सकेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूर्त्ति ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने अतिरिक्त डिब्बे पहली जनवरी, १९५३, तक प्राप्य हो सकेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो गत आयव्ययक के प्रोग्राम में दिया हुआ है । उस में उल्लिखित है कि इतने डिब्बे तैयार हो सकेंगे । रहा आगामी वर्ष, तो उस के लिये माननीय सदस्य को प्रतीक्षा करनी होगी ।

श्री रघवय्या : इस बात को देखते हुए कि हमारी रेलवे को गत वर्ष लग भग २६ करोड़ रुपये का लाभ हुआ था...

उपाध्यक्ष महोदय : आप गलत मंत्री को सम्बोधन कर रहे हैं । इस प्रश्न का उत्तर देने वाले रेल मंत्री नहीं हैं ।

श्री रघवय्या : तो भी इस बात को देखते हुए कि रेलवे विभाग को गत वर्ष इतना लाभ हुआ है मैं जान सकता हूं कि क्या डिब्बों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यहां कोई रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा चल रही है ? यह क्या प्रश्न है ?

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या कलकत्ता डाक क्षेत्र में कोयला पहुंच चुका है ?

श्री हाथी : जी हां, श्रीमान ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

कोयला बोर्ड

*१२३१. **श्री एम० इस्लामुद्दीन :** क्या **उत्पादन** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कोयला बोर्ड के सदस्य ;

(ख) क्या उन में से कोई वैज्ञानिक कोयला अनुसंधान का विशेषज्ञ प्रौद्योगिक (टैक्नालोजिस्ट) भी है ;

(ग) क्या उक्त बोर्ड में कोयला उद्योग तथा कोयला उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि भी हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : कोयला बोर्ड के वर्तमान सदस्य निम्निलिखित हैं :—

श्री आर० के० रामघ्यानी कोयला आयुक्त—सभापति

श्री एन० बारकलो खानों के मुख्य निरीक्षक
श्री एल० एस० कारबैट मुख्य खनि-यान्त्रिक (रेल बोर्ड) । उप-कोयला आयुक्त (उत्पादन) } सदस्य
श्री ए० बी० गुहा कोयला खानों के अधीक्षक—सदस्य—सचिव
श्री एम० एल० शोम उप-कोयला आयुक्त (वितरण)

(ख) नहीं ।

(ग) नहीं ।

श्री इस्लामुद्दीन : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार एक विशेषज्ञ प्रौद्योगिक को कोयला बोर्ड में लेने का है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है ।

श्री रघवय्या : इस बात को देखते हुए कि आंध्र के कुछ एक जिलों में सब से अधिक मात्रा में तम्बाकू का उत्पादन होता है, विशेषकर 'वरजीना' प्रकार के तम्बाकू का, जिस के साधने में प्राप्य मात्रा से अधिक कोयले की आवश्यकता रहती है । क्या माननीय मंत्री आंध्र देश के तम्बाकू उत्पादन के क्षेत्रों के कोयला-उपभोक्ताओं के दो एक प्रतिनिधियों को भी लेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह भी कार्यवाही के लिए सुझाव है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन इस आशय का प्राप्त हुआ है कि उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि भी इस बोर्ड पर होने चाहिएं ।

श्री के० सी० रेड्डी : कोयला बोर्ड की रचना मुख्यतः कोयला-खानों में कोयले के क्षेम तथा संरक्षण के लिए की गई थी कोयला बोर्ड अधिनियम में विभिन्न विषयों पर कोयला बोर्ड को परामर्श देने के हेतु मंत्रणा समितियों की रचना का उपबन्ध है । कुछ एक मंत्रणा समितियां तो अभी से अनौपचारिक रूप में काम कर रही हैं और उनकी औपचारिक रचना भी कर दी जाएगी तब उनसे सम्बद्ध नियमों को अन्तिम रूप मिल चुकेगा और वह प्रकाशित हो चुकेंगे । तब ही उपभोक्ताओं तथा वैज्ञानिकों के प्रतिनिधि इन मंत्रणा समितियों पर लिए जाएंगे ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि यह नियम कब प्रकाशित होंगे ।

श्री के० सी० रेड्डी : अतिशीघ्र ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

कोयले का राष्ट्रीयकरण

*१२३२. **श्री एम० इस्लामुद्दीन:** **उत्पादन** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के सामने कोई स्कीम कोयले के राष्ट्रीयकरण की है ;

(ख) उक्त स्कीम के मुख्य लक्षण क्या हैं ; तथा

(ग) क्या उक्त स्कीम अथवा उसके किसी भाग की क्रियान्विति के लिए कोई पग उठाया गया है ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) उत्पन्न नहीं होते ।

श्री एम० इस्लामुद्दीन : यैं जान सकता हूं कि क्या राष्ट्रीयकरण की दशा में कोई प्रतिकर दिया जाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय ; जब राष्ट्रीयकरण का विचार हो नहीं है तो प्रतिकर का प्रश्न ही क्यों कर उठता है ? अगला प्रश्न ।

फिलिपीन का अन्तर्राष्ट्रीय मेला

*१२३५. **श्री एस० सी० सामन्त** **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या यह सत्य है कि १९५३ के प्रारम्भ में होने वाले फिलिपीन अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेने के लिए भारत सरकार को निमत्रण प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हुआ है तो क्या सरकार उस में सरकारी रूप में भाग लेगी ?

(ग) यदि नहीं तो क्या कारण हैं ;

(घ) क्या भारत के प्राइवेट व्यक्तियों को अपनी प्रदर्शनीय वस्तुओं के साथ मेले में भाग लेने के लिए कहा गया है ; तथा

(ङ) यदि ऐसा है तो इन प्राइवेट व्यक्तियों को भारत सरकार अथवा मेला प्राधिकारियों द्वारा क्या सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) नहीं श्रीमान, ।

(ग) इस मेले में भाग लेने का निमत्रण उस समय प्राप्त हुआ जब कि सरकार का वर्ष १९५२–५३ के लिए प्रदर्शनियों का प्रोग्राम तथा तत्सम्बन्धी बजट प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दिया जा चुका था। सरकार अन्य देशों की प्रदर्शनियों के लिए पुर्णतः वचनबद्ध हो चुकी थी अतः कर्मचारियों तथा निधि के अभाव के करण एक अतिरिक्त प्रदर्शनी की व्यवस्था नहीं कर सकी ।

(घ) हां, श्रीमान्।

(ङ) एक परिपत्र (सरकुलर) तो सरकार द्वारा निकाला गया है और जिसमें द्रदर्शनी में भाग लेने के अभिलाषियों को भारत सरकार तथा फिलिपीन सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का पूर्ण व्योरा दिया गया है, सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५३]

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि कितने व्यक्तियों ने विशिष्ट समय के अन्दर प्रस्तावित मेले में स्थान के लिए आवेदन दिया है ?

श्री करमरकर : बीस व्यक्तियों ने हम से सूचना मांगी थी जो हम ने उन्हें दे दी थी । यह हम नहीं कह सकते कि कितनों ने स्थान प्राप्त कर लिया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या मेले में स्थान-प्राप्ति के बारे में

आवेदनों के लिए निश्चित समय के विस्तारण के सम्बन्ध में मेले के महानिदेशक से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

श्री करमरकर : नहीं, श्रीमान् ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या वहां दिखाई जाने वाली वस्तुओं में भारतीय संस्कृति तथा भारतीय सामाजिक तथा राजनैतिक विषयों पर भी कुछ हो गा ?

श्री करमरकर : हम इस प्रदर्शनी में भाग नहीं ले रहे हैं अतः यहां ऐसी वस्तुओं का प्रदर्शन नहीं होगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह एक तत्थ नहीं है कि वहां भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक अवस्थानों का प्रदर्शन होगा ? क्या सरकार ने इस विषय में कोई व्यवस्था नहीं की है ?

श्री करमरकर : मैं इस विषय की पड़ताल करूंगा ।

श्री के० जी० देशमुख : मैं जान सकता हूं कि इस मेले का उद्देश्य क्या है ?

श्री करमरकर : इस का उदेश्य विश्व व्यापार और विशेषकर फिलिपीन के व्यापार को बढ़ावा देना है ।

श्री वीरस्वामी : उठे ——

उपाध्यक्ष महोदय : जवान सदस्यों को ऊंचा बोलना होता है ।

श्री एस० पी० मकर्जी : क्या यह बात माननीय मंत्री को भी लागू होती है ?

डा० एन० बी० खरे : उन्हें तो प्रसारण करना होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि बूढ़े भी वैसा ही ऊंचा बोलते हैं ।

दक्षिणीय प्रादेशिक रेडियो मंत्रणा समिति

*१२३६. **श्री वीरस्वामी** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री दक्षिणीय प्रादेशिक रेडियो मंत्रणा समिति के सदस्यों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) उक्त समिति के कृत्य क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा०केसकर) (क) दक्षिणीय प्रादेशिक रेडियो मंत्रणा समिति नाम की कोई समिति नहीं है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

श्री वीरस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या तमिल एसाई संघम का किसी प्रकार का सम्बन्ध तृचिनापली तथा मद्रास के अखिल भारतीय रेडियो स्टेशनों के कार्य कामों की रचना से रहा है ?

डा० केसकर : मुझे इस प्रश्न के लिए पूर्वसूचना चाहिए । मेरा उत्तर एक ऐसी समिति के सम्बन्ध में था जो माननीय सदस्य के विचार के अनुसार कुछ अस्तित्व रखती थी परन्तु जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था ।

श्री वीरस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को श्री टी० पी० वेदाचालय, एडवोकेट तृचिनापली से इस आशय का कोई आभ्यवेदन प्राप्त हुआ है कि तृचिनापली तथा मद्रास स्टेशनों से बहुत कम संख्या में तमिल गीत प्रसारित होते हैं ।

डा० केसकर : उक्त क्षेत्र के एक प्रतिनिधि से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । इस समय मैं यह नहीं कह सकता कि यह, जैसा कि माननीय सदस्य बतला रहे हैं श्री वेदाचालय की ओर से था । यदि माननीय सदस्य इस विषय में कुछ और सूचना चाहते हैं तो मुझे उसे के लिए पूर्वसूचना चाहिए ।

श्री के० जी० देशमुख : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या कोई प्रादेशिक मंत्रणा समितियां हैं और यदि हैं तो कितनी ?

डा० केसकर : कोई प्रादेशिक मंत्रणा समितियां नहीं है ।

सी० पी० डब्लयू० डी० के अराजपत्रित कर्मचारी

*१२३७. **श्री एम० एस० गरुपादस्वामी** **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह एक तत्थ है कि १९४७ के पश्चात् केंद्रीय पी० डब्ल्यू० डी० के अराजपत्रित कर्मचारियों की वर्गीकृत सूचियां छपवाई नहीं गई हैं यद्यपि उनका छपवाना केवल १९५० के पश्चात ही निलम्बित किया गया था, जैसा कि ग्रह कार्य मंत्री द्वारा ३० जुलाई १९५२, को तारांकित प्रश्न संख्या २३३३ के उत्तर में बतलाया गया ; तथा

(ख) क्या यह एक तत्थ नहीं है कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० के सैक्शन अधिकारियों की सितम्बर, १९४७, तक शोधित वर्गीकृत सूची शुद्ध रूप में तय्यार नहीं की गई, क्योंकि इस में कई अधिकारियों के बारे में ऐसी सूचना दी गई है जो तथ्यों के प्रतिकुल है और कई अधिकारियों के बारे में वह तथ्यात्मक सूचना दी ही नहीं गई कि जिन के आधार पर पदोन्नतियों तथा स्थाईकरणों के आदेश दिए गए ।

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ग सिंह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

श्री एम० एस० गरुपादस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह सूचियों केवल इसीलिए प्रकाशित नहीं की जातीं कि पक्षपात, अनुचित अनुग्रह, अवक्रमण तथा सेवा नियमों के उल्लघंन को छुपाया जा सके ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह आक्षेप सर्वथा अयथार्थ है ।

श्री एम० एस० गरुपादस्वामी: श्रीमान्, क्या यह सत्य नहीं है कि इस समय तक पदोन्नतियों के वषिय में कितनी ही अनियमितताएं हो चुकी हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार का सामान्य प्रश्न पूछने से क्या लाभ हो सकता है ?

श्री एम० एस० गरुपादस्वामी : तो मैं विशिष्ट प्रश्न पूछता हूं । मैं जान सकता हूं कि क्या श्री रला सिंह जो अब स्थायी सैक्शनल अधिकारी है ,—योग्नता नहीं रखते . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने पिछले प्रश्न के रूप पर आपत्ति की थी । यह उस से भी अधिक आपत्तिजनक है ।

माननीय मंत्री जिन का काम ऐसे हजारों कर्मचारियों से पड़ता है प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों को हर समय याद नहीं रख सकते । अतः व्यक्तिगत प्रकरणों को प्राइवेट ढंग से माननीय मंत्री के नोटिस में लाना चाहिए । विषम तथा हमत्वपूर्ण प्रसगों में यदि यथेष्ट उपाय न हो सके तो, कभी कभी सदन के साम भी बात लाई जा सकती है ।

श्री एम० एस० गरुपादस्वामी: : मैं जान सकता हूं कि इन सूचियों के मुद्रण को प्रतिवर्ष निलम्बित कर रखने के क्या कारण हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : कई उलझनें पड़ गई थी । सर्वप्रथम तो विस्थापित व्यक्तियों की तथा अन्य लोगों की पारस्परिक ज्येष्टता निश्चित की जानी थी। दूसरे, विस्थापित व्यक्तियों के सेवाकाल में पड़े विघ्न के संक्षमण का प्रश्न था । इन दो बातों के कारण जटिलता उत्पन्न हुई अतः सूची को आप-टू-डेट नहीं रखा जा सका । ऐसी सूचियों का रखना व्यर्थ था जो न तो शुद्ध ही थीं, और न अप-टू-डेट ही ।

डा० एस० पी० मुकर्जी : सूचियों का मुद्रण रोक रखने से यह जटिलताएं किस प्रकार से हल होती हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यदि सूची छप जाए परन्तु उस में विभिन्न सम्बन्द्ध अधि-

कारियों की ज्येष्टता शुद्ध रूप से न दिखलाई गई हो तो इस से गलत प्रभाव पड़ेगा। परन्तु सूची को सदैव अप-टू-डेट रखा जाता है और अब उस के मुद्रण की व्यवस्था की जा रही है और आशा की जाती है कि वह आगामी जनवरी तक प्रकाशित हो जाएगी।

श्री एस० सी० सामन्त: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या १९४७ की वर्गीकृत सूचियां उन अनुदेशों के ठीक अनुसार बनाई गई थीं जो हमारी सी० पी० डब्ल्यु० डी० द्वारा एग्ज़ेक्युटिव इन्जनियरों को दी गई थीं। यदि नहीं तो क्या उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जिन्होंने अनुदेशों का अनुकरण नहीं किया ?

सरदार स्वर्ण सिंह: श्रीमान्, मैं नहीं समझता कि कभी कोई ऐसा अभिकथन हुआ हो कि एग्ज़ेक्युटिव इन्जनियरों ने उन्हें दिए गए अनुदेशों का अनुसरण न किया हो ?

श्री बोगावत: क्या कोई शिकायत इस प्रकार की आई है कि यह योग्यता तथा ज्येष्टता के संयुक्त आधार पर नहीं बनाई गई है ?

सरदार स्वर्ण सिंह: यदि कोई विशेष प्रसंग मेरे नोटिस में लाए जाएं तो मैं उनकी पड़ताल करने को तैयार हूं।

श्री बोगावत: इस आशय के कितने ही आवेदन पत्र दिए जा चुके हैं।

सरदार स्वर्ण सिंह: मैं उन से अवगत नहीं हूं ?

डा० एस० पी० मुकर्जी: क्या वह लोग जिन्हें कुछ शिकायत हो इस सूची को देख सकते हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह: यह एक मुद्रित और प्रकाशित सूची है।

श्री एस० सी० सामन्त: मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बतलाया था कि अभी तक उन्हें कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं....

सरदार स्वर्ण सिंह: शिकायतें हो सकती हैं। मेरे माननीय मित्र का निर्देश एक ऐसी सूची की ओर है जो १९४७ में प्रकाशित हुई थी। पांच वर्ष के कालान्तर में तो कितनी ही शिकायतें पैदा हो सकती हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं जान सकता हूं कि क्या उस सूची में जो सरकार द्वारा प्रकाशित की जानी है १९४७ से लेकर अब तक की विस्तृत सूचना दी जाएगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह: यह सूची अप-टू-डेट होगी।

श्री बोगावत: मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधि मंडल भी आया था ?

सरदार स्वर्ण सिंह: श्रीमान, मेरे पास कोई नहीं आया।

गांधी स्मारक

*१२३८. **श्री एस० एन० दास:** (क) **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या गांधी स्मारक डीज़ाइन समिति ने अपना काम समाप्त कर दिया है और डीज़ाइन को अन्तिम रूप दे दिया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या तैयार डीज़ाइन सरकार द्वारा अनुमोदित हो चुका है ?

(ग) इस विषय में और क्या प्रगति हुई है ?

(घ) स्मारक जो अनुमोदित हुआ है वह किस प्रकार का है तथा उसका अनुमानित व्यय क्या होगा ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री **(सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) अभी नहीं; श्रीमान् ।

(ख) से (घ) । उत्पन्न नहीं होते ।

श्री एस० एन० दास: यह समिति कब नियुक्ति की गई थी और क्या कारण हैं कि रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ?

सरदार स्वर्ण सिंह: यह समिति १९५० में नियुक्त हुई थी । उन्हों ने अभी तक अपने निष्कर्षों को अंतिम रूप नहीं दिया है, अत: रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है ।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि क्या इस समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के हेतु कोई समय दिया गया था और यदि ऐसा है तो वह इस में विलम्ब क्यों कर रहे हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह: काम की विशेषता को देखते हुए कोई समय निश्चित नहीं किया जा सकता था । यद्यपि हम चाहते हैं कि उक्त समिति के निष्कर्षों को यथाशीघ्र अन्तिम रूप मिल सके यह एक ऐसा विषय है जिस पर कुछ समय लग जाना अवश्यम्भावी है । विचार विनिमय चल रहा है परन्तु अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): श्री मान, मैं यह भी कह दूं कि अभी काफी समय तक अन्तिम निर्णय नहीं हो सकेगा । इस स्मारक के महत्व के होते हुए भी ——या यूं कहा जाए कि इसी कारणसे——हम उतावलेपन से काम लेना नहीं चाहते । हम इसके सभी पहलुओं पर विचार करना चाहते हैं, विदेशों के वास्तु–शास्त्रियों के विचार जानना चाहते हैं । हमें कुछ ऐसे विचार मिल भी चुके हैं । हमारे अपने वास्तु–शास्त्रियों तथा अन्य व्यक्तियों के विचार भी जानने होंगे हमें गांधी स्मारक निधि समिति से भी परामर्श लेना है क्योंकि उनका सम्बन्ध इन भवनों की स्थापना से है । इस के अतिरिक्त गांधी स्मारक संग्रहालय इत्यादि हैं । हम चाहते हैं कि यह सब कुछ पृथक पृथक रूप में न बनाया जाय, अपितु उनका आपस में मेल और सम्बन्ध होना चाहिए !।

अत: , इस विषय पर बहुत कुछ विचार करने की आवश्यकता है, और यद्यपि हम यथासम्भव इस काम को आरम्भ करना चाहते हैं अच्छा यही होगा कि विलम्ब भले ही हो जाए परन्तु चीज़ अच्छी बननी चाहिए यह नहीं कि उतावलेपन में कोई गलत कदम उठा लिया जाए ।

श्रीमती ए० काले: मैं जान सकती हूं कि बम्बई से श्री करमरकर द्वारा जो डीजाइन भेजा गया था क्या वह सरकार के विचाराधीन है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं नहीं जानता श्रीमान् । यदि उन्हों ने भेजा होगा तो उस पर अवश्य विचार किया गया होगा ।

अल्पसूचित प्रश्न और उत्तर

कूपर इंजीनियरिंग वर्क्स बम्बई की बन्दी

श्री कजरोलकर : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बम्बई स्थित इन्जिनियरिंग वर्कर्स नाम की फैक्टरी २७ दिसम्बर, १९५२, से बन्द हो रही है जिसके फलस्वरूप लगभग २,००० श्रमिक बेकार हो जाएंगे ;

(ख) क्या यह सत्य है कि यह फैक्ट्री मुख्यत: डीजल इन्जन बनाती है तथा यह कि इसके बन्द होने का कारण यह है कि इन इन्जनों की मांग नहीं रही है ;

(ग) क्या यह सत्य है कि भारी संख्या में डीजल इन्जनों का आयात होने के कारण

इस फ़ैक्टरी के लिए अपना काम चालू रखना कठिन हो रहा है ; तथा

(घ) सरकार द्वारा इस फ़ैक्टरी को बन्द होने से बचाने के लिए क्या पग उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी०टी० कृष्णमाचारी) (क) उक्त फर्म द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई है कि उन्हों ने अपने श्रमिकों को नोटिस दे दिया है कि फ़ैक्टरी को २७ दिसम्बर से बन्द कर दिया जाएगा । यह ज्ञात नहीं है कि इसका प्रभाव कितने श्रमिकों पर पड़ेगा ।

(ख) हां, श्रीमान ; डीज़ल इन्जनों की बिक्री कम है ।

(ग) हो सकता है कि माननीय सदस्य का कथन सत्य हो ।

(घ) (१) राज्य सरकारों को यह मंत्रणा दी गई है कि वह 'अधिक अन्य उपजाओ' आन्दोलन इत्यादि के सम्बन्ध में भारतीय डीज़ल इन्जन खरीद करें ।

(२) चालू अर्द्ध-वर्ष में डीज़ल इन्जनों के आयात के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं ।

श्री गाडगिल : मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने उक्त फ़र्म को ५.००० डीज़ल इन्जनों का आर्डर दिया परन्तु बाद में, वापस ले लिया, और क्या यह सत्य है कि बम्बई सरकार द्वारा भी ५,००० का एक आर्डर दिया गया परन्तु केवल ३४ इन्जन ही खरीद किए गये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान, मेरे पास यह सूचना नहीं है ।

श्री गाडगिल : यह देखते हुए कि इस प्रकार के ६७,००० इन्जनों का आयात किया जा चुका है, मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इस विषय पर विचार करेगी कि इन का अग्रेतर आयात काफी समय के लिए बन्द कर दिया जाय जिस से कि स्थानीय निर्माताओं की कुछ सहायता हो सके ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक आयात के बन्द किए जाने का प्रश्न है मैं पहले ही बतला चुका हूं कि चालू अर्द्ध-वर्ष में कोई आयात नहीं होने दिया गया है । परन्तु जहां तक भारत में बने डीज़ल इन्जनों के स्टाक का प्रश्न है सरकार के रैकार्ड के अनुसार केवल लगभग १,७६९ इन्जन मौजूद हैं ।

श्री आल्तेकर : इन में से कितने इन्जन फ़ैक्टरी में पड़े हैं और सरकार को कितने चाहिएं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उक्त फ़ैक्टरी ने हमें अपने स्टाक के बारे में कोई सुचना नहीं दी है । उनका कुल उत्पादन जनवरी से अक्तूबर तक २,१२४ है । अत : सदन को यह जान लेना चाहिए कि इन लोगों को ५,००० का आर्डर देना सरकार के लिए असम्भव है, क्योंकि उनका वार्षिक उत्पादन इस से बहुत कम है । मैं यह भी कह दूं कि यह फ़ैक्टरी किसी एक टाइप का विशेषीकरण नहीं करते हैं अपितु १५, २० विभिन्न टाइपों का निर्माण करते हैं । अत: मैं नहीं कह सकता कि उनके पास इन्जनों का क्या स्टाक है और उन में कितने ऐसे हैं जो बिकने योग्य नहीं हैं ।

श्री आल्तेकर : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को समुदायिक परियोनाओं के लिए किस प्रकार के इन्जनों की आवश्यकता होगी और क्या यह प्रकार इस फ़ैक्टरी के पास हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे ज्ञात नहीं है ।

श्री बोगावत: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार यह इन्जन अकालग्रस्त क्षेत्रों के कृषकों को देने का है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह प्रश्न किसी और से पूछने योग्य है।

श्री एस० एस० मोरे: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अपनी आयात नीति निर्धारित करने से पूर्व देश के उत्पादन तथा देश में उपलब्ध इन्जनों की संख्या का कोई रिकार्ड रखती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: श्रीमान् हमें इसका सामान्य ज्ञान रहता है।

श्री गाडगिल: बहुत मोटे प्रकार का।

श्री नटेशन: मैं जान सकता हूं कि क्या इस फ़र्म से कोई इन्जन खरीदे भी गए हैं यदि खरीदे गए हैं तो कितने, और क्या उन्हें सन्तोषजनक पाया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: श्रीमान इस प्रश्न का उत्तर देना सरकार के लिए बुद्धिमती युक्त नहीं होगा। इस से यह निष्कर्ष निकाला जा सकेगा कि इस फ़र्म का माल अच्छी प्रकार का नहीं है। मुझे कहना पड़ता है कि सरकार इस प्रकार का उत्तर नहीं दे सकती।

श्री एस० एस० मोरे: क्या सरकार इस फ़ैक्टरी को चालू रखने के लिए कोई उपाय सोच रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: सरकार इन फ़ैक्टरियों की सहायता केवल एक ही साधन द्वारा कर सकती है, अर्थात यह कि आयात बन्द कर दिया जाय तथा राज्य सरकारों को लिखा जाय कि वह अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन के सम्बन्ध में भारत में बने डीज़ल इन्जनों की खरीद को प्रोत्साहन दें। मैं यह भी कह दूं कि भारतीय उत्पादकों की स्टाक सम्बन्धी स्थिति को ठीक करने के लिए हम उन लोगों को जिन्हों ने डीजल इन्जनों का आयात किया है इस बात की अनुमति दे रहे हैं कि वह उन का निर्यात कर सकें, परन्तु शर्त यह है कि वह सुलभ मुद्रा क्षेत्रों से आयातित हों

श्री गाडगिल: जैसे पारा।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि इस का पर्याप्त उत्तर मिल चुका है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राज्य-व्यापार

***१२२०. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन मंत्रालयों के अधीन तथा किन वस्तुओं अथवा व्यापार के लिए सरकार द्वारा राज्य-व्यापार का प्रयोग किया जा रहा है ?

(ख) राज्य-व्यापार की विभिन्न स्कीमों में जो भारत में चलाई जा रही हैं कितनी कितनी पूंजी की राशियां विनियोजित हैं, तथा उन में क्या लाभ अथवा हानि हो रही है ?

(ग) किस प्रकार की प्रबन्ध-व्यवस्था राज्य-व्यापार के लिए समुचित पाई गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) इस समय चालू राज्य-व्यापार स्कीमों में से कोई भी संपरीक्षा के प्रक्रम में नहीं है।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५४]**

(ग) अभी तक राज्य-व्यापार स्कीमें सम्बद्ध सरकारी विभागों द्वारा चलाई जाती रही हैं।

पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुये विस्थापित आदिवासी

*१२३३. **श्री भीखा भाई : पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित आदिवासियों को पुन-संस्थापित किया है ;

(ख) यदि किया है तो ऐसे विस्थापित आदिवासियों की संख्या ; तथा

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार ऐसे विस्थापित आदि वासियों के बारे में अवगत है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (ग) तक। यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा मिलने पर यथाशीघ्र सदन पटल पर रख दी जायगी।

चन्द्र नगर में प्रवृत भारतीय विधियां

*१२३४. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत संघ की वह विधियां जो चन्द्रनगर के भारत संघ में प्रवेश से लेकर अब तक वहां लागू हो चुकी हैं ;

(ख) क्या यह सत्य है कि चन्द्रनगर में किरायेदारों को स्वेच्छ किराया-वृद्धि अथवा स्वेच्छ निष्कासन से बचाने के लिये कोई विधि नहीं है, और यदि ऐसा है तो क्या सरकार का विचार वहां पश्चिमी बंगाल के किराया नियंत्रण अधिनियम तथा कृषिभिन्न भाटकिता अधिनियम को लागू करने का है ; तथा

(ग) क्या सरकार को इस विषय में चन्द्रनगर के वासियों द्वारा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) भारत की उन विधियों की एक सूची जो चन्द्रनगर के भारत को हस्तान्त्रित होने के पश्चात् उसे लागू किये जा चुके हैं सदन-पटल पर रखी जाती है [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५५**]

(ख) किराया नियन्त्रण अधिनियम तथा कृषिभिन्न भाटकिता अधिनियम के चन्द्रनगर में लागू किये जाने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है।

(ग) हां, श्रीमान्।

लाजपत नगर कालोनी के लिए पानी की व्यवस्था

*१२३५. **श्री गिडवानी : पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि लाजपत नगर कालोनी को फिल्टर हुआ पानी देने की व्यवस्था कालका जी के हौज़ से की जायेगी जो सरकार द्वारा बनाया जा रहा है ;

(ख) क्या उक्त हौज़ के निर्माण की पूर्ति में कम से कम एक वर्ष लग जायेगा :

(ग) क्या यह सत्य है कि उक्त कालोनी के वासी पीने और पकाने के लिये पानी हैंड पम्पों द्वारा प्राप्त करते हैं ;

(घ) क्या यह सत्य है कि हैंड-पम्पों का पानी भारी प्रकार का है जिस में ऐसे खनिज पदार्थ तथा लवनादि हैं जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं तथा मनुष्य के योग्य नहीं हैं :

(ङ) क्या सरकार ने इस पानी का विश्लेषण करवाया है ;

(च) यदि करवाया है तो क्या रिपोर्ट मिली है ; तथा

(छ) क्या सरकार का विचार हौज़ के निर्माण तक फिल्टर हुए पानी की कोई अन्तरिम व्यवस्था करने का है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां।

(ख) हौज़ बन चुका है। फिल्टर संयत्र बन रहा है और अप्रैल, १९५३, तक बन जाने की आशा है।

(ग) तथा (घ)। वहां के वासी हैंड-पम्पों तथा तीन कुंओं से पानी प्राप्त करते हैं । अधिकांश हैंड-पम्पों तथा कुंओं का पानी पीने योग्य बतलाया जाता है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) उत्पन्न नहीं होता ।

(च) क्योंकि फिल्टर हुआ पानी उपलब्ध नहीं है कोई अन्तरिम व्यवस्था नहीं की जा सकती ।

विस्थापित हरिजनों के लिये मकान

*१२४०. **श्री रूप नारायण** : क्या **पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) लाजपत नगर, नई दिल्ली, में विस्थापित हरिजनों के लिये बनाये गये मकानों की वास्तविक संख्या, तथा उन्हें दिये गये मकानों की संख्या ;

(ख) क्या सभी हरिजन जिन्हें मकान दिये गये हैं पहले से अच्छी स्थिति में हैं : और

(ग) यदि नहीं तो उन की स्थिति को अच्छा बनाने के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) लाजपत नगर, नई दिल्ली में २१४ मकान विशेष कर विस्थापित हरिजनों के लिये बनाये गये हैं, जिन में से १०२ तो उन्हें दे दिये गये हैं और शेष ११२ दिये जा रहे हैं। इस के अतिरिक्त १४ मकान हमारी सामान्य गृह-व्यवस्था योजनाओं में से दिये गये हैं । इस प्रकार कुल २२८ मकान दिये गये हैं ।

(ख) काम तथा विश्राम के बारे में इन सभी लोगों की स्थिति सन्तोषजनक बतलाई जाती है ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

बंगलों में नौकरों के मकान

*१२४१. **श्री बोगावत**: (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी अधिकारियों के बंगलों में खाली पड़े नौकरों के मकानों की संख्या कितनी है ?

(ख) कितने ऐसे घरों में इन अधिकारियों के नौकर रहते हैं और कितने उन बंगलों में रहने वालों द्वारा किराये पर दिये हुए हैं ?

(ग) सरकारी बंगलों में कुल ऐसे मकानों की संख्या क्या है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जहां तक मैं जानता हूं कोई भी खाली नहीं है ।

(ख) मुझे कहना पड़ता है कि सभी मकानों की गणना किये बिना उन मकानों की संख्या बतलाना सम्भव नहीं होगा जिन में अधिकारियों के नौकर रहते हैं । यद्यपि यह हो सकता है कि ऐसे कुछ मकान अधिकारियों के नौकरों के अतिरिक्त अन्य लोगों के कबज़े में हों तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि उन में से कितने किसी प्रकार के किराये पर दिये हुए हैं ।

(ग) नई दिल्ली और दिल्ली में लगभग ६,३०० ।

यू० ऐस० ए० में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए इजनियर

*१२४२. **श्रीमती रेण चक्रवर्ती**: (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी योजना द्वारा कितने इंजनियर थर्मल (तापीय) संयन्त्र सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिये यू० एस० ए० भेजे गये थे ?

(ख) उन्हें इस प्रशिक्षण के लिये भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या था ?

(ग) इन उद्देश्यों की पूर्ति कहां तक हो पाई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) (क) ११ ।

(ख) मुख्य उद्देश्य अधिक दबाव और अधिक ताप मान वाले तथा बारीक ईन्धन से चलने वाले बाएलरों, टर्ब जैन्रेटरों तथा तत्संबन्धी संयन्त्र के बनाने तथा चलाने का अनुभव प्राप्त करना था । इन प्रशिक्षित कर्मचारियों को अमरीका से लौटने के पश्चात् पहले संयन्त्र की स्थापना पर और फिर उस को चलाने पर लगाना था ।

(ग) इन उद्देश्यों की पूर्ति हो गई है ।

बोकारी स्थित विद्युत संयन्त्र

*१२४३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती:** (क) **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यू० एस० ए० की कौन सी फर्म ने बोकारो स्थित विद्युत संयन्त्र का डीज़ाइन बनाया है ?

(ख) उस पर क्या खर्च आया था ?

(ग) क्या उक्त डीज़ाइन को स्थापित करने से पूर्व उसकी पड़ताल की गई थी, और यदि की गई थी तो किस व्यक्ति द्वारा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) इन्टर नैशनल जैनरल एलैक्ट्रिक कम्पनी यू० एस० ए० ।

(ख) तथा (ग)। इस विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

बोकारो स्थित ताप-विद्युत संयन्त्र

*१२४४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बोकारो स्थित ताप-विद्युत संयन्त्र किस अमरीकन फर्म से मंगाया गया ?

(ख) क्या उक्त संयन्त्र की स्थापना का ठेका भी उसी फर्म को दिया गया, और यदि नहीं दिया गया तो क्यों नहीं ?

(ग) उक्त संयन्त्र को न्यूयार्क से बोकारो लाने में टूटने फूटने में कितनी हानि हुई ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) इन्टर-नैशनल जैनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी, यू० एस० ए० ।

(ख) तथा (ग) यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

छोटा नागपुर की सिंचाई योजनायें

*१२४५. **श्री देवगम:** क्या **योजना** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार अथवा बिहार राज्य सरकार के पास बिहार के छोटा नागपुर डिवीज़न के लिये कोई सिंचाई योजना है जिसके द्वारा उक्त क्षेत्र में रहने वाली अनुसूचित आदिम-जातियों को बिना किसी खर्चे के सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हो सकें : तथा

(ख) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या भारत सरकार तथा अथवा बिहार राज्य सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है जिस से आदिम जातियों के खाद्य-उत्पादन में वृद्धि हो सके ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) राज्य सरकार के पास इस क्षेत्र के लिये छोटी छोटी सिंचाई योजनाएं हैं । यह ज्ञात नहीं है कि क्या वहां के लोगों को सिंचाई की सुविधाएं निश्शुल्क दी जा सकेंगी या नहीं । ऐसी योजनाओं से लाभ उठाने वालों से साधारणतया जला कर लिया जाता है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

आदिवासियों का उद्धार

*१२४६. **श्री देवगम: योजना** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बिहार तथा उड़ीसा की सरकारों ने संघ सरकार से वहां के आदिवासियों के उद्धार के हेतु वित्तीय सहायता मांगी थी;

(ख) यदि मांगी थी तो प्रत्येक राज्य को दी गई राशि;

(ग) वह मदें जिन पर वह खर्च होगी;

(घ) क्या संघ सरकार राज्यों को आदिवासियों के उद्धार के लिये वित्तीय सहायता बिना मांगे भी देती है ; तथा

(ङ) उन राज्यों के नाम जिन्हों ने यह सहायता नहीं मांगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) बिहार--१८ लाख रुपया ।

उड़ीसा--२२ लाख रुपया ।

(ग) विवरण जिन में वह योजनाएं दी गई हैं जो बिहार तथा उड़ीसा की सरकारों द्वारा हाथ में ली जाएंगी सदन पटल पर रखी जाती हैं । (**देखिये परिशिष्ट ७ अनुबन्ध संख्या ५६**).

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) उत्पन्न नहीं होता ।

यू० पी० में निष्क्रांत सम्पत्ति का सह-अधिरक्षक

*१२४७. **श्री एम० एल० अग्रवाल :** **पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उन अधिकारियों के वेतन और भत्ते जो उत्तर प्रदेश में निष्क्रान्त सम्पत्ति के सह-अभिरक्षकों के रूप में काम कर रहे हैं केन्द्रीय सरकार की बजट राशियों में से दिये जाते हैं ;

(ख) ऐसे अधिकारियों की संख्या, योग्यताएं, सेवाकाल तथा ग्रेड, वेतन तथा भत्ते :

(ग) उन में से कितनों को राज्य लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त है, उन में से कितने स्थायी हैं और कितने अभी तक अस्थाई हैं ;

(घ) क्या इन के ग्रेड, वेतन-स्तर तथा भत्तों में और उन अधिकारियों के वेतन आदि में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे ही उसी प्रकार के अथवा वैसे ही काम के लिये नियुक्त हैं कोई अन्तर है, और यदि है तो वह क्या है और क्यों ;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन्हें भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संवर्ग में लाने का है ; तथा

(च) क्या सरकार का ऐसा विचार है कि इन अधिकारियों को–

(१) शीघ्र ही अथवा निकट भविष्य में स्थायी सरकारी कर्मचारी बना दिया जाये; तथा

(२) उनकी वर्तमान नियुक्तियों की समाप्ति पर उन्हें स्थायी सेवाओं में खपा लिया जाये, और यदि ऐसा है तो क्या वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खपाये जायेंगे अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के अभिरक्षक संघटनों का परिव्यय, जिस से निष्क्रान्त सम्पत्ति के सह-अभिरक्षकों के वेतन तथा भत्ते भी सम्मिलित हैं, उस फ़ीस में से निकाला जाता है जो १० प्रति शत की दर से निष्क्रान्त सम्पति की आय पर लगाई जातीहै । उक्त फीस और परिव्यय में यदि कोई कमी रह जाती है तो वह केन्द्रीय सरकार से अंशदान द्वारा पूरी कर ली जाती है ।

(ख) एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५७**]

(ग) भाग (ख) के उत्तर में दी गई सूची में उल्लिखित सभी अधिकारियों की नियुक्तियां, २२ से २७ छोड़ कर लोक सेवा

आयोग द्वारा अनुमोदित हो चुकी हैं। वह छः जिन्हें लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है प्रतिवर्तित किये जा रहे हैं।

(घ) देहली को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों में अभिरक्षक संघटनों के अधिकारी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और इन विभिन्न पदों के लिए वेतन-स्तर उन वेतन-स्तरों को ध्यान में रख कर निर्धारित किए जाते हैं जो राज्यों के उसी स्तर के अन्य अधिकारियों को मिलते हों।

(ङ) जी, नहीं।

(च) राज्यों के अभिरक्षक संघटन अस्थायी हैं और इस समय इन अधिकारियों के केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा स्थाई पदों पर खपाये जाने का प्रश्न अकालज है क्योंकि अभी से यह नहीं कहा जा सकता कि यह संघटन कब तक चलेंगे।

अंडों का सीलोन को निर्यात

*१२४८. { **श्री पुन्नूस :**
श्री एन० श्रीकान्तन नायर: (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सीलोन सरकार के इस आदेश से अवगत है कि २५ नवम्बर, १९५२, के पश्चात भारत से सीलोन को निर्यात होने वाले अंडों पर "भारत" की मुद्रा लगा दी जाएगी ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने यह पृच्छा करवाई है कि क्या यह नियम केवल भारतीय अंडों के लिए लागू होता है और यदि ऐसा है तो क्यों ?

(ग) भारत से सीलोन को १९४८–४९, १९५०–५१ तथा १९५०–५१ वर्षों में से प्रति वर्ष कितने अंडों का निर्यात हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). सीलोन सरकार ने यह आदेश निर्गमित किया है कि २५ जुलाई, १९५२, से सीलोन में अंडों का आयात तब तक नहीं हो सकेगा तब तक उन पर उनके उद्गम के देश की अमिट मुद्रा नहीं होगी। यह आदेश सभी देशों से होने वाले आयात को लागू होता है, केवल भारत को नहीं।

(ग) यह सूचना प्राप्य नहीं है क्योंकि हमारे समुद्रीय व्यापार के लेखों में अंडों का निर्यात पृथक रुप से नहीं लिखा जाता।

रूई का क्रय

***१२४९. श्री के० जी० देशमुख :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वह संविदा जो भारत सरकार ने १९५२–५३ में रूई के क्रय के हेतु (१) यू० एस० ए०, (२) मिस्र तथा (३) यूगांडा के साथ किए हैं ; तथा

(ख) उक्त रुई कब तक भारत में पहुंच जाएगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कोई नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

रूई का उत्पादन

***१२५०. श्री के० जी० देशमुख :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२–५३ में रुई का अनुमानित उत्पादन ; तथा

(ख) उसी काल के लिए रुई की अनुमानित आवश्यकता ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामचारी) : (क) तथा (ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है।

[**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५८**]

कोंकनी तथा सिन्धी भाशाओं में प्रसारण

*१२५१. **डा० अमीन :** सूचना तथा प्रसारण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने कोंकनी भाषा में प्रोग्राम प्रसारित करना स्वीकार कर लिया है ; तथा

(ख) क्या सिन्धी भाषा में प्रोग्राम प्रसारित करने की भी कोई प्रस्थापना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) हां, श्रीमान्। कोंकनी में एक तीस मिन्ट का प्रोग्राम आल इंडिया रेडियो के बम्बई स्टेशन से १९ अक्तूबर १९५२, से चालू हो चुका है।

(ख) बम्बई स्टेशन से सिन्धी में प्रोग्राम चालू करने का प्रश्न नए ५० किलोवाट मध्यम तरंग ट्रांसमिटर की स्थापना के पश्चात उठाया जा सकता है।

रुई के मूल्य

*१२५२. **श्री सिंहासन सिंह : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रुई की सामान्य विश्व विपणि (बाजार) की प्रवृत्ति अति-उत्पादन की है जिसके फल स्वरुप रुई के मूल्य गिर रहे हैं ;

(ख) क्या गत कुछ महीनों में भारतीय रुई का मूल्य २२ प्रतिशत गिर गया है ; तथा

(ग) यदि उक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो सरकार तटकर आयोग की सिपारिशों के अनुसार कपडे के मूल्यों को गिराने के लिए क्या पग उठाने का विचार रखती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं।

(ख) सितम्बर की तुलना में मूल्यों में कुछ हलकी सी कमी हुई है।

(ग) सितम्बर में रुई के मूल्यों को देखते हुए गत अक्तूबर में मिल के बने कपड़े और सूत की नियत्रित प्रकारों के मूल्यों में वृद्धि होनी चाहिए थी। परन्तु सरकार ने यह निश्चय किया कि जुलाई के मूल्यों को न बदला जाय। जनवरी, १९५३, के लिए नीति विचाराधीन है।

पूर्वी पाकिस्तान में लगाया गया शवदाह-कर

*१२५३. **डा० एन० बी० खरे :** **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पूर्वी पाकिस्तान में अन्सार किसी हिन्दू के शव के दाह संस्कार से पूर्व उसके सम्बन्धियों से पांच रुपये कर के रूप में ले लेते हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : सरकार ने इस विषय में एक प्रैस संवाद देखा है परन्तु उसे और कोई सूचना नहीं है। प्रैस संवाद की और पाकिस्तान सरकार का ध्यान दिला दिया गया है।

तिलय्या बांध जल-विद्युत संयन्त्र

*१२५५. **बाबू रामनारायण सिंह : सिंचाई तथा वित** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तिलय्या बांध का जल-विद्युत संयन्त्र बन चुका है, और यदि बन चुका है तो कब तक चालू हो जाएगा ?

(ख) बिजली की खपत के लिए डी० वी० सी० का बिहार सरकार से प्रति किलोवाट क्या हिसाब है और बिहार सरकार हजारीबाग के उपभोक्ताओं से क्या लेती है ; तथा

(ग) क्या जल-विद्युत संयन्त्र के चालू होने पर बिजली का रेट कम कर दिया जाएगा।

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग)। यह सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जाएगी।

नदी घाटी योजनाओं का अर्थ-प्रबन्ध

*१२५६. **श्री राम चन्द्र रेड्डी:** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री बहु-प्रयोजनीय नदी घांटी योजनाओं के अर्थ-प्रबन्ध के विषय में सरकार की सामान्य नीति बतलाने की कृपा करेंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): माननीय सदस्य का घ्यान पंचवर्षीय योजना के पैरा ५७–अध्याय २६ की ओर दिलाया जाता है ।

नदी घाटी योजनाओं के अन्तिम प्राक्कलन

*१२५७. **श्री रामचन्द्र रेड्डी:** (क) **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भाकड़ा नंगल, दामोदर घांटी, मुचकंड तथा कोसी की बहु-प्रयोजनीय नदी घांटी योजनाओं के अन्तिम प्राक्कलन प्राप्त तथा सरकार द्वारा अनुमोदित हो चुके हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्रमानूसार वह प्राक्कलित राशियां क्या है ?

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम प्राक्कलन सरकार के अनुमोदन के लिए कब तैयार हो जाएंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) भाकड़ा-नंगल संशोधित प्राक्कलनों को पंजाब सरकार द्वारा अन्तिम रुप दिया जा रहा है ।

दामोदर घाटी–संशोधित प्राक्कलन प्राप्त हो चुके हैं तथा सरकार के विचाराधीन हें ।

मुचकुंड––यह उड़ीसा तथा मद्रास सरकारों का संयुक्त उपक्रम है । भारत सरकार का इस की कार्यान्विति के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । अतः संशोधित प्राक्कलनों के लिए भारत सरकार के अनुमोदन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोसी––इस योजना का संशोधित प्राक्कलन अभी तैयार नहीं हुआ है ।

(ख) भाकड़ा – नांगल––१,५६ करोड़ रुपये (लगभग) ।

दामोदर घाटो––३३.८९ करोड़ रुपये

मुचकुंड––८,१३५६ करोड़ (प्रथम प्रक्रम)

[मद्रास सरकार की रिपोर्ट के अनुसार]

(ग) कोसी––योजना के संशोधित प्राक्कलन के मार्च, १९५३, तक तैयार हो जाने की आशा है । भाकड़ा-नंगल––आशा की जाती है कि अन्तिम प्राक्कलन अनुमोदनार्थ फरवरी, १९५३, तक तैयार हो जाएगा ।

तिलय्या बांध से सिंचाई का कार्यक्रम

*१२५८. **बाबू रामनारायण सिंह:** **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या दामोदर घाटी निणम ने तिलय्या बांध से अपने सिंचाई कार्यक्रम को चालू करने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है, और यदि कर दी है तो क्या ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): हां, श्रीमान् । डी० वी० सी० ने भूमापन करवाया है और तलय्या बांध से निकलने वाली बडी नहर और शाखांओं के निर्माण के लिए प्राथमिक डिजाइन तथा प्राक्कलन बनाये हैं । यह प्राथमिक डिज़ाइन तथा प्राक्कलन उन्होंने बिहार सरकार को परिनिरीक्षा तथा यथेवश्यक रुप भेद के लिए भेज दिए हैं ।

मध्य प्रदेश की नदी घाटी योजनाए

*१२५९. **श्री जांगड़े: योजना** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार निकट भविष्य में मध्य प्रदेश में कोई नदी घाटी य.जना कार्यान्वित करने जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): नहीं, श्रीमान् ।

बर्मा तथा मलाया के निष्क्रमिक

***१२६०. श्री दे०सी० सोधिया :** (क) क्या **प्रधान** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बर्मा और मलाया के निष्क्रमिकों को प्रारम्भ में कुल कितना रुपया दिया गया था ?

(ख) इस समय तक कितनी राशि वापस मिल चुकी है ?

(ग) क्या किसी राशि के उपलेखन की भी सम्भावना है, और यदि है तो कितनी ?

(घ) क्या वसूली किस्तों द्वारा की जा रही है और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(ङ) कुल वसूली पर कितनी समय लग जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) (क) बर्मा, मलाया इत्यादि से आए निष्क्रमिकों को १९४२–४८ नें कुल ७,१७,९७,९०० रुपये दिए गए ।

(ख) लगभग १५,००,००० रुपये ।

(ग) ७२,००,००० रुपये की राशि अब तक अपलेखित हो चुकी है । इस समय यह बतलाना सम्भव नहीं है कि कुल कितनी राशि अपलेखित होगी, क्योंकि यह उस जांच के परिणाम पर निर्भर होगा जो अभी भी स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जा रही हैं।

(घ) जी हां । वसूली सामान्यतः किस्तों में की जाती है सिवाय उस दशा के जबकि निष्क्रामिक स्वयं एक ही बार देना पसन्द करें ।

(ङ) यह बतलाना सम्भव नहीं है कि इस रुपये की वसूली में कितना समय लग जाएगा क्यों कि यह स्पष्टतया निष्क्रामिओं की आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर रहेगा । तो भी वसूली का काम यथा सम्भव शीघ्रता के साथ किया जा रहा है, क्यों कि भारत सरकार की सदैव यही नीति रही है कि निष्क्रामिकों को किसी प्रकार की अनुचित हानि न पहूंचाई जाय ।

टेपियोका तथा उसका मांड

***१२६१. श्री पी० टी० चाको : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) टेपियोका अथवा उसके मांड का भारत में आयात होता है ;

(ख) यदि होता है तो आयातित टेपियोका तथा मांड का मूल्य और भारत का बाजार मूल्य ;

(ग) भारत में टेपियोका तथा उसके मांड की कुल मांग तथा भारत का कुल उत्पादन; तथा

(घ) क्या सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि टेपियोका तथा उसके उत्पादनों को आयात बन्द कर दी जाएं, और यदि हुए हैं तो उनका परिणाम ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :

(क) टेपियोका तथा उससे बने मांड का आयात इस समय बन्द है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) टेपियोका का कुल अनुमानित उत्पादन १६,८०,००० टन है । टेपियोका के मांड की कुल मांग के अंक प्राप्त नहीं हैं ।

(घ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए उत्पन्न नहीं होता ।

त्रावनकोर-कोचीन में औद्योगिक ग्रह-व्यवस्था

***१२६२. श्री ए० एम० टामस :** (क) **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद-मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि क्या औधोगिक ग्रह-व्यवस्था सम्बन्धी मेरे तारांकित प्रश्न सं० ५३८ (क) २१ नवम्बर, १९५२, को उत्तर मिलने के पश्चात केन्द्रीय सरकार

को त्रावंकोर-कोचीन राज्य से कोई आवेदन इस आशय का मिला है कि उन्हें औद्योगिक ग्रह-व्यवस्था योजना के अन्तर्गत सहायता दी जाय ?

(ख) यदि ऐसा है तो उन्हों ने कितनी राशि के लिए आवेदन दिया था और कितनी दी गई है ।

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, इस महीने की २ तारीख को एक औपचारिक आवेदन तथा उसके साथ एक योजना प्राप्त हुए थे ।

(ख) २५,००,००० रूपये की राशि मांगी गई है, आधी ऋण के रूप में और आधी सहायता के रूप में, जिस का प्रयोजन ९२५ एक-मन्ज़िले एक एक कमरे वाले मकान बनाना है । कुछ विषयों का स्पष्टीकरण राज्य सरकार से इस महीने की ८ तारीख को मांगा गया था अतः उन के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

निम्बू-घास तेल (निर्यात)

***१२६३. श्री ए० एम० टामस** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४८ से १९५२ तक निम्बू-घास के तेल के निर्यात से विदेशी विनिमय की कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

(ख) क्या सरकार उस मंदी से अवगत है जो इस समय निम्बू-घास तेल के बाज़ार में चल रही है ?

(ग) सरकार ने इस तेल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के हेतु क्या पग उठाए हैं ?

(घ) क्या सरकार का विचार इस उद्योग को पक्के आधार पर लाने तथा उसके लिये स्थायी बाज़ार की व्यवस्था करने के हेतु कोई उपाय करने का विचार है, और यदि ऐसा है तो वह उपाय क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । **(देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ५९)**

(ख) जी नहीं ।

(ग) विदेशों में नियुक्त व्यापार प्रतिनिधियों को जतलाया गया है कि वह अपने अपने क्षेत्रों में इस तेल के क्रय के लिये बाज़ार ढूंडने का प्रयत्न करें । इसके निर्यात पर कोई कर नहीं लिया जाता ।

(घ) जी हां । राज्य सरकारों के साथ यह प्रश्न उठाये जा रहे हैं कि निम्बू-घास के खेतों की व्यवस्था कैसे की जाए, कि इसकी कृषि केवल उसी प्रकार तक सीमित रखी जाय जिससे उचित प्रकार के तेल की प्राप्ति होती है, तथा यह कि कुटीर स्तर पर इसका उत्पादन करने वालों को यह प्रशिक्षण दिया जाय कि बढ़िया माल कैसे बनाया जाय । इस तेल को यथा सम्भव हमारे अन्य देशों के साथ होने वाले व्यापारिक समझौतों में भी सम्मिलित किया जा रहा है ।

सिंगारेनी काल्लियरीज़ लिमिटेड के लिये लोहा तथा रेलें

***१२६४. श्री पी० आर० राव** : (क) क्या **उत्पादन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंगारेनी काल्लियरीज़ कम्पनी ने कुल कितने लोहे तथा रेलों के लिये समादेश किया था तथा उन्हें कितना माल प्राप्त हुआ ?

(ख) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि टयूबों की मरम्मत समय पर न हो सकने के कारण कोयले के उत्पादन में कमी आ गई है ?

(ग) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि इस बात से श्रमिकों को बहुत कठिनाई हो रही है कि धरती के नीचे रेलें उनके काम के स्थान तक नहीं बिछाई हुई हैं तथा यह कि

उन्हें काफी दूर तक कोयला उठा कर लाना पड़ता है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) एक विवरण जिसमें १९५२ के लिये तथा १९५३ की पहली तिहाई के लिये सूचना दी गई है सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६०]** ।

(ख) उत्पादन पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ग) राज्य सरकार को इस कठिनाई का ज्ञान है । कोयला की कान वालों को कुछ पुरानी रेलें प्राप्त हो गई हैं और इससे स्थिति ठीक हो जाएगी ।

विदेशी विशेषज्ञ

***१२६५. श्री ए० एन० विद्यालंकार**: **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि अभी हाल में भारत सरकार ने बहुत से विदेशी विशेषज्ञों को सेवायुक्त किया है;

(ख) उन सभी विदेशी विशेषज्ञों की संख्या जो इस समय भारत में काम कर रहे हैं तथा यह कि वह कहां कहां के नागरिक हैं, जो (१) सीधे सरकार के नियन्त्रण में काम कर रहे हैं, (२) निजी संघटनों में काम कर रहे हैं, तथा (३) स्वतन्त्र रूप से काम कर रहे हैं ।

(ग) क्या सरकार विशेषज्ञों सम्बन्धी अपनी अपेक्षाओं के लिये विदेशों में विज्ञापन देती है, और क्या कोई आवेदन-पत्र मांगे जाते हैं;

(घ) कर्मचारियों का चुनाव किस अभिकरण द्वारा किया जाता है, क्या यह कार्य भारत सरकार करती है अथवा कोई विदेशी अभिकरण;

(ङ) क्या संघ लोक सेवा आयोग तथा योजना आयोग का इन अपेक्षाओं के निर्धारण तथा चुनाव म कोई हाथ होता है; तथा

(च) यदि उक्त भाग (ङ) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार का कोई चुनाव अभिकरण बनाने का है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (च). यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

अतिरिक्त यू० एस० सैनिक स्टोर

***१२६६. श्री एच० एन० मुखर्जी**: (क) **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन यू० एस० सैनिक स्टोरों का क्या हुआ जो युद्ध के प्रयोजनों के लिये भारत लाए गए थे परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर अतिरिक्त पाए गए तथा सरकार द्वारा सम्भाल लिए गए ?

(ख) वर्तमान विनिमय दर के अनुसार इन सम्बद्ध स्टोरों का पुस्त-मूल्य तथा बाज़ार मूल्य क्या हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि कुछ एक दुर्लभ तथा मूल्यवान बिजली का सामान नीलाम द्वारा एक भारतीय फर्म को बेच दिया गया और बाद में सरकार द्वारा इस आशय के परिपत्र जारी किए गये कि उन्हें उक्त फर्म से खरीद लिया जाय ।

(घ) क्या यह भी सत्य है कि उन संग्रहागारों के हिसाब तो कुछ वर्ष पहले बन्द हो चुके अभी तक पूर्णतः तय्यार नहीं हुए हैं ?

(ङ) इन भंडारों के कारण इस समय वास्तविक लाभ तथा हानि क्या है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) अतिरिक्त भंडारों के अधिकांश का उत्सर्जन हो चुका है ।

(ख) यू० एस० सेना द्वारा छोड़े गए रिकार्डों में सभी वस्तुओं के पुस्त-मूल्य नहीं दिखाए गए थे। परन्तु उस समय के विनिमय दर के अनुसार इनका अनुमानित मूल्य २४० करोड़ निर्धारित किया गया था। उनका वर्तमान विपणि मूल्य निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

(ग) जहां तक मुझे ज्ञात है ऐसी कोई बात नहीं हुई। परन्तु यदि पूर्ण विस्तार दिया जाय तो मैं इसकी जांच करवा सकता हूं।

(घ) नहीं, श्रीमान्।

(ङ) अमेरिकन अतिरिक्त भंडारों के विक्रय के सम्बन्ध में अन्तिम स्थिति विवरण अभी तक तैयार नहीं हुआ है।

कोयला उद्योग मंत्रणा समिति की सिपारिशें

*** १२६७. श्री विट्ठल राव :** (क) **उत्पादन** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अप्रैल, १९५२ में कोयला उद्योग मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिपारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो कोयला खानों में उनका अभिपालन करवाने के लिये क्या पग उठाए गए हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख)। निर्दिष्ट "कोयला उद्योग मन्त्रणा समिति" नाम की किसी सिमिति ने अप्रैल, १९५२ में भारत सरकार को कोई सिपारिश नहीं दी है, परन्तु सम्भवत: माननीय सदस्य का निर्देश उन सिपारिशों की ओर है जो कोयला उद्योग की कार्यकारिणी पार्टी द्वारा की गई थी, जिस ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, १९५१, में दी थी। एक विवरण जिसका आशय यह दिखलाना है कि कार्य-कारिणी पार्टी द्वारा की गई सिपारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है, तय्यार किया जा रहा है और सदन पटल पर रख दिया जाएगा।

अतिरिक्त समुदायक परियोजनाएं

***१२६८. श्री संगण्णा : योजना** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों के लिये अग्रेतर समुदायिक परियोजनाओं के लिये प्रस्थापनाएं प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि की हैं तो प्रत्येक राज्य के लिए अपेक्षित संख्या; तथा ;

(ग) इन अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए प्रत्येक राज्य के लिए कुल अपेक्षित राशि ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) उत्पन्न नहीं होते।

लिथोफोन (आयात)

***१२७०. कुमारी ऑनी मस्करीन : वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या लिथोफोन का आयात निषेध है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो कब से ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख)। वर्तमान लाइसेंस काल, अर्थात् जुलाई, दिसम्बर १९५२ में केवल एक लाइ-सेंस, १०,००० रुपये का दिया गया है।

जनवरी-जून १९५३ के लिये आयात-नीति

***१२७१. श्री लोकनाथ मिश्र :** (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या जनवरी-जून, १९५३ के लिये सरकार द्वारा कोई नई आयात नीति निर्धारित की गई है ?

(ख) यदि की गई है तो उसके मुख्य लक्षण क्या हैं ?

(ग) क्या इसका हमारी डालर स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ेगा और यदि पड़ेगा तो किस प्रकार से ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) । जनवरी–जून, १९५३ के लिये आयात नीति विचाराधीन है ।

मशीनरी का उत्पादन

*१२७२. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में (१) कपड़े (२) सेफ्टी रेजर ब्लेड (३) औज़ार (४) सीने की मशीनें और (५) बाइसिकलों के निर्माण सम्बन्धी मशीनरी के उत्पादन की मात्रा; तथा

(ख) भारतीय निर्माताओं को यह प्रेरणा देने के हेतु कि वह क्रमशः भारत में निर्मित मशीनरी का प्रयोग करें सरकार क्या उपाय कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ७, अनबन्ध संख्या ६१**] ।

(ख) यह तो मशीनरी निर्माताओं पर निर्भर है कि वह इस प्रकार के सामान का प्रयोग करने वालों को अपने मशीन औज़ारों की उपयोगिता तथा मूल्य के विषय में सन्तुष्ट करें । सरकार जनता को यह प्रेरणा नहीं दे सकती कि वह भारतीय मशीनरी निर्माताओं का बनाया माल खरीदें ।

आयात तथा निर्यात मंत्रणा परिषद

*१२७३. **श्री तुलसी दास** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आयात तथा निर्यात मंत्रणा परिषदों की हाल में की गई पुनर्रचना जिसके फलस्वरूप वह केवल मात्र निर्दिष्ट सदस्यों की निकाय बन कर रह गई हैं, जन मांग पर की गई थी ?

(ख) यदि न हीं, तो इस पुनर्रचना का क्या कारण था ?

(ग) क्या सरकार को उनकी इस कार्यवाही के विरुद्ध कोई विरोध पत्र प्राप्त हुआ है ?

(घ) क्या सरकार का विचार फिर से इन निकायों में प्रतिनिधि तत्वों को प्रविष्ट करने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) हां, श्रीमान्; सरकार को वाणिज्यिक संस्थाओं से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(घ) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों की फैडरेशन जिससे अधिकांश भारतीय वाणिज्यिक संस्थायें सम्बद्ध हैं के प्रधान तथा मन्त्री दोनों परिषदों के सदस्य हैं । ऐसे ही, ऐसोसियेटिड चेम्बर्ज़ ऑफ कामर्स के प्रतिनिधि भी इन परिषदों में हैं । इन परिषदों में अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं को प्रतिनिधित्व देने का विचार नहीं है ।

रायलासीमा के लिये योजनायें

*१२७५. **श्री लक्ष्मय्या** : **योजना** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रायलासीमा में स्थित अनन्तपुर, कुडप्पा तथा बैल्लरी के चिरकालीन दुर्भिक्ष पीड़ित जिलों को स्थायी सहायता देने के विचार से तुंगभद्रा परियोजना की उच्चस्तरीय नहर अथवा किसी अन्य योजना को चालू करने का विचार किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : जैसे ही इस सम्बन्ध में चलाई जाने वाली जांच पूर्ण हो जाएगी तो सम्बद्ध सर-

कारों की सम्मति से इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

पम्पों का आयात

*१२७६. **डा० अमीन : वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार नालीदार, गहरा कुआं इत्यादि पम्पों के विदेशों से आयात की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार कर रही है; तथा

(ख) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो सरकार क्या उपाय करने जा रही है जिससे ऐसे आयात का उन भारतीय इंजीनियररिंग फर्मों पर बुरा प्रभाव न पड़ सके जो इस प्रकार के पम्पों का निर्माण कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जनवरी—जून, १९५३ लाइसेंस काल के लिये आयात नीति विचाराधीन है ।

(ख) आयात नीति का निर्धारण करते समय सरकार अन्य विषय साथ साथ इस विषय पर भी विचार करती है कि स्थानीय इंजीनियरिंग फर्मों की सामर्थ्य क्या है तथा उनके उत्पादों के लक्षण क्या हैं ।

कलाकारों का चुनाव

*१२७७. **श्री के० के० बसु :** (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विभिन्न रेडियो स्टेशनों में कलाकारों का चुनाव कौन करता है ?

(ख) ऐसे चुनाव के मानदंड क्या होते हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) संगीत के कार्यक्रमों में भाग लेने का आवेदन देने वालों की सर्वप्रथम अखिल भारतीय रेडियो के विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा परीक्षा ली जाती है । अभी हाल में ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे पक्के तथा हल्के शास्त्रीय संगीत के कलाकारों का एक ऐसा ज्यूरी द्वारा परीक्षण तथा वर्गीकरण होता है जो हिन्दुस्तानी तथा करनाटकी संगीत की तालिकाओं में से ली जाती है ।

(ख) कलाकारों के चुनाव के मुख्य मानदंड उनके काम के लक्षण तथा प्रसारण के लिये उपयोगिता होते हैं ।

अखिल भारतीय रेडियो का कलकत्ता स्टेशन

*१२७८. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी बंगाल राज्य में, वर्ष १९५१–५२ में रेडियो लाइसेंस रखने वालों से लाइसेंस फीस के रूप में प्राप्त कुल राशि;

(ख) वर्ष १९५१–५२ में अखिल भारतीय रेडियो के कलकत्ता स्टेशन के चालन में सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय; तथा

(ग) वर्ष १९५१–५२ में कलकत्ता स्टेशन द्वारा लगाए गए नए कलाकारों की संख्या ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) १४,९४,७७३ रुपये ।

(ख) १४,८९,५०० रुपये ।

(ग) २३७ ।

दामोदर घाटी परियोजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई

*१२७९. **श्री एन० बी० चौधरी :** (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी परियोजनाओं के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल में कितने एकड़ भूमि के सींचे जाने की सम्भावना है ?

(ख) क्या सिंचाई की सुविधाओं के लिए किसानों को कोई जल-कर देना होगा ?

(ग) यदि देना होगा तो उसकी वसूली कौन करेगा, सरकार अथवा दामोदर घाटी नि

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) १०,३६,००० एकड़ ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) सदस्य का ध्यान दामोदर घाटी निगम अधिनियम की धारा १४ की ओर दिलाया जाता है।

योजना आयोग के कार्यालय में राजपत्रित पद

*१२८०. **श्री नम्बियार** : (क) **योजान** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग के कार्यालय में राजपत्रित पदों पर ऐसे व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं जो ग्रेजुएट नहीं हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो यह अभ्यर्थी किस प्रकार भर्ती किये गये थे ?

(ग) क्या इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में यू० पी० एस० सी० का परामर्श लिया गया था ?

(घ) यदि लिया गया था तो कमीशन ने क्या मंत्रणा दी थी तथा उसे क्यों अस्वीकार किया गया ?

(ङ) सुयोग्य व्यक्तियों को भरती करने के लिये क्या पग उठाए गए हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख) जी नहीं, सिवाए एक नियुक्ति के जिसके लिये एक रचनात्मक कार्यकर्त्ता को, जिसे ग्राम उद्योग के सम्बन्ध में विशेष अनुभव था, योजना आयोग में कुटीर उद्योगों के लिये चुना गया था।

(ग) तथा (घ) यह विषय संघ लोक सेवा आयोग को निर्दिष्ट किया जा रहा है।

(ङ) जब तक संघ लोक सेवा आयोग का अन्तिम परामर्श प्राप्त नहीं हो लेता, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कुर्ग की बड़ापील योजना

*१२८१. **श्री एन० सोमना** : (क) **योजना** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कुर्ग सरकार ने योजना आयोग से प्रार्थना की है कि 'बड़ापोल' नाम की जल विद्युत योजना को प्रथम पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया जाय ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या योजना आयोग ने इस योजना की सम्भावनाओं पर विचार किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस योजना का निरीक्षण करने का विचार है।

लक्ष्मण तीर्थ परियोजना

*१२८२. **श्री एन० सोमन**: (क) **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या लक्ष्मण तीर्थ परियोजना का भूमाप पूर्ण हो चुका है ?

(ख) यदि ऐसा है तो इस विषय मे केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा क्या सिफारिश की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जिन दो योजनाओं की पड़ताल केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा की गई थी उनके सम्बन्ध में उनकी सिफारिशें इस प्रकार थीं :—

(१) आनीकट स्कीम : क्योंकि सितम्बर से नवम्बर तक नदी में बहुत कम पानी रहता है जो मैसूर की वर्तमान सिंचाई के लिये भी पर्याप्त नहीं होता आनीकट स्कीम को वापस ले लेना चाहिये।

(२) संचय बांध स्कीम : यह स्कीम अनोत्पादक है तथा आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है। अतः इस की सिफारिश नहीं की जा सकती।

स्वास्थ्य शिक्षा (फ़िल्में)

७५४. **डा० अमीन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय द्वारा निर्मित स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी फिल्मों की संख्या तथा उसके विषय ;

(ख) प्रत्येक फिल्म की लम्बाई तथा निर्माण व्यय; तथा

(ग) हमारे देश की कुल जन संख्या का वह प्रतिशतक जिसे इस समय तक इन फिल्मों के प्रदर्शन से लाभ हुआ है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख). १८ । एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६२**]

प्रलेखीय फिल्म का निर्माण-व्यय १ ०,००० रुपये से लेकर २५,००० रुपये तक होता है । यह विषय, स्थानों तथा निर्माण-काल पर निर्भर रहता है ।

(ग) यह कहना तो सम्भव नहीं है कि किसी विशेष फिल्म से कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशतक को लाभ होता है परन्तु यह अनुमान लगाया गया है कि फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित प्रलेखीय फिल्में तथा न्यूज़ रीलें प्रति वर्ष ६० करोड़ व्यक्तियों द्वारा देखी जाती हैं ।

देहली में घरेलू उपयोग के लिये बिजली

७५५. श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि देहली में घरेलू उपभोग के लिये २२० वोल्ट ए० सी० बिजली का प्रदाय संकटपूर्ण है और उसके कारण प्राय: घातक दुर्घटनायें होती रहती हैं ; तथा

(ख) क्या सरकार का विचार विद्युत् अधिनियम का संशोधन करने और घरेलू उपभोग के लिए दी जाने वाली ए० सी० बिजली को १२० वोल्ट से कम रखे जाने को अनिवार्य ठहराने का है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । घातक दुर्घटनायें तो ११० वोल्ट ए० सी० से कम वाली प्रदाय पद्धतियों से भी हो सकती हैं । तो भी केन्द्रीय विद्युत् बोर्ड को यह सिफारिश दिये जाने का विचार है कि भारतीय विद्युत नियमों को इस प्रकार से संशोधित किया जाय कि जि. से उपभोक्ताओं के बिजली के अधिष्ठापन तथा सामान सुरक्षित रीति से रखे तथा चलाए जा सकें । भारतीय प्रमाप संस्था से भी प्रार्थना की गई है कि वह बिजली के सामान तथा घरेलू उपभोग की बिजली की वस्तुओं के सम्बन्ध में प्रमाप निर्धारित कर दें जिनका पालन ऐसे सामान के निर्माताओं के लिये अनिवार्य हो ।

गंगटोक में सी० पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारी

७५६. श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, गंगटोक के कर्मचारियों की संख्या ;

(ख) क्या उन्हें पहाड़ी भत्ता, विदेश भत्ता तथा अन्य भत्ते दिये जाते हैं ; तथा

(ग) क्या स्थानान्तरण तथा अधिवास इत्यादि के विषय में उनके साथ कोई विशेष रिआयत की जाती है ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के गंगटोक स्थित कर्मचारियों की संख्या ४९ नियमित कर्मचारी-वर्ग की और ३०६ दैनिक आधार पर काम करने वालों की है ।

(ख) निम्नलिखित भत्ते दिये जाते हैं :—

(१) मंहगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों के समान,

(२) तीसरी तथा चौथी श्रेणी के असिक्किमी कर्मचारियों के लिये पूरक भत्ता, तथा

(३) गंगटोक-नथूला रोड पर १५वें मील से परे दैनिक आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिये पहाड़ी भत्ता।

(ग) इन कर्मचारियों को वही रिआयत दी जाती है जो ऐसी ही परिस्थितियों में काम करने वाले अन्य लोगों को दी जाती है।

राजस्थान में समुदायिक परियोजनायें

७५७. **श्री भोजाभाई :** क्या **योजना** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान को समुदायिक परियोजनाओं के लिये दी गई राशि ;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने समुदायिक परियोजनाओं की क्रियान्विति के हेतु कोई योजनाएं केन्द्रीय सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की हैं ; और

(ग) यदि उक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो सरकार के सम्मुख रखी गई योजनाओं के प्राक्कलन ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) सात विकास ब्लाक राजस्थान को दिए गए हैं। प्रत्येक विकास ब्लाक का अनुमानित व्यय २१.६७ लाख रुपये है, जिनमें से ९.९७ लाख ऋण के रूप में होंगे जो केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को दिये जायेंगे, ७.५७ लाख रुपया जो केन्द्रीय अनुदान के रूप में दिया जायगा, तथा ४.१३ लाख रुपया जो राज्य सरकार अपने राजस्व में से देगी।

(ख) तथा (ग). विकास ब्लाकों के लिए बजट सम्बन्धी प्राक्कलन राजस्थान सरकार से प्राप्त हो चुके हैं। प्रक्रिया इस प्रकार है कि जब समुदायिक परियोजना प्रशासन द्वारा उनका निरीक्षण तथा सामान्य अनुमोदन हो चुकेगा तो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शीर्षकों के अधीन अभिपूर्ति के लिये विस्तृत योजनायें तय्यार की जाएंगी।

हथकता सूत तथा हथकर्घे

७५८. **श्री के० सी० जेना :**
श्री लोकनाथ मिश्र :

(क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में प्रति वर्ष हथ कते सूत के उत्पादन की मात्रा क्या है (प्रत्येक काऊंट के सूत की मात्रा पृथक् पृथक् दी जाय) ?

(ख) उक्त सूत से कितनी धोतियां तथा साड़ियां बनती हैं तथा कितनी ऐसी धोतियां और साड़ियां अनबिकी पड़ी हैं ?

(ग) भारत में हथकर्घों की संख्या क्या है तथा उनमें कितना हथकता सूत और मिल का सूत बुना जाता है ?

(घ) उन हथकर्घों की संख्या क्या है जो इस समय उड़ीसा राज्य में चल रहे हैं, उन्हें प्रति वर्ष कितना सूत दिया जाता है और क्या उक्त राज्य के हथकर्घों द्वारा कुछ अधिक सूत की मांग है ?

वाणिज्य मंत्री **(श्री करमरकर) :** (क) भारत में हथकते सूत के उत्पादन की प्रति वर्ष औसत मात्रा २७ लाख पाउण्ड है, १२ एस से १६ एस काऊण्ट तक। अनुमान यह है कि १२ एस, १४ एस तथा १६ एस काऊण्ट में से प्रत्येक का उत्पादन लगभग ९ लाख है।

(ख) इस सूत से लगभग ९४ लाख गज़ धोतियों तथा साड़ियों का औसत उत्पादन

प्रति वर्ष होता है। अनबिके माल की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है।

(ग) हथकर्घों की संख्या २८,५१, ६८५ बतलाई जाती है। उस हथकते सूत की मात्रा जो हथकर्घों द्वारा प्रति वर्ष बुना जाता है २७ लाख पाउण्ड है और मिल के कते सूत की वर्तमान अनुमानित मात्रा चार चार सौ पाउण्ड वाली ७२०,०००गांठ प्रति वर्ष है।

(घ) उड़ीसा में हथकर्घों की संख्या १२९,६८६ है। उड़ीसा को १९५२ के दस महीनों में दी गई सूत की गांठों की संख्या २४,१६६ है। उक्त राज्य से सूत की कमी के बारे में कोई शिकायतें नहीं आई हैं।

पैन्सिलिन की शीशियां (आयात)

७५९. **डा० अमीन**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) भिन्न साइज़ों की पैन्सिलिन की शीशियों की संख्या, ग्रॉसों में, तथा मूल्य, रुपयों में, जिन का भारत में १९५०, १९५१ तथा १९५२ में (३१ अक्तूबर, १९५२ तक) आयात किया गया, तथा उन देशों के नाम जिन से वह मंगाई गईं;

(ख) देश में इन शीशियों की कुल अपेक्षा; तथा

(ग) देश में इन शीशियों के उत्पादन की सामर्थय ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) आयात व्यापार के आंकड़ों में पैन्सिलिन की शीशियों का पृथक् उल्लेख नहीं है।

(ख) २००,००० ग्रॉस प्रति वर्ष।

(ग) १२,००० ग्रॉस (लगभग)।

माही नदी पर बांध

७६०. **श्री भीखाभाई**: **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या माही नदी पर बांध बनाने के प्रश्न पर सिंचाई तथा विद्युत के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा विचार किया गया है;

(ख) यदि किया गया है तो यह बांध किस जगह बनाया जाना है;

(ग) ऐसे बांध के निर्माण से लाभ; तथा

(घ) क्या सरकार का विचार सदन पटल पर प्लान (यदि कोई हो तो) की प्रति रखने का है ?

सिंचाई तथा विद्युत उप-मंत्री (श्री हाथी): (क) नहीं, श्रीमान्, बम्बई सरकार ने यह सूचना दी है कि वह माही नदी परियोजना के दूसरे प्रक्रम में एक बांध निर्माण की प्रस्थापना पर विचार कर रहे हैं।

(ख) कैल, पानाम नदी पर।

(ग) ३,७७,००० एकड़ भूमि के सिंचित होने तथा ७५,४०० टन खाद्यान्न के उत्पादन की सम्भावना है।

(घ) उत्पन्न नहीं होता क्योंकि अभी तक उक्त राज्य सरकार द्वारा केवल प्रारम्भिक पड़ताल ही की गई है।

औद्योगिक प्रमंडल

७६१. **श्री के० सी० सोधिया**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री भारत में काम करने वाले उन औद्योगिक प्रमंडलों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे जिन का भारतीय कम्पनीज़ अधिनियम के अन्तर्गत निगमन नहीं हुआ है ?

(ख) उन के नाम, अनुमानित पुंजी उद्योग तथा निगमन के देश कौन से हैं ?

(ग) क्या भारत सरकार उन विदेशी अधिनियमों को जिन के अन्तर्गत उनका निगमन हुआ है मान्य समझती है ?

(घ) क्या यह विदेश भारतीय प्रमंडलों के साथ इस विषय में पारस्परिकता का व्यवहार करते हैं ?

(ङ) यदि नहीं तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख)। यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ)। सभी विकसित देशों में वाणिज्यिक विधान का यह एक माना हुआ सिद्धान्त है कि किसी एक देश में नियमपूर्वक बना हुआ निगम अन्य देशों में भी मान्य समझा जाता है।

पुर्तगाली पूर्वीय अफ़्रीका में भारतीय

७६२. श्री के० सी० सोधिया: (क) क्या **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि पुर्तगाली पूर्वीय अफ़्रीका में बसे हुये भारतीयों की मुख्य कठिनाइयां क्या हैं ?

(ख) उनकी कुल अनुमानित संख्या क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) भारत सरकार की सूचना के अनुसार पुर्तगाली पूर्वीय अफ़्रीका के भारतीयों की मुख्य कठिनाइयां पांच वर्ष की आयु से ऊपर के लड़कों के लिये प्रवेश पत्र की प्राप्ति, सांझीदारी में परिवर्तन पर प्रतिबन्धों तथा नये व्यापारों के चलाने के सम्बन्ध में है।

(ख) अनुमानित १२,६००। इस में गोआ, दमन तथा दीओ के भारतीय भी सम्मिलित हैं।

वाणिज्य-पोतों के लिए व्यादेश

७६३. डा० राम सुभग सिंह: **उत्पादन** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटिड, विशाखापटनम को वाणिज्य-पोतों के निर्माणार्थ कोई व्यादेश दिये गये हैं; तथा

(ख) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो वह कितनी कितनी टन्नेज के हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रैड्डी): (क) जी हां। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटिड के पास इस समय नौ भारवाहक पोतों के लिये व्यादेश हैं।

(ख) इन नौ पोतों की कुल टन्नेज लगभग ६७,००० डी० डब्ल्यू० टी० है।

गिरिडीह रेलवे कोयला-खानें

७६५. श्री तुषार चटर्जी: (क) **उत्पादन** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि गिरिडीह रेलवे कोयला खानों के कुछ एक गढ़ों में काम बन्द हो चुका है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या यह गतिरोध गढ़े में कोयले के खत्म हो जाने के कारण है ?

(ग) क्या सरकार ने गढ़ों की वास्तविक स्थिति के बारे में विशेषज्ञों द्वारा कोई पर्यालोकन करवाया है ?

(घ) उन श्रमिकों की संख्या क्या है जो गढ़ों के बन्द होने से बेकार हो गये हैं तथा सरकार ने उन्हें किसी अन्य काम पर लगाने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रैड्डी): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) अभी हाल में सिरामपुर कोयला खान की भाटुआ ढाल के बन्द हो जाने से ५५८ श्रमिक बेकार हो गये हैं। उन्हें वैकल्पिक कार्य दिया गया था, परन्तु स्वीकृत नहीं किया गया, जैसा कि नीचे वर्णित है :

(१) श्रमिकों को गिरिडीह पावर हाऊस में तथा जारंगडीह, सवांग, अर्गाडा,

भुरकुंडा, कुरासिया, तलचर और दलबेरा कोयला खानों में काम लेने को कहा गया, परन्तु केवल ८ आदमियों को छोड़ कर जिन्होंने गिरिडीह पावर हाऊस में काम करना स्वीकार कर लिया, अन्य सभी ने यह कह कर किसी भी कोयला खान में काम करने से इन्कार कर दिया कि काम की परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं हैं ।

(२) उन्हें बिहार स्टेट्स के अधीन जंगल विभाग में फ़ारेस्ट गार्डों के रूप में तथा धनबाद में पत्थर तोड़ने का काम दिया गया, परन्तु कोई जाने के लिये तैयार नहीं हुआ ।

(३) बहुत से खनि-श्रमिकों को रानीगंज कोयला खान में काम दिलवा दिया गया है ।

मद्रास में सामुदायिक परियोजनाएं

७६६. **श्री वीरस्वामी**: (क) क्या **योजना** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य में कौन कौन सी सामुदायिक परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं तथा किन किन स्थानों में ?

(ख) इन परियोजनाओं के लिये कितनी राशि रखी गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियात्मक समझौता नं० ८ के अनुच्छेद नं० २ की ओर दिलाया जाता है ।

(ख) ३९० लाख रुपये ।

केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग का अराजपत्रित कर्मचारी वर्ग

७६७. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अराजपत्रित कर्मचारियों की वर्गीकृत सूचियां प्रति वर्ष तैयार की जाती हैं ;

(ख) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो, गृह कार्य मंत्री द्वारा ३० जुलाई, १९५२, को तारांकित प्रश्न संख्या २३३३ के प्रति दिये गये इस उत्तर को ध्यान में रखते हुये कि इन सूचियों का मुद्रण १९५० से मितव्ययिता के विचार से बन्द कर दिया गया है, यह सूचियां फिर कब छपवाई गईं ;

(ग) क्या यह सत्य है कि कई एक व्यक्तियों के अशुद्ध रिकार्ड के कारण एक सुपरवाइज़र, जो एक वर्ष पूर्व आयोग को छोड़ गया बताया जाता है, कुछ समय पूर्व पदोन्नत किया जा कर असिस्टैंट इन्जीनियर बना दिया गया ; तथा

(घ) यदि उक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या आयोग के अराजपत्रित कर्मचारियों की शुद्ध वर्गीकृत सूचियां छपवाई जा कर उन में परिचालित की जायेंगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

भरण पोषण भत्ता

७६८. **श्री गिडवानी : पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों की विस्थापित विधवाओं तथा बूढ़े और अपाहज व्यक्तियों द्वारा कोई अभ्यावेदन इस आशय के प्राप्त हुये हैं कि उन्हें वह भरण पोषण भत्ते जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके लिये स्वीकृत हुये थे राज्य सरकारों से नियमपूर्वक प्राप्त नहीं हो रहे हैं ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो सरकार ने उनकी शिकायत को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) जी हां ।

(ख) उन अभ्यावेदनों पर ध्यान पूर्वक विचार किया जा कर सम्बद्ध प्राधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये थे ।

पश्चिम बंगाल सरकार की पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्कीमें

७६९. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : (क) क्या **योजना** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने कौन सी स्कीमें पंचवर्षीययोजना में सम्मिलित करने के लिये भेजी हैं ?

(ख) क्या योजना आयोग ने उन में से किसी एक को स्वीकार करने का निश्चय कर लिया है ?

सिंचाई तथा विद्यत उपमंत्री (श्री हाथी) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६३**]

(ख) हां, श्रीमान् ।

विस्थापितों का योल कैम्प

७७०. श्री के० सुब्रह्मण्यम : (क) **पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार का विचार काश्मीर के विस्थापितों के योल कैम्प को चालू रखने का है तथा यह कि मंत्रालय के आगामी वर्ष के बजट में इस के लिये उपबन्ध किया जा रहा है ?

(ख) इस कैम्प के चलाने में क्या वार्षिक व्यय होता है ?

(ग) क्या कैम्प में रहने वालों को अब भी भिक्षा रूप में आर्थिक सहायता मिलती है, और यदि मिलती है तो कब से मिल रही है, तथा अब तक इस प्रकार व्यय की गई राशि प्रति वर्ष ?

(घ) क्या यह सत्य है कि कैम्प के कुछ लोगों को भोपाल में भूमि दी गई थी तथा उन्हें वहां आबाद होने के लिये भिजवा दिया गया था, परन्तु वह वापस कैम्प में चले आये ?

(ङ) क्या यह एक प्रथा है कि जो विस्थापित व्यक्ति अपने आबादी के स्थान को छोड़ कर कैम्प में लौट आयें उन्हें भगोड़े समझा जाता है, और यदि ऐसा है तो क्या इन विस्थापितों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है ?

(च) क्या कोई ऐसी प्रथा है कि ऐसे विस्थापितों को भिक्षा दान दिया जाये जिन्हें पुनर्वास ऋण मिल चुके हैं अथवा आबादी के लिये भूमि मिल चुकी है, और यदि ऐसा है तो क्या इन विशेष विस्थापितों को अपवाद समझा गया है ?

(छ) क्या यह सत्य है कि कुछ पूर्व बंगाल के शरणार्थी जो उड़ीसा में आबाद किये गये थे और जहां परिस्थितियां उनके प्रतिकूल सिद्ध होने के कारण उन में से कितने ही भूक तथा विभीषिका का शिकार हो गए, उड़ीसा को छोड़ कर पश्चिमी बंगाल में अपने पुराने कैम्प में वापस लौट जाने पर भगोड़े समझे गए तथा उनके साथ यथोचित व्यवहार किया गया ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) गत चार महीनों में कैम्प की जनसंख्या ९९०२ से घट कर ६,४४३ रह गई है । इस बात के प्रयत्न हो रहे हैं कि कैम्प के शेष वासियों का भी पुनर्संस्थापन कर दिया जाय और कैम्प को अन्त: बन्द कर दिया जाय । आशा की जाती है कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक कैम्प को समाप्त किया

जा सकेगा परन्तु यदि ऐसा न हो सका तो आगामी वर्ष के बजट में इसके लिए उपबन्ध करना होगा ।

(ख) वर्ष १९५१-५२ में ३६,१५,००० रुपये की राशि खर्च की गई थी । १९५२-५३ के पहले सात महीनों में १३ लाख रुपये व्यय के रूप में लिखे जा चुके हैं ।

(ग) जी हां । प्रथम सितम्बर १९४९ में । आर्थिक सहायता पर वर्षानुसार व्यय इस प्रकार है :—

१९४९-५० —	४,६४,६०४ रुपये
१९५०-५१ —	१४,२२,३८१ रुपये
१९५१-५२ —	१८,३७,८०३ रुपये
१-४-५२ से	
३१-१०-५२ तक	७,८८,११५ रुपये

(घ) तथा (ङ). जो व्यक्ति अपने पुनर्वास स्थान को छोड़ देते हैं उन्हें कैम्प में वापस नहीं लिया जाता न ही उन्हें पुनर्वास की सुविधाएं दी जाती हैं । गोल कैम्प के वह वासी जो भोपाल अथवा अन्य स्थानों को भेजे गए थे कैम्पों में वापस नहीं लिए गए हैं । सरकार को यह ज्ञात नहीं है कि कोई विस्थापित व्यक्ति मौत तथा विभिषिका के कारण कैम्प छोड़ गए हों ।

(च) किसी विस्थापित व्यक्ति के कैम्प से बाहर भेजे जाने के बाद जब उस का पुनर्वास हो रहा होता है उसे आर्थिक सहायता अथवा ऋण आदि देने के बारे में कोई एक सी प्रथा नहीं है । आर्थिक सहायता अथवा ऋण प्रत्येक स्कीम की शर्तों के अनुसार दिए जाते हैं । योल कैम्प के कुछ विस्थापितों को ऋण मिले हैं और कुछ एक को आर्थिक सहायता (डोल) ।

(छ) सरकार को किसी विभीषिका के पूछने का कोई ज्ञान नहीं है । उड़ीसा कालोनी के भगोड़े, नीति के अनुसार, पश्चिमी बंगाल के कैम्पों में वापस नहीं लिए गए ।

उत्सर्जन विभाग

७७१. **श्री के० सुब्रह्मण्यम् :** (क) **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उत्सर्जन विभाग (सैनिक तथा असैनिक) समाप्त हो चुका है तथा उन विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को अन्य विभागों में बदल दिया गया है ?

ख) क्या यह सत्य है कि लगभग ... र्ष हुए तत्कालीन उद्योग मंत्री ने सदन में वचन दिया था कि उक्त विभाग को छः महीनों के अन्दर समाप्त कर दिया जाएगा क्योंकि उत्सर्जिन के लिए कुछ अधिक सामान नहीं रह गया है ?

(ग) गत तीन वर्षों में उत्सर्जित सामान का मूल्य क्या है, वर्षानुसार ?

(घ) क्या इसी कालान्तर में प्राप्त किया गया कोई माल भी उत्सर्जित किया गया है ?

(ङ) क्या यह सत्य है कि बिल्कुल नए वायुयान भी बेच डाले गए ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) उत्सर्जन संघटन का पृथक अस्तित्व प्रथम मार्च, १९५१, से समाप्त हो चुका । बहुत से कर्मचारी घटा दिए गए और शेष संभरण संघटन में विलीन हो गए जिसका नया नाम सम्भरण तथा उत्सर्जन महा निदेशालय रखा गया । यह संगठन अब बचे हुए अतिरिक्त सामान तथा उस सामान की उत्सर्जन व्यवस्था करता है जो समय समय पर सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा अन्य निकायों द्वारा अतिरिक्त घोषित कर दिया जाता है ।

(ख) नहीं श्रीमान् । श्री सिधवा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २५ के उत्तर में १५ नवम्बर, १९५०, ो यह

बतलाया गया था कि वह भंडार जो पहली अप्रैल १९५१ तक नहीं बिक सकेंगे वह उत्सर्जन के लिए महानिदेशालय, उद्योग तथा सम्भरण के हवाले किये जाएं। यह कर दिया गया है।

(ग) उत्सर्जित भंडारों का पुस्त-मूल्य, वर्षानुसार, निम्नलिखत है:—

वर्ष	रुपये करोड़ों में
१९४९-५०	५७.८६
१९५०-५१	६२.६९
१९५१-५२	२४.४४
१९५२-५३ (३०-११-५२ तक)	१८.७३

(घ) नहीं, श्रीमान्।

(ङ) नहीं, श्रीमान्।

अंग्रेजी तथा हिन्दी के समाचार पत्र

७७२. **श्री आर० एन० सिंह:** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय द्वारा पृथक पृथक कितने अंग्रेज़ी के समाचार पत्र तथा कितने हिन्दी के समाचार पत्र खरीदे जाते हैं और उन पर क्रमश: कुल कितना व्यय होता है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): यह सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सदनपटल पर रख दी जाएगी।

टीन प्लेट के अभ्यंश

७७३. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर**
श्री पुन्नूस :

(क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के लिए विभिन्न राज्यों को क्रमानुसार टीन प्लेट के क्या क्या अभ्यंश दिए गए हैं ?

(ख) उक्त वर्षों में, क्रमानुसार, त्रावनकोर-कोचीन के अभ्यंश के लिए कितने लाइसेंस दिए गए ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) यह सूचना प्राप्य नहीं है क्योंकि टीन प्लेट के अभ्यंश राज्यों के हिसाब से नहीं बांटे जाते अपितु सीधे व्यक्तिक उपभोक्ताओं को ही दिये जाते हैं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

तिलय्या बांध

७७४. **बाबू रामनारायण सिंह : सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलय्या बांध का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, और यदि नहीं तो कब तक पूर्ण हो जायेगा;

(ख) क्या वह तमाम पानी जो गत वर्षा ऋतु में बांध तक आया था बन्द कर दिया गया है, और यदि ऐसा है तो इस समय पानी की गहराई क्या है तथा उन भूमियों का क्षेत्र-फल कितना है जो उसमें डूब गई हैं;

(ग) डूब गए ग्रामों की संख्या तथा विस्थापित परिवारों की संख्या;

(घ) क्या वह सभी परिवार जो इस प्रकार विस्थापित हो गए पुनर्संस्थापित कर दिए गए हैं, और यदि ऐसा है तो किस प्रकार से ;

(ङ) क्या उन सब को भूमि के बदले में उतने ही क्षेत्रफल की तथा उतनी ही उप-जाऊ भूमि तथा मकान के बदले में मकान, उतन ही अधिवासस्थान का तथा अन्य सभी बातों में भी वैसा ही, मिल चुके हैं;

(च) क्या हराही ग्राम के लोग उनके लिए गोरियाकर्मा में बनाए गए नए मकानों में चले गए हैं, और यदि नहीं तो इसके कारण; तथा

(छ) क्या यह मकान इन ग्रामीण लोगों के विचारों तथा भावों के अनुकूल बनाए गए हैं तथा उनके परामर्श से बनाए गए हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं; श्रीमान्। यह बांध जनवरी, १९५३, तक पूर्णतः बन जाएगा।

(ख) हां श्रीमान्। लगभग सभी पानी बन्द कर लिया गया है। पानी की गहराई ७१ फुट है। डूब गई भूमि का क्षेत्र-फल ११,००० एकड़ है।

(ग) ३० ग्राम पूर्णतः अथवा अंशतः डूब गए हैं। ३०० परिवार विस्थापित हो गए हैं।

(घ) हां, श्रीमान्। १२५ परिवारों ने नए मकान ले लिए हैं। शेष ने नकद क्षतिपूर्ति ले ली है।

(ङ) डूब गई भूमियों के बदले में वैसी ही उत्पादक भूमियां दे दी गई हैं। नए मकान विस्थापितों को नमूना दिखाने के बाद बनाए गए थे।

(च) हराही में अभी तक कोई मकान नहीं डूबे हैं। इस ग्राम के लोगों ने अभी तक वह नए मकान नहीं संभाले हैं जो उनके लिए गौरियाकर्मा में बनाए गए हैं। वह लोग इस आशा से अभी तक अड़े हुए हैं कि शायद डी० वी० सी० से कुछ और प्राप्ति कर सकें।

(छ) सभी डूबने वाले मकानों का प्रमापन कर लिया गया है। पांच आदर्श नमूने बनाए गए थे जो विस्थापितों को दिखा दिए गए थे तथा उनके कई एक सुझाव मान लिए गए थे।

सरकारी क्वार्टरों के किराये का शेष

७७५. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद** मंत्री २६ नवम्बर, १९५२, को किराए के शेष के सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ के प्रति दिए गए उत्तर की ओर निर्देश करते हुए बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकारी कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी में (अर्थात् श्रेणी १, २, ३, तथा ४) में किराया न देने वालों की संख्या;

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों से लिया जाने वाला शेष किराया उनके वेतन से वसूल किया जाता है; तथा

(ग) क्या यह सत्य है कि बहुत से अनधिकृत व्यक्ति अभी तक क्वार्टरों में बैठे हुए हैं, और यदि ऐसा है तो उनकी संख्या क्या है ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकारी क्वार्टरों की बांट का रिकार्ड प्रश्न में उल्लिखित चार श्रेणियों के लिए पृथक् पृथक् नहीं रखा जाता। यह सूचना सुलभ नहीं है तथा इसके संग्रह पर अनुचित समय और श्रम लगेगा।

(ख) जी हां।

(ग) २५० एक अब भी अनधिकृत रूप से रुके हुए हैं।

सिन्द्री में प्रशिक्षण

७७६. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) **उत्पादन** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सिन्द्री में भारतीय वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों के प्रशिक्षण के हेतु कोई योजना तैयार की गई है ?

(ख) यदि की गई है तो उसके मुख्य लक्षण क्या हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो कब तक उनके बन जाने की सम्भावना है ?

(घ) क्या कोई व्यक्ति इस समय वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, और यदि कर रहे हैं तो उनके नाम और योग्यतायें क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) (क) जी नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) इस प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं किया गया है।

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

पासपोर्ट चैक करने की चौकियां

७७७. **श्री एम० इसलामुद्दीन :** क्या **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित पासपोर्ट चैक करने की चौकियों की संख्या ;

(ख) बिहार-पूर्वीय बंगाल सीमा पर ऐसी चौकियों की संख्या और नाम ;

(ग) प्रत्येक चौकी पर नियुक्त कर्मचारी वर्ग की संख्या तथा उनके पद; तथा

(घ) उनके कृत्य, अधिकार तथा कर्त्तव्य ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) ५४।

(ख) दो, अर्थात पाटागोराह तथा कुकराडा।

(ग) दो विवरण जिन में पूर्वी तथा पश्चिमी सीमा पर स्थित चौकियों के लिए नियुक्त पुलिस कर्मचारियों की संख्या दी गई है सदन-पटल पर रखे जाते हैं **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६४]**

(घ) पुलिस कर्मचारियों के कर्त्तव्य हैं (१) पासपोर्टों को चेक करना और बाहर के लोगों को भारत में अनधिकृत रीति से प्रवेश करने से रोकना;

(२) पाकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्तियों को पंजीबद्ध करना; तथा

(३) यह ध्यान रखना कि जो लोग भारत में किसी विशेष काल के लिए आए हों वह उस काल के अन्दर लौट गए हैं।

नारियल-जटा उद्योग का पुनर्संस्थापन

७७८. **श्री ए० एम० टामस :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिवेन्द्रम में जो सम्मेलन नारियल-जटा उद्योग के पुनर्संस्थापन के उपाय सुझाने के हेतु हुआ था उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

(ख) सम्मेलन द्वारा दिए गए सुझावों को दृष्टि में रखते हुए सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

(ग) एक नारियल-जटा बोर्ड की रचना की प्रस्थापना किस प्रक्रम में है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६५]**

(ग) इस पर विस्तृत रूप से विचार किया जा रहा है तथा निकट भविष्य में बोर्ड की स्थापना के हेतु कायवाही की जाएगी।

नीलोखेड़ी में परियोजना अधिकारियों के प्रशिक्षण पर व्यय

७७९. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** (क) क्या **योजना** मंत्री २ दिसम्बर, १९५२, को नीलोखेड़ी में परियोजना अधिकारियों सम्बन्धी तारांकित प्रश्न सं० ८३५ के प्रति दिए गए उत्तर की ओर निर्देश करते हुए ८,६९३/६/- के व्यय का व्यौरा देंगे तथा बतलायेंगे कि यह व्यय किस लेखा-शीर्षक में दिखाया गया है ?

(ख) केम्प में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या क्या है ?

(ग) क्या उक्त राशि में सम्बद्ध अधिकारियों का भोजन तथा रहने का व्यय तथा यात्रा भत्ता, वेतन आदि भी सम्मिलित हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) एक विवरण सदन पटल

पर रखा जाता है । [देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६६]

यह व्यय समुदायिक परियोजना प्रशासन के बजट अनुदान में से किया जाएगा।

(ख) ८२ ।

(ग) जी नहीं।

एफ़० ए० सी० टी० अलवाइ को गंधक का प्रदाय

७८०. **कुमारी एनी मस्करीन:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५० तथा १९५१ में अलवाइ, त्रावंकोर, में स्थित एफ० ए० सी० टी० को गंधक का क्या अभ्यंश दिया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : १९५१ में ५,३९३ टन। १९५० में गंधक के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं था ।

मलाया के साथ व्यापार

७८१. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के आरम्भ से भारत से मलाया को हुए निर्यात का मूल्य; तथा

(ख) उसी कालान्तर में मलाया से भारत में हुए आयात का मूल्य ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख). अप्रैल से सितम्बर, १९५२, तक, अर्थात् ६ महीनों में भारत से मलाया को (सिंगापुर को सम्मिलित रखते हुए) १०.३३ लाख रुपये का निर्यात हुआ । उसी कालान्तर में ७.१३ लाख रुपये का आयात हुआ।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर से अनधिकृत प्रवेश

७८२. **डा० राम सुभग सिंह:** प्रधान मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत-पाकिस्तान पर से लोगों का एक दूसरे के राज्य-क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश पासपोर्ट पद्धति के लागू होने से कम हो गया है; तथा ;

(ख) पासपोर्ट पद्धति के लागू होने के पश्चात् भारत में कितने लोगों का अनधिकृत प्रवेश हुआ है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना का संग्रह राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है तथा प्राप्त होने पर इसे सदन पटल पर रख दिया जाएगा ।

नीलोखेड़ी की नगरी

७८३. **श्री गिडवानी :** (क) योजना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पंजाब (भारत) में नीलोखेड़ी नगरी सम्बन्धी उपक्रम पर कुल कितना व्यय हो चका है ?

(ख) वहां मकानों तथा अन्य भवनों के निर्माण पर कुल कितनी राशि का व्यय हुआ है ?

(ग) वहां पर चलाए गए पालीटेक्निक पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

(घ) वहां कितने लोगों का प्रशिक्षण हुआ है, उनमें से कितने अन्य प्रमंडलों म सेवामुक्त हो चुके ह, कितनों को कुछ न कुछ रोज़गार मिल गया है और कितने बेकार हैं ?

(ङ) वहां कितने उद्योग सहकारी आधार पर चलाए गए और उनमें से कितने बन्द हो चुके हैं ?

(च) उद्योगों के बन्द हो जाने से जो कच्चा माल वहां पर उपयुक्त नहीं हो सका अत: बेकार पड़ा है उसके फलस्वरूप कुल

कितनी हानि हुई है और निर्मित वस्तुओं की बिक्री न होने अतः बिक न सकने के कारण कितनी हानि होगी ?

(छ) क्या नए प्रशासक, श्री बनवारी लाल, द्वारा नीलोखेड़ी नगरी की प्रगति के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ?

(ज) उनकी रिपोर्ट क्या है और क्या सरकार इसे सदन पटल पर रखेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ९५,३३,२२० रुपय ।

(ख) ४३,०९,९८० रुपये ।

(ग) २३,४६,२६५ रुपये ।

(घ) २,८३४ प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है । ऐसे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जिन्हें काम मिल चुका है अथवा उनकी जो अभी बेकार हैं ज्ञात नहीं है ।

(ङ) दस सहकारी संस्थाएं चलाई गई थीं जिनमें से दो बन्द हो चुकी हैं ।

(च) कच्चे माल पर अनुमानित हानि लगभग २००० रुपए है और निर्यात माल पर लगभग ६००० रुपये है ।

(छ) नीलोखेड़ी नगरी के प्रशासनीय अधिकारी के रूप में श्री बनवारी लाल सरकार को उक्त नगरी के विभिन्न अवस्थानों के विषय में रिपोर्ट भेजते रहे हैं ।

(ज) यदि किसी विशेष रिपोर्ट के लिए कहा जाएगा तो उसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

समुदायिक परियोजनाएं

७८४. श्री बादशाह गुप्त : योजना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ के विभिन्न राज्यों में चालू समुदायिक परियोजनाओं की स्कीम के अंतर्गत संसद् सदस्यों को उक्त स्कीम से उसकी कार्यान्विति के किसी प्रक्रम पर संलग्न किया गया है; तथा

(ख) उन ज़िलों तथा राज्यों के नाम जहां उक्त समुदायिक परियोजनाओं को चलाने के लिए बिजलीघरों का निर्माण किया जाएगा तथा वह कारक जो उक्त बिजलीघरों के लिए स्थानों के चुनाव के सम्बन्ध में आवश्यक समझे जाते हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) राज्य सरकारों को यह मंत्रणा दी गई है कि किसी विशेष परियोजना क्षेत्र से सम्बद्ध संसद् तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को प्रत्येक परियोजना के लिए नियक्त परियोजना मंत्रणा समिति में सम्मिलित किया जाये ।

(ख) आधारभूत प्रकार का समुदायिक परियोजनाओं में बिजलीघरों के निर्माण का विचार नहीं है । मिश्रित प्रकार की समुदायिक परियोजनाओं में जो पश्चिमी बंगाल के बीरभूम, बर्दवान, २४ परगना, मिदनापुर तथा नादिया जिलों को दिए गए हैं, राज्य सरकार की विद्युत विकास स्कीमों के अन्तर्गत उपयुक्त स्थानों पर जनन स्टेशन अधिष्ठापित करने का विचार है । इस सम्बन्ध में होने वाला कोई व्यय समुदायिक परियोजना निधि के नाम नहीं डाला जाएगा ।

डी० वी० सी० के भारतीय अधिकारी

७८५. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी निगम द्वारा नियुक्त कितने भारतीय अधिकारी उन पदों के विज्ञापन दिए बिना ही चुन लिए गए ?

(ख) कर्मचारी-वर्ग के चुनाव सम्बन्धी प्रमाणों को किस प्रकार बनाए रखा जा रहा है तथा इस बात की क्या गारन्टी है कि किसी पद के लिए सर्वोत्तम प्रकार के व्यक्ति ही आवेदन देते हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) डी० वी० सी० के ४८० भारतीय अधिकारियों में से निम्नलिखित ४४ पदों के विज्ञापन निकाले बिना चुने गए थे :

सरकार से प्रतिनियुक्त..... १७

परियोजना के डी० वी० सी० के हवाले होने पर सरकार से स्थानान्तरित अधिकारी ..१२

डी० वी० सी० द्वारा सीधे भरती किए गए अधिकारी.....१५

(ख) सर्वप्रथम प्रत्यक पद के कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्धारण होता है। फिर पद के लिए अपेक्षित योजनाएं तथा अनुभव निश्चित किए जाते हैं। पदों के बारे में विज्ञापन दिया जाता है जिसमें यह प्रमाण उल्लिखित होते हैं। एक प्रारम्भिक चुनाव किया जाता है तथा सुयोग्य अभ्यर्थियों का चुनाव बोर्ड द्वारा इन्टरव्यू किया जाता है। उक्त बोर्ड में निगम के दो सदस्य होते हैं, कर्मचारी-वर्ग का निर्देशक होता है, विभागीय विशेषज्ञ होते हैं तथा बाहर के विशषज्ञ भी रहते हैं जब ऐसा आवश्यक समझा जाता है। सर्वोत्तम व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए पदों का विज्ञापन दिया जाता है तथा ऊंचे वेतन प्रस्तुत किए जाते हैं। जूनियर इन्जीनियरों के विषय में विज्ञापनों के अतिरिक्त इन्जनीयरिंग कालिजों के प्रिंसिपलों से उनके सर्वोत्तम विद्यार्थियों के बारे में विविध सूचना मांगी जाती है।

कपास एच-४२०

७८६. **श्री के० जी० देशमुख**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कपास एच-४२० को १९५२ के कपास नियन्त्रण आदेश में सम्मिलित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उक्त कपास १९५१ के कपास नियंत्रण आदेश में सम्मिलित थी ?

(ग) क्या यह सत्य है कि यह कपास वर्तमान कपास नियन्त्रण आदेश में उल्लिखित विभिन्न प्रकारों से बहुत बढ़िया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एच--४२० कपास को उस मूल्य-सूची में सम्मिलित कर लिया गया है जो १९५२-५३ सीज़न के लिए कपास नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत अधिसूचित की गई है। अधिसूचना की एक प्रति सदन-पटल पर रखी जाती है। **[देखिए परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६]**

(ख) १९५१-५२ के सीजन के लिए जारी की गई मूल्य-सूची में इस प्रकार के लिए कोई पृथक् मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था, अपितु इसे जरिल्ला के साथ ही वर्गीकृत कर दिया गया था।

(ग) यह कुछ कपासों से बढ़िया है और कुछ एक की तुलना में घटिया।

कोयले के निर्यात के लिए अभिकरण

७८७. **श्री एम० एम० इस्लामुद्दीन** : **उत्पादन** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले का निर्यात जो पहले कोयला की कम्पनियों के हाथ में था अब नई छोटी एजेन्सियों के हाथ में आ गया है;

(ख) यदि ऐसा है तो इस परिवर्तन का क्या कारण है; तथा

(ग) क्या विदेशी सरकारों न ऐसी एजेन्सियों द्वारा प्राप्त कोयले के बारे में शिकायत की है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी नहीं। निर्यात आदेशों के किसी और के हवाले किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि निर्यात सम्बन्धी प्रस्तावों के

बारे में बातचीत तथा उनकी प्राप्ति प्राइवेट फर्मों के हाथ में है, सरकार के हाथ में नहीं। तो भी यह सत्य है कि कुछ नई फर्में गत दो वर्षों में निर्यात आदेश प्राप्त करने में सफल हो गई थीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) दो एक शिकायतें मिली थीं परन्तु वह पुरानी फर्मों द्वारा किये गये सम्भरण के सम्बन्ध में थीं।

संविहित तथा असंविहित निकाय

७८७-क. श्री एस० एन० दास: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** १४ सितम्बर, १९५१, को अतारांकित प्रश्न संख्या २३८ के प्रति दिए उत्तर की ओर निर्देश करते हुए बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के प्रशासनीय नियन्त्रण के अधीन तब से अब तक बनाए गए स्थाई प्रकार के संविहित तथा असंविहित निकायों के नाम, निम्नलिखित सूचना सहित, अर्थात् (१) नियुक्ति की तिथि, (२) उन पर होने वाला आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय, (३) लेखों की पड़ताल की व्यवस्था, तथा (४) उनकी गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की विधि;

(ख) उन तदर्थ समितियों के नाम जो उक्त कालान्तर में बनाई गईं, नियुक्ति की तिथि सहित ;

(ग) उन तदर्थ समितियों के नाम जो अपना काम कर चुकी है और निश्चित समय में अपनी रिपोर्टें दे चुकी हैं, रिपोर्टों की प्रस्तुत की तिथि सहित ;

(घ) उन तदर्थ समितियों के नाम जो अभी तक काम कर रही हैं तथा समय जिसके अन्दर उनको रिपोर्टें प्रस्तुत हो जाने की आशा है; तथा

(ङ) उन स्थायी प्रकार के तथा परामर्शदाता निकायों के नाम जो उक्त काल में विसर्जित किए गए ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ङ). पांच विवरण जिनमें आवश्यक सूचना दी गई है सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६८]**

सविहित तथा असविहित निकाय

७८७-बी. श्री एस० एन० दास: क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** १४ सितम्बर, १९५१, को अतारांकि प्रश्न संख्या २३७ के प्रति दिए गए उत्तर की ओर निर्देश करते हुए बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय के प्रशासनीय नियंत्रण के अधीन तब से अब तक बनाए गए स्थायी प्रकार के संविहित तथा असंविहित निकायों के नाम, निम्नलिखित सूचना सहित, अर्थात् (१) नियुक्ति की तिथि, (२) उन पर होने वाला आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय, (३) लेखों की पड़ताल की व्यवस्था, तथा (४) उनकी गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की विधि;

(ख) उन तदर्थ समितियों के नाम जो उक्त कालान्तर में बनाई गईं, नियुक्ति की तिथि सहित;

(ग) उन तदर्थ समितियों के नाम जो अपना काम कर चुकी हैं और निश्चित समय में अपनी रिपोर्टें दे चुकी हैं, रिपोर्टों की प्रस्तुति की तिथि सहित;

(घ) उन तदर्थ समितियों के नाम जो अभी तक काम कर रही हैं तथा समय जिसके अन्दर उनकी रिपोर्टें प्रस्तुत हो जाने की आशा है; तथा

(ङ) उन स्थायी प्रकार के तथा परामर्शदाता निकायों के नाम जो उक्त काल में विसर्जित किए गए हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है सदन-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६९]**

(ख) तथा (ग). एक विवरण जिसमें पांच तदर्थ समितियों के नाम दिए गए हैं सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ७, अनुबन्ध संख्या ६९]**

(घ) एक तदर्थ समिति अर्थात् गांधी स्मारक डिज़ाइन समिति अभी तक चल रही है। जूंही डिज़ाइन का अन्तिम रूप निश्चित हो जायेगा यह समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी, परन्तु इसके लिए कोई लक्ष्य तिथि निश्चित नहीं की गई है;

(ङ) राजघाट समाधी समिति की नियुक्ति पर राजघाट देखरेख समिति जो एक परामर्शदात्री समिति थी भंग कर दी गई है।

अगूंठे वाले वाउचरों पर दिए गए अग्रिम-धन

७८७-सी. श्री आर० एन० एस० देव : सिंचाई तथा विद्युत मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हीराकुड बांध परियोजना के एक एस० डी० ओ० की स्त्री ने एक ठेकेदार को ५०,००० क्यूबिक फ़ुट चिपों के संभरण के हेतु दिए जाने वाले अग्रिम-धन के वाउचर पर अपना अंगूठा लगाकर पांच लाख रुपये की राशि वसूल कर ली ; तथा

(ख) क्या अंगूठे वाले वाउचरों पर बड़ी राशियां दे दी जाती हैं?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

हीराकुड में मलेरिया के विरुद्ध होने वाले काम के लिए दवाइयां

७८७-डी. डा० नटवर पांडे : सिंचाई तथा विद्युत मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि हीराकुड में मलेरिया के हिसाब में स्त्रियों के रोगों की औषधियां खरीदी हुई हैं जिनका मलेरिया के विरुद्ध कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है ; तथा

(ख) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो इन औषधियों का उपयोग किस प्रकार हुआ है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है जो यथा-शीघ्र सदन पटल पर रख दी जाएगी।

पैट्रोल के स्थानापन्न

७८७-ई. श्री बी० एन० राय : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या देश में कोई ऐसा उद्योग है जो पैट्रोल के स्थानापन्न तैयार करता हो ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : हां, श्रीमान्, शक्ति-सुषव तथा कोलटार बनाने के उद्योग। एक में शक्ति-सुषव तय्यार होता है और दूसरे म मोटर बन्नोल।

जेनोआ (इटली) में अवतरण-कर

७८७-एफ़. श्री कजरोलकर : प्रधान मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारतीय यात्रियों से इटली की सरकार द्वारा जेनोआ (इटली) में उतरने पर अवतरण-कर लिया जाता है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : भारत से आने वाले सभी यात्रियों से जेनोआ

तथा नेपल्ज़ उतरने पर निम्नलिखित दरों से अवतरण-कर लिया जाता है :—

प्रथम श्रेणी के यात्री—२ पाऊंड, अर्थात् इटली की उसके समान मुद्रा।

टूरिस्ट श्रेणी—एक पाऊंड।

३ से १२ वर्ष तक के बच्चों से उपरोक्त दरों का आधा लिया जाता है।

कटक रेडिओ स्टेशन

७८७-जी. श्री संगण्णा: सूचना तथा प्रसारण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक रेडियो स्टेशन की सामर्थ्य को एक किलोवाट से ५ किलोवाट तक बढ़ाने की कोई प्रस्थापना है;

(ख) यदि है तो कब ; तथा

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सुझाव दिए हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) हां, श्रीमान्। उन्हें सूचित कर दिया गया था कि धनाभाव के कारण यह काम अभी नहीं हो सकता।

विस्थापित सरकारी कर्मचारियों का जी० पी० फंड

७८७-एच. श्री गिडवानी : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार के बीच सिंध तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त के विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के जी० पी० फ़ंड सम्बन्धी क्लेमों के अस्थायी शोधन के सम्बन्ध में हुए समझौते का आधार बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या यह सत्य नहीं है कि दोनों सरकारों को एक दूसरे से जी० पी० फ़ण्ड क्लेमों, वेतन, अवकाश वेतन इत्यादि के रूप में जो राशियां लेनी देनी हैं वह लगभग बराबर हैं ?

(ग) यदि ऐसा है तो सरकार विस्थापित सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत १९४६ की जी० पी० फ़ंड लेखा स्लियों के आधार पर कुल राशि का अस्थायी रूप से शोधन क्यों नहीं कर देती ?

(घ) यदि उनके अन्तिम क्लेमों के निर्णय के समय कोई कमी पाई गई तो क्या वह विस्थापित सरकारी कर्मचारियों द्वारा १९४६ के बाद दी गई राशियों से पूरी न हो सकेगी ?

(ङ) क्या यह सत्य है कि अभी तक, गत ढाई वर्षों में, पाकिस्तान सरकार ने जी० पी० फ़ंड तथा वेतन अवशिष्ट के क्लेमों के केवल १५ प्रतिशत भाग का ही सत्यापन किया है ?

(च) यदि ऐसा है तो भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के केन्द्रीय क्लेम संगठन द्वारा सत्यापन कार्य को शीघ्रता से निष्पादित करवाने के लिए क्या उपाए किए ह ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) समझौता इस प्रकार है कि कोई भी सरकार विस्थापित सरकारी कमचारियों के शेष के ५० प्रतिशत तक अस्थायी शोधन कर सकती है, यदि वह समुचित प्रलेखी साक्ष्य दे सकें।

(ख) दोनों ओर के विस्थापित सरकारी कमचारियों द्वारा प्रस्तुत वास्तविक क्लेमों के आधार पर कोई पूर्ण धारणा नहीं बनाई जा सकती। प्रायः क्लेम करने वालों ने स्वयं अपनी राशियों का उल्लेख नहीं किया है। कुछ एक अन्य प्रकरणों में, क्लेम की गई राशियां सत्यापित राशियों से भिन्न पाई जाती हैं। यह बात विशेषकर वेतन तथा अवकाश-वेतन के सम्बन्ध में पाई गई है, जिनमें से अधिकांश पाकिस्तान सरकार द्वारा अस्वीकृत हो चुके हैं और बहुत से अन्य प्रकरणों

में सत्यापित क्लेम राशियां बहुत कम मानी गई हैं। वास्तव में जो राशियां बनती हैं उनका निर्धारण होना अभी बाकी है, और यह किया जा रहा है।

(ग) तथा (घ). (क) तथा (ख) के प्रति दिय गये उत्तरों के देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। बहुत से लोगों के बारे में देखा गया है कि उन्होंने प्रव्रजन से पूर्व अपने जी० पी० फ़ंड में से राशियां ली हुई थीं, अत: १९४६ की स्लिपों के आधार पर उन्हें पूर्ण शोधन नहीं किया जा सकता। कुछ भी हो केवल पाकिस्तान के साथ हुए समझौते के आधार पर ही अस्थाई शोधन किया जा सकता है।

(ङ) अक्तूबर, १९५२, के अन्त तक पाकिस्तान सरकार ने उन्हें सत्यापनार्थ भेजे गए क्लेमों में से लगभग ३० प्रतिशत क्लेमों का सत्यापन किया था।

(च) भारत का केन्द्रीय क्लेम्स संगठन क्लेमों के सत्यापन के बारे में पाकिस्तान के वैसे ही संगठन के साथ निरन्तर सम्पर्क रखे हुए है। इसके अतिरिक्त दोनों सरकारों ने अपने अपने उच्चायुक्तालयों में कुछ एक सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करने का निश्चय कर लिया है जिससे क्लेमों के सत्यापन का काम और भी अधिक तेज़ी के साथ सम्पन्न हो सके।

भारतीय ग्रामों का पाकिस्तान में समावेश

७८७-आई. डा० राम सुभग सिंह: **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रावी नदी के मार्ग पर परिवर्तन के फलस्वरूप अमृतसर ज़िले के कुछ एक भारतीय ग्राम पाकिस्तान में समाविष्ट हो गए हैं ;

(ख) यदि ऐसा है तो ऐसे ग्रामों की संख्या क्या है ; तथा

(ग) क्या वह ग्रामीण वहीं रह रहे हैं और अपने खेतों में हल चला रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) तथा (ख) : विभाजन के पश्चात् अमृतसर ज़िले का केवल एक ग्राम रावी के मार्ग-परिवर्तन के कारण उसके पाकिस्तान वाली तरफ़ को चला गया है। परन्तु रैड-किलफ़ एवार्ड ने अमृतसर ज़िले के २३ ग्रामों को पूर्णत: और २६ ग्रामों को अंशत: नदी के पार पाकिस्तान की तरफ़ कर दिया था।

(ग) जी नहीं।

औषधियों तथा रसायनों की फ़र्मों द्वारा अतिलाभ

७८७-जे. डा० रामा राव : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि विदेशी मालिकों की औषधियों तथा रसायनों वाली फ़र्में अतिलाभ की प्राप्ति कर रही हैं ;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार को इस प्रकार के अतिलाभ प्राप्ति के प्रकरणों का ज्ञान है ; तथा

(ग) इसकी रोक थाम के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख). सरकार ने इसके बारे में सुना तो है परन्तु उसके पास कोई यथार्थ सूचना नहीं है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

ब्राउन चारकोल क्षेत्र

७८७-के. श्री इलयापेरुमल : क्या **उत्पादन** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने मद्रास राज्य के दक्षिण अर्काट ज़िले के ब्राउन चारकोल क्षेत्र के

लिए मशीनें खरीदने के हेतु कुल कितनी राशि देनी स्वीकार की है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): भारत सरकार ने अभी तक मद्रास सरकार को कुछ भारी खुदाई की मशीनरी देना स्वीकार किया है जो भारतीय खनि तथा निर्माण कम्पनी की सम्पत्ति है तथा जिसका वर्तमान पुस्त-मूल्य १५ लाख रुपये है ।

केन्या के भारतीय

७८७-एल. श्री एन० श्रीकान्तन नायर: (क) क्या **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्या में भारतीयों की कुल संख्या क्या है ?

(ख) क्या सरकार के पास इस विषय में कोई सूचना है कि क्या केन्या के कोई भारतीय भी माउ माउ आंदोलन में उलझे हुए हैं, और यदि ऐसा है तो कितने गिरफ्तार हो चुके हैं अथवा गोली से उड़ाए जा चुके हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) १९४८ की जनगणना के अनुसार ९०,५२८ ।

(ख) जहां तक भारत सरकार को ज्ञात है केन्या के भारतीयों का 'माउ माउ' आंदोलन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

सिंकियांग के शरणार्थी

७८७-एम. डा० राम सुभग सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंकियांग से कश्मीर आए शरणार्थियों में से कितने टर्की को जा चुके हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): सिंकियांग के शरणार्थियों की १०१ की एक टुकड़ी अक्तूबर, १९५२, के अन्त में स्थायी रूप से आबाद होने के लिए टर्की चली गई थी । ८५ शरणार्थियों की एक और टुकड़ी १९ दिसम्बर को श्रीनगर से टर्की जाने वाली है ।

GIPD—H8—134-PSD-30-7-53 285.

अंक ६
संख्या १२

सत्यमेव जयते
1st Lok Sabha

बुधवार,
१७ दिसम्बर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

स्थगन प्रस्ताव —
श्री श्रीरामुलू की मत्यु के परिणामस्वरूप आन्ध्र की स्थिति [पृष्ठ भाग १९५९—१९६५]
त्रावनकोर-कोचीन में रबड़ की स्थिति [पृष्ठ भाग १९६५—१९६९]
सदन का कार्यक्रम —
बैठक की अवधि [पृष्ठ भाग १९६९]
सदन पटल पर रखे गये पत्र —
नदी घाटी परियोजनाओं की पूछताछ के सिलसिले में तदर्थ

(मूल्य ६ आने)

समिति की रिपोर्ट हिराकुड बांध परियोजना जून १९४८ के सम्बन्ध में परामर्शदात्री समिति का प्रतिवेदन कोसी परियोजना, १९५२ के सम्बन्ध में परामर्शदात्री समिति का प्रतिवेदन हिराकुंड बाध परियोजना मार्च १९५२ के सम्बन्ध में परामर्शदात्री समिति का प्रतिवेदन [पृष्ठ भाग १९६९—१९७०]

राष्ट्रसंघ आर्थिक सम्मेलन सम्बन्धी बयान [पृष्ठ भाग १९७०—१९७३]

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा स्वीकृत ऋण सम्बन्धी बयान [पृष्ठ भाग १९७३—१९७६]

चाय विधेयक – पुरःस्थापित [पृष्ठ भाग १९७६]

पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प– जारी [पृष्ठ भाग १९७६—२०७४]

लोक सभा

बुधवार, १७ दिसम्बर १९५२

सदन की बैठक दस बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

११–५ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

श्री श्रीरामुलू की मृत्यु के परिणाम-स्वरूप आंध्र की स्थिति

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रीरामुलू की मृत्यु के उपरान्त नेलूर में गड़बड़ होने के कारण पुलिस ने गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप ३ व्यक्ति मर गये और अनेक व्यक्ति घायल हुए। इस घटना के साथ घटित अन्य घटनाओं के सम्बन्ध में पांच स्थगन प्रस्तावों की सूचना मेरे पास पहुंची है ।

इसी मामले से सम्बद्ध जानमारी, पुलिस की गोली, आदि के विषय में मेरे पास एक अल्पसूचना प्रश्न भी आ चुका है । मैं ने इस प्रश्न को माननीय मंत्री जी के पास भेज दिया है ।

अब, इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि यह शान्ति और व्यवस्था का मामला है,

और इस घटना के सभी तथ्यों को इकट्ठा करना है—मुझे इस बात का निश्चय है कि अल्पसूचना प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और आवश्यक बातें भी सदन के समक्ष रखी जायेंगी; अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों पर अपनी सम्मति प्रगट नहीं करना चाहता ।

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोडे) : क्या मैं एक प्रार्थना कर सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी प्रार्थना नहीं सुनी जायेगी । हम सदन की कार्यवाही के उचित कार्यक्रम जारी रखेंगे । कई ऐसे माननीय सदस्य हैं जो राज्य विधान सभा में लोगों के इतने ही महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं जितने कि आप यहां हैं ।

मेरे पास एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना पहुंची हुई है . . . .

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी को स्वयं जाकर देख लेना चाहिये. . . .

उपाध्यक्ष महोदय : जब एक बार कोई गंभीर मामला हो चुका हो, और कल ही माननीय प्रधान मंत्री ने बतलाया कि इसके लिये तत्काल कार्यवाही की जा रही है, और इस बीच कई लोगों ने स्वयं कानून को हाथ में उठा कर इस प्रकार का तमाशा किया है । यह तो अंशतः दुर्भाग्य की बात है । माननीय मंत्री तथ्यों का संचय करेंगे और उन्हें सदन के समक्ष रखेंगे । मूलतः यह मामला स्थानीय सरकार द्वारा नियंत्रित होना चाहिये । इस के अतिरिक्त जो भी सहायता चाहिये वह

[उपाध्यक्ष महोदय]

केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जायेगी। कौन सी बात जल्दी में की जा सकती है ? इस में कोई सन्देह नहीं कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य इस मामले की ओर ध्यान दे रहा है। अभी उस दिन मैंने बवण्डर घटना के प्रस्तुत किये जाने की आज्ञा दी थी और सारी सामग्री इकट्ठी की गई। इसी प्रकार वे सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं और कालान्तर में यह सारा मामला सदन के समक्ष रखेंगे।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : हमें इस सम्बन्ध में कब उत्तर मिलेगा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : किस के सम्बन्ध में ?

श्री एच० एन० मुकर्जी : अल्प सूचना प्रश्न के सम्बन्ध में।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे मालूम नहीं कि यह अल्पसूचना प्रश्न क्या है। इसे स्वीकार करने या इसका उत्तर देने से पहले मुझे इसे देखना पड़ेगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी : अध्यक्ष जी ने इसे स्वीकार किया है। **(अन्तर्बाधा)**

श्री चट्टोपाध्याय (विजयवाड़ा) : प्रधान मंत्री जी को यह क्रोध या आवेश शोभा नहीं देता।

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्षमा कीजियेगा, श्रीमान् जी; मैं सचमुच आपके शब्द नहीं समझ सका। मैं ने प्रश्न नहीं देखा है, अतः मैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो मैं ने नहीं देखी हो, कुछ भी नहीं कह सकता। **(अन्तर्बाधा)** अल्पसूचना प्रश्नों के सम्बन्ध में तो मंत्री के स्वीकार करने या अस्वीकार करने की बात होती है। मैं पुनः यह बात दोहराता हूं। मैं सदन का व्यवहार बता रहा हूं। श्रीमान्, आप के प्रति पूरा सम्मान होते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं अध्यक्ष जी की हर कोई बात मानने को तैयार हूं, किन्तु तथ्य यह है कि मंत्री ही अल्पसूचना प्रश्न स्वीकार कर सकता है।

श्री नम्बियार (मयूरम) : यह अध्यक्ष महोदय का ही कर्त्तव्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को विदित है कि जहां तक उस मामले का प्रश्न है, रद्द किये जाने की सूचना मंत्री जी के ही अधिकार में है। उसे यह देख लेना चाहिये कि क्या वह अल्प समय के अन्दर ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है या नहीं। यदि यह संभव हो सका तो वह उत्तर देंगे, किंतु मैं यह देख रहा हूं कि यह मामला मंत्री जी द्वारा ही स्वीकृत किया जायेगा। यदि मंत्री जी एक अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार करेंगे तो मैं इसे सदन के समक्ष रखूंगा। मैं ने यही कहा था : "मैं इसे माननीय मंत्री जी के पास भेज दूंगा, और मुझे इस बात का विश्वास है कि वह सामग्री एकत्र करेंगे।" यह तो माननीय मंत्री को ही देखना होगा कि वह कितने समय में इसका उत्तर दे पायेंगे, तथा क्या उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिये या नहीं, आदि। अतः एक, कोई भी व्यक्ति, वह चाहे अध्यक्ष ही हो, किसी भी मंत्री से इस बात का अनुरोध नहीं कर सकता कि वह अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार करें। तो, स्थिति यही है।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : प्रधान मंत्री जी ने बतलाया कि मंत्री जी ही नियमों के अनुसार इस बात का निश्चय कर सकते हैं कि क्या अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार किया जायेगा या नहीं; किन्तु चूंकि प्रधान मंत्री ने प्रश्न नहीं देखा है, तो वह यह भी नहीं जानते कि क्या वह उत्तर भी दे सकेंगे या नहीं। अतः, क्या आप स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी निश्चय को स्थगित नहीं कर सकते ? आप ने ठीक बतलाया था कि चूंकि आप इस

अल्प सूचना प्रश्न की आज्ञा दे रहे हैं और आप यह आशा करते हैं कि मंत्री जी इस का उत्तर दे सकेंगे, तो स्थगन प्रस्ताव की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। श्रीमान्, क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि स्थगन प्रस्ताव पर आपका विनिर्देश कल तक स्थगित किया जाय। इस बीच हमें उत्तर भी मिलेगा।

दूसरा, आपने यह बतलाया कि माननीय प्रधान मंत्री ने कल यह बताया कि वह तुरन्त कार्यवाही करेंगे। कल मैं ने भी उन के विचार सुने और मेरा विश्वास है कि उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं कही। क्या वह इस मामले के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करना चाहते हैं? वे शायद इसका स्पष्टीकरण करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति।

श्री जवाहरलाल नेहरू: अब तक, मैं इस दलील को नहीं समझ सका हूं। ऐसा लग रहा है कि ये प्रस्तावित स्थगन प्रस्ताव तथा अल्प सूचना प्रश्न बहुत बड़ी संख्या में हैं। वे एक हों या अनेक; मेरा अनुमान है कि विजयवाड़ा तथा उसके आस पास की जगहों में हुई अनेक घटनाओं से ही उन का सम्बन्ध है। इनका सम्बन्ध कई गड़बड़ों, तथा सम्पत्ति की बहुत बड़े पैमाने की बरबादी, और पुलिस की कार्यवाही से ही है। मेरा यह निवेदन है कि इस स्थिति में सदन के साथ उन बातों का कोई भी सम्बन्ध नहीं है। कोई भी स्थिति हो, सदन को किसी भी ऐसी सूचना के प्राप्त करने का अधिकार है जो मैं उन के समक्ष रख दूं। कोई अल्प सूचना प्रश्न हो या न हो, मैं सदा ही सहर्ष सदन के समक्ष हर कोई सूचना रखूंगा, किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस आधार पर बात को समझने में गड़बड़ नहीं करनी चाहिये कि किसी अनियंत्रित जमगठे ने कोई शरारत की, और लोगों की सम्पत्ति या रेल की सम्पत्ति, आदि बरबादकी। उस रेले को चाहे कहीं से भी उत्तेजना मिली हो, इस सदन में उस पर विचार नहीं होगा।

अनुमानतः, प्रश्न का दूसरा पहलू आंध्र राज्य से सम्बन्ध रखता है। मैं यहां और दूसरे सदन में भी २४ घंटों में ही यह बयान दे चुका हूं, और अब मेरा यह निवेदन है कि मैं एक ही विषय पर हर २४ घंटे बाद बयान नहीं दे सकता। यदि मैं किसी भी समय कुछ अधिक सूचना देने की स्थिति में रहा तो, मैं बैठक स्थगित होने से पूर्व ही सदन के समक्ष, बयान दूंगा। इस समय उस विशेष बयान के अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं कह सकता। यदि सदन को इस विषय में तथ्य और आंकड़े चाहियें कि उस तबाही में क्या कुछ हुआ तो रेल मंत्री निश्चय ही, सूचना एकत्र करेंगे और कल या परसों सदन के समक्ष रखेंगे।

डा० एस० पी० मुखर्जी: हमारा यह जानने का उद्देश्य नहीं है कि किस तरह की क्षति हुई बल्कि हम सरकार को स्थिति की गंभीरता का परिचय दिलाना चाहते हैं ताकि वह कोई सुझाव निकाले; यही कारण है कि विरोधी दल के सदस्य उस मूल कारण को जानने और हटाने के लिये इस मामले पर चर्चा चलाने के इच्छुक हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं समझता हूं कि स्थिति बहुत गंभीर है, और मेरा यह अनुमान है कि सरकारी सदस्य इस को इतना ही आवश्यक समझते हैं जितना विरोधी दल के वह माननीय सदस्य, किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी स्थितियों को एक भिन्न रीति से समझा और सुलझाया जा सकता है—बिना सोच-विचार के जल्दबाजी नहीं की जाती। इसी कारण से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्थिति पर गंभीरतापूर्वक पूरा पूरा विचार होना चाहिये, और जभी मैं इस को समझ लूंगा, मैं सदन का ध्यान उस ओर आकर्षित करूंगा और यह भी बता दूंगा कि हम क्या कुछ करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं तो पहले ही इन स्थगन प्रस्तावों को स्थगित कर चुका हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय]

मैं अपनी कोई अनुमति नहीं दे रहा हूं। हां, मेरा यह अनुभव है कि ये प्रस्ताव अनियमित हैं।

शान्ति और व्यवस्था की बात तो मूलत: राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। माननीय रेल मंत्री बरबाद हुई रेल-सम्पत्ति के आंकड़े इकट्ठे करेंगे और सदन के समक्ष उसकी सूचना रखेंगे। यदि स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने से आप सरकार द्वारा कोई कार्यवाही कराना चाहते हों तो मैं उस में कोई भी भाग नहीं लूंगा। मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करूंगा। अत: दोनों ओर के माननीय सदस्यों को सदन में शान्ति से काम लेना चाहिये। अन्य तरीके भी अपनाये जा सकते हैं। तो, मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करूंगा। उद्देश्य कुछ भी हों, वे सदन से संगत नहीं हैं और इस स्थिति को संभालना न तो मंत्रियों का कर्त्तव्य है और न केन्द्रीय सरकार का।

त्रावनकोर-कोचीन में रबड़ की स्थिति

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं एक और स्थगन प्रस्ताव को, जिसे सदन पटल पर रखा गया है, लूंगा।

श्री पुन्नूस ने इस प्रस्ताव की सूचना दी है :

'The situation that has arisen in Travancore-Cochin by the sudden shortage of the purchase of rubber by the purchasing department of the Dunlop Rubber Company Kottayam, and consequent fall in prices, dislocation of credit facilities, distress and unemployment'

"कोट्टयम् की डनलप रबर कम्पनी के क्रेता विभाग द्वारा सहसा रबड़ की खरीद बन्द किये जाने के कारण, और उस के परिणाम-स्वरूप दामों में गिरावट, ऋण दिये जाने की सुविधाओं का विस्थापन, बरबादी तथा बेकारी से त्रावनकोर-कोचीन में जो स्थिति पैदा हो गई है।"

डा० एस० पी० मुखर्जी : श्रीमान्, यह प्रस्ताव और भी अधिक स्थितिस्थापक है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : कुछ समय पहले रबड़ के राशिकरण तथा खरीदों में इसकी कटौती की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था और सरकार ने रबड़ उत्पादन आयुक्त से कहा कि वह हमें स्थिति बताये। मेरे पास रबड़ उत्पादन आयुक्त का दिनांक १५ का एक तार है जिसे मैं, यदि सदन सुनने का इच्छुक हो, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। (**माननीय सदस्य :** हां, हां) इसमें बताया गया है :—

"कोट्टयम् की डनलप कम्पनियां १ली से १३ दिसम्बर तक निम्नांकित खरीदों की रिपोर्ट भेज रही हैं। डनलप ने ३६० टन और फायरस्टोन कम्पनियों के लिये ४६३ टन, जिस में से ७० टन और ६२ टन क्रमश: १० से १३ दिसम्बर तक खरीदे गये। यह भी समझ लीजिये कि डनलप कारखाने तथा कोट्टयम् का क्रय डिपो वार्षिक राशि-लेखा के लिये काम बन्द कर रहे हैं। स्थानीय पूछताछ से यह पता चलता है कि इस समय किसी भी विचारणीय स्तर पर खरीदने वालों की कमी के कारण रबड़ बाज़ार में मन्दी आ रही है।"

मेरे पास यही सूचना है, और सदन को यह भी पता चलेगा कि १ली से १३ दिसम्बर तक लगभग ८०० टन रबड़ खरीदी जा चुकी है। दिसम्बर का कुल उत्पादन, अब इस समय और अगली अगस्त १६५३ के बीच की अवधि को छोड़ कर, किसी भी अन्य महीने का

उच्चतम उत्पादन माना जा सकता है, २४०० टन है, और मैं नहीं जानता कि सरकार इस स्थिति में क्या कर सकती है । यदि यह संभव है कि डनलप कम्पनियां वार्षिक राशि लेखा या किसी अन्य अभिप्राय के कारण काम बन्द कर रही हैं, तो यह भी संभव है कि उनकी खरीदें कम हो जायेंगी । यदि यह सार्थ कहता है कि वे इसी अभिप्राय से बन्द कर रहे हैं कि सरकार के लिये किसी प्रकार की कार्यवाही करना संभव नहीं है ।

चूंकि कुछ अधिक राशिकरण हुआ है, अतः रबड़ बोर्ड ने कई एक सिपारिशें की हैं । अब, १ली दिसम्बर को रबड़ की कुल राशि ८७६९ टन तक पहुंच गई है जब कि यही विगत महीने ८२०० टन थी । राशियों में भी लगभग ५०० टन की वृद्धि हुई है । अतः अब यह स्थिति है कि मांग तथा पूर्ति नियम कार्यान्वित होता दिख रहा है । सरकार ने इस प्रकार कार्यवाही की है कि हम ने उन रबड़ निर्माताओं को जो प्रति वर्ष ४ से ६ हजार टन तक का आयात करते रहे हैं, यह लिखा है कि वे अपने आयात बन्द कर दें । अभी उन्होंने मुझे कोई उत्तर नहीं भेजा है ।

वर्तमान स्थिति में सरकार इतना ही कर सकती थी । मैं समझता हूं कि जहां तक कोट्टयम् में रबड़ की स्थिति का प्रश्न है, अभी कोई गंभीर स्थिति पैदा नहीं हुई है, अतः इस समय उसके सम्बन्ध में यदि कुछ कहा भी गया तो वह असामयिक होगा ।

श्री पुन्नूस (आलप्पी) : माननीय मंत्री ने बतलाया कि इस में मांग तथा पूर्ति का नियम चलता है । लेकिन चूंकि रबड़ के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, अतः उनका इस प्रकार कहना ठीक नहीं है । दि डनलप को०; दि फायरस्टोन को०; को रबड़ की खरीद का एकाधिकार प्राप्त है ।

दूसरा यह है कि त्रावनकोर-कोचीन में रबड़ का उत्पादक, जो भारत के उत्पादन का ८० प्रतिशत देता है, एक छोटे पैमाने का उत्पादक है यानी वह दो या तीन पौण्ड प्रति दिन उत्पादन करता है । माननीय मंत्री वहां जाकर यह देख सकते हैं कि वे किस प्रकार प्रति दिन २ पौण्ड का राशन लेकर जाते हैं । यही चीज़ अब रोकी जा रही है ।

माननीय मंत्री का कहना है कि यह कोई बड़ा गंभीर मामला नहीं है । आज प्रातः मुझे उन से बात करने का अवसर मिला । मुझे खेद है कि वह स्थिति को नहीं समझते हैं । उन बागात में बेकारी भी बढ़ती जा रही है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस मामले को बहुत ही गंभीर समझ रहा हूं, अतः सरकार को तत्काल कोई ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये कि यह आपत्ति दूर हो जाये ।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरू) : क्या सरकार निर्यात होने देगी ?

श्री ए० एम० टामस (एरणकुलम्) : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या विगत वर्ष में भी इस कम्पनी ने वार्षिक राशि लेखा के लिये काम बन्द कर दिया था ?

श्री टी०'टी० कृष्णमाचारी : इस सम्बन्ध में मेरे पास उतनी सूचना नहीं जितनी माननीय सदस्य के पास है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) : यदि रबड़ का इतना आधिक्य है तो क्या मैं यह ज्ञात कर सकता हूं कि उन सार्थों से इस बात की प्रार्थना करने के बजाय कि वे आयात कम करने पर सहमत हों सरकार आयात रोकने का कोई निश्चय क्यों नहीं करती ?

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा लग रहा है कि कई एक सुझाव देने बाकी हैं और बहुत सी सूचना मालूम की जाने वाली है । हां, एक अल्प सूचना प्रश्न भी है जो मैं माननीय मंत्री के पास भेज चुका हूं । वह उन के पास पहुंच रहा है । मैं इस स्थगन प्रस्ताव पर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं ।

माननीय सदस्य : कब हम उत्तर पाने की आशा कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सभा विसर्जित करने के पहले ही उत्तर मिलेगा ।

सदन का कार्यक्रम

बैठक की अवधि

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन की बैठक अवधियों के सम्बन्ध में एक घोषणा करने जा रहा हूं । दिनांक १८ को सदन की बैठक प्रात: १० म० पू० से १ म० प० तक तथा २–३० म० प० से ६ म० प० तक होगी । शुक्रवार और शनिवार को कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाने हैं, अत: इन दोनों दिवसों पर कोई भी प्रश्नकाल नहीं होगा । अतएव, जिस प्रकार समयाभाव के कारण हम १० म० पू० से ६ म० प० तक बैठे रहते हैं, उस के स्थान पर हम सब १०–४५ म० पू० से १ म० प० तथा २–३० म० प० से ५ म० प० तक बैठ सकते हैं । इस बैठक अवधि को बुलेटिन में भी सम्मिलित किया जाय ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : मैं निम्नांकित रिपोर्टों की एक एक प्रति सदन पटल पर रख देता हूं :

(१) नदी घाटी परियोजनाओं की पूछताछ के सिलसिले में तदर्थ समिति की रिपोर्ट । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या ४, एम० ४ (२४)]

(२) हिराकुड बांध परियोजना, जून १६४८, के सम्बन्ध में परामर्शदात्री समिति का प्रतिवेदन । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या ४, एम० ४ (११)]

(३) कोसी परियोजना, १६५२, के सम्बंध में परामर्शदात्री समिति का प्रतिवेदन । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या ४ एम० ४ (२७)] और

राष्ट्रसंघ आर्थिक सम्मेलन सम्बन्धी बयान

(४) हिराकुड बांध परियोजना, मार्च १६५२, के सम्बन्ध में परामर्शदात्री समिति का प्रतिवेदन । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या ४, एम० ४ (११)]

राष्ट्रसंघ आर्थिक सम्मेलन सम्बन्धी बयान

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : श्रीमान्, आपकी आज्ञा से मैं उस राष्ट्रसंघ आर्थिक सम्मेलन के सम्बन्ध में एक बयान देना चाहता हूं, जो अभी लन्दन में आयोजित हुआ था और जिस में भारत सरकार की ओर से मैं ने भाग लिया था । इस सम्मेलन का यह अभिप्राय था कि भुगतान संतुलन को दृढ़ बनाने के लिये स्टर्लिंग क्षेत्र के सभी देश कौन सी नीति अपनायेंगे, तथा विश्व उत्पादन एवं व्यापार को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी और इन ही बातों के सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ के सभी राष्ट्रों ने आपस में परामर्श किया । चुनांचि ११ दिसम्बर, १६५२ को लन्दन के एक प्रेस पत्रक में उक्त सम्मेलन के निष्कर्ष प्रकाशित किये गये । मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिये उस पत्रक की प्रतियां सदन पटल पर रख देता हूं । [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ७)

यह स्पष्ट है कि यदि पौण्ड क्षेत्र के देश, व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से, विश्व व्यापार को वृद्धि देने के लिये काम करें तो प्रत्येक देश को दृढ़ गृह्य आर्थिक नीतियों पर चलना होगा । भुगतान–संतुलन की स्वस्थ स्थिति के लिये इस प्रकार की नीतियां परमावश्यक हैं । इन नीतियों का यह अभिप्राय है कि प्रत्येक देश अपने साधनों के अनुसार व्यय करे और अपनी अर्थ नीति के अनुसार व्यय तथा खपत के साधनों का समन्वय करे । अधिक वस्तुओं के निर्यात तथा कम वस्तुओं के आयात से ही इस प्रकार की नीतियों से बाहर के देशों से धन कमाया जा सकेगा ।

एक आर्थिक आधार पर वर्द्धित उत्पादन के विकास के लिये भी इस प्रकार के गृह्य साधनों का जोड़ा जाना आवश्यक है। अतएव, किसी भी देश को अपने साधनों के विकास के लिये ऐसी नीति पर चलना अनिवार्य है।

माननीय सदस्यों ने यह भी समझा होगा कि सम्मेलन ने स्टर्लिंग क्षेत्र वाले देशों के लिये यह सानुरोध आवश्यकता प्रगट की है कि विकास नीतियों को दृढ़ किया जाय। उन ही वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ा देना होगा जिन से भुगतान-संतुलन में सुधार एवं वृद्धि होगी, तथा जिन से व्यापार बढ़ जायेगा। यों तो, सम्मेलन ने, अर्द्धविकसित देशों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिये बुनियादी विकास के हित पूंजी न्यास की अनिवार्यता को स्वीकार किया है; क्योंकि अग्रेतर आर्थिक प्रगति के लिये इस प्रकार का विकास मूल आवश्यकता के रूप में था।

सम्मेलन ने अनिर्बाधित बहुपक्षीय व्यापार तथा संतुलन के उद्देश्य एवं पौण्ड की परिवर्तनीयता को बहुपक्षीय आधार पर विश्व व्यापार की वृद्धि के लिये आवश्यक माना। ये उद्देश्य उचित प्रगति के अनुसार धीरे धीरे प्राप्त होंगे। यद्यपि स्टर्लिंग क्षेत्र वाले देशों द्वारा किये जाने वाले प्रयत्नों से निश्चय ही स्टर्लिंग क्षेत्र के भुगतान-संतुलन की स्थिति दृढ़ होगी, फिर भी केवल स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों द्वारा किये गये प्रयत्नों से ही स्टर्लिंग की परिवर्तनीयता में तेज और प्रभावोत्पादक प्रगति एवं भुगतान और व्यापार की बहुपक्षीय पद्धति तैयार नहीं की जा सकती। विश्व के अन्य व्यापारी राष्ट्रों को भी अन्य पूरक कार्य करने पड़ेंगे ताकि विश्व व्यापार में यथासंभव उच्चतम स्तर पर एक समता पैदा हो सके। यह आशा की जाती है कि सम्मेलन के परिणाम तथा वहां की गई चर्चाओं से उत्पन्न हुआ विश्वास उस सहयोग को प्राप्त करायेगा जो अन्य व्यापारी देशों की ओर से, इस दिशा में प्रगति प्राप्त करने के लिये, बहुत ही आवश्यक है।

उक्त सम्मेलन में इन उद्देश्यों से सम्बद्ध सभी समस्याओं पर पूरी २ और स्पष्ट चर्चा हुई। स्टर्लिंग क्षेत्र के अर्द्धविकसित देशों की आवश्यकताओं को भी बहुत हद तक समझा गया। उदाहरण के तौर पर माननीय सदस्यों ने यह देखा होगा कि व्यापार पर से प्रतिबन्ध हटाने के सम्बन्ध में भी अर्द्धविकसित देशों द्वारा उन की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये उन के सारे साधनों के संभव उपयोग की दृष्टि से, इन प्रतिबन्धों के निरन्तर उपयोग के महत्त्व को स्वीकार किया गया है।

पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने और लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने की हमारी नीति का विशाल उद्देश्य हमें इस योग्य बना ले कि राष्ट्रसंघ आर्थिक सम्मेलन में निश्चित की गई पद्धति पर हम विश्व व्यापार की वृद्धि में भाग ले सकें। अतः, इस योजना को कार्यान्वित करने में अपने को सहायता दे कर हम राष्ट्रसंघ तथा शेष संसार को इस बात में सहायता देंगे कि वे विश्व उत्पादन तथा व्यापार में वृद्धि कर सकें और विशाल आधारों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शोधक्षमता प्राप्त कर सकें।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : अभी उस दिन ग्रेट ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने हाऊस आफ कामन्स में यह विश्वास दिलाया था कि सदन पटल पर एक श्वेत पत्र रखा जायेगा जिसमें, उक्त सम्मेलन में की गई चर्चा का सार तथा निष्कर्ष दिये जायेंगे। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यहां भी सदन पटल पर एक ऐसा ही श्वेत पत्र रखा जाय जिसमें ब्रिटिश श्वेत पत्र में की गई सूचना के अतिरिक्त अन्य सूचना भी हो।

श्री सी० डी० देशमुख : उस के लिये तो ब्रिटिश श्वेत पत्र की प्रतीक्षा करनी पड़गी

[श्री सी० डी० देशमुख]

उक्त सम्मेलन की सभी कार्यवाही उन ही के पास है। हमारे पास तो केवल उसका सार है।

डा० एस० पी० मुकर्जी : जो भी सूचना उपलब्ध हो.....

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कोई भी उपलब्ध सूचना सहर्ष सदन पटल पर रखी जायेगी, किन्तु चन्द एक दिनों में ही सदन के स्थगित होने की संभावना है, और यह अगले सत्र में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।

डा० एस० पी० मुकर्जी : जब तक आप इसे यहां सदस्यों में परिचालित न करें।

श्री जवाहरलाल नेहरू: हम इसे पुस्तकालय में रखेंगे।

डा० एस० पी० मुखर्जी : इसे छापा जा सकता है और संसद् सदस्यों में परिचालित किया जा सकता है। इस में अधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : उनके पास पत्र नहीं हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : क्या हमें अगले सत्र में इस के लिये एक दिन मिल सकेगा? **(अन्तर्बाधा)**

उपाध्यक्ष महोदय : अभी अगला सत्र बहुत दूर है।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा स्वीकृत ऋण सम्बन्धी बयान

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : जिन दिनों मैं लन्दन में था, वहां कई एक प्रस्तावों में कुछ गड़बड़ थी जो जल्दी ही दूर हो गई। मुझे यह भी पता चला है कि मेरी अनुपस्थिति में यहां भी एक बवण्डर उठा था, और मैं आशा करता हूं कि अब वह बैठ गया होगा; अस्तु मैं उसी के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहता हूं। मैं कुछ एक उन मामलों की ओर निर्देश कर रहा हूं जो औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक पर दोनों सदनों में हुई चर्चा के बीच पैदा हुये थे।

उक्त निगम के ऋणों की लेनदेन की वास्तविकता के सम्बन्ध में कई एक आरोप लगाये गये, और इस बात के लिये ज़ोरदार मांग की गई कि उन औद्योगिक सार्थों के नामों को बताया जाय जिन्हें उक्त निगम ने वित्तीय सहायता दी है।

उन नामों का उद्घाटन करने के प्रश्न के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी ने एक वक्तव्य में उस सारे व्यवहार का उल्लेख किया जो आज तक चलाया गया है और उन विचारों को भी सामने रखा जिनके कारण हमें उस नीति का अनुसरण करना पड़ा। इसी के साथ ही उन्होंने उन कारणों को भी प्रतिष्ठा दी जिन के आधार पर सूचना मांगी गई थी, और यह भी बतलाया कि मेरी वापसी पर मामले की पुनः छानबीन की जायेगी। मैं उनका और इस सदन का कृतज्ञ हूं कि मुझे स्थिति के पुनरीक्षण करने का अवसर दिया गया है। कोई भी ऋण देने वाली संस्था अपने ग्राहकों के साथ लेनदेन की वार्ता को गुप्त रखा करती है, क्योंकि ऐसा व्यवहार दृढ़ व्यापारिक सिद्धान्तों पर आधारित है, और साधारण समयों में भी इसका यथापूर्व पालन करना चाहिये, क्योंकि लेनदेन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के सन्देह की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अतएव, इस बात को विचार में रखते हुए कि आज तक सरकार का जो भी रवैया रहा है वह उचित रहा और सदन में उस पर कोई भी उंगली नहीं उठी, मुझे अब उन सन्देहों पर विचार करना है और संसद् की इस इच्छा को भी पूरा करना है कि किन किन सार्थों को सरकार की प्रत्याभूतियों पर निगम द्वारा आर्थिक सहायता दी गई है।

यद्यपि यहां की प्रथा है कि उन के नाम नहीं बताये जायें, तो भी यदि उन के नाम बताने से इन्कार किया गया, तो उक्त निगम तथा ऋणी सार्थों के विरुद्ध अनुचित सन्देह पैदा होंगे--स्पष्ट है कि सन्देह दूर करना परमावश्यक है। इस बात को समझते हुए, उक्त निगम ने स्वयं मुझे लिखा है कि वह संसद् के समक्ष सारी बातें बताने का इच्छुक है, और यह भी बताने को तैयार है कि किन किन सार्थों ने कितने कितने ऋण लिये। अतः, मैं तदनुसार सदन पटल पर एक ऐसा विवरण रख देता हूं जिस में प्रत्येक श्रेणी के उद्योग के अन्तर्गत सभी सार्थों के अलग अलग नाम तथा प्रत्येक सार्थ को स्वीकृत किया गया ऋण दिये जा चुके हैं। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ८**।]

मैं दोनों सदनों के माननीय सदस्यों में परिचालित किये जाने के लिये उक्त विवरण की पर्याप्त प्रतियां प्रस्तुत कर रहा हूं।

विवाद में निगम पर इस बात का विशिष्ट आरोप लगाया गया था कि उन्होंने परिवार-पोषण तथा पक्षपात किया है। मेरे सहयोगी, उपमंत्री जी ने दोनों सदनों में, अपना उत्तर देते हुए इस बात की व्याख्या की थी कि किस प्रकार ये आरोप बिल्कुल निराधार हैं, और निगम के क्षेत्र, तथा निर्देशक मंडल के सदस्यों के सम्बन्ध में एक गलत धारणा पर आधारित हैं, और उन्होंने इस बात की भी व्याख्या की कि निगम किस प्रकार कार्य करता है। मैं समझता हूं कि निगम तथा ऋण लेने वालों से तभी न्याय हो सकता है जब इन आरोपों के सम्बन्ध में पूरी पूरी पूछताछ हो। निगम के जन्म से ही मुझे किसी न किसी रूप में उस के कार्य से संलग्न रहना पड़ा है, और मुझे इस बात की चिन्ता हो रही है कि इन शिकायतों के सम्बन्ध में पूछताछ होनी चाहिये और यदि निराधार आरोप लगाये गये हों तो निगम की स्थिति का अधिकारपूर्वक स्पष्टीकरण होना चाहिये। उक्त निगम के अध्यक्ष श्री श्री राम तथा निर्देशक भी अपनी ओर से स्वभावतः इस बात के लिये बहुत ही चिन्तित हैं कि संसद् में लगाये गये आरोपों से जो भी सन्देह पैदा हुए हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिये, और उन्होंने इस बात की भी मांग की है कि इन आरोपों की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये। मेरा यह भी अनुभव है कि जहां संसद् में अनुदान के प्रत्येक व्यक्तिगत मामले अथवा निगम द्वारा ऋण की अस्वीकृति पर चर्चा होना न तो वांछनीय है और न किया ही जा सकता है, वहां संसद् तथा निगम के लिये यही अच्छा होगा कि इन विशिष्ट आरोपों की पूछताछ होनी चाहिये। अतएव, मैं जल्दी ही इस उद्देश्य से एक ऐसी छोटी सी संगठित समिति नियुक्त करना चाहता हूं जिस में दोनों सदनों के प्रतिनिधि हों और निगम से असम्बद्ध बाहर के एक या दो विशारद हों।

चाय विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं चाय उद्योग पर संघ द्वारा नियंत्रण किये जाने की व्यवस्था करने और उस प्रयोजनार्थ एक चार्य बोर्ड की संस्थापना तथा भारत से निर्यात की जाने वाली चाय पर बहिः शुल्क आरोपित करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, तथा स्वीकृत हुआ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थपित करता हूं।

पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प--जारी

श्री नेवटिया (ज़िला शाहजहांपुर–उत्तर व खेरी–पूर्व) : मैं तो कल ही निवेदन कर चुका हूं कि योजना आयोग हमारे देश की

[श्री नेवटिया]

एक बड़ी आवश्यकता थी। ऐसे आयोग की तो एक समृद्ध देश में भी आवश्यकता पड़ती है, हमारे जैसे निर्धन देश का कहना ही या।

सदन में इस बात पर कड़ी आलोचना की गई है कि औद्योगिक विकास के लिये पर्याप्त आवंटन नहीं हुआ। किन्तु उद्योगों के लिये कच्ची सामग्री और बाज़ार चाहिये। और हमारे देश के सूत उद्योग या जूट उद्योग के लिये कपास और जूट का अभाव है। इसके पश्चात् वस्तुओं की बाजारों में खपत का प्रश्न प्रमुख होता है। बाज़ार भी आन्तरिक या बाह्य हो सकते हैं। जहां तक बाह्य बाज़ारों —यानी विदेशों में माल की खपत का प्रश्न है, सरकार की ओर से काफ़ी प्रयत्न हो रहे हैं, किन्तु मुख्य बाज़ार तो आन्तरिक या घरेलू बाज़ार यानी देशी खपत ही हो सकता है। आन्तरिक या देशी खपत के लिये लोगों की क्रय-शक्ति बढ़नी चाहिये। और वह क्रय-शक्ति प्रति एकड़ अतिरिक्त उत्पादन से ही पैदा हो सकती है। हमारी ८३ प्रति शत जनता अभी देहातों में ही रहती है, अतः जब तक उनकी क्रय-शक्ति न बढ़े, तब तक उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा। यह भी बताया गया है कि निजी उद्यमों को छुआ तक नहीं गया, और उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। एक ओर औद्योगिक वित्त निगम तथा नदी घाटी योजना जैसी योजनाओं पर भ्रष्टाचार, परिवार-पोषण और पक्षपात के आरोप लगाये जाते हैं, और दूसरी ओर निजी उद्यमों के राष्ट्रीयकरण की मांग की जाती है। इस से लोगों की संदिग्धता दिखाई देती है। योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भी यही बताया है कि वर्तमान उद्यमों के राष्ट्रीयकरण पर अधिक ज़ोर नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि योजना के अनुसार निजी उद्यमों द्वारा अधिक काम हो सकता है। चुनाचि योजना की प्रारूप रूपरेखा में योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिश पर उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम १९५१ पारित किया गया, जिसके अनुसार सरकार किसी भी अनुसूचित उद्योग अथवा उद्यम के सम्बन्ध में पूछताछ कर सकती है, यदि उसकी राय में, उस विशेष उद्योग के उत्पादन में कोई अनुचित कमी हो जाय या होने की संभावना हो, अथवा अनुचित रूप से घटिया उत्पादन या अधिक दाम हों। इसी प्रकार किसी भी ऐसे उद्योग के बारे में जिसके कारण उपभोक्ताओं को कोई हानि पहुंची हो, पूछताछ की जा सकती है। उक्त अधिनियम में यह भी उपबन्धित हुआ है कि यदि वह उद्योग पूछताछ के बाद दिये गये अनुदेशों पर नहीं चले तो सरकार अपने हाथों में उसकी प्रबन्ध-व्यवस्था ले सकती है। इससे यह सिद्ध होता है कि निजी उद्यम को पूरी तरह राज्य नियंत्रण में रखा गया है। इस प्रसंग में कलकत्ता उत्तर-पश्चिम से आने वाले माननीय सदस्य प्रो० मेघनाद साहा का कहना है कि मूल उद्योगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि उपभोक्ता वस्तु उद्योग पर ही अधिक ध्यान दिया गया है। मैं उन से सहमत नही हूं और यह समझता हूं कि उन्होंने गलत बात कही है। आयोग ने इस बात की व्यवस्था की है कि वस्त्र, चीनी, आदि के जैसे बड़े उपभोक्ता वस्तु उद्योगों की सामग्रियों को पूरी तरह से काम में लाया जाय।

आयोग ने तो विविध उद्योगों में उत्पादन के उद्देश्य बना रखे हैं, और योजना भी चालू की गई है। लगभग पौने दो साल बीत चुके हैं और इस योजना के लाभप्रद प्रभाव भी दीख रहे हैं। वस्त्र और चीनी के उद्योगों का उत्पादन भी बहुत अधिक बढ़ चुका है। योजना आयोग ने यह भी बताया है कि चीनी उद्योग १५ लाख टन का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। १९५०–५१ में इस उद्योग ने ११ लाख टन

का उत्पादन किया, जब कि विगत वर्ष १५ लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ—चुनांचि योजना आयोग ने इतनी मात्रा १६५५–५६ के लिये उद्दिष्ट की थी। एक निजी उद्योग के लिये यह बहुत ही प्रशंसनीय प्राप्ति कही जा सकती है। यही कारण है कि बाज़ार में कम दामों पर चीनी मिल रही है। इससे सिद्ध होता है कि यदि इन उद्योगों को अधिक कच्ची सामग्री मिले तो इनका उत्पादन भी बढ़ सकता है।

हां, योजना आयोग ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया। वह यह है कि न केवल उद्दिष्ट उत्पादन की प्राप्ति हो, बल्कि उत्पादन स्तर को बनाया रखा जाय। मुझे इस बात में सन्देह है कि क्या वस्त्र तथा चीनी उद्योगों का उत्पादन-स्तर बना भी रहेगा। जिन बड़े बड़े उद्योगों के लिये योजना आयोग ने कोई उद्देश्य निश्चित कर रखा था, उन में चीनी उद्योग भी एक है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार का एक सब से बड़ा उद्योग तो चीनी उद्योग ही है और बहुत हद तक इन दोनों राज्यों की कृषि-अर्थनीति, इस उद्योग की सफलता पर निर्भर करती है। तटकर बोर्ड ने भी १६३१ में यही कहा कि यद्यपि सफेद चीनी उद्योग विदेशी प्रतिद्वन्दिता में उतर नहीं सकते, तथापि अधिक उत्पादन न कर सकने या और किसी बात के कारण कृषकों की आय कम होती गई और उन्होंने कम भूमि में चीनी का उत्पादन किया।

अतः कृषि-अर्थनीति के दृढ़ीकरण को दृष्टि में रखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चीनी के उत्पादन का स्तर बनाये रखने पर अधिक ध्यान दिया जाय। किन्तु मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यद्यपि चीनी के लिये न्यूनतम दाम निश्चित किये गये हैं फिर भी इस बात को देखने का प्रयत्न नहीं किया गया कि कृषकों को उतने न्यूनतम दाम मिल जायें। मात्रा न्यूनतम दाम निश्चित करना पर्याप्त तो नहीं। केन्द्रीय सरकार ने १६३४ में न्यूनतम गन्ना मूल्य अधिनियम पारित किया ताकि राज्य सरकार न्यूनतम दाम निश्चित कर सकें। १६३४ में और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने दो ऋतुओं तक के लिये गन्ने के न्यूनतम दाम निश्चित किये किन्तु चीनी के मूल्य को नियम-बद्ध नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप १६३६–३७ में मन्दी आई: कारखाने गन्ना पेर नहीं सके, और गन्ने का दाम २ आ० ६ पाई प्रति मन तक घट गया। १६४७ में कांग्रेसी सरकार को इस बात की आवश्यकता दिखाई दी कि चीनी के बेचने के लिये कोई संस्था बनाई जाय जो गन्ना उगाने वालों को उचित दाम दिला सके। तटकर बोर्ड ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वर्तमान स्थिति में सार्वजनिक हित तथा चीनी उद्योग के हित के लिये राज्य द्वारा ही किसी प्रकार का नियंत्रण होना चाहिये क्योंकि न्यूनतम मूल्य को निश्चित किये बिना चीनी का मूल्य अस्थिर रहेगा और दाम गिर जाने की स्थिति में चीनी का उत्पादन ही बन्द हो जायेगा।

मैं ने इसीलिये इस बात पर ज़ोर दिया है कि कहीं ऐसा न हो कि गन्ने के दाम गिरने के कारण गन्ने की कृषि कम हो जाय जिस से चीनी का उत्पादन कम हो। चीनी के उपभोक्ता के हित में ही ऐसी बात होगी, अन्यथा बाहर से चीनी मंगवाकर एक तो हमें अधिक दाम देने पड़ेंगे, और हमारे देश में चीनी का उत्पादन घट जायेगा। इस ऋतु में भी इस बात की आशंका है कि सरकार की वर्तमान नीति के कारण चीनी बनाने के कारखाने बहुत अधिक समय तक गन्ना पेरने का काम नहीं कर सकेंगे, और चीनी का ६५ प्रति शत दाम उन्हें पहले से ही व्यय करना पड़ेगा। चीनी के कुल उत्पादन-व्यय में गन्ने का दाम लगभग ६० प्रति शत होता है। उत्पादन शुल्क, उपकर, आदि करों के रूप में २० प्रति शत देना पड़ता है, तो इस तरह ८० प्रति शत व्यय,

[श्री नेवटिया]

जिस पर निर्माता का कोई भी नियंत्रण नहीं होता, सदा के लिये चलता रहेगा, और उत्पादक भी इस बात की सुरक्षा के बिना कि उसे लाभसहित उत्पादन-व्यय प्राप्त हो, उत्पादन नहीं करेगा। मैं इसलिये इन बातों पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि इन का कोई उपचार नहीं किया गया तो उत्पादन घट जायेगा।

यह भी बतलाया जाता है कि इस उद्योग की समस्यायें तो स्वयं उद्योग से ही पैदा हुई हैं। और यदि इस उद्योग को उत्तर प्रदेश तथा बिहार में स्थापित नहीं किया गया होता, तो इस प्रकार की कठिनाइयां नहीं होतीं, किन्तु तटकर बोर्ड ने छानबीन के बाद इसी बात की सिफारिश की कि बिहार और उत्तर प्रदेश में ही उन उद्योगों की संस्थापना होनी चाहिये। यह ठीक है कि गन्ने का उत्पादन-व्यय ४।। आने प्रति मन से घट कर ३ आने ७ पाई प्रति मन पर पहुंचा, किन्तु बाद में कृषि-व्यय बढ़ गया—इसके कई ऐसे कारण थे जो कारखानों या कृषकों के अधिकार में नहीं थे।

मैं इस बात को भी महत्त्व प्रदान करता हूं कि कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्यों को किसी विशेष स्तर से नीचे नहीं गिरने देना चाहिये। इस से मेरा यह अभिप्राय नहीं कि हम मुद्रास्फीति पर कोई रोक नहीं लगायें, किन्तु इस के साथ में, यह भी एक तथ्य है कि बहुत कम कृषि सम्बन्धी मूल्यों से बचत नहीं हुआ करेगी, न तो धन ही काम में लगाया जा सकेगा जिस के परिणामस्वरूप सारी योजना पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। शक्ति सुषव (पॉवर एल्कोहल) उद्योग के सम्बन्ध में भी कुछ एक बातें बतलाना चाहता हूं क्योंकि इस से हमें विदेशी विनिमय में काफी बचत हो जाती है, किन्तु खेद है कि इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है और यदि इसी हिसाब से इस का काम चलता रहा तो और आठ-दस वर्षों में भी हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता।

जहां तक इस पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, मैं यही सुझाव दूंगा कि सिंचाई के छोटे २ निर्माण कार्यों का अधिक तथा ग्रामीण गृह-व्यवस्था का उपबन्ध होना चाहिये। मैं यहां तक कहूंगा कि सामाजिक कार्यों के स्थान पर सिंचाई के छोटे २ निर्माण कार्यों का उपबन्ध किया जाना चाहिये।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल—पश्चिम कटक) : बतलाया जाता है कि यह एक राष्ट्रीय योजना है, लेकिन मैं इस में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देख रहा जिस से इसे 'राष्ट्रीय' कहा जा सके, क्योंकि हमारा राष्ट्र गांवों में रह रहा है, और ग्रामीण जनता के लिये इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। गांवों वालों को हर गांव में एक प्रारम्भिक स्कूल, गांव को शहर से मिलने वाली सड़क, भूमिहीन श्रमिकों के लिये भूमि, हरिजनों और आदि-वासियों के लिये सुविधायें; ज्वर, प्रतिशाय, अतिसार तथा कभी कभी मारी जैसे रोगों के लिये इलाज, आदि सुविधायें चाहिये, किन्तु इन बातों को योजना ने उपबन्धित नहीं किया है। जभी तो मैं कह रहा हूं कि यह सच्चे अर्थों में एक राष्ट्रीय योजना नहीं है। श्रीमान्, मैं यह भी बतला दूं कि योजना आयोग की नियुक्ति के समय प्रत्येक राजनैतिक दल से परामर्श नहीं किया गया। जिन पार्टियों को अंतिम घड़ियों में मिला भी दिया गया, उनकी कोई भी बात नहीं मानी गई। अतः यह कहना सर्वथा निराधार है कि प्रस्तुत योजना की एक राष्ट्रीय योजना है। स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार की यह योजना कांग्रेस योजना कहलायेगी, और यदि लोगों के सहयोग से उनके हित की कोई बात हुई भी तो उसका श्रेय कांग्रेस सरकार को ही मिलेगा। और यदि किन्ही कारणों से सफलता नहीं मिली तो

सारा दोष वर्तमान शासक पार्टी और सरकार पर ही मढ़ा जायेगा ।

१२ मध्याह्न

हम जनकल्याण राज्य की ढौंडी पीट रहे हैं और बड़ी आय एवं छोटी आय वालों के बीच का भेद मिटाने को कह रहे हैं लेकिन इस योजना में ऐसी कौन सी बात है जिस से यह सब कुछ हो जायेगा । अभी कुछ दिन हुए कि सदन में सम्पदा शुल्क विधेयक प्रस्तुत हुआ । मेरे वयोवृद्ध मित्र श्री गाडगिल ने बतलाया कि इस से ऊंची आय वालों की आय कम हो जायेगी । और योजना-आयोग ने सोच-विचार कर दो-तीन वर्ष बाद इस बात को स्वीकार किया है कि भूमि का पुनः वितरण होना चाहिये, किन्तु इस प्रयोजन के लिये अभी कोई भी दिनांक निश्चित नहीं किया गया । यह भी नहीं बतलाया गया कि कब इस प्रकार की बात होगी । यह भी लगभग ऐसी ही बात है जैसे जमींदारी का उन्मूलन । हमने पिछले पन्द्रह वर्षों में जमींदारी का विरोध किया, और उस बीच जमींदार बुद्धिमान् और चतुर बने । उन्होंने वे सभी जंगल के जंगल उड़ा दिये जो उनके अधिकार में थे; और पूर्व इस के कि उनकी जमींदारी समाप्त हो जाय उन्होंने नगद धन इकट्ठा कर रखा है । तो यदि भूमि का पुनः वितरण होने में देर हो जाय तो वे भी उस समय तक अपने सम्बधियों में भूमि का वितरण करेंगे, यहां तक कि कोई भी भूमि वितरण के लिये बची नहीं रहेगी ।

इस सम्बन्ध में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हरिजन और आदिवासी भूमिहीन हैं और बहुत ही दयनीय दशा में हैं ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

उन्हें भूमि की आवश्यकता है । कई राज्य सरकारों ने प्रेस-पत्रक जारी किये हैं और उन में बतलाया है कि वे इन दो वर्गों को भूमि देंगे । यह १९४८–४९ में हुआ, किन्तु आज तक उसे कार्यान्वित नहीं किया गया । अतएव यह सर्वथा गलत है कि इस योजना से देश की समस्यायें सुलझ जायेंगी ।

अब आप ही बतलायें कि इन दो वर्षों में इस योजना को कहां तक कार्यान्वित किया गया । आप सार्वजनिक प्रशासन तथा सार्वजनिक नियंत्रण नाम का अध्याय देख लीजिये और बतलाइये कि विगत दो वर्षों में क्या हुआ और आगामी दो वर्षों में क्या हो जायेगा ।

इस तरह हिराकुंड बांध का एक बड़ा ठेका जो १ १/२ करोड़ रुपये का था एक ऐसे सार्थ को दिया गया जिसके सम्बन्ध में हमारे मंत्री जी ने बतलाया कि वह उड़ीसा का एक सार्थ है । तब तक मुझे इस बात का पता नहीं था, और बाद में मैंने क्या देखा कि ...

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : उस में उड़ीसा के रहने वाले काम करते हैं ।

श्री सारंगधर दास : इस सार्थ में केवल एक व्यक्ति था जिसे १९४८ या १९४९ में लगभग ६० लाख रुपये का ठेका दिया गया था । और मुझे यह बताया जाता है कि जिस समय संख्या २ पावर हाऊस (बिजली घर) का निर्माण-कार्य छोड़ दिया गया, उस समय एक लाख रुपये से कम का कार्य हुआ था । परिणामतः वह काम वहीं पर रुक गया । एक और सार्थ को नदी के बांध का १ १/२ लाख रुपये का ठेका दिया गया, मुझे मालूम नहीं कि इस के लिये भारत की सभी जगहों से टेंडर बुलाये भी गये थे या नहीं, और मुझे यह भी पता नहीं कि क्या इसी सार्थ ने न्यूनतम टेंडर दिया था । मेरा कहने का यह अभिप्राय है कि ऐसे निर्माण-कार्यों के लिये अनुभवी सार्थों से ही काम लिया जाना चाहिये । मुझे इस बात से आश्चर्य हो रहा है कि अनुभवहीन सार्थों को काम दिया जा रहा है । चुनाचि इस सार्थ ने

[श्री सारंगधर दास]

हिराकुंड बांध पर काम कराने के लिये मद्रास के किसी सार्थ का सहयोग प्राप्त किया है। आयव्ययक सत्र में मैं ने जो भाषण दिया, उस से मंत्री जी ने ठीक या ग़लत समझा कि मैं उड़ीसा के व्यापार-हितों के लिये लड़ रहा था।

डा० राम सुभग सिंह (शाहाबाद दक्षिण): आप उड़ीसा वालों के विरुद्ध लड़ रहे हैं।

श्री सारंगधर दास: मैं उड़ीसा के पक्ष या विपक्ष में नहीं लड़ रहा हूं। मैं इस बात के लिये संघर्ष कर रहा हूं कि हिराकुंड जल-विद्युत निर्माण का काम न्यूनतम व्यय में अच्छी तरह से पूरा किया जा सके ताकि उड़ीसा के कर-दाता पर अनावश्यक व्यय का बोझ नहीं पड़े। यदि हिराकुंड बांध का काम इसी तरह चलता रहा तो वहां न तो कोई बांध दिखाई देगा, न वहां बिजली आ जायेगी और न वहां पानी होगा; यद्यपि तब तक सैकड़ों रुपयों का व्यय हो चुका होगा।

एक और बात भी है। यदि आप जनता का सहयोग चाहते हैं तो उचित ढंग से प्राप्त करना पड़ेगा। इस तरह काम नहीं चलता कि इंजीनियर अपने लिये बड़े शानदार मकान बनायें और बेचारे मज़दूरों को पीने तक को पानी न मिले। ऐसी स्थिति में आप जनता से क्या सहयोग प्राप्त कर सकेंगे जब कि २–३ या ५ हज़ार रुपये वेतन वाले पदाधिकारी निर्माण-कार्य में जरा सी असुविधा नहीं सहेंगे, और काम करने वाले मज़दूर कीड़े-मकोड़ों की तरह रहेंगे और जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकताओं से भी वंचित रह जायेंगे?

मेरे साथ मित्र श्री एस० के० पाटिल कल इस बात पर ज़ोर दे रहे थे कि हम गली-कूचों में जा कर लोगों में जोश भर दें। मैं चाहता हूं कि वह बम्बई में जा कर लोगों में उत्साह बढ़ा दें। मैं स्वयं जनता में गया, किन्तु लोगों ने जब मुझ से पूछा कि आप भुवनेश्वर में करोड़ों रुपये फूंक रहे हैं, हमें उस से क्या लाभ होता है और क्या हमें उस से एकाध गज कपड़ा अतिरिक्त मिलता है, तो मैं अचम्भे में पड़ गया और मुझे कोई भी उत्तर नहीं सूझा। जब तक आप लोगों को कोई प्रेरणा या प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक आप उन्हें काम करने के लिये तैयार भी नहीं कर पायेंगे। लोगों को जिन बातों से प्रेरणा मिल सकती है, वे ये हैं:—(क) भूमिहीन श्रमिकों, खेतिहरों और कृषि मज़दूरों में तत्काल भूमि का पुनः वितरण—ताकि उत्पादन बढ़ सके, और (ख) प्रशासन में सुधार। सरकार ने इन बातों से सम्बन्धित अध्याय गौड़वाला रिपोर्ट से लिया है, तो क्या मुझे इस बात का उत्तर मिलेगा कि रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने क्या किया।

बाबू राम नारायण सिंह (हज़ारीबाग पश्चिम): कुछ भी नहीं।

श्री सारंगधर दास: यदि उन्होंने कोई काम किया होता तो मैं उन से नहीं झगड़ता। विगत सप्ताहों में जब मैं ने भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहा तो मेरे साथ मित्र श्री हरेकृष्ण महताब ने मेरे उन 'आरोपों' का उत्तर दिया। वे आरोप मेरे विरुद्ध नहीं थे, किन्तु यह एक सुप्रसिद्ध बात है कि आज्ञा-पत्र और लाइसेन्स उन लोगों के नाम जारी हुए थे जो व्यापारी नहीं थे, और जिन्हें व्यापार का कोई भी अनुभव नहीं था।

ऐसी परिस्थिति में मैं सरकार को इस बात की चुनौती देता हूं कि वह श्री गोड़वाला की सिफारिश के अनुसार उच्च अधिकार का एक न्यायिक आयोग नियुक्त करे जो उस अवधि में वाणिज्य मंत्रालय के कार्यों का अध्ययन करे। अब, मैं साथ मित्र श्री हरेकृष्ण महताब की बात के उत्तर में यह बतला दूंगा कि स्वयं

उसे कटक के उस सार्थ में कुछ त्रुटियां दिखाई दीं और उन्होंने वहां पूछताछ कराई। मैं उन से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आज्ञा-पत्र जारी करते समय उन्होंने उस व्यक्ति के सम्बन्ध में पूछताछ की थी। स्पष्ट है कि कृत्रिम पेट्रोल सयंत्र के उस ठेके में साढ़े छः लाख रुपये का अपव्यय हुआ (**एक माननीय सदस्य :** यह तो पंचवर्षी योजना है) यदि आप इसी तरह चलते रहें जिस तरह आप विगत पांच वर्षों में चलते रहे तो पचीस वर्षों में भी आप काम को पूरा नहीं कर सकेंगे। इसीलिये मैं सरकार को यह परामर्श दे रहा हूं कि केन्द्र तथा राज्यों में विषमताओं और अन्य भ्रष्टाचार को दूर किया जाय, जिस से घूसखोरी और भ्रष्टाचार दूर हो जायँ। सरकार की भलाई इस बात में है कि पहले भ्रष्टाचार दूर किया जाय, और उस के बाद उद्योगप्रिय कामकरों को प्रशासकीय पद दिये जायें, ताकि व्यावहारिकता की सहायता से अच्छी तरह से काम हो सके। दफ्तर में बैठे रहना, किताबें उठाना, आंकड़े इकट्ठे करना और रिपोर्ट लिखना—इन से काम नहीं चलता, न तो वस्तुओं का निर्माण होता है। हो सकता है कि १९५५–५६ में हिराकुंड बांध बिजली पैदा कर सके, किन्तु उस बिजली का उपयोग करने वाले उद्योग कहां हैं। नांगल बांध तो तैयार हो चुका है, लेकिन पानी को संभालने के लिये अभी नहरें नहीं बनी हैं। कार्य का कोई भी समन्वय नहीं हो रहा है। इसके लिये परियोजना को कार्यान्वित करने वाले पदाधिकारी और मंत्रालय दोनों ही दोषी हैं। मैं सरकार को यह चेतावनी दे रहा हूं कि भविष्य के लिये भ्रष्टाचार का उन्मूलन होना चाहिये, और औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी कार्यों के प्रशासकीय काम के लिये एक नई पदाली बनाई जानी चाहिये, तभी लोगों की ओर से सहयोग प्राप्त हो सकेगा और यह योजना अंशतः पूरी हो सकेगी। मुझे इस समय सन्देह बढ़ रहा है क्योंकि वर्तमान सरकार ऐसा एक न्यायिक आयोग बनाने के पक्ष में नहीं जो इस सरकार तथा राज्य सरकारों के कार्य की छानबीन करे।

श्री सरमा (गोलाघाट–जोरहाट) : मैं योजना आयोग के सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे आर्थिक जीवन तथा सामाजिक जीवन के कई एक पहलुओं को सुलझाने के लिये यह आदर्श योजना बनाई है।

यह आलोचना की जाती है कि इस योजना के उत्पादन में कुछ देर हुई है। हम यह भी सुनते हैं कि इस योजना से २७ वर्ष में ही प्रति व्यक्ति आय दो गुना हो जायेगी, जबकि भारत की औसत आयु केवल २८ वर्ष है। (**एक माननीय सदस्य :** २६) भारत जैसे देश के लिये २७ वर्ष की अवधि कोई अधिक नहीं है। कहना आसान है, लेकिन सक्रिय कार्य करने वाले व्यक्ति ही जान सकते हैं कि किस तरह यह योजना अपेक्षतया कम अवधि की है। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने से पहले हमारे पास इतने आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। मैं निर्भीकता से यह भी बता दूंगा कि अंग्रेजों को हमारे खनिज संसाधनों के सम्बन्ध में जो भी ज्ञान था, वह उन ही तक सीमित था, और बहुत ही गुप्त रखा जाता था।

यह भी बतलाया गया कि २७ वर्षों में ही हम राष्ट्रीय आय को दो गुना कर देंगे; किन्तु मुझे हंसी आती है कि इस के लिये साधन कहां से आयेंगे। भला, कौन नहीं चाहता कि थोड़े से थोड़े समय में आय को दो या तीन गुना कर दिया जाय।

सभी योजनायें, वह चाहे पूंजीवादी, समाजवादी या साम्यवादी हों, निर्धनता को दूर करने तथा जीवन-स्तर ऊंचा करने का उद्देश्य रखती हैं। यह ठीक है कि हमारी

[श्री सरमा]

योजना का भी यही उद्देश्य है, किन्तु हमारे देश की अर्थनीति से इस प्रकार की किसी भी चीज़ का पता नहीं चलता। इस योजना में ग्राम उद्योगों तथा छोटे उद्योगों को गर्व का स्थान प्राप्त हुआ है---चुनाचि भूमिका के पांचवें पृष्ठ पर बताया गया है कि ग्राम उद्योगों, छोटे पैमाने के उद्योगों तथा हस्तशिल्पों पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है और मिल में बने कपड़े पर उपकर लगाया गया है ताकि खादी तथा हाथकरघे की वस्तुओं को प्रोत्साहन मिले। हाथकरघा उद्योगों के लिये तथा कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये केन्द्रीय सरकार ने १५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मैं समझता हूं कि २०६९ करोड़ रुपयों में से इस दिशा में केवल १५ करोड़ रुपये का व्यय बहुत ही कम है। इस पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये हमें देश के नवयुवकों के सामने एक स्पष्ट विचारधारा रख लेनी चाहिये ताकि उन्हें भी इस बात का पता चले कि हमारा क्या उद्देश्य है और हम क्या करना चाहते हैं। इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि कुटीर उद्योगों को एक गौरवान्वित स्थान दिया जा रहा है, किन्तु कांग्रेस की विचारधारा की आलोचना करने वाले युवकों को हमें यह समझाना होगा कि हमारा क्या उद्देश्य है। पंचवर्षीय योजना के लेखकों को चाहिये कि देश के समक्ष स्पष्ट शब्दों में अपनी विचारधारा रख लें।

योजना में जनबल तथा भौतिक संसाधनों के सम्बध में भी बहुत सी बातें बताई गई हैं। भौतिक संसाधनों को तो करारोपण तथा ऋणों से पूरा किया जाने का विचार किया जा रहा है। हम भी यही आशा करेंगे कि यह काम पूरा हो जायेगा। और यदि बुरी परिस्थितियों के कारण यह काम भी पूरा नहीं हो सका तो हमें शायद घाटे के वित्त के साधनों को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि योजना का यही अभिप्राय है कि हम अपने सारे खर्चे निकाल कर संसाधनों को जोड़ने पर धन लगायें। आप यह भी जानते हैं कि भारत में लोगों को कोई भी बचत नहीं होती। दूसरे महायुद्ध के बाद से लोगों को उच्च जीवन-यापन-व्यय ने बरबाद किया। मध्य वर्ग के लोगों की तो और भी बुरी दशा है---उन्हें दिन बिताने को भी धन नहीं मिलता, और वे न जाने कितनी कठिनाइयों से दिन पूरे कर रहे हैं। तो, ऐसी परिस्थितियों में हमें उन लोगों से धन लेना पड़ेगा जिनके पास उसकी बहुतायत है, और यह भी स्पष्ट है कि वैसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है। इतना ही नहीं, वे धनी लोग निजी उद्योगों को चलाने के लिये भी तो पैसा खर्चेंगे।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

ऐसी स्थिति में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि योजना आयोग को मजबूर होकर अपने कार्यक्रम में कुछ कटौती करनी पड़ेगी। मुझे इस में कोई सन्देह नहीं दीख रहा कि वित्त मंत्री जी इन बातों की कड़ी निगरानी करेंगे---मैं यह नहीं चाहता कि भविष्य में लोग सरकार पर यह आरोप लगायें कि यह योजना इसीलिये असफल रही क्योंकि इस में ठीक हिसाब नहीं लगाया गया था। हम ने इस योजना पर बहुत बड़ी बाजी लगाई है, और यदि हमें इस में सफलता न मिले तो हम असफल रह जायेंगे। और चूंकि यह पहली पंचवर्षीय योजना है, अतः हमें और भी सावधान रहना पड़ेगा। यह ठीक है कि इस से हमारी सारी बातें पूरी नहीं हो सकतीं लेकिन इस से हमें इतना तो लाभ होगा कि भविष्य में कई एक बातें देखने को मिलेंगी।

कृषि पर बहुत ही ज़ोर दिया गया है। यह ठीक भी है। हमारा भी यही उद्देश्य है कि

पर्याप्त खाद्य का उत्पादन हो । प्रशासन में सुधार करने के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ बताया गया है । हमारे जनबल की एक और त्रुटि तो प्रशासकीय स्तर की त्रुटि से सम्बन्धित है । इसका उदाहरण लीजिये । १९५१ में आसाम में चावल के दाम बढ़ गये, लेकिन जब नियंत्रण उठ गया तो तीन महीने तक न केवल चाय की खेती करने वालों को अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार चावल मिला अपितु आसाम सरकार ने भी उन से २३,००० टन खरीदे । अब देखिये कि नियंत्रण के दिनों में चावल उपलब्ध नहीं था, किन्तु नियंत्रण उठते ही चावल की बहुतायत हुई । क्या इसका यह अभिप्राय नहीं कि प्रशासन बड़ा कमज़ोर है ? नियंत्रण के बाद किसानों और ज़मीन की काश्त करने वालों से नहीं बल्कि मिल मालिकों के गोदामों से चावल मिला । नियंत्रण के उठने के साथ ही उन्होंने खुलमखुला काला बाज़ार लगाया । मैं सरकार से एक प्रार्थना करूंगा कि अगस्त १९४७ के बिल्कुल बाद ही, वह अपनी सद्भावना का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा सकी । अब भी, इस योजना को प्रस्तुत करन के बाद से लोगों की सद्भावना हमारे साथ है, अतः हमें इस सद्भावना का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिये। यदि हम प्रशासन नहीं चला सके और भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं कर सके तो कभी भी यह योजना पूरी नहीं हो पायेगी ।

मैं उत्तर पूर्व सीमान्त के सम्बन्ध में भी कुछ बताना चाहता हूं । मैं प्रान्तीय अथवा ग्रामीण ढंग से इसकी जांच नहीं करना चाहता । यह तो सुप्रसिद्ध बात है कि गोला-बारूद, बन्दूक और सैनिकों से देश की रक्षा नहीं की जा सकती । अभी हाल के आसाम के दौरे में प्रधान मंत्री जी ने देखा होगा कि आसाम के पहाड़ी सीमान्त प्रदेश के इस ओर रहने वाले लोग यह भी नहीं जानते कि वे भारतीय हैं, और उन्हें भारत से प्यार करना है । अब आप बताइये कि इस योजना में इन सीमान्तवासियों के लिये क्या किया गया है । सभी जानते हैं कि जब जापानी सेना भारत की ओर बढ़ रही थी और इम्फाल तथा कोहिमा पर भी उसने घेरा डाल रखा था तो इन आदिमजातिवासियों ने उनकी सहायता की और उनका बहुत सा काम किया, किन्तु जब इन आदिमवासियों ने उन्हें सहायता देने से इन्कार किया तो जापानी सेना को वापिस जाना पड़ा । हम आशा करते हैं कि इस योजना के अन्तर्गत आवंटित धन वहां की डाक-तार-सड़कों आदि पर व्यय किया जायेगा । अभी कुछ समय हुआ कि प्रधान मंत्री जी ने आसाम में एक विशारद-समुदाय भेज दिया था, और अब खाद्य मंत्री जी कहते हैं कि उन विशारदों की रिपोर्ट पर अभी विचार ही किया जा रहा है । खासी और जयन्तिया पहाड़ियों में रहने वाले वे बेचारे आदिवासी आपत्तियां झेल रहे हैं क्योंकि उनके यहां के पान-बीड़ों और नारंगियों की कोई भी खपत नहीं है और उन्हें कन्दमूल खाकर समय बिताना पड़ता है । इधर अभी हमारी सरकार ने भी कोई निश्चय नहीं किया है । क्या इसी ढंग से योजना को कार्यान्वित किया जा सकेगा ? मैं चाहता हूं कि सरकार इन बातों पर ध्यान दे, मेरा और कोई भी अभिप्राय नहीं है । अब आप चाय उद्योग का उदाहरण लीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो चुका है ।

श्री सरमा : मैं ४० दिन से यही आस लगा कर बैठा हूं कि मुझे बोलने का अवसर मिले ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य और किसी समय बोलें ।

श्री सरमा : श्रीमान्, मुझे आसाम से तार पर तार मिलता जा रहा है जिन में यह बताया गया है कि एक एक कर के चाय के बागान बन्द किये जा रहे हैं । मैं सरकार का

[श्री सरमा]

आभारी हूं कि वह हमारी चाय उद्योग के लिये इतना काम कर रही है। मुझे इस बात का हर्ष है कि महात्मा गांधी के बाद अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वर्तमान सरकार हमारे इस सीमान्त राज्य में इतनी दिलचस्पी ले रही है। इस बात के लिये सभी आसाम वासी आभारी हैं, किन्तु मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि चाय का यह बड़ा उद्योग समाप्त प्रायः हो रहा है। एक-एक कर के चाय बागान बन्द किये जा रहे हैं जिस से चाय श्रमिकों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। स्पष्ट है कि ये चाय मज़दूर-खेतिहर वहां के रहने वाले या बसने वाले नहीं अपितु पंजाब को छोड़ अन्य सभी राज्यों से चले आये हैं। अब यदि इन्हें एक ही बार नौकरी से निकाल दिया गया तो इन का क्या हाल होगा। क्या सरकार इस के लिये कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकती ?

और, इस बात के सम्बन्ध में कि....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अधिक समय ले चुके हैं।

श्री सरमा : मैं केवल दो मिनट लूंगा। ऐसी व्यवस्था में सरकार किस प्रकार इस योजना को चलाना चाहती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, खेद है कि अब आप नहीं बोल पायेंगे।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मुझ से पहले बोलने वालों को चार श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। विवेकी या विभेदकारी समर्थक, सहायक सन्देहात्मा, सहायता न देने वाले निन्दक या माने गये बाधक विरोधी। मैं इसी क्रम में इनका उल्लेख करना चाहता हूं।

प्रथम श्रेणी सब से बड़ी है, और अपने में, जहां तक मैं समझता हूं, योजना के भविष्य के लिये एक अच्छा शकुन है। साधारणतया, उन्होंने योजना के दर्शन और रूपरेखा, आदि बातों को स्वीकार किया है। उन्होंने, यों तो, प्राथमिकता तथा क्षेत्र-परिमाण, आदि को स्वीकार किया है। उन्होंने कुछ एक लोपों या कुछ एक प्रादेशिक आपत्तियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मैं अपने भाषण के दौरान में इस सारी सूची को नहीं गिना सकता। किन्तु, मुझे इस बात में कोई भी सन्देह नहीं दीख रहा कि चूंकि योजना की प्रक्रिया निरन्तर रूप से चल रही है, अतः इन बातों को ध्यान में रखा जायेगा और जब कभी भी संभव हो सके तो उन को दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा।

यहां कई एक विशेष आपत्तियों का उल्लेख हुआ है, जिन पर मैं विचार करना चाहता हूं। पहले, यह बताया गया कि महाराष्ट्र के दुर्भिक्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के साधन मुहैय्या किये जायें। मेरा विचार है कि बोलने वाले एक माननीय सदस्य ने अनुपूरक अंक के पृष्ठ १३४ पर की टिप्पणी की ओर निर्देश किया, जिस में बताया गया था कि १२ करोड़ रुपये के प्राक्कलन के स्थान पर लगभग २९ करोड़ रुपये के एक पुननीक्षित प्राक्कलन पर विचार किया जा रहा था। स्वयं मैं इस टिप्पणी को देख कर आश्चर्यचकित हुआ और अब मैंने पूछताछ की है और यह पता चलाया है कि वह टिप्पणी वहां नहीं होनी चाहिये थी। इसे असावधानी से आदिष्ट किया गया था, और योजना आयोग के किसी भी सदस्य को इस बात का ज्ञान नहीं था। इसका यह अर्थ है कि जिन कार्यों पर विचार किया जा रहा है, उन के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्त धारणा हुई है। निम्नता ताप्ती घाटी के सम्बन्ध में कई निर्माण-कार्य थे जिन पर बम्बई राज्य के कई अन्य कार्यों सहित विचार किया जा रहा था। यह भी सत्य है कि एक ऐसे निर्माणकार्य पर जो योजना में सम्मिलित नहीं अग्रेतर जांच की

जा रही है। यह स्पष्ट है कि उचित समय पर अन्य निर्माण कार्यों के साथ ही उस की भी बारी आयेगी जब कि दक्षिण समस्थली पर अथवा करनाटक के दूर दक्षिण की किसी जगह पर उसे प्रारम्भ किया जायेगा; और वह तभी होगा जब अगली योजना पर विचार किया जा रहा हो।

इस के पश्चात् राजस्थान की ओर भी निर्देश किया गया, और यह भी बताया गया कि उस क्षेत्र के विकास के लिये अपर्याप्त उपबन्ध हुआ है। किसी बड़ी परियोजना के लिये कोई उपबन्ध किया जा रहा है और यह भी समझा जायेगा कि राजस्थान में पानी की व्यवस्था करना तो धूर्तता का सा व्यापार है। इसके साथ साथ यह भी स्मरण किया जाना चाहिये कि जब कोई व्यक्ति योजना के अन्तर्गत निर्देश करता है, तो उसका यह अभिप्राय नहीं होता कि कोई अनुदान मिल गया है। वस्तुतः उसका यह अर्थ है कि निधियों का एक ऐसा प्राक्कलन दिया गया है जो राज्य द्वारा सर्वप्रथम पाया जायेगा और केन्द्र द्वारा उसको सहायता दी जायेगी। केन्द्रीय सहायता तो दिखाई जा चुकी है और उस राज्य के संसाधनों का प्रावकलन भी बनाया जा चुका है। राजस्थान की अपनी वित्तीय कठिनाइयां हैं, और यह भी संभव है कि इन दोनों संसाधनों को जोड़ कर सभी सुधारों को पूरा नहीं किया जा सकता, जिन्हें, अन्यथा सिद्धान्तः स्पृहनीय समझा गया हो,। मैं राजस्थान के माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में यही आश्वासन दे सकता हूं कि उन्हें थोड़े समय के लिये शान्ति से बैठना पड़ेगा।

लोहा तथा इस्पात का भी निर्देश किया गया। इस में भी मुझे लोगों की कुछ भ्रान्ति दीख रही है। यह सत्य है कि १९४९ में एक परियोजना प्रतिवेदन हुआ था जिसका सम्बन्ध दो इस्पात संयंत्रों की संस्थाओं से था, जिन में से प्रत्येक ५००,००० टन इस्पात उत्पादन कर लेता। उस समय यह निष्कर्श मिला कि सरकार के समक्ष कोई ऐसे दृश्य संसाधन नहीं जिन से इस परियोजना या इन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जा सकती हो। निस्सन्देह इस से तो योजना की आर्थिक आवश्यकता सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उस समस्या पर विच्छिन्न रूप से विचार किया जा रहा था और इसीलिये उसे उसी समय छोड़ भी दिया गया। उस पर जिस समय पुनः जांच की गई तो उस बात का पता चला कि उन निजी सार्थों को जिन के पास पहले से ही सर्वोपरि संस्थापना तथा अन्य अधीनस्थ सेवायें मौजूद हैं सहायता देने से प्रथम ५००,००० टन या उसी के लगभग मात्रा की प्राप्ति बहुत ही सस्ती होगी। इस प्रकार कार्य करने से बहुत बचत होगी। इसी आधार पर इंटरनैशनल बैंक फ़ौर रिकांस्ट्रक्शन एण्ड डेवेलपमेन्ट के साथ समझौता किया जा रहा है ताकि इन दो निजी निर्माताओं को सहायता दी जा सके। ५००,००० टन या उसके लगभग अन्य मात्रा के लिये इस योजना में ही उपबन्ध दिया गया है—हो सकता है कि यह ज़रा छोटा संयंत्र हो—और हम पूंजी तथा प्राविधिक सहायता के साधनों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के लिये पूछताछ भी कर रहे हैं।

इस के पश्चात्, एक माननीय सदस्य ने इस बात की आवश्यकता की ओर निर्देश किया कि खाद्यान्न तथा सारभूत कच्ची वस्तुओं के लिये किसी प्रकार की सहायता दी जानी चाहिये। मुझे याद है कि कुछ समय पहले मैं ने नियंत्रणों पर भाषण देते समय यह बताया था कि यह एक ऐसा सिद्धान्त था जो खाद्यान्न पर नियंत्रण बिठाने

[श्री सी० डी० देशमुख]

की हमारी पद्धति में एक विशेषता के रूप में था और वहीं तक सीमित था, और अब मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि शायद, कच्ची पदार्थों के सम्बन्ध में इसे किसी विभेदात्मक ढंग से अपनाना पड़ता। रुई के सम्बन्ध में तो पहले ही अनेक बार आश्वासन दिये जा चुके हैं। मैं समझता हूं कि जूट में भी एक प्रकार की स्थिति विकसित हो रही है, यद्यपि मैं इस समय कोई भी वचन नहीं दे सकता। मैं यह मानता हूं कि इस समस्या का सामना किया जाना चाहिये।

अब मैं आप के प्रश्न पर पहुंच रहा हूं, चुनाचि कई माननीय सदस्ययों ने इसकी ओर निर्देश भी किया है। विगत कई महीनों से हम चाय उद्योग पर प्रभाव डालने वाली कुछ एक समस्याओं में अटके हुये हैं। चुनाचि उस माननीय सदस्य ने चाय उद्योग के एक रोग की ओर निर्देश किया। हो तो यह रहा है कि इस रोग के लिये चिरकाल तक निदान और उपचार की आवश्यकता है। उन का यह प्रश्न है कि क्या उन चाय बागानों को बन्द होने से नहीं बचाया जा सकता, और मेरा यह उत्तर है कि हमें इस बात में संदेह लग रहा है, क्योंकि इस समय उन्हें खोला भी नहीं जा सकता। हो सकता है कि विक्रेता बाज़ार से क्रेता बाज़ार की ओर संक्रमण होने से न केवल चाय उद्योग में ऐसी घटना होगी, अपितु चाय उद्योगों में ऐसा परिवर्तन होगा। किसी सीमा तक उस प्रक्रिया को अनिवार्य समझा जाना चाहिये, यद्यपि इसे समभाव से नहीं माना जा सकता था। मैं तो यही कह सकता हूं कि हम उपचार का प्रयत्न कर रहे हैं और हारलेस्ट्रीट (लन्दन) के चिकित्सा-विशेषज्ञों की तरह हम सदा दवाई के नुस्ख़े के साथ थोड़ी सी आशा भी दिला देंगे। उस डाक्टर का यह अनुभव था कि उस नुस्ख़े के जोड़ में केवल १ प्रतिशत गलती हुई थी।

एक माननीय सदस्य : सभी आश्वासन!

श्री सी० डी०देशमुख : टेहरी गढ़वाल की ओर भी निर्देश किया गया। हम यह भी समझते हैं कि कई ज़िलों को इस योजना से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। यह स्मरण करना चाहिये कि यह योजना ज़िले ज़िले को ध्यान में रख कर बनाई नहीं गई न तो बनाई जा सकती थी, क्योंकि हमने अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश पहले से चालू योजनाओं पर लगाया था, और हम उन समस्याओं के समक्ष बेबस थे जो अभी सुलझी नहीं थीं। तो, इसी बात को समझ बूझ कर योजना में १५ करोड़ रुपये की व्यवस्था हुई है, जिस की ओर अध्याय ४ के पदच्छेद १७ में निर्देश भी किया गया है। आप की आज्ञा से मैं उस पदच्छेद से कुछ एक पंक्तियां उद्धृत करूंगा :

> "योजना की अवधि में, देश के कुछ भागों को प्रारम्भ की गई विकास योजनाओं से शायद प्रत्यक्ष लाभ न हो, स्थानीय विकास कार्यों के लिये। इसलिये एक साथ १५ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया ताकि इस योजना से जनसमूह के अधिक से अधिक भाग की ओर से दिलचस्पी पैदा हो तथा थानीय साहस एवं संसाधनों को खींचा जा सके।"

मैं आशा करता हूं कि जिस समय इस निधि को काम में लगाये जाने की योजना का सुत्रपात किया जायेगा, उस समय टिहरी-गढ़वाल के शूरवीर ·····

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : और देहरादून।

श्री सी० डी० देशमुख : ·····और, हां कदाचित देहरादून के भी, इस विशेष व्यय को उठाने में भाग लेने के लिये हाथ बढ़ायेंगे।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह (ज़िला गढ़वाल-पश्चिम व ज़िला टिहरी गढ़वाल व ज़िला बिजनौर-उत्तर) : यदि स्थानीय विकास योजना के लिये पैसा दिया गया तो टिहरी डढ़वाल को भी थोड़ा सा धन दिया जाना चाहिये। मुझे इस बात का निश्चय है कि यदि थोड़ा सा धन भी अच्छकार्यकर्त्ताओं के हाथ में दिया गया, उस से हमारे क्षेत्र को बहुत लाभ होगा।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं थोड़े धन की स्वीकृति की संभावना से इन्कार नहीं कर रहा हूं।

अब मैं संदेहात्माओं को लूंगा। कई लोगों ने यह संदेह प्रकट किया कि योजना की कार्यता के लिये इतनी अवधि थोड़ी है। अनुमान लगाया गया है कि १९५१ में विकास कार्यों पर २३२ करोड़ रुपये का व्यय होगा। १९५१-५२ में लगभग २८५ करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्चे गये थे, और बजट के अनुसार दूसरे वर्ष में ३४६ करोड़ रुपये का व्यय होगा। अतः, आप ने देखा होगा कि विगत दो वर्षों में ५०–६० करोड़ रुपये प्रति वष का व्यय पड़ता जा रहा है। २,०६९ रुपये की योजना को कार्यान्वित करने के लिये विकास व्यय को हमारे इस चलन में और ५० करोड़ रुपये प्रति वर्ष बढ़ा देना होगा। और कुछ हद तक आशावादी होने के नाते मैं एसी बात को क़तई असम्भव नहीं समझ सकता।

जहां तक संसाधन-स्थिति का प्रश्न है, इस वर्ष मूल्य गिर जाने के कारण किसी हद तक असाधारण स्थिति पैदा हुई है। किन्तु यदि मूल्य गिरने का ऐसा ही सुझाव रहा, तब आप को इस बात का स्मरण करना चाहिये कि देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़े बिना ही कई संशोधक साधन काम में लाये जायेंग। उस का यह अर्थ है कि यदि धन-व्यय बढ़ता गया तो आय भी बढ़ती जायेगी, और उन के परिणामस्वरूप अधिक कर प्राप्त होंगे जिन से राजस्व बढ़ जायेगा। इस के विरुद्ध, यदि कर से प्राप्त राजस्व में कमी होती जायेगी—और ऐसी स्थिति दिखाई भी दे रही है—तो उस का यह अर्थ समझा जायेगा कि, आवश्यकतानुसार घाटे की वित्त-व्यवस्था द्वारा आर्थिक आय बढ़ाने के लिये इस अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत जो भी स्थिति होगी वह हमारे पक्ष में होगी। अतः इस मामले को उन ही परिस्थितियों के प्रकाश में समझा और जांचा जायेगा जो योजना की शेष अवधि के दौरान में समय समय पर रहा करेंगी।

यह प्रश्न भी पूछा गया है कि निजी उद्योग को कहां से पैसा मिलेगा। इस प्रसंग में मैं अध्याय ३, पदच्छेद ६ से ९ तक की ओर निर्देश करूंगा। इस में बताया गया है कि पंचवर्षीय योजना के लिये लगाया जाने वाला जो कुल धन गार्हस्थ्य संसाधनों से उपलब्ध होगा वह लगभग २,७००— २,८०० करोड़ रुपये तक का होगा। पौंड पावने को निकाल कर इस में लगभग ४५० करोड़ रुपये और जोड़ दिया जाना चाहिये। और यदि उक्त मात्रा की आतिरिक्त खाद्य सहायता उपलब्ध हो सके तब हम लगभग ३,५०० से ३,६०० करोड़ रुपये तक की कुल राशि लगा सकते हैं। सार्वजनिक दिशा में विकास कार्यक्रम पर इस में से ५० प्रतिशत से कुछ अधिक धन लग जायेगा। और इसलिये शेष ५० प्रतिशत से कुछ कम मात्रा की राशि निजी उद्योग की दिशा के लिये उपलब्ध होनी चाहिये। तो इस प्रकार मिली-जुली अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत योजना में इतनी ही सम्भवतः धनराशि उपलब्ध हो सकती है।

निजी उद्योग के लिये वित्त मुहैय्या किये जाने के इस प्रसंग में श्री सोमानी ने उद्योग

[श्री सी० डी० देशमुख]

के स्खलित बक़ाया की ओर निर्देश किया। उद्योग में स्खलित बक़ाया राशि के १५० करोड़ रुपये की राशि जैसा कि आयोग का आंक है और जो योजना की अवधि में पूरी की जा सकती है,—और इस में यही एक महत्वपूर्ण वाक्यांश है —इस आधार पर आलोचित हो चुकी है कि यह बहुत ही कम आंक रखा गया है। हम यह मानते हैं कि यह आंक सरकारी तौर पर तैयार किया गया है और आयोग के थोड़े से अध्ययन पर ही आधारित है किन्तु फिर भी हम इस कारण से इस पर विश्वास कर सकते हैं कि उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन भी उन ही धारणाओं पर अधारित है जिनकी अधिक जांच की जानी चाहिये और जिन्हें अच्छी तरह से परखा जाना चाहिये। अतःएव प्रत्येक उद्योग की समस्या के संक्षिप्त क्षेत्र तथा अन्य बड़ी बड़ी बातों का मूल्यांकन करने के लिये अधिक कड़ी छान बीन की आवश्यकता है; और इसे जांचा भी जायेगा। यह संसाधनों के सम्बन्ध में रहा।

इसके पश्चात् खाद्य नीति के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया था, और आयात समाप्त करने के लिय निश्चित उद्दिष्ट दिनांक के लिये कारण भी बताये गये थ। आयोग ने इस बात की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है कि योजना अवधि के अन्त तक ही आयात बन्द होन चाहियें। और योजना की अवधि के अन्तर्गत भी यह स्वीकार किया गया है कि विदेशी विनिमय में अन्तर्ग्रस्त व्यय की दष्टि में कम से कम आयात करना पड़ेगा क्योंकि पूंजी वस्तुओं (मशीनों, आदि) जैसी परमावश्यक आवश्यकताओं के लिये विदेशी विनिमय की आवश्यकता है। किन्तु इस के साथ हमें इस बात को स्मरण करना चाहिये कि आयात की आवश्यकतायें नियंत्रण की कार्यक्षमता से ही सम्बद्ध हैं, और मैं यह समझता हूं कि हम पहले ही इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि योजना अवधि के दौरान में, जब तक हमारी आवश्यकतानुसार उत्पादन होने लगे, नियंत्रण बिठाने की आवश्यकता रहेगी। योजना-अवधि के बाद, धनन्यास की गतिविधि, जो हम किसी विशेष स्तर तक बनाये रखेंगे, इस सिलसिले में एक परमावश्यक कारण बनेगी। कहने का यह अभिप्राय है कि यदि खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से किसी भी बड़े से बड़े परिमाण तक प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की खपत बढ़ जायेगी और बाज़ार में बेचे जाने के लिये हमारे पास अधिक खाद्य नहीं रहेगा, तब हमारे धनन्यास प्रयत्न सीमित हो जायेंगे, जिन्हें और किसी ढंग से चलाया जा सकेगा—और यही वह बात है जिस पर वाणिज्यिक नीति सम्बन्धी अध्याय में जोर दिया जा चुका है। अतः हमें यह समझना है कि यदि अर्थव्यवस्था में धन-न्यास का स्तर दिया गया हो —और हमारी यह धारणा है कि यह उच्च स्तर पर रहना चाहिये और शीघ्र ही विकसित होने वाली अर्थनीति में बढ़ना भी चाहिये—तो इस समस्या के सम्बन्ध में यही उत्तर होगा कि आयात का निवारण उसी सीमा तक हो सकेगा जिस सीमा तक नियंत्रण बिठाये जायें ताकि किसी भी धन-न्यास दर में अनुचित रूप से खपत न बढ़े। मुझे मालूम नहीं कि क्या मैं ने अपनी बात का स्पष्टीकरण किया या नहीं, किन्तु सामान्यतः, इस सारे का सार देते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि धनन्यास के व्यय से सारभूत वस्तुओं की खपत के लिये मांग बढ़ जायेगी, और जब तक उस को रोकने के लिये कोई उपचार नहीं किया जायेगा, हमारे धन-न्यास की दर बहुत ही मंदी रहेगी। अब इसके विरुद्ध

यदि हम खपत को बढ़ने दें तब तो खाद्यान के सम्बन्ध में भी इस बात की आवश्यकता रहेगी कि हम योजना-अवधि के बाद भी खाद्य का आयात करते रहेंगे ।

अब में आलोचकों की श्रेणी पर पहुंच गया हूं ।

डा० एस० पी० मुकर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : आप ने संदेहियों को समाप्त किया है और अब आप आलोचकों पर पहुंच गये हैं ? मध्याह्न भोजन के पश्चात् आलोचकों पर विचार विमर्श होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कितने समय तक बोलना चाहते हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : और दस या पन्द्रह मिनट तक ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप केवल १५ मिनट तक बोलेंगे तो सदन अभी बैठेगा और साधारण समय के १५ मिनट बाद पुनः समवेत होगा । किन्तु, यदि माननीय मंत्री आधे घंटे तक बोलना चाहते हों तो ....

श्री सी० डी० देशमुख : मैं आधा घंटा नहीं लूंगा । मैं केवल एक या दो महत्वपूर्ण बातें बता दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब तो हम अभी इस समय बैठेंगे और २-४५ म० प० पुनः समवेत होंगे ।

३ म० प०

श्री सी० डी० देशमुख : मैं राष्ट्रीय आय को दो गुना करने की बात पर पहुंच रहा था । यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिये कि आयोग प्रति व्यक्ति आय को दूना करना चाहता था । जनसंख्या की वृद्धि और उत्पादन के साथ धनन्यास का अनुपात तथा प्रत्येक चरण पर पैदा हुई अतिरिक्त आय में से धनन्यास की दर से सम्बन्धित कई धाराणओं के आधार पर, हम ने रिपोर्ट के पहले अध्याय में यह तर्क दिया है कि १९७७ तक प्रति व्यक्ति आय दूना हो गई होगी । किन्तु दूसरी बात यह है कि बेकार जनबल को प्रत्यक्ष रूप में काम में लगाये जाने और वर्तमान निम्नतम स्तरों से उत्पादकता में वृद्धियों के क्षेत्र आदि की सभावनाओं जैसे कई अन्य कारणों पर विचार करते हुए हम ने एक स्थान पर इस बात की सिपारिश की है कि पहले की धारणाओं पर लगाये गये हिसाब के अनुसार सुझाई गई २७ वर्ष की अवधि के स्थान पर केवल २० वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दो गुना करने का उद्देश्य होना चाहिये । अतः संगत अध्याय १ का यह प्रयोजन नहीं है कि प्रयत्नों को सीमित किया जाय, अपितु यह दिखाया जाय कि इस का क्या अर्थ होगा, और देश को इस बात के लिये तैयार किया जाय । यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि हम २७ वर्षों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को दूना करने के उद्देश्य से ही संतुश्ष्ट हैं, जैसा कि किसी ने बताया भी है कि हम २७ वर्ष की उस अवधि में मर गये होंगे ।

मैं सेवा-नियोजन की समस्या के प्रश्न पर कुछ एक शब्द कहना चाहता हूं । जिस माननीय सदस्य ने इस की ओर निर्देश किया और यह चाहा कि क्यों उस के सम्बन्ध में कोई अध्याय नहीं लिखा गया, दुर्भाग्यवश यहां मौजूद नहीं हैं । किन्तु जिस प्रश्न की ओर हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, वह यह है कि नौकरी की वर्तमान स्थिति से सम्बद्ध तथ्य तो बिल्कुल अपर्याप्त हैं, और इसलिये भिन्न दिशाओं में धनन्यास पर नौकरी के जो प्रभाव होंगे, उन को तब तक नहीं आंका

[श्री सी० डी० देशमुख]

जा सकेगा जब तक कि विकास के लिये चुने गये विशेष कटिबन्धों में की बातों पर आधारित आंकड़े और तथ्य हमारे पास अधिक संख्या में नहीं हों।

सेवा-नियोजन के सम्बन्ध में दो पहलू हैं। पहला यह है कि विकास की नीति अधिकतम संभाव्य हद तक जनबल को काम में लगाया जाय और इस हद तक भी कि उत्पादन जल्दी से न बढ़े, और इस के परिणामस्वरूप वर्तमान उत्पादन का पुनःवितरण होगा तथा वास्तविक आयों में आंशिक कटौतियां होंगी। और दूसरा यह कि वास्तविक आय के बढ़ने वाले स्तरों पर सेवानियोजन के संयोगों को बढ़ा दिया जाय। केवल इस पहलू से ही पूरा सेवा-नियोजन हो सकेगा : और यही हमारी कठिनाई भी है। रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर भी दिया गया है कि वास्तविक आय के बढ़ने वाले स्तरों पर पूरा सेवा-नियोजन उपबन्धित करने का क्षेत्र आवश्यक रूप से धनन्यास दर तथा पूंजी-संचयन की वृद्धि की दर पर निर्भर होना चाहिये। यह तो एक पेचीदा बात है, और अध्याय १ के पदच्छेद ४१ और ४२ में निर्दिष्ट की जा चुकी है। इस विशेष पहलू का सार देते हुये मुझे यह कहना चाहिये कि हमारे लिये इस बात की परम आवश्यकता है कि हम कम से कम इस समस्या की प्रारम्भिक बातों को समझ लेता कि हम इन को सुलझाने के सम्बन्ध में विचार कर सकें।

डा० मेघनाद साहा का यह प्रतिपादन था कि हम जारी करें पर अधिक विश्वास करते ए उद्योगीकरण में जल्दी करें, और मैं समझता हूं कि उन्होंने प्रसंगवश उद्योगीकरण पर जो कम जोर दिया था, वह इस तथ्य की दृष्टि में बिल्कुल अनुचित था कि उन ही द्वारा निर्दिष्ट पहले की योजनायें या अर्द्ध-योजनायें विशद रूप से विभाजन से पहले बनाई गई थीं। यह एक छोटा सा तथ्य है और ऐसा दिखाई देता है कि उन्होंने इसे नज़रअन्दाज़ किया है। इस विभाजन से ही खाद्य की समस्या पैदा हुई है, और इसी से खाद्य की राशियों तथा कच्ची वस्तुओं को बढ़ाने की समस्या पर ज़ोर भी पड़ा है। अब, इन जारी करों के सम्बन्ध में मेरी यह राय है कि इस प्रकार के कर तो बिक्री कर हैं जो भारत की वित्तीय पद्धति का एक अंग है। संयुक्त राज्य रूस में तो सार्वजनिक राजस्व का ५० प्रति शत भाग इन ही जारी करों से प्राप्त होता है। संयुक्त राज्य रूस में किसी भी उपभोक्ता को जो मूल्य देना पड़ता है उस में उत्पादन की सुयोजित लागत, उद्यम की योजना का लाभ तथा जारी कर (बिक्री कर) शामिल रहते हैं, और यह आखिरी मद पूंजी-निर्माण के लिये राज्य को दी जाती है। अन्य शब्दों में, इस से उपभोग को कम किया जाता है। पूंजी-निर्माण के लिये तो यही एक तरीका है। अतः धनन्यास वस्तुओं पर बहुत कम कर लगाये जाते हैं जब कि उपभोग की वस्तुओं पर कर की दरें बहुत ऊंची हैं। अब में इस के विस्तार में नहीं जा सकता, किन्तु हमें इस बात पर विचार करना था कि देश में वर्तमान निम्न स्तरों के उपभोग के सम्बन्ध में क्या समस्या है। अध्याय ३ के पदच्छेद १६ में हम ने संयुक्त राज्य रूस में लगाय जाने वाले बिक्री करों और वर्तमान स्थिति में भारत पर उन्हें लागू किये जाने की दृष्टि से उनकी सीमाओं का भी विशेष उल्लेख किया है।

अब मं अपन विपक्षियों की बातों का उत्तर केवल कुछ एक मिनट तक दे सकता हूं। विरोधी दल में बैठने वाले माननीय

सदस्य श्री मुकर्जी ने विद्वेषपूर्ण दृष्टि से यह बताया कि मैं ने लन्दन स्थित कैम्ब्रिज विश्व-विद्यालय में अर्थसम्बन्धी कई द्वेषपूर्ण बातें सीखी हैं और उनको अपनाया है। उन की इन बातों से मुझे यह संदेह हुआ कि वह बैलियोल से आये हैं। मुझे यह मालूम हो रहा है कि वह संभवतः 'बिल्लों' की जाति के हैं और यही कारण है कि उन्होंने इस योजना के पर खर्चे उड़ा दिये हैं। वास्तव में, जब मैं उनका भाषण सुन रहा था तो मुझे इस बात से आश्चर्य हुआ कि वह ग्रन्थों से उद्धरण दे रहे हैं। मेरा यह कहने का अभि-प्राय नहीं है कि टाटा-बिड़ला रिपोर्ट की इतनी प्रसिद्धि है, न तो मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रोफ़ेसर मुकर्जी उस जीव के निकटवर्ती हैं जो ग्रन्थों का उद्धरण दिया करता है; यदि वे मुझे गणित में भटकने को कहें तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मैं बहुत हद तक अपना यौवन गणित में फ़िजूल लगा चुका हूं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि राजनीतिक दर्शन को प्राप्त करने के लिये स्वयं प्रो० मुकर्जी ने इस प्रकार का बहुत अभ्यास किया है, और यही कारण है कि उन्होंने जो आंकड़े बताये हैं उन में बहुत से आंकड़े ऐसे हैं जो समंक की साधारण प्रणाली की उनकी अवभिज्ञता के परिचायक हैं। उदाहरणतया, उन्होंने बतलाया कि १९५१ में हमें विदेशी पूंजी के १५ करोड़ रुपये मिले, और इस सिल-सिले में उन्होंने भारत तथा सेलोन के १९२५-२७, १९३०-३४, और १९३४-३६ के क्रमशः २·८४ करोड़ रुपये, ५·६७ करोड़ रुपये तथा १·३५ करोड़ रुपये वाले आंकड़े बताये। इस से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि विदेशी पूंजीपतियों के लिये भारत स्वर्ग बन रहा है। यद्यपि इस से पहले उन्होंने मूल्यों की छूट दिलाई, तथापि इन आंकड़ों को उद्धृत करते समय उन्हों ने मूल्यों के सम्बन्ध में सब कुछ भूल डाला। दूसरे यह कि यदि हमें बहुत अधिक सीमा तक बाह्यसंसाधन मिलें तो हमें बड़ा संतोष प्राप्त होगा, और निस्संदेह, वह ऐसा मामला है जिस के सम्बन्ध में हम इस पक्ष के सदस्य तथा प्रो० मुकर्जी कभी भी सहमत न हो सकते। तथ्यों के सम्बन्ध में, उन के द्वारा उद्धृत वित्त मंत्रालय के आंकड़े विदेशी पूंजी को जारी करने के लिये स्वीकृतियों की ओर निर्देश तो करते हैं, किन्तु विदेशी पूंजी की अदायगी पर कोई ध्यान नहीं देते। भुगतान संतुलन सम्बन्धी रिज़र्व बैंक आंकड़ों से इस स्थिति का पता चलता है कि १९५० में भारत से ४९ करोड़ रुपये तक की दीर्घकालीन पूंजी राशि की विशुद्ध निस्सृति हुई थी। १९४८ में विशुद्ध निस्सृति २०.१ करोड़ रुपये थे। अतः जो सर्वो-परि स्थिति है--और मेरा विचार है कि प्रो० मुकर्जी भी स्वयं इस को स्वीकार करेंगे--वह उन के द्वारा सुझाई गई बातों से बिल्कुल भिन्न है। १९४७-४८ से पूंजी की निसृति लगभग ५० करोड़ रुपये तक पहुंची है। मैं इन आंकड़ों पर सरसरी नज़र नहीं दौड़ाना चाहता क्योंकि मेरे विचार में यह एक अस्वस्थ प्रवृत्ति है।

इस के पश्चात्, प्रो० मुकर्जी ने बतलाया कि उद्योगों में पुनः लगाये जाने के लिये १९४८-४९ में लगभग १३७ करोड़ रुपये उपलब्ध थे। तो मुझे पता चला है कि यह प्राक्कलन 'न्यू एज' नाम की एक पत्रिका में छपा है और उन आंकड़ों पर आधारित है जो विविध साधनों से प्राप्त किये गये हैं। १९४८-४९ में उक्त उद्योग द्वारा जोड़ा गया मूल्य राष्ट्रीय आय समिति की प्रथम रिपोर्ट में के प्राक्कलनों पर आधारित है; १९४८ मे निर्माताओं की जनसंख्या में प्रकाशित आंकड़ों ने ही, प्राचीन और घिसे-पिटे नियम लगा कर मजदूरी और वेतनों के आंकड़े जोड़े गये हैं। और वितरित लाभांशों का समंक उस पुस्तिका से लिया गया है जो इण्डियन चैम्बर्स

[श्री सी० डी० देशमुख]

आफ़ कामर्स, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है। उन्होंने इन साधनों पर कितना ही अधिक विश्वास किया है कभी पहले उक्त उद्योग द्वारा जोड़े गये विशुद्ध मूल्य के द्रव्य में से लाभांश दिये जाने तथा मज़दूरी काटने के बाद जो शेष राशि बची है वह १३७ करोड़ रुपये है। अब बताइये कि यदि तीन भिन्न स्रोतों से ये आंकड़े लिये जायें तो शेष राशि में ज़रूर भूल चूक होगी।

श्री एच० एन० मुकर्जी: (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): आप ने इस के बदले में और आंकड़े क्यों नहीं बताये? आप ने बताये नहीं और हम ने बहुत प्रयत्न करके बता दिये।

श्री सी० डी० देशमुख: मुझे मालूम है कि आप का यह प्रयत्न परियाप्त नहीं है न तो ठीक है — कठिनाई तो यही है। हमें विदित है कि कई एसी बातें हैं कि जिन के आंकड़े तब तक तैयार नहीं किये जा सकते जब तक उन से आगे के और समंकों के आंकड़े न दिये गये हों।

श्री एच० एन० मुकर्जी: हमें मालूम है कि आपकी सांख्यकी कहां तक ठीक है और आप स्वयं भी कह रहे हैं।

श्री सी० डी० देशमुख: तो फिर एक और आंकड़ा है जिसे मै बता दूंगा, और प्रो० मुकर्जी के अनसार वह यह है कि जूट उद्योग को ५० करोड़ रूपये का लाभ हुआ है। मुझे मालूम नहीं कि उन्हें कहां से यह सूचना मिली है।

श्री एच० एन० मुकर्जी: मैं ने कैपिटल से इसका उद्धरण दिया है, आप तो उस पुस्तक को बहुत मानते हैं।

श्री सी० डी० देशमुख: मुझे मालूम नहीं, कम से कम यह आकड़ा गलत है। मेरे पास यह सूचना है कि १९५०-५१ में जूट उद्योग ने लगभग ५·३ करोड़ रुपये का उत्पादन किया था. जिस में से उक्त उद्योग ने अधिकार तथा आयकर के रूप में २.४ करोड़ रुपये दिये थे। लाभांश तथा अन्य रूपों में वितरित किये जाने के लिये जो भी लाभ वचा था वह २·९ करोड़ रुपये था। १९४८ में जूट उद्योग में लगभग २३ करोड़ रुपये की निश्चित पूंजी और लगभग ४३ करोड़ रुपये की कामचलाऊ पूंजी लगाई गई थी। अभी भी मुझे इस बात में संदेह है कि जूट उद्योग को किस तरह ५० करोड़ रुपये का लाभ हुआ था।

श्री एच० एन० मुकर्जी: कैपिटल से मैंने जो विवरण उद्धृत किया उस में स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि पूरे एक वर्ष में कार्य दिवसों में जूट मिलें ५० करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

श्री सी० डी० देशमुख: माननीय सदस्य द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया विवरण ग़लत है। अस्तु. मैं अपने आंकड़े बता चुका हूं और मुझे इस बात में कोई भी संदेह नहीं लग रहा है कि इस में रुचि लेने वाले अन्य सदस्य इस पर अनुसन्धान कर लेंगे।

अन्य विविध बातों पर विचार विमर्श करने के लिये मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। मैं समझता हूं कि श्री वल्लाथ-रास ने यह बतलाया है कि यह तो केवल वित्तीय कार्यक्रम अथवा आयव्ययकों का एक क्रम है। अध्याय ३ के पदच्छेद ५० से ५५ तक में इस बात का पूरा पूरा उत्तर दिया गया है, और हम ने तो समग्र रूप से इस बात का प्रयत्न किया है कि राष्ट्रीय आय तथा धनन्यास के लिये उपलब्ध राशियों के रूप में संसाधनों को देखें; पूंजी संचयन तथा उपभोग के लिये जिन मल वस्तुओं

की अपेक्षा है, उन की स्थिति भी बताई जा चुकी है, और विदेशी विनिमय के आंकों को गार्हस्थ्य उत्पादन तथा उपभोग व्यय के साथ जोड़ा जा चुका है — उदाहरण के तौर पर, आप संसाधन तथा वाणिज्यिक नीति सम्बन्धी अध्यायों में यह बात देख लेंगे। और घाटे के वित्त की भी गुंजाइश रखी गई है; और खाद्य के सम्भरण और वितरण के सम्बन्ध में इस पर अप्रत्यक्ष रूप से जोर दिया गया है। तो इस अर्थ में वित्त की कोई भी व्याधा नहीं। हम ने योजना में इस बात का भी उपबन्ध किया है कि अप्रयुक्त जनबल तथा अन्य संसाधनों को खोजा जाये और उन से अधिकतम लाभ उठाया जाय। और इसीलिये, वित्त को परिवर्तक अंश के रूप में काम में लाया जाता है। इसे एक अच्छा शब्द नहीं कहा जा सकता क्योंकि परिवर्तक अंक को सदा वापिस लिया जाता है, किन्तु यहां जो भी वित्त लगाया जायेगा वह इस्तेमाल किया जायेगा। कुछ भी हो, ऐसे साधनों से ही योजना को वास्तविक बनाया जा सकता है। और हमारे पास जितने ही अधिक आंकड़े उपलब्ध होते जायेंगे, और हमें जितना ही अधिक अनुभव होगा, उतनी ही शीघ्रता से योजना को कार्यान्वित किया जा सकेगा।

श्रीमान्, अन्त में एक बात कहना चाहता हूं; इस योजना में हम ने अपने ज्ञान की सर्वश्रेष्ट उपज भर दी है, और जहां तक हमारा विवेक जा सका हमने इसे अच्छा बनाया; तो, अब जो भी सदस्य हमें सहयोग नहीं देना चाहते हैं, उन्हें अपना घाटा होगा।

इस के पश्चात् सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के लिए पौने तीन बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् सदन की बैठक पौने तीन बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुचेता कृपलानी।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलुरू) : सरकारी बेंच खाली दीख रहे हैं। सरकार की ओर से कौन इन बातों को सुन लेगा ?

ससंद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) मैं सुनंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, अब श्रीमती सुचेता कृपलानी भाषण शुरू करें।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली) : श्री देशमुख के भाषण के बाद अपने कुछ विचार प्रगट करने में मुझे डर लग रहा है, किन्तु चूंकि उन का अन्तिम वाक्य यह था कि जो सदस्य सहयोग नहीं देंगे उन्हें स्वयं घाटा उठाना पड़ेगा, अतः मैं यह कहने पर मजबूर होती हूं कि वह हमें कौनसा घाटा दिलाना चाहते हैं। हमारे इस देश में भूखमरी ज़ोरों पर है, और कई ऐसे भी हैं जिन्हें दो जून खाना नहीं मिल रहा। शायद, हमारे लिये यह ख़तरा है कि यदि हम सहयोग नहीं देंगे तो हमें एक जून खाना भी नहीं मिलेगा। ख़ैर, हम ने कई चीज़ों की कुर्बानी दी है और हम वह एक जून की रोटी भी कुर्बान करेंगे।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : क्या आप असहयोग शुरू कर रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मैं योजना आयोग को उस सारे बृहदाकार काम के लिये जो उन्होंने ३२ महीनों में किया, धन्यवाद और बधाई कहती हूं। हमारे देश के लिये यह इस प्रकार की प्रथम योजना है, जिस में जीवन के सभी पहलू लिये गये हैं और जिस ने देश को इस बात के लिये तैयार किया है कि वैज्ञानिक ढंग से राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाया जाय। हमारा देश बहुत ही बड़ा है और इस प्रकार का प्रयत्न बहुत ही शूरता से भरा हुआ है, अतः मैं योजना आयोग के काम का महत्व कम नहीं करना चाहती।

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

योजना आयोग ने इस ढाई वर्ष की अवधि में जो भी कार्य किया है, उस का प्रचार प्रधान मन्त्री जी के सहयोग से बढ़ता गया है, यहां तक कि हमारा देश "योजना-जागृति" प्राप्त कर चुका है। किन्तु मुझे इस बात का खेद है कि जिस योजना रिपोर्ट को ३२ महीने में लिखा गया, उस पर अपना मत प्रकट करने के लिये हमें ३२ दिन भी नहीं दिये गये। अतः हम जो कुछ भी कहेंगे वह अपर्याप्त होगा, अतःएव मैं योजनान्तर्गत कुछ एक मूल बातों को ही पेश करूंगी।

बतलाया जाता है कि १९४७ के राजनीतिक आन्दोलन की पूर्ति इस योजना द्वारा हुई है, किन्तु क्या यह बात उचित कही जा सकती है जब कि योजना बनाने वालों का यह कहना है काम करने तथा पर्याप्त आय कमाने के अधिकारों की मांग को पूरा किये जाने के बाद देश का सामाजिक-आर्थिक ढांचा बदला जाना चाहिये।

अब, हमारी यह आलोचना है कि योजना बनाने वालों की यह बात अभी पूरी नहीं हो पाई है। हमें ऐसा लग रहा है कि समाज की प्राचीन नींव पर ही योजना को आधारित किया गया है। चुनाचि इस योजना से सामाजिक या राजनीतिक क्रान्ति का उद्घाटन तो नहीं हो पाया है। यह योजना उसी पुराने पूंजीवादी क्रम पर ही आधारित है, जिस में पूर्वस्थिति वैसी की वैसी बनी रही है। हो सकता है कि ऊपरी तल पर कुछ एक अच्छी बातें हों. लेकिन योजना उन से बिल्कुल अछूती रही है। मेरा प्रश्न यह है कि उस योजना के पीछे क्या सामाजिक जीवन-दर्शन है ?

आप देख लीजिये कि इस योजना के कार्यान्वित होने से क्या तुरन्त लाभ होगा। हमें बताया जाता है कि पांच वर्ष तक इस योजना को चलाने के बाद राष्ट्रीय आय में ११ प्रति शत वृद्धि होगी जिस में से ५ प्रति शत तो बढ़ती हुई जनसंख्या में खप जायेगा और शेष में से ५ प्रति शत उद्योगों पर खर्चा जायेगा, तो इस तरह हमें केवल १ प्रति शत वृद्धि प्राप्त होगी।

और इस के अतिरिक्त सभी उद्योग निजी व्यवसायियों के हाथ में रहेंगे, और उन के पास पूंजी का संचयन हो जायेगा। अब बताइये कि जब व्यक्तियों के पास पूंजी बढ़ती जायेगी तो और लोगों को किस प्रकार अवसर मिल सकेंगे। यद्यपि योजना बनाने वालों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि असमानता और आर्थिक विषमता दूर की जायेगी, और प्रधान मन्त्री जी ने भी यद्यपि यह कहा है कि निजी उद्योगों पर वह स्वयं नियन्त्रण करेंगे, फिर भी मुझे इस बात में बहुत अधिक सन्देह हो रहा है।

और, इस में बेकारी से बचने की कोई भी प्रत्याभूति नहीं दी गई है। तो सामाजिक जीवन-दर्शन की दृष्टि से मेरी वही सर्वप्रथम आलोचना है।

इस योजना की रचना को ही देख लीजिये। क्या इसे राष्ट्रीय योजना कहा जा सकता है ? इस के अन्तर्गत बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनायें और हीराकुंड, भाखड़ा-नांगल जैसी औद्योगिक परियोजनायें हैं—किन्तु वे हमारे लिये कोई नई चीज़ें नहीं हैं। युद्धोत्तर विकास परियोजनाओं के रूप में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें पहले ही से सोच रखा था। भाखड़ा-नांगल परियोजना तो १९४६ में बनाई गई थी और १९४६ में उसका कुछ निर्माण-कार्य भी प्रारम्भ हुआ था। इसी तरह दामोदर घाटी परियोजना या हीराकुंड परियोजनायें हैं जिन पर योजना का एक वृहदंश व्यय किया जायेगा। चुनाचि १९४५-४६ में डा० सावेज नाम के एक अमरीकी इंजीनियर यहां आये थे जिन्होंने इन योजनाओं को स्वीकार किया

था। केन्द्रीय जल तथा शक्ति आयोग की रिपोर्ट की जांच से इस बात का पता चलेगा कि उक्त योजना में सम्मिलित छोटी और बड़ी परियोजनायें हमारे लिये कोई नई चीज़ नहीं हैं। इसी तरह लोकोमोटिव वर्कशाप तथा मशीन टूल फ़ैक्टरी में धनन्यास योजना की नींव १९४३-४४ में ग्रेड़ी मिशन ने डाली थी। और कई योजनाओं की उत्पत्ति का पता सर अर्देशिर दलाल की रिपोर्ट से चल जायेगा। अतः क्या हम इसे राष्ट्रीय योजना कह सकते हैं? यह ठीक है कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद से हमने इस में कई एक नई बातें जोड़ दी हैं। एक बार डा० जॉन मथाई ने भी इसी प्रकार की योजनाओं पर बड़े भारी व्यय किये जाने की बातों का उल्लेख करते हुए कहा था कि इस प्रकार की कई योजनायें खत्ते में पड़ी हुई हैं. और अब हम ने उन खत्तों में से कई एक योजनायें निकाली हुई हैं। यदि हम यह कहें कि उक्त योजना तो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की परियोजनाओं को मिला कर बनाई गई है तो वह अधिक अच्छा और ठीक होगा। अन्तर इतना ही है कि उन सभी को एक पुस्तक के रूप में सिलाया गया है और इसे राष्ट्रीय योजना का नाम दिया गया है। अतः योजना के रूप में इस की यही समालोचना की जा सकती है।

मैं इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि ब्रिटिश सरकार ने युद्धोत्तर विकास परियोजनाओं में इन सभी को शामिल कर रखा था। उन दिनों ब्रिटिश सरकार इन्हें और किसी दृष्टि से शुरू करना चाहती थी, वास्तव में यह बात थी कि वह युद्धपूर्व आर्थिक स्थिति को पुनः बुलावा देना चाहते थे। चुनाचि यह योजना भी पांच वर्ष बाद फलीभूत होगी, अतः मेरा विचार है कि यह योजना सुव्यवस्थित नहीं है। योजना के नाम पर इस प्रारूप रूपरेखा योजना को चुनाव लड़ने का एक अच्छा साधन बनाया गया था। अब इस योजना से सरकार बाहरी देशों से और देश के अन्दर से बहुत सा धन भी एकत्र कर सकेगी।

अब आप योजना की नींव की भी जांच कर लीजिये। देखने से पता चलेगा कि वित्त तथा सार्वजनिक सहयोग पर ही यह योजना आधारित है। जहां तक वित्त के पक्ष का प्रश्न है, यह अनुमान लगाया जाता है कि इस पर २०६९ करोड़ रुपये का व्यय होगा, जिस में से १२५८ करोड़ रुपये हमें राजस्व आधिक्य, ऋणों तथा अन्य विविध साधनों से प्राप्त होंगे; १५६ करोड़ रुपये तो विदेशी सहायता से प्राप्त होंगे, और शेष .६५५ करोड़ रुपये की कमी विदेशी सहायता ऋण, अतिरिक्त करारोपण अथवा घाटे के वित्त से पूरी की जायेगी। इसमें पहले १२५८ करोड़ रुपये राज्यों से प्राप्त होंगे, चुनाचि उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य राज्यों को इस बात से आश्चर्य हुआ है कि उन्हें इतना धन देना पड़ेगा। इसी तरह अन्य राज्यों का भी यही हाल होगा, अतः मैं इस सम्बन्ध में इतनी आशावादी नहीं हूं।

अब रहा विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्रश्न। सोचने का विषय है कि क्या हमें विदेशी सहायता लेनी चाहिये। यों तो विदेशों में यह भावना है कि भारत जैसे नवोदित गणतन्त्र में धनन्यास करना अधिक लाभदायक है। अतः यदि बाहर के देशों से हम अधिक से अधिक सहायता लेते रहे तो देश को खतरा पहुंचने का डर है। चुनाचि प्रधान मन्त्री जी ने अपने पारिचायक भाषण में इस बात की आशंका प्रकट की थी।

विदेशी सहायता प्राप्त करना भी हमारे बस की बात नहीं है; हम उन विदेशियों

[श्रीमत सुचेता कृपलानी]

की दया पर रहेंगे और जब ही वे चाहें, हमें सहायता भेजेंगे, यह इसका एक और दुर्गुण है। मुझे कलकत्ते के हाल ही के दौरे से पता चला है कि विदेशी सार्थों का भारतीय के साथ सद्व्यवहार नहीं है : मुझे इस बात का भी निश्चय है कि मेरे मित्र श्री कृष्णमाचारी इस विषय में सभी बातों से परिचित हैं। पाकिस्तान वालों ने विदेशी सार्थों के साथ यह शर्तें बना रखी हैं कि ५० प्रतिशत कर्मचारी वर्ग पाकिस्तानी होगा, और शेष ५० प्रतिशत विदेशी होगा; मुझे इस बात का ज्ञान नहीं कि इस विषय में भारत का क्या रवैया रहेगा। मुझे इस बात का भी पता नहीं कि क्या विदेशी सहायता स्वीकार करने से हमारे देश को कोई लाभ भी होगा या नहीं। हो सकता है कि हमें थोडा सा लाभ हो, लेकिन देश के सामने बड़ा भारी खतरा भी प्रस्तुत होगा। चंकि मैं अर्थशास्त्र-विशारद नहीं अतः मैं य, नहीं कह सकती कि घाटे की वित्त-व्यवस्था से धन एकत्र हो सकेगा या नहीं किन्तु एक साधारण देशवासी के नाते मैं यह कहना चाहती हूं कि इस का अच्छा परिणाम नहीं होगा। हां, इतना तो मैं जानती हूं कि घाटे की वित्त-व्यवस्था से मुद्रास्फीति होने का डर रहता है। यदि मद्रास्फ़ीति हो जाय तो योजना का क्या हाल होगा।

अतः उक्त योजना की वित्तीय नींव इतनी सुरक्षित नहीं जितनी कि वह बनाई जा रही है। और जैसा कि स्पष्ट भी है, अर्थ के अभाव में योजना को परिवर्तित करना पड़ेगा, जिस से इस का वह सर्वश्रेष्ठ भाग जिस के कारण यह लोकप्रिय बना हुआ है, बिगड़ जायेगा।

३ म० प०

यदि हम अर्थ व्यवस्था नहीं कर सके तो हमें करारोपण करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि पहले से ही देश पर करों का बड़ा भारी बोझ है और यदि करारोपण और बढ़ गया तो देश भर में कठिनाइयां बढ़ जायेंगी। सरकार काफ़ी प्रत्यक्ष कर लगा चुकी है, और अब भी यदि उन में और बढ़ती हुई तो धनन्यास को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, जिस के परिणामस्वरूप वह अप्रत्यक्ष करारोपण शुरू करेगी। अब आप ही बताइये कि करों से दबे हुए लोगों पर क्या बीतेगी जब उन पर अतिरिक्त करों का बोझ डाला जायेगा। चुनाचि योजना का ऐसा पहलू लोगों को समृद्धि नहीं दिलायेगा बल्कि कठिनाई पैदा करेगा।

अब रहा सार्वजनिक सहयोग का प्रश्न। यह एक तथ्य है कि भारत में स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद से लोगों का उत्साह कम हो गया। अतः मैं इस सम्बन्ध में निराशावादी हूं और समझती हूं कि हमें सार्वजनिक सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता। यह ठीक है, कि योजना बनाने वालों ने लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत सेवक समाज नाम की संस्था भी बना ली है, मैं यह भी जानती हूं कि वे इसे एक दलभेदरहित संस्था बनाने जा रहे हैं, किन्तु तथ्य यह है कि उक्त संस्था कांग्रेस की ही एक शाखा है। चुनाचि इस संस्था के महत्वपूर्ण पदों पर कांग्रेसी काम करते हैं। मुझे अब भी पता नहीं चलता कि इन्होंने मुझे क्यों न्योता दिया। उन्होंने मेरी पार्टी से परामर्श नहीं किया था। मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया, मैं यह भी जानती हूं कि दिल्ली राज्य से दो सदस्य भारत सेवक समाज में लिये जा चुके हैं। एक मैं हूं और दूसरा समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्त्ता है। यदि उक्त संस्था में ९९ प्रति शत कांग्रेसी हों तो उसे गैर-कांग्रेसी संस्था नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि लोग इसे गैर-सरकारी संस्था समझते हैं। सार्वजनिक सहयोग

तो लोगों के उत्साह से प्राप्त हो सकता है। गांधी जी के दिनों में ऐसी बात थी। आजकल ऐसी कोई बात नहीं। क्यों ? क्योंकि सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका है। भला क्यों ? स्वतन्त्रता प्राप्त करते समय लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति श्रद्धा और निष्ठा थी, और वे कोई भी काम करने को तैयार थे। किन्तु भ्रष्टाचार, परिवार-पोषण तथा कार्य-कुशलहीनता के कारण सरकार से लोगों का सारा विश्वास उठ चुका, और अब उनकी कोई भी श्रद्धा नहीं रही है, जिस से उनका उत्साह भी समाप्त हो चुका है।

मैं नौकरशाही ब्रिटिश सरकार की ही नहीं बल्कि उस सत्तारूढ़ दल की जो हमारी सरकार बन बैठी है, टिप्पणी कर रही हूं। हम ने राज्यों में बड़े बड़े मन्त्रालय और मन्त्रिमंडल बनाये हैं—क्यों ? हां, इसलिये नहीं कि राज्यों में अच्छी तरह प्रशासन-कार्य चलता रहे, बल्कि इसलिये कि पार्टी की कोई न कोई बात सिद्ध हो सके। लोगों में विश्वास या श्रद्धा पैदा करने का यह कोई भी तरीक़ा नहीं।

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मैं किसी को गिराना नहीं चाहती, लेकिन तथ्य यह है कि परिवार-पोषण ज़ोरों पर है, मैं सच्चे दिल से इन बातों का उल्लेख करना चाहती हूं कि सरकार के हर किसी पहलू में भ्रष्टाचार, परिवारपोषण और कार्यकुशलहीनता जैसे दुर्गुण भरे पड़े हैं। यही कारण है कि लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, और सार्वजनिक सहयोग मिलना बड़ा कठिन हो गया है।

कहा जाता है कि प्रस्तुत योजना एक राष्ट्रीय योजना है। कितना हीं अच्छा होता कि यह बात सही होती। योजना बनाये जाने के समय किसी भी पार्टी से परामर्श नहीं लिया गया, बल्कि अन्य पार्टियों के जितने भी सदस्य बुलाये गये थे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत हुए थे। हम ने योजना बनते समय कई बातों का विरोध किया था, लेकिन हमारी बातें नहीं सुनी गईं, अतः मैं इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहती हूं कि यह एक पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की ही योजना है, हमारी यानी राष्ट्र की कोई भी योजना नहीं है।

अब आप योजना के उद्देश्यों को लीजिये —इस के दो उद्देश्य हैं : पहला, उत्पादन की वृद्धि तथा दूसरा, एक समान समाजवादी व्यवस्था की संस्थापना। यह बाद की बात बहुत ही विशाल है, अतः इस के साथ न्याय नहीं किया जा सकता। अब उत्पादन-वृद्धि को लीजिये। जहां तक खाद्य की वृद्धि का प्रश्न है, मुझे इस के अविश्वासनीय आंकड़ों से चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार लग रहा है। चाहे इस बात का कोई भी स्रोत हो, इतना तो अधिक घिसापिटा तथ्य है कि भारत में बनाये जाने वाले आंकड़े अविश्वसनीय हैं। सरकारी आंकड़े तक भी विश्वसनीय नहीं हैं। एक कहावत प्रसिद्ध है कि तीन प्रकार के झूठ हैं: झूठ, सफेद झूठ और उस से भी परे के सरकारी आंकड़े। अतः मैं आंकड़ों के झमेले में नहीं पड़ना चाहती। यों तो यह एकसर्वप्रसिद्ध बात है कि भारत के कृषि-सम्बन्धी आंकड़े बहुत ही त्रुटिपूर्ण हैं। यह आश्चर्य है कि जूट और कपास के सम्बन्ध में अभी से उद्दिष्ट आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं, किन्तु दुःख की बात है कि हम पाकिस्तान से जूट का आयात करने लगे हैं। जूट उत्पादक इस समस्या को नहीं सुलझा सकते कि उगाये हुए जूट का क्या किया जाय। मैं योजना बनाने वालों से इस बात का उत्तर पूछना चाहती हूं।

अब आप उद्योग की दिशा में आइये। इस का एक बड़ा भाग निजी उद्योगपतियों के हाथ में है। और वह इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि बहुत उत्पादन किया जा चुका

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

है, जिस के परिणामस्वरूप दाम गिर रहे हैं और लाभ कम होते जा रहे हैं। अब बताइये कि जो लोग अपने लाभ के लिये ही उत्पादन करना चाहते हों, उन से देश का क्या भला हो सकता है। अतः मुझे इस दिशा में भी निराशा लग रही है यदि निजी उद्योगपतियों के हाथ में यह काम रहा तो हम उत्पादन नहीं बढ़ा सकते।

कल के भाषणों में अमरीका की बहुत प्रशंसा की गई। मैं अमरीका के पुजारियों को बतलाना चाहती हूं कि १८५० और १९३३ के बीच अमरीका में बीस बार मन्दी आ गई।

अब मैं इस के दूसरे पहलू यानी समान सामाजिक व्यवस्था की संस्थापना पर विचार करूंगी। हमें प्रशासन-सम्बन्धी, उद्योग संबंधी और कृषि सम्बन्धी दिशा में समानता लानी है। इन में से समाज के नैतिक स्तर पर पहली बात का बहुत प्रभाव पड़ता है। देश की हर मां अपने बच्चे कम से कम एक आई० सी० एस० आफ़िसर बनता देखना चाहती है। अब इस दिशा में विषमता को किस प्रकार दूर किया जा सकता है ? योजना में इस बात के सम्बन्ध में कोई भी नई योजना नहीं सुझाई गई है। क्या वेतन-स्तरों में कोई परिवर्तन किया गया है ? आप ही बताइये कि ऐसी बातों से देश के मनोविज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

जहां तक उद्योग सम्बन्धी खंड का प्रश्न है, मैं बतला चुकी हूं कि वह निजी उद्योग-पतियों के हाथ में है। अतः सदा के लिये आर्थिक विषमतायें रहेंगी।

अब आप कृषि सम्बन्धी भाग को लीजिये। आयोग ने कई महत्वपूर्ण भूमि-सुधारों की सिपारिश की है। यह प्रस्ताव किया गया है कि भूमिखंड के परिमाण की अधिकतम सीमा, जो एक व्यक्ति के पास रहेगी, निश्चित की जायेगी, और इस प्रकार से प्राप्त की गई भूमि का पुनःवितरण होगा। कुछ भी हो, हम इस का स्वागत तो करते हैं। इस में भी एक दिक़्क़त है। इस योजना को कार्यान्वित किये जाने की बात राज्यों के हाथ में रखी गई है। क्या हमने कोई सीमा बांध रखी है कि अमुक समय तक इस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिये ? सभी जानते हैं कि जमींदारी उन्मूलन योजना में कितनी कठिनाइयां प्रस्तुत हुईं। अतः मुझे इस बात में सन्देह लग रहा है कि चूंकि योजनान्तर्गत यह एक प्रगतिशील उपाय राज्यों की इच्छा पर छोड़ा जा रहा है, अतः इस से कोई भी काम पूरा नहीं हो सकेगा।

खैर, कृषि के सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहती हूं कि फसलों को योजनाबद्ध करने तथा मूल्यों को समन्वित करने की बड़ी आवश्यकता है। खाद्य तथा नगद फसलों की प्रतिद्वन्द्विता से देश को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जब तक इस अड़चन को समाप्त नहीं किया जाता, तब तक देश में पर्याप्त खाद्य नहीं मिल सकता। मैं आप से यह पूछना चाहती हूं कि क्या आप खाद्यान्न के निम्नतम दाम तथा नगद फसलों के उच्चतम दाम निश्चित करना चाहते हैं।

जहां तक खाद्य-उत्पादन का प्रश्न है, खाद्यान्न के उत्पादन पर ही अधिक ध्यान दिया गया है। हम इस बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते कि परिपूर्ण भोजन का उपभोग तथा उत्पादन होना चाहिये। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि कौन सी भूमि किस उपज के लिये अधिक उपयुक्त है, और उस के बाद हमें परिपूर्ण भोजन बनाने वाले खाद्य-वस्तुओ का उत्पादन करना चाहिये।

कुटीर उद्योग के सम्बन्ध में भी एक आध शब्द कहना चाहती हूं। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आयोग इस बात को स्वीकार करता है कि कुटीर उद्योग को हमारे ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम का केन्द्रीय भाग होना चाहिये। सरकार को इस बात पर बधाई दी जानी चाहिये उन्होंने उत्पादन के क्षेत्रों के अभिरक्षण की आवश्यकता का उल्लेख भी किया है। ठीक है। किन्तु इस से यह सारा चित्र पूरा नहीं हो पाता। बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ प्रतिद्वन्द्विता में आने के कारण विगत कई वर्षों से कुटीर उद्योग खड्डे में पड़ गये हैं, अतः इस बात की आवश्यकता है कि इस उद्योग की पूरी तरह से रक्षा की जाये, अन्यथा हमारी सदभिलाषाओं के बावजूद भी कुटीर उद्योग बचे नहीं रहेंगे।

इस का एक और भी पहलू है। मैं नहीं जानती कि क्या योजना आयोग इस बात का महत्व समझता है कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलने से हमारी बेकारी दूर भी हो सकती है या नहीं। जहां तक मुझे मालूम है, मैं आप को एक राज्य के आंकड़े बता सकती हूं। उत्तर प्रदेश की श्रमिक जनसंख्या का ८० प्रति शत कुटीर उद्योग में काम कर रहा है और केवल २० प्रति शत कारखानों में काम कर रहा है। यदि यही अनुपात है तो योजना आयोग को इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिये कि किस प्रकार कुटीर उद्योग को देश के आर्थिक कार्यक्रम में उच्च स्थान मिल सकता है, ताकि देश में बेकारी की समस्या को दूर किया जा सके।

जहां तक बेकारी का प्रश्न है, इस पंचवर्षीय योजना में कोई भी ऐसी योजना नहीं जिस के अनुसार सभी को पूरा पूरा काम मिले या कई एक को ही काम मिले। यह भी नहीं हो सकता कि लोगों में उत्साह बढ़ाया जा सके। अतःएव हमें बेकारी की इस समस्या को सुलझाने के लिये कोई अधिक प्रभावशाली योजना ढूंढ लेनी चाहिये।

अन्त में यह कह देना चाहती हूं कि प्रशासकीय उपकरण की कार्यक्षमता पर ही सब कुछ निर्भर करता है। यदि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये ईमानदार और कार्यकुशल व्यक्ति मिलें तो यह काम पूरा हो सके, अन्यथा, इस पर जितना भी धन और श्रम लगाया गया है वह सब नष्ट हो जायेगा। मैं जानती हूं कि योजना आयोग भी इस सम्बन्ध में बहुत निराश हो चुका है कि बहुत सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी परिवार-पोषण, भ्रष्टाचार और कार्यकुशलहीनता का उन्मूलन नहीं किया जा सका। क्यों? क्योंकि हम ने कड़े साधनों को नहीं अपनाया। योजना आयोग गोड़वाला रिपोर्ट के निष्कर्षों को स्वीकार तो कर लेता है लेकिन उस रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करता। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था की मौलिक त्रुटि ही अधिक महत्वपूर्ण है, और जब तक आप इस में आमूल परिवर्तन नहीं करते तब तक आप भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं कर सकते। इस समय हमें सामाजिक और आर्थिक प्रगति की आवश्यकता है, और ऐसी नई व्यवस्था की आवश्यकता है जिस में किसी भी प्रकार की विषमतायें नहीं हों और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार होने की गुंजाइश न हो।

मुझे डर है कि मैं इतनी तेजी से भी....

उपाध्यक्ष महोदय : तेज़ी के बावजूद भी माननीया सदस्या कदाचित् भाषण समाप्त नहीं कर सकेंगी।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मैं अभी समाप्त कर लूंगी। मैं अपनी मानसिक प्रतिक्रियायें बतला चुकी हूं। वास्तव में योजना की सामग्री इतनी विशाल है कि इतने अल्प

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

काल में इस का अध्ययन नहीं किया जा सकता। मैं अपनी इस आलोचना के बावजूद भी आयोग को इस बात की बधाई देती हूं कि उन्होंने इतने थोड़े समय में इतना अधिक काम किया है। यह ठीक है कि उन्होंने सफलपूर्वक आंकड़ों का संचयन किया है, लेकिन स्वयं योजना निर्जीव है। जब तक सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जायेगा, तब तक इस योजना में जान नहीं आ सकेगी।

श्री कर्णी सिंहजी (बीकानेर-चूरू) : मैं प्रधान मन्त्री और योजना आयोग को उन के इस सर्वश्रेष्ठ उत्साह पर बधाई देना चाहता हूं। यह स्पष्ट है कि प्रधान मन्त्री जी के प्रयत्नों से ही यह पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। और मैं यह भी आशा करता हूं कि प्रधान मन्त्री जी के प्रयत्नों से ही यह योजना पूरी हो जायेगी और देश से निर्धनता और बेकारी दूर हो जायेगी। कोई भी योजना पूरी नहीं होती, और यदि हम इस योजना में भी छिद्रान्वेषण प्रारम्भ करें तो इसमें भी कई एक खामियां दिखाई देंगी। कुछ भी हो हमारे पास यह योजना प्रस्तुत की जा चुकी है, और अब हमारा यह कर्तव्य है कि इस को सफल बनायें। मैं आशा करता हूं कि यह योजना अनेक योजनाओं की अग्रगामिनी सिद्ध होगी, और आशावादी होने के नाते मैं इस बात की भी आशा करता हूं कि २५ वर्ष बाद भारत संसार के किसी भी देश के साथ होड़ में पूरा उतरेगा।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : यदि तब तक भारत ज़िन्दा रहा।

श्री कर्णी सिंहजी : श्री पाटिल बतला भी चुके हैं कि हमें देश में एक मनोवैज्ञानिक वातावरण पैदा कर लेना चाहिये। मैं उन से पूरी तरह सहमत हूं। हमें चाहिये कि साधारण समस्याओं को उठायें जिस से हमारा उद्देश्य पूरा हो सके।

योजना को पूरा करने में भ्रष्टाचार, आदि जैसी कई रुकावटें हैं। इस में सन्देह नहीं कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से ऐसी हवा फैली है, लेकिन अब हमें इस बात को गर्हित समझ कर घूंस, आदि लेने की परंपरा छोड़ देनी चाहिये। घूंसखोरी को दूर करने के लिये हमें प्रलोभनों को भी रोक देना चाहिये। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के पूरा होने में रुकावट भी बन जाये तो उसें आजीवन कारावास दिया जाना चाहिये। देश की प्रगति को निर्बाध रूप से चलाने के लिये हमें लाल फीताशाही को भी हटा लेना चाहिये।

अब मैं राजस्थान प्रान्त की बात कहूंगा, क्योंकि यह मेरा अपना प्रान्त है। यह एक सर्वविदित बात है कि राजस्थान बहुत ही पिछड़ा भाग है, अतः उसे किसी अन्य राज्य की अपेक्षा केन्द्रीय सरकार की सहायता की अधिक आवश्यकता है। राजस्थान जैसे विशाल प्रान्त के लिये जहां १,५२,००,००० व्यक्ति बसते हैं, केवल १६,८२,००,००० रुपये की सहायता वंटित हो चुकी है जबकि ४१ लाख जनसंख्या वाले सौराष्ट्र प्रान्त को २० करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। इसी प्रकार १,८६,००,००० जनसंख्या वाले हैदराबाद को ४१ करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। मात्र ९० लाख जनसंख्या वाले मैसूर को ३६ करोड़ रुपये की सहायता मिलती है। मुझे इस बात से कोई ईर्ष्या नहीं, किन्तु मैं प्रधान मन्त्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे हमारे राजस्थान को भी यथोचित आर्थिक सहायता दिला दें। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि राजस्थान काफ़ी पिछड़ चुका है; वहां बेकारी बहुत अधिक हद तक बढ़ चुकी है और लोगों का जीवन-स्तर बहुत ही नीचे गिर चुका है। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल

रहा है, और जो छंटनी में आ चुके हैं उन्हें और कोई नौकरी देने के बिना काम से निकाला जा रहा है ।

राजस्थान के नगरवासियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है । उन की रोटी छीनी जा रही है । यहां मैं उन कई एक विशेष बातों का उल्लेख करूंगा जिन से हमारे प्रान्त को सहायता मिल जाती । सर्वप्रथम वहां के छोटे तथा बड़े पैमाने के कुटीर अथवा अन्य प्रकार के उन उद्योगों को लीजिये जिन में हमारे बेकार श्रमिकों को काम मिल जाता । चूंकि इस समय उद्योगों का स्थान निश्चित किया जा रहा है, अतः मैं भारत सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर आदि ऐसे स्थानों में जहां बेकारी बढ़ती जा रही है, इन उद्योगों को खोला जाय, ताकि बेकारी की समस्या को किसी हद तक हल किया जा सके । हमें जैसलमेर के साथ रेल मिलाने की बात पर भी विचार करना होगा । चुनाचि चम्बल योजना को सर्वप्रथम चालू किया जाना चाहिये । राजस्थान के उस विशाल रेतीले क्षेत्र में कुएं खोदे जाने की बात पर भी विचार किया जाना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : पानी वाला महाराज ।

श्री कर्णी सिंहजी : पानी वाले महाराज से कोई भी सहायता नहीं मिल सकती । जहां तक भी हो सके बीकानेर शहर में जल-विद्युत शक्ति के प्रतिष्ठान से बहुत से उद्योग खुल सकेंगे, और उस के परिणामस्वरूप बेकारों को काम दिलाया जा सकेगा । भाखड़ा के पानी को यथासम्भव दक्षिण की ओर राजस्थान तक पहुंचाना चाहिये ताकि राजस्थान में सिंचाई के योग्य भूमि पर कृषि की जा सके ।

पुनः मैं इस बात के लिये प्रार्थना करूंगा कि राजस्थान के मुख्य शहरों को इस समृद्धि का उचित भाग दिलाया जाना चाहिये । ऐसा नहीं होना चाहिये कि वे १९४९ की परिस्थिति को भी खो बैठें । संक्षेप में, मैं यह आशा प्रगट करना चाहता हूं कि प्रान्तों में इस पंचवर्षीय योजना को एक राजनीतिक ढकोसला नहीं बनाया जायेगा । अन्त में यह कहना चाहता हूं कि राजस्थानवासी प्रधान मन्त्री जी से सहानुभूति और न्याय की आशा कर रहे हैं ।

श्री गाडगिल (पूना-मध्य) : माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प की शर्तों के अनुसार, मेरा यह विचार था कि सिद्धान्त, कार्यक्रम तथा निर्देशों के साधारण विचार के क्रम से ही भाषणों को क्रम दिया जायेगा, किन्तु जब मैं ने प्रो० मुकर्जी का भाषण सुना तो मुझे बड़ा दुःख हुआ । मेरा विचार था कि संकल्प पढ़ने के बाद केवल अपराधी ही इस का विरोध करेंगे, किन्तु अब मैं यह देख रहा हूं कि साम्यवादी भी पूरे ज़ोर से इस का विरोध कर रहे हैं । इस से यह सिद्ध होता है कि यदि इस योजना को शुरू किया गया तो भविष्य में इसका कितना सारा विरोध होगा । (**अन्तर्बाधा**) मेरा यह सुझाव नहीं है कि उन के साथ वही व्यवहार होना चाहिये जो रूस तथा अन्य सर्वाधिकारवादी देशों में विरोधी पार्टियों के साथ किया जाता है । क्योंकि सदन में इस प्रकार की आलोचना किये जाने की सुविधायें मिल रही हैं अतः यही तथ्य इस बात का प्रमाण है कि प्रस्तुत योजना एक लोकतन्त्रात्मक योजना है ।

इस योजना की लोकतन्त्रात्मकता देखने के लिये हमें तीन बातों को देखना पड़ेगा—(१) क्या इस के कार्यान्वित किये जाने से पहले सभी पार्टियों को राय देने का बुलावा मिला, (२) क्या इस के कार्यान्वित करने में सभी पार्टियों का साथ रहा, तथा (३) क्या इस योजना के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए लाभों से सभी लोगों ने जाति, मत अथवा धर्म भेद रहित लाभ उठाया । मेरी यह राय

[श्री गाडगिल]

है कि यह योजना, जैसा कि प्रधान मन्त्री जी के शान्दार भाषण से भी स्पष्ट हो चुका है, रूप तथा तत्व में लोकतन्त्रात्मक है। अब हमें इस सदन में निष्पक्ष रूप से इस बात पर विचार करना चाहिये कि किस प्रकार इसे सम्यक रूप से कार्यान्वित किया जा सकेगा और किस प्रकार अपने सभी उपलब्ध साधनों से लाभ उठाया जा सकेगा।

श्रीमती सुचेता कृपलानी ने बतलाया कि यह योजना देश के लिये कोई नई चीज़ नहीं क्योंकि इस के अस्तित्व में आने से पहले कई एक योजनायें बन चुकी थीं। यह ठीक है, क्योंकि किसी भी काम को बिना आधार के शुरू नहीं किया जा सकता। इस योजना से पहले सोवियत योजना, बम्बई योजना और अनेक राज्य-युद्धोत्तर विकास समितियों द्वारा अनेक योजनायें बनाई जा चुकी थीं। किन्तु हमारी सरकार चूंकि बिल्कुल नई योजना नहीं बना सकती थी अतः हम ने उक्त योजनाओं से कहीं कहीं कोई कोई सहायता ले ली। योजना बनाने वालों ने सब से पहले पुरानी मौजूद बातों का एकीकरण किया और अव्यवस्था दूर कर के किसी हद तक एक व्यवस्था पैदा की। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि हमारा देश सर्वप्राचीन, सब से पिछड़ा, सब से अधिक समस्याओं भरा और सब से अधिक उलझे और पतले साधनों वाला देश है। अतः हमें पूरी सावधानी बरत कर चलना चाहिये।

योजना की सफलता इस बात में भी है कि यदि इन २७ वर्षों से पहले हमारे देश के औसत दर्जे के व्यक्ति को जीवन में अधिक सहूलियतें मिलें, और यदि इन २७ वर्षों में व्यक्ति की आय दो गुनी हो सकी तो हमें इस को एक सफल योजना समझ लेना चाहिये।

कृषि और उद्योग खंडों की सफलता पर ही इस योजना की सफलता निर्भर कही जा सकेगी। यह स्पष्ट है कि हम खाद्य का आयात करते हैं और यह भी स्पष्ट है कि हम उपलब्ध जल का केवल ६ प्रतिशत अपने काम में लाते हैं। यदि हम उपलब्ध जल का १० प्रतिशत ही प्रयोग में लायें तो हम बहुत ही शीघ्र खाद्य में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। इन ही बातों को ध्यान में रख कर इतनी नदी घाटी योजनाओं को उठाया गया। तो नदी घाटी योजनाओं की इस दिशा में कृषि और उद्योग मिले हुए हैं, क्योंकि नदी घाटियों से सिंचाई के लिये जल, उद्योगों के लिये बिजली और बेकारों के लिये काम मिल सकेंगे। किसी भी आधुनिक देश ने तब तक अपने देश का उद्योगीकरण नहीं किया जब तक बहुत सस्ते दामों पर बिजली का पर्याप्त प्रदाय उपलब्ध नहीं किया। इस बात के लिये कैनाडा का इतिहास देख लीजिये। जहां कहीं भी बहुतायत में सस्ती बिजली उपलब्ध होगी, केवल वहां उद्योगीकरण संभव हो सकेगा। नदी घाटी योजनाओं के सम्बन्ध में यही बात की जा रही है।

६० लाख से २ करोड़ एकड़ तक के विविध आंकड़े कृषि योग्य बंजर भूमि के सम्बंध में बताये जा चुके हैं। कुछ भी हो, हमें चाहिये कि भूमि का एक-एक इंच कृषि में लाया जाय। यदि सरकार इस बात की कोई व्यवस्था नहीं कर सके तो वैसी भूमि का राष्ट्रीयकरण कर ले, क्योंकि रूस में भी जब उद्योग की दिशा में क्रान्ति हुई थी तो वह भी सामूहीकरण से हुई थी। चुनाचि वहां लगभग दो वर्षों में उत्पादन में ५० प्रतिशत वृद्धि हुई।

हमारे देश की आर्थिक नीति तो खाद्य नीति की सफलता पर निर्भर करती है। अतः मेरी यह प्रार्थना है कि खाद्य नीति में पूरी सावधानी बरती जानी चाहिये। उन्नीस-बीस नहीं होना चाहिये।

डा० एस० पी० मुकर्जी : क्या यह नियंत्रित भाषा का प्रयोग हो रहा है ?

श्री गाडगिल : जीत तो सब से बड़ी जीत है यदि योजना सफल हो। **(एक माननीय सदस्य :** सही है) **और यदि** योजना असफल रही तो क्या सरकार, क्या देश और क्या लोकतन्त्र सभी की असफलता होगी, जिस के परिणामस्वरूप पूंजीवाद या साम्यवाद के आक्रोश के लिये जगह निकल आयेगी। मैं इन दोनों को हृदय से घृणा करता हूं **(अन्तर्बाधा)**।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : आप पूंजीवाद के पक्षपाती हैं।

श्री गाडगिल : कृषि सम्बन्धी प्रगति पर जो कुछ भी विचार हुआ है, उसमें श्रीमती कृपलानी से मैं इस बात में पूर्णतया सहमत हूं कि कृषि में सुधार करने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिये आधुनिक टैकनीक का उपयोग ही तब तक पर्याप्त नहीं जब तक सामाजिक क्रान्ति न हो और जब तक समस्या का कोई सुलझाव नहीं ढूंढा जाय। हमारे देश में बेकारी और कम रोज़गारी साथ ही साथ चल रहे हैं। कृषि-उत्पादन बढ़ाने और कृषि में विकास करने के साथ साथ अधिक उद्योगीकरण की भी आवश्यकता है। अन्यथा आप जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। अतः जनसंख्या की आनुपातिक बढ़तो को रोकने के लिये उद्योगीकरण पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा।

जब तक गांवों में साख दिवे जाने, मंडी बनाये जाने तथा खुदरे के व्यापार का सामाजीकरण नहीं होता तब तक योजनान्तर्गत सहकारी कृषि का आयोजन संभव नहीं हो सकता। आज भी यदि सहकारी आन्दोलन किसी हद तक असफल रहा है तो उस का यही मुख्य कारण है कि उसे निजी व्यापारियों के साथ प्रतिद्वन्द्विता में होड़ लगानी पड़ी है। अतः इस दिशा में भी ध्यान दिया जाना चाहिये। यह भी स्पष्ट है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत से ऐसे व्यक्तियों को, जो कृषि पर निर्भर करते हैं, उद्योगों में नहीं लिया जाता, तब तक वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती .. . . .

श्री त्यागी : गांवों में भी उद्योगवाद फैलना चाहिये।

श्री गाडगिल : ···मैं यह भी जानता हूं कि उद्योग के क्षेत्र में निजी उद्यम के लिये अभी भी काफ़ी गुंजायश रखी गई है। किन्तु, जैसा कि प्रधान मन्त्री जी ने बहुत ही ठीक ढंग से बतलाया भी है, कि यह नियन्त्रित अर्थव्यवस्था के अधीन रहेगा, और मेरी यह आशा है कि नियन्त्रण को प्रभावपूर्ण ढंग से काम में लाया जायेगा।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : कौन नियन्त्रण बिठायेगा ?

श्री गाडगिल : इस सम्बन्ध में यह बतलाया जा चुका है कि सरकार उन उद्योगों में हाथ डाल रही है जो उत्पादक-वस्तुओं का निर्माण करते हैं और उस के परिणामस्वरूप निजी पूंजीपतियों को ऐसी दिशा में काम करने का अवसर मिलेगा जहां अधिक और तुरन्त लाभ होगा। हो सकता है कि फिलहाल यह एक तथ्य हो, किन्तु वास्तविकता यह है कि इन्हें साधारण योजना के ढांचे में ही काम करने दिया जाना चाहिये। और जहां तक विदेशी सहायता का प्रश्न है उसे सरकारी स्तर पर ही प्राप्त किया जाना चाहिये, निजी विदेशी पूंजी के रूप में नहीं क्योंकि यदि देश में निजी पूंजी समाने लगेगी तो यहां के वैयक्तिक पूंजीपतियों के हाथ दृढ़ होंगे, और उस से देश की अर्थनीति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। चुनाचि ऐसे निजी पूंजीपतियों के कई प्रतिनिधि यहां भी मौजूद हैं। **[अन्तर्बाधा]**

मैं आप को तुरन्त ही यह सुझाव नहीं देना चाहता कि रोज़गारी बढ़ाने के लिये आप

[श्री गाडगिल]

तत्काल कोई क़दम उठायें, क्योंकि मैं जानता हूं इस में आप का बहुत धन व्यय हो जायेगा। हमें यह भी बताया जा रहा है कि योजना को कार्यान्वित करते समय वित्त का अभाव होगा। मेरा भी ऐसा ही विचार है किन्तु यदि आज हम कुर्बानियां करेंगे तो हमारा भविष्य बहुत ही उज्ज्वल होगा, हां, जहां तक कुर्बानियां करने का प्रश्न है, चारों ओर से बराबर कुर्बानियां होनी चाहियें।

श्री नम्बियारं (मयूरम्) : कितनी ही असंभव शर्त है !

श्री गाडगिल : अतःएव, मैं सरकार तथा योजना आयोग को इस बात पर ज़ोर दूंगा कि उन्हें लाभांश-सीमा का सहारा लेना चाहिये, और किसी भी निश्चित सीमा से अधिक कमाया गया लाभ उस विशेष उद्योग के श्रमिकों की दशा सुधारने पर व्यय किया जाना चाहिये, अन्यथा उस के सहारे दाम कम किया जाना चाहिये, और शेष राशि सरकार को दी जानी चाहिये। इस प्रकार के उपचार से देश भर में उत्साह बढ़ जायेगा, अन्यथा लोग यही सोचेंगे कि प्रस्तुत योजना ने धनिकों को अधिक धनी और निर्धनों को अधिक निर्धन बना लिया है।

यह भी बताया गया है कि कदाचित् किसी समय योजना के लिये पैसा नहीं रहेगा, किन्तु मैं यह समझता हूं कि योजना के लिये कभी भी वित्त का अभाव नहीं रहेगा। यदि देश भर में दृढ़ निश्चय है, और यदि यहां के लोगों का यही विश्वास है कि जो कुछ रूस में हुआ, वही यहां भी होगा, तो निश्चय ही यहां भी रूस की जैसी प्रगति होगी।

यदि हमारे देशवासियों ने भी जी-जान से योजना के लिये काम किया तो इस की सफलता म कोई भी सन्देह नहीं रहेगा।

डा० एस० पी० मुकर्जी : क्या यहां गुजरात और महाराष्ट्र का मुक़ाबला हो रहा है ?

श्री गाडगिल : हां, बंगालियों के साथ भी मुक़ाबला किया जा रहा है। यहां भी आप पूंजीवादी बीमारी से मुक्त नहीं हैं। अतः मैं यह भी सुझाव दे रहा हूं कि कालान्तर में बैंकिंग, बीमा, व्यापार--विशेषतः थोक व्यापार-- को सरकार अपने हाथों में ले, और जहां तक हो सके, वह विदेशी व्यापार में भी अपना हाथ डाले, क्योंकि पहले से ही ऐसी रिपोर्टें मिल चुकी हैं कि वस्त्र, जूट, आदि का विदेशी व्यापार भी सरकार को अपने हाथों में लेना चाहिये। इसी प्रकार, पिछले सत्र में मैं ने वस्त्र उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कहा था जब मुझ से कहा गया था कि उन कारख़ानों को चलाने के लिये प्राविधिक प्रशिक्षा के व्यक्ति मौजूद नहीं हैं। किन्तु मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिन राज्यों में काफी प्राविधिक प्रगति हो चुकी है, वहां जूट, वस्त्र, चीनी आदि के उद्योगों को वे ही राज्य संभालें। मेरे पास मान्य मित्र श्री खंडूभाई देसाई द्वारा लिखी गई एक छोटी सी पुस्तक है जिस में उन्होंने हमें यह बतलाया है कि युद्धकालीन वर्षों में वस्त्र उद्योग ने ३०० करोड़ रुपये का लाभ कमाया, और इस के पश्चात् विनियन्त्रण के केवल पांच महीनों में उन्होंने और २०० करोड़ रुपये का मुनाफ़ा जोड़ लिया। अब जिस समय आप इन को स्थानान्तरित कर लेंगे, उस समय आप अनिवार्य भर्ती से काम लें--यानी कानपुर की मिलों में काम करने वालों को बम्बई भेज दें, और बम्बई वालों को कानपुर भेज दें। इस से काम में सुभीता पड़ेगा और राष्ट्रीयकरण भी सरल ढंग से हो सकेगा। इस में किसी कवि की कल्पना नहीं, बल्कि एक तथ्य है।

श्री त्यागी : बेचारा तुलसीदास !

श्री गाडगिल : मैं यह भी जानता हूं कि यदि मैं आप को इस प्रकार का सुझाव दूं कि योजना की प्रारम्भिक स्थिति में हड़तालों और कारखाने बन्द किये जाने की बातों को अवैध ठहराया जाय, तो इसे एक प्रतिक्रियावादी बात समझा जायेगा। कुछ भी हो, मैं आप को एक सही बात बता रहा हूं ।

श्री नम्बियार : ऐसा नहीं किया जा सकता ।

श्री गाडगिल : यदि सरकार इस बात में कोई कमज़ोरी दिखा दे तो निश्चय ही प्रो० मुकर्जी के दल के सदस्य योजना के रास्ते में रोड़े अटका देंगे । यदि आप योजना को पूर्णतया कार्यान्वित करना चाहते हैं तो आप इस स्थिति से खेल-तमाशा न कीजियेगा । इस बात का ध्यान रखिये कि कामकर को पर्याप्त पारिश्रमिक मिलता है और वह सन्तोषपूर्ण ढंग से काम करता है, और इस बात की भी देखभाल कीजिये कि वह कहीं यहां बैठने वाले मेरे उन मित्रों के कहने पर बिगड़ तो नहीं जाता [**अन्तर्बाधायें**]

देश के वित्त पर पूरा नियन्त्रण करने के लिये बचत का केन्द्रीयकरण होना चाहिये, और उस बचत को सभी वर्गों के लाभ के लिये बांटा जाना चाहिये । यदि ऐसी बात हो जाय तो इस योजना से उत्साह पैदा हो जायेगा । मेरे मित्र श्री एस० के० पाटिल ने कल इस बात पर ज़ोर दिया कि लोगों पर कोई भी कर नहीं लगाना चाहिये । मैं इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि जब तक आप कर नहीं लगाते, तब तक आप को सफलता भी नहीं मिल सकती । करारोपण---दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष---बहुत ही आवश्यक है । भले ही अप्रत्यक्ष करारोपण से काम लेना पड़े, बचत हो जानी चाहिये । हमें इस सम्बन्ध में यह भी देख लेना है कि कौन से लोग करारोपण से असंतुष्ट हैं । क्या मलबार पहाड़ियों पर रहने वाले करोड़पति इस से असन्तुष्ट हो रहे हैं, अथवा वरेल के छप्पड़ों में रहने वाले ग़रीब मज़दूर इन करों का आरोपण नहीं चाहते ? निश्चय ही ग़रीब मज़दूर असन्तुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उन के पास धरा क्या है जो वे असंतुष्ट हों । निराशा और निर्धनता उन के आजीवन साथी हैं, अतः उन्हें इस बात से खटका नहीं होगा । अतः इस प्रकार की स्थिति को समाप्त कर दिया जाना चाहिये । यदि लोगों का इस बात का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाय कि अब उनकी दशा सुधर रही है, और उन्हें भरपेट खाने के इलावा थोड़ा सा धन बचाने को भी मिल रहा है, तो देश भर में उत्साह बढ़ जायेगा, और इस बांच वर्ष की अवधि के बाद यह योजना सफल हो जायेगी ।

मैं सभी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इसे योजना नहीं समझें, बल्कि एक आवश्यक कार्य समझें और पूरा ज़ोर लगायें ताकि देश से निर्धनता की चीखें और पूंजीवाद के गढ़ शीघ्रातिशीघ्र समाप्त हो जायें । मुझे देश की सीमाओं का भी पूरा ज्ञान है, और भारत जैसे देश में तब तक शीघ्र आर्थिक विकास नहीं हो सकता जब तक वर्तमान धन-वितरण तथा आर्थिक शक्ति में आमूल परिवर्तन नहीं होगा और जब तक सामाजिक क्रान्ति नहीं होगी । यह भी स्पष्ट है कि इस प्रकार के विकास के लिये हर एक व्यक्ति को कई कुर्बानियां करनी पड़ेंगी । अतः समय की यह मांग है कि प्रबुद्ध नेतृत्व हो, योजना को ईमानदारी और योग्यता से कार्यान्वित किया जाये, तथा सारे समुदाय में अनुशासन रहे । इन वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें भारत का निर्माण करना होगा और एक नई सामाजिक व्यवस्था करनी होगी ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी (चित्तूर) : योजना बनाने का सब से महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि सब से पहले प्राथमिकताओं का निश्चय होता है । और प्राथमिक बातों के व्यवस्था

[श्री विश्वनाथ रेड्डी]

करने की योजना तो हमारे जैसे देश के लिये और भी अधिक महत्वपूर्ण है ; क्योंकि हम आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हुए हैं । चुनाचि योजना आयोग ने इस बात को दृष्टि में रखते हुए कहा भी है कि इन पांच वर्षों की अवधि में हमें कृषि, सिंचाई तथा विद्युत-शक्ति को प्राथमिकता देनी पड़ेगी ।

४ ब० प०

मैं यह समझता हूं कि आयोग ने भी इसीलिये कृषि को योजना का महत्वपूर्ण अंग मान लिया है, क्योंकि खाद्य उत्पादन अपर्याप्त होने के कारण ही हमारे देश को इतना पीछे रहने पड़ा है । खाद्य-उत्पादन को बढ़ाने के लिये ही इतनी सारी योजनायें बनाई गई हैं, क्योंकि हमारे देश के बहुत से भागों में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है । इसी बात को आधार मानते हुए आयोग ने प्रादेशिक विकास-योजनाओं पर अधिक ज़ोर दिया है । स्वयं मैं चूंकि रायलासीमा का सदस्य हूं अतः मुझे पिछड़े क्षेत्रों से सम्बन्धित विकास-योजनाओं में और भी अधिक रुचि है । इस सदन में कई बार रायलासीमा का उल्लेख हुआ है, और यहां के कई सदस्यों ने हमारी विपदाओं पर मकर के आंसू भी बहाये हैं । (**एक माननीय सदस्य** : सच्चे आंसू बहाये हैं) कुछ भी हो, जब मैं ने आयोग की रिपोर्ट का तीसरा खंड देखा तो मुझे पता चला कि रायलासीमा तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों के सम्बन्ध में कोई भी योजना सम्मिलित नहीं की गई है ।

यों तो योजना बनाने वालों ने रायलासीमा के नाम पर नादिकोंडा योजना तथा कृष्णा नहर योजना की दुहाई दी है, किन्तु जब काम करने की बात होती है तो कोई भी चीज़ नहीं हो पाती । अतः यदि आयोग प्रादेशिक योजनायें चलाना चाहता है तो पिछड़े क्षेत्रों के लाभ के लिये योजनायें बनाई जानी चाहियें । यह तो स्पष्ट है कि सुधार और विकास को आंकने के लिये उन क्षेत्रों का ही सुधार देखा जाता है जो सब से कमज़ोर हों ।

वैज्ञानिक अनुसन्धान के क्षेत्र में तो अनेक योजनाओं को सम्मिलित किया गया है । चुनाचि यह एक हर्षोत्पादक बात है कि रेडियो एण्ड इलेक्ट्रिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट, दि मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, दि सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के विकास के लिये व्यवस्था कर दी गई है । किन्तु कृत्रिम वर्षा के सम्बन्ध में अनुसन्धान कराने का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है । अतः मेरा यह अनुरोध है कि इस दिशा में भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये तथा कलकत्ता स्थित जादवपुर अनसन्धान स्टेशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ, उन्हें इस बात के लिये विवश किया जाना चाहिये कि वे उन प्रदेशों में भी ऐसे अनुसन्धान स्टेशन खोलें जहां बहुत कम वर्षा होती हो ।

मुझे इस बात से हर्ष हो रहा है कि खनिज पदार्थों के विकास तथा भूतत्वीय परिमाप के सम्बन्ध में कई एक योजनायें बनाई गई हैं, जिन से देश की समृद्धि में वृद्धि होने की संभावना है, किन्तु मेरा यह अनुरोध है कि खनिज पदार्थों के साथ साथ भूगर्भीय जल के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान होना चाहिये, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियों को काम में लाने के लिये हमें बाहरी जल के अतिरिक्त भूगर्भ में बहने वाले पानी को भी ध्यान में लाना होगा, अन्यथा वह २५ प्रतिशत पानी बेकार रहेगा और देश उस से कोई भी लाभ नहीं उठा सकेगा ।

मैं डा० कृष्णास्वामी की इस बात से सहमत हूं कि घाटे की वित्त व्यवस्था से हमें, इस योजना के लिये बहुत सा धन मिल सकेगा । हमारे देश की उत्पादक सामर्थ्य में, अन्य

बातों के अतिरिक्त, हमारा अतुल जनबल भी आता है, जिससे यदि ठीक ढंग से काम लिया जाय तो देश का कल्याण हो सकेगा। हमें चाहिये कि देश के समर्थ स्वस्थ व्यक्तियों को जबरदस्ती भर्ती कर लें और देश का उत्पादन बढ़ा लें।

हां, योजना आयोग ने खेल तथा शिल्प को भूल डाला है। हमें चाहिये कि खेल-तमाशे तथा शिल्प आदि को प्रोत्साहन दें, क्योंकि हमारे देश के वे खिलाड़ी जो विदेशों में खेलने जाते हैं, हमारे सब से श्रेष्ठ राजदूत हैं, और इसी तरह हमारे शिल्पी और कलाकार हमारी संस्कृति तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के झण्डाबरदार हैं। हमें इस दिशा में भी इन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिये।

अन्त में, मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि छोटे पैमाने के सिंचाई-कार्य को बड़े पैमाने के सिंचाई-कार्यों तथा बहु प्रयोजन परियोजनाओं की अपेक्षा वरेण्य माना गया, और इस पर बहुत वाद-विवाद भी उठा। आंकड़ों से यह स्पष्ट हो चुका है कि बड़े पैमाने के सिंचाई-कार्य तथा बहु प्रयोजन परियोजनाओं पर ५१८ करोड़ रुपये लगा कर केवल ८५ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी जबकि छोटे पैमाने के सिंचाई-कार्यों पर केवल ३० करोड़ रुपये लगा कर लगभग १ करोड़ १० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी। इन आंकड़ों से स्वयं ही इस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है कि छोटे पैमाने के सिंचाई-कार्यों पर धन व्यय करने की कितनी आवश्यकता है। यों तो क्या छोटे क्या बड़े, दोनों प्रकार के पैमानों की सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : मैं आप का धन्यवाद करती हूं कि मैं आप की निगाह में आ गई। मैं सर्वप्रथम इस बात की ओर निर्देश करना चाहती हूं कि यह पंचवर्षीय योजना किस प्रकार कार्यान्वित की जायेगी। कहा जाता है कि इसे पूर्णतया लोकतन्त्रात्मक वातावरण में कार्यान्वित किया जायेगा। चारों ओर से यहां तक कि कई 'विरोधियों' की ओर से भी इस की प्रशंसा हो चुकी है। हम ने यह भी सुना है कि विरोधियों की अपेक्षा समर्थकों की संख्या अधिक है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : प्रशंसनीय।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : शब्दों और आंकड़ों का खेल करने वाले श्री देशमुख के नाम के साथ साथ हम ने प्रो० हीरेन मुकर्जी का नाम भी बार बार सुना। तो श्री देशमुख ने अपने शब्दजाल के अतिरिक्त आज मुक्का दिखाने की भी कोशिश की। चुनाचि उन्होंने यह भी कहा कि जो कोई व्यक्ति सहयोग नहीं देगा, वह स्वयं घाटा उठायेगा। यदि यही बात है कि खतरा और धौंस दे कर योजना लादी जा रही है तो इसे लोकतन्त्रात्मक वातावरण की योजना नहीं कहा जा सकता। चाय बागातों के बन्द किये जाने की बात के सम्बन्ध में भी उनका यही कहना है कि ऐसी बातें "अनिवार्य" हैं। चूंकि दुर्भाग्यवश हमें २० मिनट से अधिक समय नहीं दिया गया है, अतः मैं योजना के एक मात्र महत्वपूर्ण पहलू—यानी कृषि—के सम्बन्ध में विचार प्रगट करूंगी। जहां तक योजना के निर्देशों और उद्देश्यों का प्रश्न है, सदन में "बाधक" सदस्यों को भी उन के सम्बन्ध में किसी से झगड़ा नहीं।

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल) : किन्तु यह लोकतन्त्रवादी योजना नहीं है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : चूंकि इस बात के सम्बन्ध में हम बहुत कुछ सुन चुके हैं, अतः मैं इस पर सब के अन्त में विचार प्रगट करूंगी।

हम अपने आन्तरिक बाजारों में वृद्धि करना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि जनता का जीवन-स्तर ऊपर उठे, योजना के लिये उच्चतम पूंजी मिले, खाद्य-उत्पादन बढ़े और उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन बढ़े तथा जनता के उच्चतम उत्साह, उद्यम और सहयोग

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

से काम लिया जाय और उत्पादन का बराबर बराबर बटवारा हो ।

अब आप कृषि के दृष्टिकोण से इस योजना के उद्देश्यों और निर्देशों की परीक्षा कीजिये, और देख लीजिये कि हमारे घरेलू बाज़ारों की क्या स्थिति है । जितनी ही अन्न तथा कपड़ा खरीदने की लोगों में अधिक सामर्थ्य होगी उतनी ही घरेलू बाज़ार की स्थिति अच्छी होगी । भले ही आप बड़े बड़े आंकड़े देते रहें, किन्तु मुख्य बात को कब तक छिपाया जा सकेगा । कपड़े के बारे में भी इसी प्रकार के आंकड़े दिये गये थे, और अब खाद्यान्न के सम्बन्ध में उसी प्रकार के आंकड़े बताये जा रहे हैं । अब आप ही देखिये कि ऐसे बाज़ार पर जिस का ह्रास होता जा रहा है अथवा जो बढ़ता जा रहा है, हम पंचवर्षीय योजना को आधारित करने जा रहे हैं ? तो, यदि ऐसी बात है तो क्या घरेलू बाज़ारों को बढ़ाने वाले धन की वृद्धि के लिये हम सब से अधिक ज़ोर लगाने को तैयार हैं ? आप किस प्रकार ग्रामों से उच्चतम जन-शक्ति का उपयोग करेंगे और भूमि पर पूंजी की रचना कर लेंगे ? इन्हीं बातों के आधार पर योजना के कृषि सम्बन्धी पहलू पर ज़ोर दिया जाना चाहिये । इस के साथ ही साथ हमें उद्योगीकरण पर भी ध्यान देना चाहिये ।

उद्योग की बात हो चाहे कृषि की, हमें हर किसी बात में कृषक पर ही निर्भर करना पड़ता है । अब आप यह भी देख लीजिये कि उस पर से किस प्रकार बोझ उतर जायेगा, और किस प्रकार वह उस सारे धन को पुनः कृषि में लगायेगा, जो वह पैदा कर चुका है ।

अभी कल ही मेरे अनेक विरोधी मित्रों ने बतलाया कि उत्तर-प्रदेश से ज़मींदारी का उन्मूलन किया जा चुका है, और इस प्रकार वहां के किसान-वर्ग को मुक्त किया जा चुका है । इस में भूस्वामित्व के उन्मूलन की ही बात नहीं है । हमें यह भी देख लेना है कि जहां तक हो सके, प्रत्येक व्यक्ति को बराबर बराबर भूमि मिल सके और किसान पर और बोझ डाले बिना कृषक-भूस्वामित्व प्रणाली को शुरू किया जाय । क्या आप बोझ को और बढ़ाना चाहते हैं, अथवा उसे हलका करना चाहते हैं ? इसी मूल प्रश्न का उत्तर आप को देना होगा । आश्चर्य की बात है कि योजना में ग्रामीण ऋणिता का ह्रास बताया गया है और यह भी कहा गया है कि यह पहलू इतना महत्वपूर्ण नहीं है । किन्तु रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के कृषिसम्बन्धी साख विभाग के आंकड़ों से इस बात का पता चलता है कि अभी भी काफ़ी मात्रा में ग्रामीण ऋणिता मौजूद है । जब तक इस ऋणिता को दूर नहीं किया जाता तब तक खाद्य के उत्पादन पर पूरा पूरा ज़ोर नहीं दिया जा सकता । किन्तु योजना में ग्रामीण ऋणिता के उन्मूलन की कोई भी बात नहीं बताई गई है, न तो उत्पादित धन-समृद्धि को पुनः भूमि में लगाये जाने की बात का कोई उल्लेख है ।

अब आप ज़मींदारी के उन्मूलन की बात को ही लीजिये । हमारे प्रान्त से अभी ज़मींदारी का उन्मूलन नहीं हो चुका है । आप अपने उत्तर प्रदेश की ही बात लीजिये । आजकल भी वहां के ज़मींदारों के पास बहुत अधिक भूमि पड़ी है जिन्हें आप सिर या खुदकाश्त कहते हैं । हम यह भी सुन रहे हैं कि वहां भूस्वामियों को क्षतिपूर्ति-राशि भी दी जायेगी, जो लगभग १६० करोड़ रुपयों के बराबर होगी । अब रुपये की इस भुगतान का बोझ भी इसी बेचारे कृषक पर पड़ेगा जिस पर आज तक इतना सारा बोझ पड़ चुका है । इस १६० करोड़ की राशि में से एक बड़ी राशि बड़े बड़े ज़मींदारों को ही मिलेगी । मेरा यह कहने का अभिप्राय है कि ज़मींदारी का उन्मूलन करने के बाद भी,

आप बेचारे कृषक पर इतना बोझ लाद रहे हैं कि वह राष्ट्र की संपत्ति बढ़ाने के लिये कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इस क्षति-पूर्ति योजना की यह विचित्रता है कि बेचारे किसानों, अधिकारहीन किसानों और काश्त करने वाले किसानों पर पन्द्रह गुना लगान का बोझ पड़ रहा है, और जो व्यक्ति धन की अदायगी करने की स्थिति में हैं उन्हें ५० प्रतिशत कटौती मिल रही है। हम जो मुख्य बात कहना चाहते हैं, यह है कि आप लगान, करारोपण या ऋणिता का बोझ कम नहीं कर रहे हैं, अतः आप को इस पंचवर्षीय योजना के लिये लोगों का सहयोग नहीं मिल सकता, न तो भूमि की पूंजी-रचना हो सकती है। यदि आप पूंजी-रचना चाहते हैं तो आप उस सारे धन को भूमि में पुनः क्यों नहीं लगाते ताकि उत्पादकता तथा उर्वरता बढ़ जाती। सदन के समक्ष मेरी यही प्रस्थापना है। लगानों, न्यूनतम देय लगानों के बोझ के सम्बन्ध में आप का क्या विचार है ?

लगान के अर्जन तथा पुनर्ग्रहण की सीमा से सम्बन्धित एक बात इस योजना में पुरः-स्थापित की जा चुकी है। किन्तु मैं ने अपने प्रान्त तथा कई अन्य राज्यों में हुई बातों के आधार पर यह कह सकती हूं कि बड़े भूस्वामियों ने इस ढिलाई से अनुचित लाभ उठाया है, और उस का यह परिणाम हुआ है कि कई लोगों को अधिक भूमि मिली है और बेचारे कृषकों की दशा और भी बिगड़ चुकी है। अतः योजना के सफल होने का रहस्य इसी बात में है कि सर्वप्रथम भूमि का निःशुल्क वितरण होना चाहिये, और किसानों को इस बात का विश्वास दिलाया जाना चाहिये कि भूमि उन की हो चुकी है। आप एक बार उन्हें इस बात का आश्वासन दे दीजिये, तब आप धीरे-धीरे आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षा सम्बन्धी, पारस्परिक सहायता तथा ऋण देने की सुविधायें दे कर उन की उन खेतों का सामूहीकरण कर सकेंगे। मुझे सन्देह है कि यदि आप अन्यथा चलें तो यह सारी योजना असफल रहेगी। मेरा यह प्रतिपादन है कि जब तक आप ऋणों को समाप्त नहीं करते और कृषकों को निःशुल्क भूमि दे कर उन में उसका बराबर बराबर वितरण नहीं करते तब तक इस योजना के कृषि सम्बन्धी तथा खाद्य सम्बन्धी पहलुओं में आप को सफलता नहीं मिल सकती।

प्रस्तुत योजना का एक और महत्वपूर्ण भाग भी है जो मेरी सखी श्रीमती कृपलानी ने समयाभाव के कारण नहीं बताया है। वह इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है यानी भूमिहीन श्रम के सम्बन्ध में बहुत थोड़ा उल्लेख हुआ है। भला, हमारे देश की इतने बड़े जनबल का क्या होगा ? आखिर इतने भूमिहीन श्रमिकों के साथ क्या बर्ताव किया जायेगा। खादी और ग्रामोद्योग सामूहिक परियोजनाओं का उल्लेख भी हुआ है। हाथकरघा उद्योग के सम्बन्ध में हमें खादी की स्थिति का पूरा पता तो है, किन्तु मुझे इसी बात की चिन्ता हो रही है कि भूमिहीन कृषक-श्रमिकों के साथ क्या बीतेगी। अभी आज प्रातः मेरे मित्र श्री सरमा ने हमें बतलाया कि चाय बागातों से २८,००० श्रमिक निकाले जा चुके हैं। पश्चिमी बंगाल, आसाम और त्रिपुरा के इन तीन प्रान्तों में ८०,००० लोगों की छंटनी हो चुकी है। तो इस तरह दिन प्रति दिन बेकारों की बढ़ती हुई संख्या को देख कर मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि आखिर इस समस्या को कब सुलझाया जायेगा। योजना में विनोबा जी के भूदान यज्ञों की बातों का भी उल्लेख है। और किसी भी बात का उल्लेख नहीं हुआ है। पुनर्व्यवस्थापन-योजनाओं के सम्बन्ध में भी बहुत कम उल्लेख हो चुका है। इसी प्रकार श्रम सहकारी-संस्थाओं की भी बात है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इन का

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

भी वही हाल होगा जो हमारे निर्वाचन-क्षेत्रों की सहायता-योजनाओं का हो रहा है। यही एक महत्वपूर्ण भाग है और हम यह जानना चाहते हैं कि इस अनुत्पादक वृहद् जनबल का क्या हश्र होगा।

इसी प्रकार सिंचाई कार्यों का भी बहुत अधिक उल्लेख हो चुका है। हम ने स्वदेशी की रट लगा रखी है तो क्यों हम अपने देश के महा श्रमबल की प्रभाविष्णुताओं से कोई लाभ नहीं उठाते ? छिपी समृद्धि तो है ही। केवल श्रम शक्ति को काम में जोड़ने की बात है, और यदि इस पिछड़े देश में रहने वाले इतने बेकार श्रमिकों को अब भी काम नहीं दिया गया, तो इस पंचवर्षीय योजना का कोई भी लाभ नहीं। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने चीन की हुआई नदी परियोजनाओं के सम्बन्ध में बताया है कि वहां कितने जनबल को काम में लगाया गया है। इसी तरह भारत में भी छोटी छोटी परियोजनाओं में यहां के बेकार श्रमिकों को लगाने से देश का कल्याण हो सकेगा।

अन्त में यह कहना चाहती हूं कि नये कर के रूप में सुधार कर-आरोपण का बोझ जनता नहीं सह सकेगी। भले ही आप मेरी बातों पर हंसें, लेकिन तथ्य यह है कि हमारे देश में छिपे धन की कोई भी कमी नहीं प्रश्न तो काम करने का है। आप उस धन को प्राप्त कीजिये और आगे आगे बढ़ते चले जाइये।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : श्रीमान्, आप को धन्यवाद करता हूं कि आखिर आठ बार उठने के बाद आपने मुझे बुला ही लिया। (**डा० एस० पी० मुखर्जी**। राबर्ट ब्रूस ने सात बार प्रयत्न किया था) मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार इस योजना के सम्बन्ध में कोई रचनात्मक आलोचना सुनने को तैयार नहीं है। यदि उन की ऐसी इच्छा होती तो उन्होंने इतनी वड़ी पुस्तकें कुछ समय पहले दी होतीं। इतने थोड़े समय में आदि शंकराचार्य जैसा पंडित भी इन्हें पढ़-समझ नहीं सकता, न ही आलोचना कर सकता। हमारी बात ही क्या है। इसीलिये मैं ने इतने बड़े खण्डों को सिर के नीचे दबा कर रखा ताकि ये सब बातें धीरे-धीरे मेरे दिमाग में आ जायें। मेरे पुराने मित्र वित्त मन्त्री जी भले ही मुझे टिप्पणीकारों में रख लें किन्तु मुझे इस बात की कोई भी चिन्ता नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहले नहीं बोले थे, अतः उन का कोई भी श्रेणी-करण नहीं हो सकता।

डा० एन० बी० खरे: भले ही कांग्रेसी इस बात को कहते रहें कि यह उन की बनाई हुई योजना है, किन्तु मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि यह उन के विचार की उपज नहीं है। तथाकथित अन्तरिम सरकार बनने से बहुत समय पहले एक ऐसी योजना थी जिस का नाम बम्बई योजना था और उस पर १५,००० करोड़ रुपये का व्यय हो जाता। उस के पश्चात्, एक और छोटी योजना थी जो अप्रत्यक्ष रूप से या मूलतः प्राक्-अन्तरिम सरकार ने बनाई थी, और उस पर १०,००० करोड़ रुपये का व्यय हो जाता, चुनांचि मैं भी उस के बनाने वालों में से एक था, अतःएव योजना की बात बहुत पुरानी हो चुकी है, इस में कांग्रेस ने कोई नई चीज़ नहीं दी है।

एक माननीय सदस्य : कौन कहता है ?

डा० एन० बी० खरे : प्रधान मन्त्री जी इस तथ्य को स्वीकार कर चुके हैं कि हमें वही स्वीकार करना पड़ा जो किया जा चुका। मैं उन को इस स्वीकृति के लिये धन्यवाद देता हूं।

इस योजना के कई एक दोष बताये गये, और अब मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता । और इन दोशों में कई एक बातें ऐसी हैं जो समयाधीन हैं, इसलिये उन के सम्बन्ध में भी मैं अधिक आलोचना नहीं करना चाहता । हां, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि योजना से, उसकी जैसी भी स्थिति है, यह स्पष्ट होता है कि हम किसी विशेष अवधि में खाद्य के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर नहीं हो सकते । योजनाओं के प्रादेशिक आवंटन के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा चुका है । मैं तो सर्वप्रथम एक भारतीय हूं; और उसके बाद एक महाराष्ट्रीय हूं, सत्य यह है कि मैं बम्बई के निकट कोलाबा ज़िले का रहने वाला हूं । मेरा राजस्थान तथा मध्यभारत से भी सम्बन्ध है । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत शोर मचाने के बाद सरकार ने महाराष्ट्र के कोन्या परियोजना को सम्मिलित किया है । सरकार ने चम्बल परियोजना भी शामिल की है जिस से मध्यभारत तथा राजस्थान को समान लाभ होगा । इस के लिये भी मैं सरकार को धन्यवाद करता हूं ।

मुझे यह भी कहना चाहिये कि खाद्य में शीघ्रतापूर्वक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये सिंचाई की छोटी छोटी परियोजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये था, किन्तु ऐसी बात भी नहीं की गई है ।

कितनी ही ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी शान्ति और युद्धकाल में समान रूप से आवश्यकता पड़ती है । उदाहरण के तौर पर सीसे को लीजिये । सौभाग्यवश उदयपुर में सीसे की एक छोटी सी खान है । वहां मेटर कारपोरेशन ऑफ इंडिया नाम की एक कम्पनी काम करती है, मैं चाहता हूं कि सर कार उसे हाथों सम्हाले । चुनाचि सरकार ने हमारे देश की खनिज समृद्धि——यानी खान उद्योग पर अधिक ध्यान नहीं दिया है । मुझे यह भी बतलाया जाता है कि बिहार और बंगाल के सीमान्त पर दामोदर घाटी के पास सोना पाया गया है, किन्तु मैं सरकार से इस बात की अपेक्षा करूंगा कि वह भारत के लाभ के लिये ही सोने का उत्खनन करे, विदेशों के लाभ के लिये नहीं ।

अब आप खानों के अनुज्ञप्ति-पत्रों को लीजिये । मैं समझता हूं कि एक ऐसा उपबन्ध भी है कि दस वर्ग मील क्षेत्र से अधिक के लिये कोई भी लैसेन्स जारी नहीं किया जाना चाहिये । खेद है, कि यह नियम तोड़ा गया है और मन्त्रियों के सम्बन्धियों और प्रिय व्यक्तियों को लैसेन्स दिये जा चुके हैं । सरकार इस बात की पूछताछ करे और इस बात की सचाई ढूंढ निकाले । यह बात, विशेष रूप से बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश (मेरे प्रान्त) पर लागू होती है ।

इन दोषों के बावजूद भी, यह मानना पड़ेगा कि योजना बनाने वालों ने देश के समक्ष कोई ठोस चीज़ करने के लिये रख दी है । (साधु, साधु) पुरानी कहावत है कि हर एक को मौका दो, अतः मैं योजना बनाने वालों को विशेष रूप से इस बात का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तथाकथित गांधीवादी अर्थनीति पर अपनी योजना को आधारित नहीं किया है । कल दक्षिण के एक कांग्रेसी दल के सदस्य यह बता रहे थे कि निर्वाचकगण इस योजना के पीछे हैं । मैं उन्हें यह बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने केवल ४५ प्रतिशत मत ही प्राप्त किये हैं । उन्हें इस बात का भी ध्यान रहे कि लोगों की बहुसंख्या उन के पीछे नहीं है । यदि विरोधी दल आपस में एक दूसरे से नहीं लड़े होते तो कोई भिन्न ही परिणाम निकला होता ।

प्रधान मन्त्री जी ने जनसाधारण से इस योजना के सम्बन्ध में यह कहा है कि वह करें या मरें । यदि यह योजना सफल हो, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन मुझे इस के सम्बन्ध में बहुत ही सन्देह है । लोगों का

[डा० एन० बी० खरे]

जीवन संयम से भरा होना चाहिये, और प्रशासन में भी मितव्ययता होनी चाहिये, लेकिन ऐसी बातें दिखाई नहीं देतीं। पिछली बार की अपेक्षा मन्त्रियों की संख्या मच्छरों की तरह बढ़ती जा रही है, और उसके परिणाम स्वरूप दफ़्तर की फ़ायलें भी मक्खियों की तरह बढ़ती जा रही हैं।

योजना बनाने वालों का कहना है कि इस योजना से एक वर्गहीन समाज का अस्तित्व बनेगा, किन्तु मुझे इस सम्बन्ध में काफ़ी सन्देह है : हो सकता है कि वर्गहीन समाज हो, लेकिन वर्गहीन समाज नहीं हो सकता। कितने ही पेशे हैं। कोई अध्यापक है तो कोई वकील है। कोई डाक्टर है तो कोई श्रमजीवी है, कोई सिपाही है तो कोई व्यापारी है, कोई वणिक है तो कोई कुछ है--कितने ही वर्ग और कितनी ही श्रेणियां हैं।

आगे एक ही प्रकार के मन्त्रिमंडल के सदस्य हुआ करते थे। अब तो कई मन्त्रि-मण्डल के सदस्य भी हैं, और कई मन्त्रिमंडल सदस्य होते हुए उस पद के सदस्य नहीं, कहीं उपमन्त्री हैं तो कहीं सांसद् सचिव। इसी तरह कितने पद बनाये गये हैं। जब मन्त्रियों में ही इतने सारे वर्ग हैं तो वर्गहीन समाज की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है।

मुझे खेद से कहना पड़ता है कि हमारे देश से स्वदेशी नाम उड़ता जा रहा है। अब चारों ओर विदेशी कपड़ों की दुकानें हैं और स्वदेशी की लहर मिटती जा रही है। यदि आप योजना को सफ़ल बनाना चाहते हैं तो स्वदेशी को पुनः जीवित किया जाना चाहिये।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : किस ने विदेशी दुकानों पर रक्षापांत बांध रखी है ?

डा० एन० बी० खरे : मैं ने स्वयं रक्षा-पांत बांधी है। मैं स्वयं कह रहा हूं। इस में हंसी की बात नहीं है।

वह धन की बात कर रहे हैं। उन्होंने शराब बन्दी पर ज़ोर दिया है, यद्यपि आब-कारी से उन्हें बहुत पैसा मिल जाता है। मैं तो स्वयं इन बातों से दूर हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि शराब-बन्दी को उड़ाने से इन्हें बहुत पैसा मिल जाता।

श्रीमती ए० काले (नागपुर) : क्या मैं यह बता सकती हूं कि मैं ने उस समय इस पाबन्दी को हटवाने पर ज़ोर दिया था जब माननीय सदस्य (डा० खरे) ने ही मध्य प्रदेश शराबबन्दी का प्रतिबन्ध लगवाया, और अब वे ही इस प्रतिबन्ध को हटाने का सुझाव दे रहे हैं।

डा० एन० बी० खरे : श्रीमान्, मैं महिलाओं से हार नहीं मानता।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

डा० एन० बी० खरे : शराब बन्दी से यह हुआ है कि अब अवैध रूप से शराब निकाली जाती है। यहां तक कि यह उद्योग एक कुटीर उद्योग का रूप धारण कर चुका है। लाभ क्या हुआ ? कांग्रेसी और पुलिस वाले। यही हाल लवण-कर का भी है। उन दिनों और कोई बात थी, अब और कोई बात है।

प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि हमें जनता के उत्साह और सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि हमें प्रगतिशील नेतृत्व को मांग कर लाना चाहिये। उन्होंने अपने विरुद्ध ऐसी बात कही। यह अपमान भरी बात है जिसे मैं कभी भी सहन नहीं कर सकता।

जहां तक योजना बनाने का काम है, मैं सरकार की प्रशंसा करना चाहता हूं और जहां तक इस के कार्यान्वित किये जाने का प्रश्न है मैं सरकार के मुंह पर थप्पड़ लगाना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी ने बतलाया

कि हमारा देश संकटकालीन स्थिति तथा भुखमरी में से गुज़र रहा है। ठीक है, लेकिन इस बात का उत्तरदायित्व किस पर है ?

बाबू रामनारायण सिंह : उन पर।

डा० एन० बी० खरे : हां, वे ही उत्तरदायी हैं। श्री एस० के० पाटिल ने भी कहा है कि विगत पांच वर्षों के प्रशासन से भी लोगों को सरकार पर कोई श्रद्धा नहीं रही है। निश्चय ही सरकार का दोष है। उन्होंने देश की रक्षा नहीं अपितु हजामत की है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है।

डा० एन० बी० खरे : श्रीमान् केवल और दो मिनट। मैं समाप्त करने को हूं।

सरकार ने अनाड़ी नाई की तरह देश को हताहत किया। उन्होंने भाषावार प्रान्तों का भी निर्माण नहीं किया, और परिणामतः पंजाब, महाराष्ट्र, करनाटक, आंध्र, आदि प्रान्तों के क्रोध के शिकार बने। आप आंध्र को देखिये, और जम्मू में प्रजा-परिषद् को देखिये। क्या यह हमारे देश के रुग्ण शरीर के व्रण नहीं हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : और भी कई व्रण हैं। माननीय सदस्य योजना तक ही सीमित रहें।

डा० एन० बी० खरे : जम्मू को योजना में सम्मिलित किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वहां प्रजा परिषद् नहीं है।

डा० एन० बी० खरे : मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि जहां लोग राष्ट्रीय झण्डे के लिये लड़ रहे हों, वहां पुलिस भेज कर दमन कराने से उल्टी हानि होगी।

श्री पाटिल ने रूस का उदाहरण दिया था तो क्या आप भी यहां रूस की तरह सारे विरोधी दलों को मिटाने चाहते हैं ? यदि ऐसी बात है तो आप सभी दलों की पार्टी बना कर योजना शुरू कीजिये। या दलगत नीति और भेदभाव को हटा दीजिये।

अब मैं भारत सेवा समाज के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहूंगा। बतलाया जाता है कि पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित कराने के लिये ही यह योजना बनाई गई है। भला बताइये कि इस संस्था की क्या आवश्यकता थी। क्या कांग्रेस इतने वर्षों से भारत की सेवा नहीं करती रही ? अतः मुझे इस बात का पूरा संदेह हो रहा है कि इस योजना से कांग्रेस को वित्तीय सहायता मिलेगी। करोड़ों रुपये व्यय किये जा रहे हैं, और बतलाया जा रहा है कि राजनीति तथा दलगत नीति से ऊपर की कोई राजनैतिक संस्था यह काम कर रही है किन्तु यह सब सफेद झूठ है; कपट है। भारत सेवा समाज एक राजनैतिक संस्था है, जो कांग्रेस को चुनाव जिताने के लिये बनाई गई है ....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उस शब्द का प्रयोग नहीं करें।

डा० एन० बी० खरे : बहुत अच्छा, श्रीमान्। मैं "कपट" शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता (अन्तर्बाधा)।

कई माननीय सदस्य : शब्द वापिस लीजिये।

डा० एन० बी० खरे : उन्हें यह पता चला है कि कांग्रेस अन्दर से कितनी सड़ चुकी है। बिहार को देखिये। उनका कहना है कि २० लाख से अधिक सदस्य भर्ती किये जा चुके हैं, किन्तु अभी वे ६,००,००० रुपये का

[डा० एन० बी० खरे]

नकद सदस्यता-शुल्क भी पेश नहीं कर चुके हैं। यह सब कपट है, छल है। वहां के घरेलू चुनावों में अभी हाल में वहां के कांग्रेस प्रतिनिधियों ने एक दूसरे के सिर फोड़ लिये थे और घपलेबाज़ी की थी तथा एक दूसरे के विरुद्ध फौज़दारी शिकायतें चलाई थीं। यदि घरेलू चुनावों का यह हाल रहा है तो इस बात का अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले सामान्य चुनावों में उन्होंने क्या कुछ किया होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब संगत बातें नहीं हैं।

डा० एन० बी० खरे : कांग्रेस के हितों के पालन के लिये ही भारत सेवक समाज बनाया गया है, और इस संस्था को सरकारी वित्त की सहायता प्राप्त होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है।

डा० एन० बी० खरे : श्रीमान्, अंतिम शब्द कहने दीजिये। अतः एक भाषण समाप्त करते समय मुझे यह कहना पड़ेगा कि पुनः शक्ति सम्पन्न होने के लिये भारत सेवा समाज तथा पंचवर्षीय योजना का छल रचा जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती काले।

श्रीमती ए० काले : श्रीमान् मैं तो नहीं बोल रही हूं।

श्री एल० एन० मिश्र (दरभंगा व भागलपुर) : मैं योजना का समर्थन करते हुए यह विश्वास प्रगट करना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सफ़ल हो जायेगा। और पांच वर्ष बाद हमारा देश आत्म-निर्भर तथा आत्म-विश्वास हो सकेगा। चूंकि इस योजना का यह उद्देश्य है कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति में १०,००० करोड़ रुपये की वृद्धि हो जाये अतः इस से हमारे देश के आर्थिक जीवन में एक प्रकार का संतुलन आ सकेगा। चूंकि प्रस्तुत योजना की आकांक्षा सीमित है और इस का दृष्टिकोण यथार्थवादी है, अतः मुझे इस की सफ़लता में पूरा निश्चय है। योजना आयोग को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, यही कारण है कि इस के इस विशाल काम में दृष्टिगोचर हो रही है।

इन सीमाओं के अतिरिक्त हमारे संविधान द्वारा प्रस्तुत की गई सीमायें भी मौजूद थीं जिन के कारण आर्थिक व्यवस्था में कोई बड़ा परिर्तवन नहीं किया जा सका। यह योजना हमारे देश के लोकतंत्रात्मक संविधान के अनुसार बनाई गई है, और इस में किसी अधिकारवादी योजना की कोई भी बात नहीं है। इस में व्यक्ति के मूल अधिकार को दबाये जाने की कोई भी बात नहीं और इससे निजी उद्योगों के अधिकार की भी प्रत्याभूति है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुये]

मैं यह भी अनुभव करता हूं कि इस योजना से हमारे देश का आर्थिक ढांचा बदल जायेगा, और उत्पादन तथा रोज़गारी में वृद्धि हो जायेगी। सब से बड़ी बात यह है कि प्रस्तुत योजना में अना इथक आदर्शवाद की कोई भी बात नहीं है।

हां कार्यान्वित किये जाने के सम्बन्ध में तो योजना कुछ कमज़ोर सी पड़ रही है। इस में अधिकार-खण्डीकरण तथा विकेन्द्रीय करण पर बहुत अधिक विश्वास प्रगट किय गया है, यद्यपि युग की यह मांग है कि सभी संसाधनों का केन्द्रीयकरण हो।

नदी घाटी परियोजनाओं के सम्बन्ध में श्रीमती सुचेता कृपलानी ने घाटे के वित्त की जो बात कही है, उस में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं दिखाई देती। हम देश के वर्तमान आर्थिक संसाधनों से ही अपने लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। कई पुराने विचारकों का मत है कि घाटे की वित्त-व्यवस्था से मुद्रा स्फीति होगी, किन्तु मैं समझता हूं कि हमारे समाज पर इस प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। २९० करोड़ रुपये की घाटे की वित्त-व्यवस्था से हमारे जैसे देश का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। प्रत्येक देश ने कभी न कभी इस प्रकार के उपचार से काम लिया है :

योजना में देश की अनेक नदी घाटी परियोजनाओं के लिये ५६१.४१ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस में नदी घाटी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है, और कुल व्यय का २७.२ प्रतिशत जो ५६१.४१ करोड़ रुपये बनता है, सिंचाई तथा बिजली पर व्यय किये जाने वाला है। इस बात की आशा की जाती है कि योजना की अवधि के पूरा होने पर ८५ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होगी और १०,८०,००० किलोवाट बिजली पैदा होगी। सभी परियोजनाओं के पूरा होने पर १६,७००,००० एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होगी।

हमारे देश में ऐसी बहुत सी नदियां हैं जो वर्ष भर चलती रहती हैं, लेकिन दुःख इस बात का है कि उन नदियों के जल को काम में नहीं लाया जा रहा है। भारत आने वाले एक विदेशी दर्शक ने ठीक कहा था: "भारत में दो ही समस्यायें हैं—जल तथा बच्चे। यदि भारत माता जल की देखभाल करे तो बच्चे स्वयं ही अपनी देखभाल करेंगे।" मेरा यह अनुभव है कि यदि हम जल से लाभ उठायें तो हमारी कई एक आर्थिक त्रुटियां दूर हो जायेंगी। संसार के दो अग्रणी देशों—अमरीका तथा रूस—में वहां की नदी घाटी योजनाओं के कारण ही इतनी बड़ी समृद्धि और प्रसन्नता भरी पड़ी है। इन दोनों देशों ने हमारे से छः गुना धन लगाया और उसका यह परिणाम है कि वहां की भूमि सोना उगल रही है। मेरा यह विचार है कि हमें बहुत कम धन लगाना पड़ेगा और उसके बदले में हमें अधिक धन प्राप्त होगा। मैं यह भी समझता हूं कि भारत का भविष्य नदी घाटी परियोजनाओं पर ही निर्भर करता है। यदि हम अपने देश के जल-संसाधनों को काम में लायें तो हमारी कृषि में एक क्रान्ति आयेगी, और यदि कृषि में क्रान्ति आ गई तो हमारी सारी जिन्दगी बदल जायेगी। हमारे देशवासी कृषि पर ही मुख्यतया निर्भर करते हैं, और यदि हम कृषकों के लिये कोई ठोस काम कर सके, तो निश्चय ही हम अपने देश की जनता का जीवन-स्तर ऊपर उठा सकेंगे।

नदी घाटी परियोजनाओं पर बड़ी राशियां आवंटित किये जाने पर कुछ आलोचना की गई है, और मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिये कि हम खाद्याभाव पर प्रति वर्ष कितना धन व्यय करते हैं। अगस्त, १९४७ से से दिसम्बर, १९५१ तक यानी ४॥ वर्षों में हमने आयातित खाद्यान्न पर ५४३ करोड़ रुपये व्यय किये हैं। और इन नदी घाटी परियोजनाओं पर लगभग ५६१.४१ करोड़ रुपये लगेंगे। इस से न केवल हमारे खाद्य की समस्या दूर होगी अपितु सस्ते साधनों से बिजली मिल सकेगी, और हमारा देश बाढ़ों की बर्बादी और तबाही से भी बच जायेगा। इतना ही नहीं, हमारे ग्रामीण जीवन का औद्योगीकरण होने के सस्ते साधन और बिजली भी मुहय्या हो सकेंगे। मझे इन परि-

[श्री एल० एन० मिश्र]

योजनाओं पर पूरा पूरा विश्वास है और मैं चाहता हूं कि इन्हें शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जा सके । शुरू शुरू में हमें भले ही मूल मशीनें मंगानी पड़ें, किन्तु बाद में हम जापान और रूस की तरह बाकी सामान स्वयं ही बना सकेंगे । अतः इस बात की परमावश्यकता है कि मशीन और मशीन के उपकरण बनाने के कारखानों को शीघ्रातिशीघ्र खोला जाय, ताकि हम अन्य देशों के साथ बराबर की दौड़ लगा सकें ।

मुझे इस बात का हर्ष हो रहा है कि मेरे राज्य पर भी योजना बनाने वालों की निगाह पड़ी है, और उन्होंने कोसी नदी योजना बनाई है; किन्तु कार्य की गम्भीरता को देखते हुये मैं यह कहने पर विवश हूं कि हमारे साथ पूरा न्याय नहीं हुआ है । मैं कोसी नदी द्वारा की जाने वाली बर्बादी, और मृत्यु तथा बीमारी जैसी अन्य बातों की कहानी को दोहराना नहीं चाहता, किन्तु इतना कहना चाहता हूं कि बिहार राज्य को इस नदी के कारण सैकड़ों वर्षों से बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ रही है । चूंकि मैं उक्त नदी के निकट ही रहता हूं, अतः मैं अच्छी तरह से आपके समक्ष यह व्यक्त कर सकता हूं कि यह नदी कितनी बर्बादी मचाती रहती है जिससे बिहार के चार जिलों का सामाजिक तथा आर्थिक जीवन स्तब्ध रह जाता है । कितनी ही दुःखद बात है कि इस नदी के कारण बिहार की २–३ हज़ार वर्ग मील क्षेत्र तथा लगभग ३ से ५ सौ वर्ग मील तक का नेपाल का क्षेत्र बिल्कुल बेकार पड़ गया है । कोसी पीड़ित संघ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस नदी की बाढ़ से बिहार में श्रेष्ठ धान की लगभग ९ लाख एकड़ भूमि, पांच लाख एकड़ जूट की भूमि, तथा लगभग ६ लाख एकड़ भमि बर्बाद हो चुकी है, जिस से प्रति वर्ष लगभग ५ करोड़ रुपये की क्षति उठानी पड़ती है । यह भी एक तथ्य है कि प्रति वर्ष बिहार के इन चार ज़िलों के घराने बेघर हो जाते हैं, और अपने घर बार को रेत और पानी के हवाले कर के और जगहों में घूमते रहते हैं । अतः कोसी नदी की इस गम्भीर समस्या को दृष्टि में रखते हुये इस के नियंत्रण पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । चुनाचि इस परियोजना के कार्यान्वित किये जाने से न केवल २६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी, अपितु ९१००० किलोवाट बिजली पैदा होगी, और कई अन्य लाभ होंगे । इस के अतिरिक्त हम प्रति वर्ष के घाटे और क्षति से बच जायेंगे, और हमें बिहारवासियों को सहायता और दान करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

कोसी नदी तो आधुनिक सभ्यता तथा वैज्ञानिक उपकरण को चुनौती दे रही है, इसको क़ाबू में लाया जाना चाहिये ताकि हमें बार बार मृत्यु, बीमारी और तबाही की कहानियां नहीं सुननी पड़ें ।

इन शब्दों के साथ मैं योजना का समर्थन करता हूं तथा योजना आयोग को उसके वृहद् कार्य पर बधाई देता हूं ।

श्री ए० सी० गुहा (शांतिपुर) : पूरे दो वर्ष परिश्रम करने के बाद योजना आयोग ने हमें यह योजना दी किन्तु मेरी यह एक आपत्ति है कि इतने दो बड़े खण्डों को पढ़ने और समझने और बाद में इनकी आलोचना करने के लिये हमें बहुत ही कम समय मिला है । मैं ने भी इस योजना के कई एक भागों को पढ़ लिया है, और मैं उनके ही आधार पर कुछ आलोचना करना चाहता हूं ।

सर्वप्रथम मैं यह बतलाना चाहता हूं कि योजना आयोग ने योजना के चार प्रयोजनों का उल्लेख किया है, और वे इस प्रकार

हैं :—उच्चतम उत्पादन, पूरा सेवा-नियोजन, आर्थिक समानता की प्राप्ति तथा सामाजिक आय । इन में ऐसी कोई भी नई बात नहीं और यह भी स्पष्ट है, जैसा कि आयोग ने स्वयं बताया है, कि उन्होंने कोई नई तथा मौलिक चीज़ नहीं दी है । हां, उन्होंने अपने समक्ष ये आदर्श रखे हैं, और सदस्यों को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वे इस योजना के कार्यान्वित करने तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की बात पर विचार करें ।

सदन के माननीय नेता ने विवाद शुरू करते समय रूसी योजना का उल्लेख किया है, और मैं भी इसी बात का समर्थक हूं कि सोवियट संघ ने सारे संसार को इस प्रकार की नई चीज़ दी है ।

अब रूसी योजना के साथ भारत की इस पंच वर्षीय योजना की तुलना करते समय हमें रूस और भारत की स्थिति की तुलना भी करनी होगी । हां यह तो स्पष्ट है कि इन दोनों देशों की स्थिति एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है । हमारे देश में लोकतन्त्र प्रणाली चल रही है, जब कि रूस में और कोई शासन-प्रणाली है । वहां तो सर्वाधिकारवादी सरकार के हाथ में एक सर्वाधिकारवादी योजना थी । यहां भिन्न भिन्न पार्टियों के सदस्यों से मिलकर ही एक तंत्र चलाया है, जिसके परिणामस्वरूप कई एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । रूस में सभी लोगों को वहां की उस योजना का साथ देने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिये विवश किया गया । सदन में यह भी बतलाया गया कि यह एक राष्ट्रीय योजना नहीं, और इस सिलसिले में भारत सेवक समाज का भी उल्लेख हुआ । मैं उन आपत्तियों से सहमत हूं; और मैं अपनी सरकार तथा योजना आयोग को इस बात का दोष देना चाहता हूं कि उन में कोई भी उत्साह नहीं है । चूनांचि यह एक सरकारी योजना है, और सरकार कांग्रेसी है अतः यह उनका कर्तव्य है कि योजना को सफलता-पूर्वक कार्यान्वित किया जाय । इस योजना की सफलता पर ही कांग्रेस संस्था की दृढ़ता तथा सफलता निर्भर करती है । यदि सरकार इस प्रकार का दावा करती है कि यह एक राष्ट्रीय योजना है—यानी सर्वदलीय योजना है, और भारत सेवक समाज एक सर्वदलीय संस्था है, तो मैं उनके इस प्रकार के रवैये को उत्साहहीन रवैया समझता हूं । (**अन्तर्बाधा**) । हां, मैं इस बात का दावा करता हूं ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : यह इस बात को स्वीकार नहीं करते ।

श्री ए० सी० गुहा : अन्य पार्टियां इस योजना का उत्तरदायित्व नहीं लेतीं । वे तो, बल्कि इस योजना को बर्बाद करना चाहती हैं ।

कई माननीय सदस्य : नहीं नहीं ।

श्री ए० सी० गुहा : हो सकता है कि सभी एसा नहीं चाहते हों, किन्तु प्रायः अन्य पार्टियों के सदस्य इसी प्रकार चाहते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा): इस प्रकार की धारणा न कीजिये ।

श्री ए० सी० गुहा : कांग्रेस पार्टी तथा कांग्रेस सरकार का यह उत्तर दायित्व है कि इस योजना को कार्यान्वित किया जाय । और यदि सरकार इस बात की पूर्ति के लिये लोगों का समर्थन प्राप्त करे तो उस में भी उन्हीं का उत्तरदायित्व है । हमें इस बात के लिये झिझकना नहीं चाहिये, न तो इस बात में शर्मिन्दगी व्यक्त करनी चाहिये कि इस में हमारा कोई भी उत्तरदायित्व नहीं अतः हमें इसे इसलिये प्राप्त करना चाहिये क्योंकि इसी पर सारे देश का भविष्य निर्भर करता है ।

[श्री ए० सी० गुहा]

तो, रूसी और भारतीय स्थितियों में एक यह भी बड़ा अन्तर है कि रूसी सरकार को ज़ारशाही की धन सम्पत्ति मिली थी, और उसी के बलबूते पर उन्होंने १९२७-२८ में योजना आरम्भ की, और उनके पास ऐसे भी साधन थे जिन्हें काम में नहीं लाया गया था। किन्तु खेद है कि भारत की स्थिति कुछ भिन्न है। रूस वालों के पास अपने देश में ऐसे संसाधन थे, जिन्हें काम में नहीं लाया गया था। ऐसी स्थिति में भी उन्हें बाहरी देशों से टैकनीशियन मंगाने पड़े, और उन टैकनीशियनों को वहां विशेष रियायतें मिलीं। जब रूस जैसे देश ने एसा किया था तो इस बात में कोई भी संदेह नहीं कि भारत को भी विदेशी सहायता लेनी पड़ेंगी। अतः हमें इस बात को मान कर चलना चाहिये कि चूंकि भारत में वैसे संसाधन नहीं हैं, तो यही कारण है कि बाहर से सहायाता लेने की और भी आवश्यकता है। संसार का कोई भी देश—हां रूस और अमरीका को छोड़ कर विदेशी सहायता से अपना आर्थिक ढांचा नहीं बना सकता।

अब आप योजना की वित्त व्यवस्था को लीजिये। सार्वजनिक अंग के लिये विशिष्ट रूप से रखी गई २०६९ करोड़ रुपये की धन राशि में से चालू राजस्व तथा साधारण ऋणों और छोटी २ बचतों से १२५८ करोड़ रुपये मिलने की आशा की जाती है। इस में भी चालू राजस्व में केन्द्र की ओर से ७२६ करोड़ रुपये मिलेंगे और राज्यों से ५३२ करोड़। यद्यपि मैं स्वयं इस बात को नहीं समझा कि किस तरह राज्यवार ५३२ करोड़ रुपये मिलेंगे। मुझे इस बात का भी आश्चर्य है कि आजकल के इतने गिरे बाजार में किस तरह रेल-संस्था १७० करोड़ रुपये दे सकेगी।

केन्द्रीय सरकार के लिये २७० करोड़ रुपये की छोटी सी बचत बताई गई है। पिछले वित्त मंत्री सम्मेलन में यह तय हो चुका था कि ४५ करोड़ रुपये के अतिरिक्त जो भी धनसंग्रह होगा वह उन राज्यों को दिया जायेगा जहां लक्ष्य आंकड़े से अतिरिक्त का धन संग्रह हुआ होगा। तो यहां सारणी में इस प्रकार की कोई भी बात नहीं। यदि हम प्रति वर्ष ४५ करोड़ भी निश्चय करें, तो केन्द्रीय आंकड़ा १२५करोड़ रुपये तक पहुंचेगा। ऐसा होते हुए भी मुझे इस बात की कोई भी आशा नहीं कि सरकार छोटी छोटी बचतों से इतना भी इकट्ठा कर सकेगी। चूकि रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा संक्षिप्त बनाई जा चुकी है, और इस में कई शर्तें रखी गई हैं अतः योजना को अंतिम रूप में नहीं माना जा सकता है। इस में से कई एक रह जायेंगी तो इस प्रकार इस योजना में किसी हद तक एक प्रकार का अनिश्चय सा है। मान लीजिये कि आज कोई योजना शुरू की गई, और उसके लिये कल कोई भी वित्त प्राप्त नहीं हो सका तो क्या स्थिति होगी ?

मैं इस सम्बन्ध में बहुत अधिक निराशावादी नहीं बनना चाहता। इस रिपोर्ट में बतलाया जा चुका है कि हमारी वार्षिक राष्ट्रीय आय ९००० करोड़ है और इस पंच वर्षीय योजना के समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय आय १०००० करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगी। इस में १००० करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। उन्होंने इस बात का भी हिसाब लगाया है कि राष्ट्रीय आय का केवल ५% पुनः इन ही कामों में लगाया जायेगा। किन्तु मेरा यह विचार है कि सरकार को इस बात की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिये कि १०००करोड़ रुपये की अतिरिक्त राष्ट्रीय आय को इस तरह उड़ाया न जाय। ५% ही नहीं, अपितु उससे अधिक राशि पुनः धनन्यास के लिये उपलब्ध की जानी चाहिये।

चूंकि बड़े २ उद्योगपति आज तक लोगों का शोषण करते रहे हैं और सरकार को कर के रूप में कुछ भी नहीं देते रहे हैं, अतः मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह प्रत्यक्ष करारोपण को बढ़ा दे, और इस योजना के लिये उन लोगों से धन प्राप्त करे जो आज तक अनैतिक और देशद्रोही रीतियों से मुनाफ़ा कमाते रहे हैं, तथा घुटाला करते रहे हैं।

मै यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे देश में उद्योगपतियों की संख्या बहुत कम है। ये नवोदित उद्योगपति व्यापारी और साधारण सौदा बेचने वाले थे जो आंख की पलक में उद्योगपति बन बैठे। इन्हें उद्योगपतियों की प्रविधि और कार्यप्रणाली का कोई भी परिचय नहीं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है।

श्री ए० सी० गुहा : मेरा विचार था कि आप प्रत्येक बोलने वाले को बीस-बीस मिनट देंगे।

सभापति महोदय : नहीं, केवल १५ मिनट। माननीय सदस्य १५ मिनट ले चुके हैं।

श्री ए० सी० गुहा : यदि मुझे प्रारम्भ में इस बात का पता चला होता तो मैंने इसी के अनुसार भाषण दिया होता।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य के भाषण शुरू होते ही मै कैसे घंटी बजाता ? बहुत अच्छा, और दो मिनट दिये जाते हैं।

श्री ए० सी० गुहा : मैं पश्चिमी बंगाल के लिये रखी गई योजनाओं का उल्लेख करूंगा। मैं तो सर्वप्रथम, गंगा बांध के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख करूंगा। आजतक सरकार ने इसके लिये तीन समितियां नियुक्त की थी, और सभी ने यही बतलाया कि इस योजना को प्रारम्भ किया जाना चाहिये। चुनाचे तीसरी समिति ने बतलाया है कि इस से पांच बहु-प्रयोजनीय उद्देश्य प्राप्त होंगे :–

रेल तथा सड़क के पुल के निर्माण के लिये आर्थिक नीव तथा नदी का नियंत्रण।

सामयिक नदियों को वर्ष भर चलाते रहने के लिये जल का प्रदाय।

सिंचाई की व्यवस्था।

हुगली के सर्वोपरि भाग क जल कलकत्ता पत्तन के सुधार के लिये काम में लाया जायेगा।

पूर्णतया भारत संघ में स्थित कलकत्ता तथा गंगा के बीच के जल मार्ग में स्थायी सिंचाई की व्यवस्था।

भारत का सबसे बड़ा निर्यात - पत्तन कलकत्ता का पत्तन ही है जो इन दिनों खतरे में है। दशाब्दों से वैज्ञानिक इसी बात की चिन्ता में पड़े हैं कि कलकत्ता पत्तन को किस तरह बचाया जाय : चुनाचि सरकार द्वारा नियुक्त विशारद-समिति, गंगा-ब्रह्म-पुत्र जल यातायात अधिकारी संस्था तथा उत्तर-पूर्व रेलवे की भी यही मांग और सिपारिश है कि गंगा बांध बनाया जाय। अतः योजना आयोग को इसे भी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लेना चाहिये।

जूट उगाने वालों के सम्बन्ध में इतना ही कह देना चाहता हूं कि वे बहुत ही बुरी दशा में पड़े हैं, क्योंकि जूट को बाजार तक पहुंचाने वाले जितने भी मध्यस्थ हैं, वे सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। यदि आप जूट-उत्पादकों को प्रोत्साहन न देंगे तो पाकिस्तान बाजी ले जायगा, और हम पर कोई भी शर्तें लगायेगा। अतः मैं सदन को इस बात की चुनौती देता हूं कि इस मामले में उन्हें संतुष्ट नहीं रहना चाहिये। खेद है कि वाणिज्य मंत्री ने कलकत्ता में दिये हुये अपने भाषण में जो कुछ भी कहा है उससे स्थिति की गंभीरता को समझने में वह असफल दिखाई देते हैं।

[श्री ए० सी० गुहा]

पश्चिमी बंगाल भारत का एक सीमान्त है किन्तु संचरण तथा यातायात में यह बहुत ही पिछड़ा हुआ है, क्योंकि विभाजन से इस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है, अतः मेरा यह अनुरोध है कि सारे पश्चिमी बंगाल में सड़कें बनाई जानी चाहियें। पश्चिमी बंगाल हमारे लिये न केवल एक आर्थिक समस्या है, अपितु इसमें सीमान्त खण्ड की रक्षा करने का प्रश्न भी आता है।

इन शब्दों के साथ मैं योजना आयोग की रिपोर्ट का समर्थन करता हूं। जनता में उत्साह भर देने की बात तो सरकार पर ही निर्भर करती है। सरकार को चाहिये कि किसी भी झांसे में न पड़े, और इसको सरकार तथा कांग्रेस का उत्तर दायित्व समझ कर, इस के कार्यान्वित करने का भार अपने ऊपर ले, और इसे सफल बना ले।

डा० राम सुभग सिंह : भिन्न २ दृष्टिकोणों से इस योजना पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। सदन का कार्यदिवस समाप्त होने को है अतः मैं योजना के कृषि-सम्बन्धी पहलुओं पर ही अपने विचार प्रकट करूंगा। यह ठीक बात कही गई है कि जब तक देश के लिये भरपेट खाने की व्यवस्था नहीं होगी तब तक अन्य क्षेत्रों में कोई भी प्रगति नहीं हो सकेगी। खाद्य के साथ साथ कच्ची वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ा दिया जाना चाहिये। चुंकि यह देश की मांग है और ऐसा लक्षण है जिसका स्वागत किया जाना चाहिये, अतः यह योजना प्रशंसनीय है। यह भी ठीक है कि प्रस्तुत योजना में कृषि पर अधिक जोर दिया गया है क्योंकि भारत में कृषि पर ही सब कुछ निर्भर करता है, और तीन चौथाई जनता को कृषि से ही आजीविका मिलती है।

भारत की कृषि के समक्ष मूल समस्यायें इस प्रकार हैं:—

(१) कृषक व्यवस्था के दोष : (२) अनार्थिक तथा असंगठित खेतें ; (३) खेतों का खंण्डीकरण ; (४) कृषि की प्राचीन प्रणाली ; (५) प्रकृति की क्रम-हीनता तथा सरकारी लालफीता शाही-और (६) वर्ष के एक बड़े भाग में किसानों में बेकारी।

सरदार हुक्म सिंह : आप किन की ओर कह रहे हैं ? सरकारी बेंचों पर कोई भी सदस्य नहीं बैठा है।

डा० राम सुभग सिंह : इस बात की चिन्ता नहीं करता।

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : दुःख है, आप ऐनक तो चढ़ा लीजिये।

डा० राम सुभग सिंह : उपमंत्री जी तो हैं।

श्री के० के० बसु : यदि कोई मंत्री भी न हो, तब भी आप पदाधिकारियों की ओर कह सकते हैं। वे सरकारी गैलरी में बैठे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : मैं समझता हूं कि इस योजना से हमें यदि इन सब प्रश्नों का उत्तर मिले, तो इसमें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

अब हम वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर लेंगे। इस बार योजना में भूमि की नीति के सम्बन्ध में जो भी सिफारिशें की जा चुकी हैं, उनमें प्रारूप रूपरेखा की अपेक्षा कुछ एक सुधार तो दिखाई देते हैं, क्योंकि भावी अर्जन के सम्बन्ध में एक निश्चय हुआ है तथा यह भी बताया गया है कि भूमिहीन कृषकों में पुनः वितरण के लिये किस प्रकार भूमि उपलब्ध की जा सकेगी। किन्तु

इस प्रकार कृषि सम्बन्धी उत्पादन लक्ष्य खो जाने की एक झूठी आशा दिलाये जाने से योजना बनाने वालों ने निर्धन कृषकों की कुर्बानी पर बड़े जमीदारों की तिजोरियां भर दी हैं। बहुत से बड़े २ जमीदारों ने अपनी जमीनें बेंच डाली हैं; और कहीं २ उनको अपने परिवार के अन्य व्यक्तियों तथा सम्बन्धियों के नाम स्थानान्तरित किया है, और शेष भूमि बेचकर नागरिक संपत्ति तथा उद्योग में वह पैसा लगाया है, दुर्भाग्यवश योजना आयोग ने इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया है। अभी उन्होंने ऐसा नहीं किया है, वह भी भूमि बेचकर भूमि हीन कृषकों में पुनः वितरण के लिये कुछ भी नहीं छोड़ देंगे। योजना ने उन्हें इस बात की भी सुविधा दी है कि वे बाकी जमीन के मालिक होंगे, तो इस तरह वे बिना किसी की सहायता के स्वयं ही अपनी भूमि की देख भाल करते रहेंगे, और सदा के लिये उसके स्वामी बन बैठेंगे।

भूमि हीन कृषि श्रमिकों के लिये इस योजना में भूदान पर ही जोर दिया गया है। नियंत्रित तथा सुयोजित अर्थ नीति में भूदान को कोई भी स्थान नहीं मिलना चाहिये। मेरा भी यही विचार है कि उक्त योजना में यह भी एक त्रुटि है।

अनर्थिक एवं असंगठित खेतों तथा उनके खण्डीकरण के सम्बन्ध में मेरा यह विचार है कि योजना में इन दोषों को दूर करने की व्यवस्था की गई है, और मुझ इस बात का निश्चय है कि शीघ्र ही ये दोष दूर हो जायेंगे। हां यदि सरकार कृषकों से इन बातों के लिये अधिक पैसा मांगे तो कृषकों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

योजना में इस बात की कोई भी सिपारिश नहीं की गई है कि खेती बाड़ी के प्राचीन आदिम तरीकों को बदलाने के लिये क्या किया जाना चाहिये।

अब रहा प्रकृति की क्रमहीनता तथा उसके आक्रोशों एवं सरकार की लालफीताशाही का प्रश्न। मुझे इस बात से हर्ष हो रहा है कि लगभग ५६१ करोड़ रुपये नदी घाटी परियोजनाओं तथा सिंचाई की छोटी २ योजनाओं के लिये आवंटित किये गये हैं, किन्तु कृषकों को सरकारी लालफीताशाही से बचाने के लिये इस योजना में कोई भी बात नहीं रखी गई है। मैथोन बांध क्षेत्र तथा मेरे अपने जिलों के कृषकों से २० लाख रुपये अर्थदण्ड के रूप में लिया गया वे बे घर बार हो चुके यदि उनसे यह वादा किया गया था कि व्यवस्था कर दी जायेगी। उन्हें यह अर्थ दण्ड देने के लिये मजबूर किया जा रहा है, यद्यपि उसमें उनका कोई भी दोष नहीं है। यहां सरकारी पदाधिकारियों ने अपने सारे वर्ग को संगठित किया है और वे यह अर्थदण्ड प्राप्त करने के लिये उन कृषकों को दबा रहे हैं।

योजना में राज्य सरकारों से इस बात की सिपारिश की गई है कि भूराजस्व तथा पानी के दाम बढ़ाये जायें। यह ठीक है यदि वे कृषकों को सन्तुष्ट कर सकें, अन्यथा उन कृषकों पर जो इस भय से दे नहीं सकते, और भी बोझ पड़ेगा।

नदी घाटी योजनाओं के मूलअकों तथा दिल्ली के गृह निर्माण कारखानो के व्यय से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सरकार के धन का बड़ा अपव्यय हो रहा है। चूंकि इस योजना में २,०६.९ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है अतः सरकार को यह देखना पड़ेगा कि कहीं धन का अपव्यय तो नहीं हो रहा। और जब तक इस प्रकार के अपव्यय रोके नहीं जा सकते तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते।

जहां तक कृषि उत्पादों के मूल्यों के बढ़ती का प्रश्न है, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जिन कृषकों पर भूराजस्व तथा पानी के

[डा० राम सुभग सिंह]

दामों का बोझ पड़ेगा, उन के पास कभी भी वह मुनाफा नहीं पहुंचेगा जो दाम बढ़ने से हुआ है । उस बेचारे कृषक को तो उन्ही समाहार मूल्यों के हिसाब से पैसा मिलता रहेगा और वे मूल्य बाजार के दामों से बहुत कम हैं ।

पंच वर्षीय योजना अब दूसरे वर्ष में जा रही है, और इसके अन्तर्गत जितना भी कार्यक्रम है, वह सब अमरीकी ढंग का है । हर एक व्यक्ति यही कह रहा है कि लोगों का सहयोग चाहिये । मैं मंत्रियों से यह प्रार्थना करूंगा कि वे उन सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर जा कर देख लें कि लोग क्या २ सोच रहे हैं । कुछ भी हो, सभी लोगों का यही विचार है कि ये अमरीकी योजनायें हैं, इन के नाम अमरीकी हैं, तथा इन के लिये अमरीकी विशेषज्ञों और अमरीकी डालरों से सहायता ली जाती है । यह तो उन लोगों का विचार है जो उन स्थानों में रहते हैं जहां इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है । पहले सरकार ने कुछ वायदे किये, और अब जो भी काम हो रहा है, वह सब ग़लत ढंग से हो रहा है । पहले यह बताया गया था कि अमरीका तथा यहां की सरकार वित्त प्रदान करेगी और अब भूराजस्व तथा जल के मूल्य बढ़ा कर पैसा प्राप्त किया जा रहा है । इससे यहां सदन में तथा बाहर सरकार की सारी सद्भावना समाप्त हो रही है ।

देश तथा निर्धन कृषक के लिये तो आयोजना आयोग को वर्तमान स्थितियों पर ध्यान देना चाहिये, और लोगों के कष्ट दूर करने के लिये ही हर कोई क़दम उठाना चाहिये । योजना की सफलता का तो यही एक रहस्य है ।

श्री यू० सी० पटनायक (धूमसूर) : मैं अपने संशोधन द्वारा योजना के एक ऐसे पहलू पर प्रकाश डालना चाहता हूं जिसे अभी छुआ तक नहीं गया ।

प्रत्येक योजना में वित्तीय और अन्य भौतिक संसाधनों पर इतना निर्भर नहीं किया जाता जितना मानव-संसाधनों को ध्यान में रखा जाता है । योजना बनाने वालों ने यहां के जनबल का उल्लेख तो किया है, लेकिन मुझे खेद से कहना पड़ता है कि उन्होंने इस योजना के पूरा होने के लिये समय तथा व्यय का समन्वय नहीं किया है । इस में जनबल का समंक नहीं, न तो इस बात का उल्लेख है कि जनबल को किस प्रकार काम में लाया जायेगा । इस दृष्टि से तो यह मानना पड़ेगा कि योजना दोषपूर्ण है । श्रम की आवश्यकताओं को निभाने का कोई भी प्रयत्न नहीं हुआ है, और अन्ततः इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि चूंकि यह जनबल-प्रचालन का प्रश्न है अतः इस में जनता के मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि दी जानी चाहिये थी । जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने बतलाया इस में भावना-पक्ष को लिया जाना चाहिये था । खेद से कहना पड़ता है कि योजना आयोग ने इन सभी बातों से इस चीज़ को नहीं समझा है । जहां तक इसके कार्यान्वित किये जाने के उपकरण का प्रश्न है, प्रस्तुत योजना में किसी भी प्रकार का तारतम्य नहीं है । न तो इस बात को समझने का प्रयत्न किया गया है कि अन्य देशों में जनबल-संस्था-योजनाओं को किस प्रकार चलाया जाता है। इस बात की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को दिये जाने का प्रयत्न भी नहीं हुआ है कि किस प्रकार देश के जनबल को संगठित किया जाय या किस प्रकार उन्हें इनको कार्यान्वित करने के लिये कार्य-प्रचालित किया जाय ।

हमारे योजना बनाने वालों ने इंगलैंड और अमरीका की उन जनबल-प्रचालन प्रणालियों का अध्ययन भी नहीं किया है जिन के आधार पर रूस में एस. टी. ओ. कार्यक्रम बना और यह भी नहीं देखा कि किस प्रकार उन्होंने वहां सामाजिक, आर्थिक

कार्यक्रमों के साथ रक्षा सेवाओं तथा रक्षा संस्थाओं का समन्वय एवं ऐक्य कर के जनबल-प्रचालन को सफलता का रहस्य बनाया। १९४७ के अमेरिकन ऐक्ट तथा उसके अनुवर्ती १९५० के आरमी मिलिटैरायजेशन ऐक्ट को भी ध्यान में नहीं रखा गया।

अब इसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं :—उन्हें रक्षा सेवाओं, रक्षा उद्योगों, असैनिक उद्योगों तथा अन्य गतिविधियों के लिये समग्र जनबल की नियत करना है। दूसरे, यह कि उन्होंने, नियम के रूप में इस बात को ग्रहण किया है कि असैनिकों को ही समग्र रक्षा संस्था, तथा ऐक्ट के अन्तर्गत संस्थापित अनेक पर्षदों सहित नियमबद्ध जनबल-संस्था का पथ-प्रदर्शन करना चाहिये। चूंकि हमारा देश लोकतंत्र पर आधारित है, अतः इन दो बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिये। हमारा यह प्रश्न है कि जनबल प्रचालन के लिये आपकी क्या योजना है? क्या आपके पास इस बात के आंकड़े हैं कि देश में कितना जनबल है? जो इन योजनाओं को कार्यान्वित करेगा? क्या आपनेअपने जनबल का श्रेणीकरण किया है कि कितने स्वस्थ हैं, कितने अस्वस्थ हैं, कितने युवक हैं, कितने कार्य कर सकते हैं, कितने कार्य नहीं कर सकते, कितने बूढ़े हैं, आदि, आदि? यदि ऐसा हुआ हो, तभी यह बताया जा सकता है कि किस काम में कितने लगाये जा सकते हैं। मुझे सन्देह है कि योजना बनाने वालों ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है।

रक्षा का सामाजिक-आर्थिक योजना के साथ ऐक्य करने की बात मेरी कोई बात नहीं, न तो मेरा सुझाव है, बल्कि महात्मा गांधी ने मार्च १९४६ के **हरिजन** में लिखा था कि भारत के सैनिक कर्मचारी-वर्ग को सामाजिक-आर्थिक प्रयोजनों में लगाया जा सकता है। आज से दो वर्ष पहले भी योजना आयोग के समाध्यक्ष ने जो सदन के नेता भी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंगलौर सत्र में बताया था कि रक्षा विभाग के कर्मचारी-वर्ग को विविध सामाजिक-आर्थिक प्रयोजनों में लगाया तो जा सकता है लेकिन ऐसा करने में कुछ बाधायें हैं। उन बाधाओं का उल्लेख तो नहीं हुआ था, किंतु देश को तभी वास्तविक लाभ पहुंच सकता है जब रक्षा संस्था, रक्षा सेवाओं तथा रक्षा सैनिकों को सामाजिक-आर्थिक योजना में जोड़ा जा सकता है।

मुझे इस बात का आश्चर्य है कि हमारे सहयोगी प्रो० एस. एन. अग्रवाल ने अपने भाषण में उस सामाजिक-आर्थिक प्रणाली के प्रयोग पर कुछ भी नहीं कहा है यद्यपि उन्होंने गांधीवादी अर्थनीति पर अधिकारपूर्ण लेख लिखे हैं और इस विषय पर रक्षा अध्ययन वर्ग को भाषण भी दिया है। चुनाचि योजना प्रायोग के अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस विषय पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत तो किया है लेकिन योजना आयोग की रिपोर्ट में इस बात के प्रयोग का कोई भी उल्लेख नहीं। ऐसा लग रहा है कि यह रिपोर्ट किसी व्यक्ति ने अनजाने में तैयार की है।

आरम्भ में चार वर्षों की निराशा के बाद मेरी और हम सभी की यही आशा थी कि इस योजना से वित्तीय नियंत्रण होगा तथा प्रशासनीय नियंत्रण होगा, और हमारे सामने ऐसी चीज़ बनकर भी आ जायेगी जिस से हमारी समस्यायें हल हो जायेंगी। यक़ीन मानिये कि मेरे जैसे व्यक्तियों का अंग अंग पुलकित हो उठा था जब योजना आयोग की बात चली थी: लोगों ने कई लेख लिखे, और योजना आयोग को सुझाव भी भेजे। मैं ने भारत के नागरिक के नाते एक पुस्तक लिखी और आयोग के पास भेज भी दी। यह ११६ पृष्ठों की पुस्तक थी और इसका नाम "प्लानिंग फॉर इण्डियाज़ मैन-पावर" है। मुझे योजना आयोग के एक कार्य-संचालक श्री त्रिलोक सिंह से उसकी रसीद भी मिली

[श्री यू० सी० पटनायक]

और कई अन्य चिट्ठियां भी मिली जिन में लिखा था कि मेरे द्वारा लिखी गई उन पुस्तकों को जांचा जा रहा है। चुनाचे फोरम के सम्पादक श्री जोशिम अलवा ने मेरी पुस्तकों की समीक्षा करते हुए मेरी समझ की सराहना भी की लेकिन उन पुस्तकों को आयोग की रसीदों द्वारा और कोई भी स्वीकृति नहीं मिली है। मुझे खेद है कि मझे निजी बात कहनी पड़ी है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी: इसे खड्डे में डाला गया है।

श्री यू० सी० पटनायक: उन दिनों मैं उड़ीसा-विधान-मंडल का सदस्य था तो योजना आयोग की रिपोर्ट उड़ीसा विधान-मंडल के पास विचारार्थ भेजी गई। वहां मैं ने ये सुझाव दिये और वहां के मुख्य मंत्री इतने हर्षित हुए कि उन्होंने उत्तर में मुझे लिख भेजा कि यह बहुत ही शानदार योजना है और मैं इसे स्वयं योजना आयोग के पास भेज रहा हूं। चुनाचि वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं। किन्तु इन सब बातों के बावजूद उन की नौकरशाही प्रणाली ने उन्हें इस दिशा में कोई भी क़दम उठाने से रोका है। कोई ११। महीना हुआ कि योजना आयोग ने मुझे बुलाने की कृपा की और मैं ने उन्हें यह सुझाव दिया कि रक्षा संस्था से किस प्रकार काम लिया जा सकता है तथा इंजीनियरों से क्या २ काम लिय जा सकते हैं। मैं ने उन्हें कई बातें कहीं और छटनी के प्रश्न पर भी उन से यही कहा कि जब तक और कोई काम नहीं देखा जाता तब तक छटनी ठीक नहीं। मैं ने सेवा-विशेषज्ञों की ओर से उन के पास एक ज्ञापक भी भेज दिया।

सभापति महोदय: क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय सदस्य कितनी देर तक बोलते रहेंगे ?

श्री यू० सी० पटनायक: श्रीमान्, मैं और १०–१५ मिनट तक बोलूंगा क्योंकि....

सभापति महोदय: माननीय सदस्य तो पन्द्रह मिनट से बोल रहे हैं। यदि वह पांच मिनट में भाषण समाप्त नहीं कर सकें तो वह कल पर भाषण रखें।

श्री यू० सी० पटनायक: क्योंकि केवल मैं ने रक्षा सम्बन्धी संशोधन प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय: यदि वे पांच मिनट में समाप्त कर सकें तो हम बैठ जायेंगे और इसे समाप्त करेंगे। यदि वह पांच मिनट में समाप्त नहीं कर सकते तो मैं सदन को स्थगित करूंगा।

श्री यू० सी० पटनायक: मेरे माननीय सदस्य और दस या पन्द्रह मिनट तक सुनने के इच्छुक हैं।

इसके पश्चात् सदन की बैठक वृहस्पतिवार, १८ दिसम्बर, १९५२ के दस बजे तक के लिये स्थगित हो गई।